

सूचना विवरणिका

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



सूचना का
अधिकार

मैनुअल-03 (खण्ड-02)

वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19
कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

संरक्षक मण्डल :

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

निर्देशन :

1. श्री आर०के० कुंवर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. श्रीमती अमिता जोशी, वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा।
3. श्री रामकृष्ण उनियाल, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सम्पादन/संकलन/समन्वय :

1. श्रीमती कमला बड़वाल, उपनिदेशक सूचना, माध्यमिक शिक्षा।
2. श्री हरि सिंह बिष्ट, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
3. श्री बालकृष्ण डंगवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
4. श्री नरेन्द्र सिंह रावत, प्रशासनिक अधिकारी।
5. श्री रेवाधर उपाध्याय, मुख्य सहायक, सूचना अनुभाग।

सहयोग :

1. श्री भूपेन्द्र सिंह नेगी, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
2. श्री अम्बा दत्त बलोदी, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
3. श्री जी०एस० सौन, उपनिदेशक नियोजन।
4. श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत, उपनिदेशक विधि।
5. श्री नागेन्द्र बर्तवाल, उपनिदेशक लेखा स्थापना/सेवा-1
6. श्री जे०पी० यादव, उपनिदेशक अशासकीय माध्यमिक।
7. श्री हरेराम यादव, उपनिदेशक सेवा-2
8. श्री चन्द्रमोहन सिंह, वित्त अधिकारी।
9. श्रीमती बीमा चमोली, प्रधान सहायक, सूचना अनुभाग।
10. श्री त्रिलोक रोधियाल, सूचना अनुभाग
11. समस्त पटल सहायक/कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय।

**अनुभाग- पाठ्य पुस्तक
मैनुअल (2018-19)**

क्र.सं.	शासनादेश सं०/आदेश सं/कार्यालय ज्ञाप, अनुबन्ध पत्र
1	उत्तराखण्ड शासन कार्यालय ज्ञाप संख्या 801/XXIV(1)/न०सृ०अनु०/114/2017 T.C.IV बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 05 नवम्बर 2018
2	उत्तराखण्ड शासन कार्यालय ज्ञाप संख्या 854/XXIV(1)/न०सृ०अनु०/114/2017 T.C.IV बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 16 नवम्बर 2018
3	शासनादेश संख्या 972/XXIV(1)/न०सृ०अनु०/114/2017 TC बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 17 दिसम्बर 2018
4	ई-निविदा विज्ञप्ति 01 दिनांक 31 दिसम्बर 2018
5	ई-निविदा ड्राक्यूमेंट दिनांक 01 जनवरी 2019
6	शासनादेश संख्या 1007/XXIV(1)/न०सृ०अनु०/114/2017 T.C. बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 02 जनवरी 2019
7	एन.सी.ई.आर.टी. कॉपीराईट दिनांक 21 जनवरी 2019
8	ई-निविदा विज्ञप्ति 02 दिनांक 25 जनवरी 2019
9	ई-निविदा ड्राक्यूमेंट दिनांक 25 जनवरी 2019
10	कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ चयनित फर्म राज इण्टरप्राईजेज एण्ड स्टेशनरी, हल्द्वानी के साथ सम्पन्न अनुबन्ध पत्र दिनांक 16 फरवरी 2019
11	कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ चयनित फर्म दीपक प्रिंटर एण्ड पब्लिशर्स हल्द्वानी के साथ सम्पन्न अनुबन्ध पत्र दिनांक 16 फरवरी 2019
12	कार्यादेश संख्या पा०पु०/1463/नौ-II(02)/2018-19 दिनांक 18 फरवरी 2019
13	कार्यादेश संख्या पा०पु०/1464/नौ-II(02)/2018-19 दिनांक 18 फरवरी 2019

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग
संख्या 801 /XXIV(1)/न0सू0अनु0/114/2017 T.C.IV
देहरादून: दिनांक 05 अक्टूबर, 2018
नवम्बर

पुस्तकें
12/11/18

कार्यालय-ज्ञाप

शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पाठ्य-पुस्तक समिति का निम्नवत गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड	सदस्य
3- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड	सदस्य
4- निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड	सदस्य
5- वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड	सदस्य
6- श्री गंगा प्रसाद शर्मा, वित्त नियंत्रक, कार्यालय-अपर आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
7- अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड	सदस्य
8- डॉ0 मुकुल कुमार सती, अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड	सदस्य
9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की	सदस्य
10- संयुक्त/उप निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड	सदस्य
11- वित्त अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड	सदस्य
12- संयुक्त निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड	सचिव
13- संयुक्त/उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड	संयुक्त सचिव

उक्त समिति पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्धता के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित प्राविधानानुसार, निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्तों का निर्धारण तकनीकी एवं वित्तीय बिड का निरीक्षण करने के लिए तथा पाठ्य पुस्तकों की ससमय आपूर्ति हेतु गठित होगी एवं पाठ्य पुस्तक समिति मुद्रण/मुद्रणोत्तर सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दु पर निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत होगी।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग
संख्या 854 /XXIV(1)/न0सू0अनु0/114/2017 T.C.IV
देहरादून: दिनांक 16 नवम्बर, 2018

9/11/18

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-801/XXIV(1)/ न0सू0अनु0/ 114/ 2017 T.C. दिनांक 05 नवम्बर, 2018 जिसके द्वारा शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पाठ्य पुस्तक समिति गठित की गई है, के क्रमांक-12 में उल्लिखित संयुक्त निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड को सचिव के स्थान पर सदस्य तथा क्रमांक-13 पर उल्लिखित संयुक्त/उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को संयुक्त सचिव के स्थान पर सदस्य सचिव नामित करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञाप को इस सीमा तक आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है।

अतः उक्तानुसार कार्यालय ज्ञाप के क्रमांक-12 में उल्लिखित संयुक्त निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड को सदस्य तथा क्रमांक-13 पर उल्लिखित संयुक्त/उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को सदस्य सचिव पढ़ा जाय।

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या 854 (1)/XXIV(1)/न0सू0अनु0/114/2017 T.C.IV, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यालय ज्ञाप संख्या-801/XXIV(1)/ न0सू0अनु0/ 114/ 2017 T.C. दिनांक 05 नवम्बर, 2018 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
- 2- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 4- निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
- 5- वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- श्री गंगा प्रसाद शर्मा, वित्त नियंत्रक, कार्यालय-अपर आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।
- 7- अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड।
- 8- अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक/
पाठ्य पुस्तक अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक 17 दिसम्बर, 2018

विषय:- शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए राज्य में स्थित विद्यालयों (आई.सी.एस.ई. बोर्ड को छोड़कर) में कक्षा 1 से XII तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों (हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम) की धनराशि डी0बी0टी0 से भुगतान करना व पुस्तकों का खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-पा0पु0/25854/नौ-11(02)/2018-19 दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

- 1- शिक्षा सत्र 2019-20 में व आगामी वर्षों के लिए पात्र छात्र-छात्राओं को एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों हेतु धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से छात्रों के खाते में दी जायेगी।
- 2- शिक्षा सत्र 2019-20 में छात्रों को कक्षा 1 से 12 तक की एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों की बाजार में समय से समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित कर, एल-1 फर्म को इस शर्त के साथ पुस्तकें मुद्रित कराये जाने की व्यवस्था की जानी है कि उनके द्वारा निर्धारित/अंकित मूल्य एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित दर/मूल्य से कम हो।
- 3- ई- निविदा के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों की खुले बाजार में बिक्री हेतु पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ, प्रकाशन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली से कॉपीराइट प्राप्त किया जायेगा।
- 4- वर्ष 2018-19 हेतु समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत राज्यांश रु0 1,62,55,140/- एवं कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 6 से 8 तक बढ़ी हुई नवीन दर जो क्रमशः रु0 150/- के स्थान पर रु0 250/- तथा रु0 250 के स्थान पर रु0 400/- है, क्रय हेतु दी जानी है। सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए रु0 1,37,01,200/- अर्थात् कुल (रु0 1,62,55,140 + 1,37,01,200) रु0

2,99,56,340/- (रु० दो करोड़, नित्यान्वे लाख, छप्पन हजार, तीन सौ चालीस मात्र) की धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशाकीय संख्या-91(मा०)XX(3)2018 दिनांक 17-12-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

विज्ञप्ति संख्या पा0पु0/01/नौ-II(03)/2018-19, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018


ई-निविदा – कागज सहित मुद्रण

शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा I से XII तक की एन.सी.ई.आर.टी./ एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार (उत्तराखण्ड के सभी जनपदों) में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकृत अनुभवी मुद्रकों, जिन्हें विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2017-18) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव हो, से ई-निविदा के माध्यम से **Online तकनीकी एवं वित्तीय बिड** निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	विवरण/कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
(1)	(2)	(3)
01	वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर टेण्डर डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने की तिथि	1 जनवरी 2019 1:00 PM
02	प्री-बिड कार्यशाला	5 जनवरी 2019 11:00 AM
03	तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने की अन्तिम तिथि	7 जनवरी 2019, 11:30 AM से 20/ जनवरी 2019 5 PM तक 9 AM
04	निम्नलिखित को तीन पृथक-पृथक लिफाफो में बन्द करके तथा तीनों को एक चौथे लिफाफे में सील्ड कर निदेशालय में उपलब्ध करवाने की अन्तिम तिथि लिफाफा संख्या-01 <ul style="list-style-type: none"> निविदा आवेदन पत्र शुल्क : रू. 5000.00 (रू. पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (निविदा शुल्क वापस नहीं की जायेगी) अर्नेस्टमनी सेटवार (EMD) (बैंक ड्राफ्ट/एन.एस.सी./एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी) लिफाफा संख्या-02 <ul style="list-style-type: none"> निविदादाता द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित "मॉडल बुक : 2019-20" की पांच प्रतियां, लिफाफा संख्या-03 <ul style="list-style-type: none"> 80 एवं 220 GSM कागज के नमूनों की A-4 साईज की 40-40 शीटें 	21 जनवरी 2019, प्रातः 11:00 AM तक
05	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	21 जनवरी 2019, 2:00 PM
06	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड के पश्चात्

- ई-निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास **Digital Signature Certificate (DSC)** होना अनिवार्य है। किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 0135-2781440 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- प्री-बिड कार्यशाला सभागार सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित की जायेगी, जिसमें सभी इच्छुक निविदादाता भाग ले सकते हैं।
- ई-निविदा के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को **Online Upload** करने के लिए निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.uktenders.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड





पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
कक्षा I से XII की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण
शिक्षा सत्र : 2019-20

ई-निविदा – कागज सहित मुद्रण

(निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्तें)

भाग – एक

खण्ड : (क) – “ई-निविदा”

शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा 1 से XII तक की एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार (उत्तराखण्ड के सभी जनपदों) में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकृत अनुभवी मुद्रकों, जिन्हें विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2017-18) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव हो, से ई-निविदा के माध्यम से Online तकनीकी एवं वित्तीय बिड निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	विवरण/कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
(1)	(2)	(3)
01	वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर टेण्डर डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने की तिथि	1 जनवरी 2019 1:00 PM
02	प्री-बिड कार्यशाला	5 जनवरी 2019 11:00 AM
03	तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने की अन्तिम तिथि	7 जनवरी 2019, 11:30 AM से 20 जनवरी 2019 5 PM तक
04	निम्नलिखित को तीन पृथक-पृथक लिफाफो में बन्द करके तथा तीनों को एक चौथे लिफाफे में सील कर निदेशालय में उपलब्ध करवाने की अन्तिम तिथि लिफाफा संख्या-01 <ul style="list-style-type: none"> निविदा आवेदन पत्र शुल्क : रू. 5000.00 (रू. पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (निविदा शुल्क वापस नहीं की जायेगी) अर्नेस्टमनी सेटवार (EMD) (बैंक ड्राफ्ट/एन.एस.सी./एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी) निविदा शुल्क वापस नहीं होगी। लिफाफा संख्या-02 <ul style="list-style-type: none"> निविदादाता द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित “मॉडल बुक : 2019-20” की पांच प्रतियां, लिफाफा संख्या-03 <ul style="list-style-type: none"> 80 एवं 220 GSM कागज के नमूनों की A-4 साईज की 40-40 शीटें 	21 जनवरी 2019, प्रातः 11:00 AM तक
05	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	21 जनवरी 2019, 2:00 PM
06	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड के पश्चात्

26	V	मैरीगोल्ड बुक 5	55	192	98000
27	V	गणित का जादू	55	207	83000
28	V	इब्लेदई 5	50	194	27000
29	V	आस-पास	55	216	80000
30	V	बालसंस्कृतम भाग 3	35	112	80000
31	V	Math Magic V	55	207	15000
32	V	Looking Around Book III	55	216	15000
कुल योग (कक्षा 1 से 5)			1650		2139000

सेट संख्या-2

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों का मूल्य	पृष्ठों की संख्या	पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित संख्या
1	2	3	4	5	6
1	VI	बसंत भाग 1	55	144	115000
2	VI	Honey Suckle	55	148	115000
3	VI	A Pact with the Sun (Supplimentary)	30	63	115000
4	VI	आमोदनी	29	88	88000
5	VI	गणित	55	355	88000
6	VI	हमारा अतीत - इतिहास	55	152	88000
7	VI	पृथ्वी हमारा आवास- भूगोल	50	80	88000
8	VI	सामाजिक और राजनीति जीवन	50	116	88000
9	VI	अपनी जुबान	50	144	88000
10	VI	बाल रामकथा	40	96	88000
11	VI	Ruchira Prathmo Bhag	50	112	28000
12	VI	Mathematics	55	330	28000
13	VI	Science	55	176	115000
14	VI	Our Past	55	148	28000
15	VI	The Earth Our Habitate	50	75	28000
16	VI	Social and Political Life	55	100	29000
17	VII	बसंत भाग 2	55	156	125000
18	VII	Honey Comb	55	160	125000
19	VII	An Alien Hand-(Suppl.Eng)	35	83	125000
20	VII	आमोदनी	28	84	95000
21	VII	गणित	55	344	95000
22	VII	हमारा अतीत 2-इतिहास	55	167	95000
23	VII	हमारा पर्यावरण भूगोल	50	88	95000
24	VII	सामाजिक और राजनीति जीवन- 2	55	140	95000
25	VII	अपनी जुबान	50	164	60000
26	VII	बाल महाभारत	45	108	95000
27	VII	Ruchira - II	50	120	25000
28	VII	Mathematics	55	324	25000

14	IX	Sanchayan Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	25	65	5000
15	IX	Mathematics	135	358	13000
16	IX	Science	135	228	13000
17	IX	India and the Contemporary World I- History	115	192	5000
18	IX	Contemporary India I- Geography	50	76	5000
19	IX	Economics	45	64	5000
20	IX	Democratic Politics	80	124	5000
21	X	क्षितिज भाग-2	60	144	45000
22	X	कृतिका भाग-2	30	64	45000
23	X	First Flight - English Text Book	70	172	45000
24	X	Foot Prints without Feet - English Suppl.	40	88	45000
25	X	शेमुषी द्वितीया भाग	60	122	25000
26	X	गणित	140	416	32000
27	X	विज्ञान	165	336	32000
28	X	भारत और समकालीन विश्व II-इतिहास	125	212	32000
29	X	समकालीन भारत II-भूगोल	65	116	32000
30	X	आर्थिक विकास की समझ	65	104	32000
31	X	लोकतांत्रिक राजनीति-II	80	124	32000
32	X	नवा-ए-उर्दू	80	189	2000
33	X	Sparsh Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	60	153	5000
34	X	Sanchayan Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	25	61	5000
35	X	Mathematics	140	326	10000
36	X	Science	165	292	13000
37	X	India and the Contemporary World II- History	125	212	13000
38	X	Contemporary India II Geography	65	108	5000
39	X	Understanding Economic Development- Economics	65	104	5000
40	X	Democratic Politics II	80	124	5000
कल योग (कक्षा 9 एवं 10)			3245		914000

सेट संख्या-4

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों का मूल्य	पृष्ठों की संख्या	पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित संख्या
1	2	3	4	5	6
1	XI	आरोह भाग-1	65	196	40000
2	XI	वितान भाग-1	25	72	40000
3	XI	अभिव्यक्ति और माध्यम	145	220	25000
4	XI	Hornbill - English Core	50	128	35000
5	XI	Snapshot - English Suppl. Core	35	88	35000
6	XI	भास्वती प्रथमो भाग	60	104	15000
7	XI	गणित	180	504	15000
8	XI	जीव विज्ञान	200	352	10000
9	XI	रसायन भाग-1	155	260	20000

54	XI	Human Ecology & Family Science- Part I	160	241	2000
55	XI	Human Ecology & Family Science- Part II	105	165	2000
56	XI	Computer & Communication Technology- Part II	150	189	2000
57	XI	Exploring the Craft Tradition of India	110	133	2000
58	XI	Graphic Design Ek Kahani	170	129	2000
59	XI	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag I	140		2000
60	XI	An Introduction to Indian Art	125		2000
61	XI	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag II	150		2000
62	XII	आरोह भाग-2	70	168	35000
63	XII	वितान भाग-2	40	96	35000
64	XII	Flamingo - English Core	45	116	30000
65	XII	Vistas - English Suppl. Reader Core	40	112	30000
66	XII	भासवती द्वितीयो भाग	35	104	15000
67	XII	गणित भाग-1	115	132	13000
68	XII	गणित भाग-2	130	316	13000
69	XII	जीवविज्ञान	170	324	10000
70	XII	रसायन भाग-1	170	308	20000
71	XII	रसायन भाग-2	115	199	20000
72	XII	भौतिकी भाग-1	170	324	20000
73	XII	भौतिकी भाग-2	140	271	20000
74	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-1	80	128	12000
75	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-2	95	155	12000
76	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-3	115	167	12000
77	XII	मानव भूगोल के मूल सिद्धान्त	65	120	12000
78	XII	भारत - लोग और अर्थव्यवस्था	95	348	12000
79	XII	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य - भाग 2	70	208	12000
80	XII	व्यष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	65	187	12000
81	XII	समष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	65	128	12000
82	XII	समकालीन विश्व राजनीति	100	168	12000
83	XII	स्वतंत्र भारत में राजनीति	125	161	12000
84	XII	भारत में सामाजिक परिवर्तन	90	199	10000
85	XII	भारतीय समाज - समाजशास्त्र	105	180	10000
86	XII	व्यावसाय अध्ययन-1	60	172	5000
87	XII	व्यावसाय अध्ययन-2	50	260	5000
88	XII	अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते	85	288	5000
89	XII	कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	115	124	5000
90	XII	मनोविज्ञान	100	172	3000
91	XII	Antara Bhag 2 Hindi Elective	75	185	5000
92	XII	Antara Bhag 2 Hindi Suppl. Elective	30	165	5000
93	XII	Kaleidoscope- English Elective	70	249	5000
94	XII	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	55	133	5000
95	XII	Mathematics Part I	115	300	4000
96	XII	Mathematics Part II	130	347	4000

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right.

खण्ड : (ग) – 'निविदा की मुख्य शर्तें'

9. सशर्त निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. निविदादाताओं द्वारा सभी चार सेटों (कक्षा I to V, VI to VIII, IX to X, XI to XII) के लिए सेटवार दरें कोट (Quote) की जानी होंगी। सभी सेटों के लिए केवल एक ही निविदा डालनी होगी।
11. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड "प्रपत्र क" में एवं वित्तीय बिड BOQ (Bill of Quantity) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता (मुद्रक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) के द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
12. **निविदा आवेदन पत्र शुल्क** : निविदा आवेदन पत्र शुल्क रुपये 5000.00 (रु. पांच हजार मात्र) निर्धारित है। निविदा आवेदन-पत्र शुल्क का बैंक ड्राफ्ट पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से जो देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम से देय हो, उपलब्ध करवाये जाने हैं।
13. **धरोहर राशि (EMD)** : निविदादाताओं द्वारा अर्नेस्ट मनी (EMD) की धनराशि पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट/एन.एस0सी0/एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी जो देहरादून में देय हो, के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी। धरोहर राशि निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 03 (तीन) माह के लिए वैध होनी चाहिए। असफल (अनर्ह) निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदाओं की अस्वीकृति के तुरन्त बाद उन्हें वापस कर दी जायेगी। एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा को वापस लेने अथवा सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि तक आवश्यक करार निष्पादित न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। धरोहर राशि के पृष्ठ भाग में फर्म का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करने होंगे। कक्षावार वर्गीकृत पाठ्य पुस्तकों के सेटों के लिए सेटवार निर्धारित मूल्य एवं EMD का विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	कक्षा	पाठ्य पुस्तकों की सेटों का विवरण	प्रति सेट निर्धारित मूल्य (In Rs.)	EMD (In Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I to V	पाठ्य पुस्तकें कक्षा-I to V	1658	2219600
2.	VI to VIII	पाठ्य पुस्तकें कक्षा-VI to VIII	2576	3838800
3.	IX to X	पाठ्य पुस्तकें कक्षा-IX to X	3245	1410100
4.	XI to XII	पाठ्य पुस्तकें कक्षा-XI to XII	12278	1985040

14. **सुरक्षा धनराशि (Security Money)**- सफल निविदादाता द्वारा कुल कार्य मूल्य की 10% सुरक्षा धनराशि (सिक्योरिटी मनी) का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चैक/एन0एस0सी0/ बैंक गारण्टी पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से जमा करनी होगी, जिसे पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जांच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती, संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर वापस किया जायेगा। सुरक्षा धनराशि कार्य के सम्पादनार्थ निदेशालय द्वारा फर्म को भेजी गयी चयन की सूचना की तिथि के बाद बनी होनी चाहिए तथा बनने की तिथि से कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए।

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Rmed' and several other smaller signatures and initials.

- पुस्तकों के मुद्रणार्थ सेटवार जितनी प्रतिशत कम दर दी जायेगी उसी दर के अनुरूप (अनुपात में) सम्बन्धित कक्षा की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिए निविदादाता द्वारा दी गयी दर समझी जायेगी।
21. निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए पाठ्य पुस्तकों की दी गयी दरों को संशोधित किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित मूल्य के अनुपात में निविदा प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित किया जायेगा।
 22. **पाठ्य पुस्तकों पर दी जाने वाली रॉयल्टी-** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक : F.No.-26-40/2005 - Pub.(TCS) दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के लिए 5% रॉयल्टी का भुगतान NCERT नई दिल्ली के लिये किया जायेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड की पाठ्य पुस्तकों पर एक समान रॉयल्टी देय होगी। शिक्षा सत्र के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा यदि रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार ही फर्मों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।
 23. शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत् (आई.सी.एस.ई. बोर्ड के विद्यालयों को छोड़कर) छात्र-छात्राओं हेतु (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) लगभग 1.5 करोड़ पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होगी। चयनित फर्म/फर्मों द्वारा शिक्षा सत्र के दौरान पुस्तकों की मांग के अनुसार प्रथम चरण में कक्षा 1 से 12 तक की कुल 80,00,000 (अस्सी लाख) पाठ्य पुस्तकें खुले बाजार में बिक्री हेतु चयनित मुद्रक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। बाजार में पाठ्य पुस्तकों की अतिरिक्त मांग होने पर चयनित फर्म/फर्मों द्वारा अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक समिति से अनुमति लेने के उपरान्त अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें मुद्रित की जायेगी। चयनित फर्म/फर्मों द्वारा न्यूनतम 35,00,000 (कक्षा 1 से 5 तक दस लाख पाठ्य पुस्तकों, कक्षा 6 से 8 तक पंद्रह लाख पाठ्य पुस्तकों, कक्षा 9 से 10 पांच लाख पाठ्य पुस्तकों एवं कक्षा 11 व 12 पांच लाख) पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सीमा से अधिक मात्रा में पाठ्य पुस्तकें मुद्रण करने की दशा में अतिरिक्त मुद्रित पाठ्य पुस्तकों पर नियमानुसार 5 प्रतिशत रॉयल्टी देय होगी। रॉयल्टी ड्राफ्ट के माध्यम से, जो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से बना हो, पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवायी जायेगी। रॉयल्टी का ड्राफ्ट देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में देय होना चाहिए।
 24. चयनित फर्म को पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करते समय यह लिख कर देना होगा कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
 25. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज के मानक एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे।
 - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में टेक्स्ट पेपर के लिए मिलवाटर मार्क Maplitho Paper 80 GSM नवीनतम संशोधित ISI मार्क 1848/2007 के नवीन संशोधित मानकों के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा। कागज एन.सी.ई.आर.टी. के मानकों के अनुरूप होगा। इससे निम्न गुणवत्ता का कागज मान्य नहीं होगा। कतरन, रद्दी, रिसाइकल्ड पल्प से निर्मित कागज मान्य नहीं होगा।
 - आवरण पृष्ठ के लिए आर्ट कार्ड 220 GSM, नवीनतम संशोधित BIS specification 4658/1988 के निर्धारित मानकों का कागज प्रयोग में लाया जायेगा। कागज

RE

11

Myal

- अधिकृत विक्रेता से अनुबन्ध करने पर— सम्बन्धित अधिकृत विक्रेता का पिछले दो वर्षों (2016-17, 2017-18) में प्रतिवर्ष कम से कम 3500 मीट्रिक टन कागज (मैपलिथो/क्रीमवोव) किसी भी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति करने का पेपर मिल (जिसके अधिकृत विक्रेता हैं) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
35. **शपथ पत्र**— निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना, जो देना आवश्यक था, छिपाई नहीं गयी है। यदि कोई सूचना छिपाई जाती है तो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा जो भी विधिक कार्यवाही की जायेगी वह निविदादाता को मान्य होगी।
- सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनायें प्रत्येक दशा में सत्य है।
 - किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं हैं।
 - फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
 - 32-पृष्ठों की नमूना प्रति जो चार रंगों में मुद्रित की गयी है, को आवरण पृष्ठ सहित उनके द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित किया गया है।
36. चयनित फर्म/फर्मों को पूरे शिक्षा सत्र के दौरान मांग के अनुरूप छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए निर्धारित मूल्य (विक्रय मूल्य) पर पाठ्य पुस्तकें खुले बाजार में उपलब्ध रखनी/करवानी होगी। बाजार की मांग के अनुरूप यदि जारी किये गये कार्यादेश से अधिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण की आवश्यकता होती है तो मुद्रक द्वारा पाठ्य पुस्तकों के पुनर्मुद्रण की अनुमति निदेशालय से प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के पाठ्य पुस्तकों का पुनर्मुद्रण नहीं किया जायेगा।
37. निविदादाता द्वारा अपना नैटवर्क राज्य के सभी जनपदों में इस प्रकार स्थापित करना होगा कि पुस्तकें प्रत्येक तहसील, विकास खण्ड, न्याय पंचायतों में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री हेतु समय से उपलब्ध हो जाय, ताकि सभी छात्र-छात्राएँ पुस्तकें क्रय कर सकें। पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा पाठ्य पुस्तकों के ढुलान अथवा पाठ्य पुस्तकों पर आने वाले किसी भी व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
38. चयनित फर्मों द्वारा अनुबन्ध करने से पूर्व शपथ पत्र में जनपदवार कम से कम एक पुस्तक विक्रेता का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिनको उनके द्वारा प्राथमिकता/अनिवार्य रूप से बिक्री के लिए पर्याप्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवानी होगी। जनपद स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्धता होने पर ही कार्य सम्पन्न होने की प्रामाणिकता मानी जायेगी। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से कार्य सम्पन्न नहीं समझा जायेगा। चयनित निविदादाता द्वारा शपथ पत्र पर उनके द्वारा चयनित/अनुबन्धित पुस्तक विक्रेताओं का विवरण निम्नवत् देना होगा :-

क्र०सं०	जनपद	पुस्तक विक्रेता का नाम एवं पता	दूरभाष नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उत्तरकाशी		
2	टिहरी गढ़वाल		
3	रूद्रप्रयाग		
4	चमोली		
5	पौड़ी		
6	देहरादून		
7	हरिद्वार		

क्षमता का आकलन करने के लिए कार्यरत मशीनों में से प्रत्येक मशीन की क्षमता का सक्षम संस्था/विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है। (Uploaded)

48. वित्तीय वर्ष : 2015-16, 2016-17 अर्थात् आगणन वर्ष (Assesment year) : 2016-17, 2017-18 में किये गये आयकर भुगतान का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र। (Uploaded)
49. स्थायी आयकर खाता (Permanant Account Number) संख्या। (Uploaded)
50. व्यापार कर विभाग द्वारा जारी वैध व्यापार कर/बिक्रीकर के भुगतान का प्रमाण पत्र। (Uploaded)
51. टर्न ओवर- मुद्रण उद्योग में विगत दो वर्षों (2016-17, 2017-18) का टर्न ओवर औसतन 03 (तीन) करोड़ प्रतिवर्ष होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। (Uploaded)
52. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव प्रमाण पत्र- विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण अनुभव के लिए संबंधित संस्था द्वारा जारी कार्यादेश एवं सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। प्रमाण पत्र में मुद्रण वर्ष, कक्षा, पाठ्य पुस्तकों का नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। (Uploaded)
53. कागज उत्पादन/आपूर्ति का प्रमाण-पत्र- फर्म द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज क्रय करने के लिए जिस पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता से किया गया अनुबन्ध पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया गया है, उस पेपर मिल का पिछले दो वर्षों (2016-17, 2017-18) में प्रतिवर्ष कम से कम 24000 मीट्रिक टन कागज (मैपलिथो/क्रीमवोव) उत्पादन तथा अधिकृत विक्रेता की दशा में 3500 मीट्रिक टन (मैपलिथो/क्रीमवोव) किसी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति करने का पेपर मिल के लिए एक्साइज/जी.एस.टी. विभाग द्वारा/अधिकृत विक्रेता के लिए पेपर मिल (जिसके अधिकृत विक्रेता हैं) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र। (Uploaded)
54. अनुबंध पत्र - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने के लिए किया गया अनुबंध पत्र। (Uploaded)
55. पेपर मिल/अधिकृत वितरक का नाम व पता, जिसका नमूना कागज उपलब्ध करवाया जा रहा है। (Uploaded)
56. शपथ पत्र - निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना, जो देना आवश्यक था, छिपाई नहीं गयी है। यदि कोई सूचना छिपाई जाती है तो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा जो भी विधिक कार्यवाही की जायेगी वह निविदादाता को मान्य होगी।
- किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
 - फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
 - 32 - पृष्ठों की नमूना प्रति- "मॉडल बुक : 2019-20" जो चार रंगों में मुद्रित की गयी है, को आवरण पृष्ठ सहित उनके द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित किया गया है। (Uploaded)

- फर्म पर दण्ड निर्धारित किया जायेगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं चयनित फर्म/फर्मों को मान्य होगा।
- 64 निर्धारित दरें, रॉयल्टी, समयावधि सहित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जाना है। कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकें जो बिक्री होने से रह जाती हैं, उनके भुगतान के लिए पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
- 65 पाठ्य पुस्तकें एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप (पेपर, पुस्तक का साइज, प्रिंटिंग एवं बाइंडिंग) ही मुद्रित की जायेंगी। एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा जारी गाइड लाईन एवं कॉपी राइट एक्ट मुद्रकों को मान्य होगा।
- 66 आवरण पृष्ठों का मुद्रण इस प्रकार किया जायेगा कि उनका उपयोग किसी अन्य द्वारा नहीं किया जा सके।
- 67 पाठ्य पुस्तकें आवरण पृष्ठ सहित फोर कलर में कवर, बैक कवर तथा इन साइड कवर एवं इन साइड बैक कवर/टू कलर कवर, वन कलर इन साइड में मुद्रित होंगी। पाठ्य-पुस्तकों के कवर पेज पर 12 डिजिट में **Online Number** अंकित किया जायेगा ताकि पुस्तकों की विश्वसनीयता बनी रहे और नकली पुस्तकें बाजार में न आ सकें। 12 डिजिट में **On Line Number** कार्यादेश के साथ ही निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- 68 चयनित फर्म द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लाल रंग से मोटे अक्षरों में चार खाने के अन्दर "**Royalty Paid Book**" अंकित किया जायेगा।
- 69 समस्त पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र 2019-20" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2019-20" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा, इससे एन0सी0ई0आर0टी0 व राज्य सरकार की पुस्तकों में भिन्नता रहेगी।
- 70 चयनित फर्म द्वारा आवंटित समस्त पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों पर नीचे मध्य भाग में पृष्ठ संख्या तथा समस्त दाहिने एवं बांये पृष्ठों पर बाहर की ओर उत्तराखण्ड शिक्षा सत्र 2019-20 तथा अन्दर की ओर बांये पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ्य पुस्तक का नाम तथा दाहिनी ओर के पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ का नाम अंकित किया जायेगा। सभी अंकना 10 प्वाइंट बोल्ड में मुद्रित किये जायेंगे।
- 71 प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रारम्भ में यथास्थान महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से प्राक्कथन फर्म द्वारा मुद्रित किया जायेगा, जिसे कार्यादेश के साथ ही फर्म को निदेशालय से प्राप्त करना होगा।
- 72 मुद्रण कार्य की प्रूफ रीडिंग फर्म द्वारा अपने स्तर से करवायी जायेगी। अतः अक्षर, मात्रा, अंक, दशमलव, बिन्दु, कौमा, अर्द्धविराम, गणित के चिन्ह, आदि टूटे-छूटे, मिटने या स्थान बदलने से होने वाली त्रुटि की स्थिति में नहीं हों, के लिए प्रूफ रीडिंग अत्यधिक सावधानी से की जानी होगी। तथापि मुद्रण स्थल पर निदेशालय द्वारा गठित पैनल के द्वारा भी आवश्यकतानुसार प्रूफरीडिंग का निरीक्षण किया जा सकता है, जिससे पुस्तक का सही, सुस्पष्ट एवं आकर्षक स्वरूप बाजार में उपलब्ध हो सके।
- 73 पाठ्य पुस्तकें निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सी0डी0/हार्ड कापी के अनुसार ही मुद्रित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का भी फर्म को यथास्थान समावेश करना होगा।

• 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में मुद्रक की सुरक्षा धनराशि जब्त कर, उसे काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।

(ख) खराब मुद्रण:- पुस्तकों के सत्यापन में मानक के अनुरूप मुद्रण न पाये जाने अथवा खराब मुद्रण की दशा में सम्बन्धित प्रकार की पुस्तकों की कुल कीमत पर 05% से 15% तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। खराब मुद्रण के अन्तर्गत अस्पष्ट चित्र, अपठनीय छपाई आदि पर विचार किया जायेगा।

(ग) त्रुटिपूर्ण मुद्रण:- विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार मुद्रण न पाये जाने अथवा त्रुटिपूर्ण मुद्रण होने पर, नमूने के इतर कोई सामग्री छापने, गलत पाठ एवं चित्र छापने पर समिति द्वारा सम्बन्धित पुस्तकों की कुल कीमत पर 5 से 15% तक अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(घ) कम माप:- पाठ्य पुस्तकवार निर्धारित माप के अनुरूप समिति द्वारा कम आकार की पुस्तकों के मूल्य से कुल कम हुये कागजों के दुगने मूल्य के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। कागज की गुणवत्ता पर भी विचार किया जायेगा।

- 86 चयनित फर्म द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।
- 87 महानिदेशक/अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक समिति, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर चयनित फर्म का निरीक्षण कर, पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के दौरान मुद्रित/अमुद्रित नमूना एकत्रित किया जायेगा। सील्ड नमूनें पर चयनित फर्म एवं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, जो आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक जाँच के लिये प्रयोगशाला में प्रेषित किया जा सकता है।
- 88 सफल निविदादाता द्वारा यदि अनुबंध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नेस्टमनी/सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।
- 89 कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त चयनित फर्म द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये **On Line Number** का प्रमाण भी देना अनिवार्य होगा।
- 90 सुरक्षा धनराशि निम्नलिखित कार्यों तथा शर्तों को पूरा करने के उपरान्त वापस की जायेगी-

- फर्म द्वारा कार्यदेशानुसार मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करने एवं यह लिख कर देने पर कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
- पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती करने के उपरान्त संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर।
- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण-पत्र जारी करने पर।


भाग - दो

प्रपत्र-क

शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए कक्षा I से XII की एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा विकसित
पाठ्य- पुस्तकों के मुद्रणार्थ तकनीकी बिड
(निविदा प्रपत्र तथा सभी संलग्नकों को अपलोड किया जाना अनिवार्य है)

1. निविदादाता का नाम
पता
2. फोन नम्बर (कार्यालय) मोबाईल
3. मुद्रक/फर्म का नाम
पता
4. फोन नम्बर कार्यालय मो0
5. ई-मेल पता.....
6. मशीनों का विवरण साइज, प्रकार, मॉडल, क्रय तिथि (508 mm, 578 mm वेब ऑफसेट, 4 कलर शीटफैड मशीन 19" X 26")
(मशीनों का क्रय बिल संलग्न करें। मशीनों का निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जा सकता है)
7. प्रेस डिक्लरेशन का दिनांक.....
(मुद्रण की इकाई के पंजीकरण एवं जिलाधिकारी/राजकीय प्रेस द्वारा जारी प्रेस डिक्लरेशन की सत्यापित प्रति संलग्न की जाय)
8. कार्यरत मशीनों की मुद्रण क्षमता का विवरण.....
(सक्षम संस्था/विभाग (राजकीय प्रेस अथवा उद्योग विभाग) द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. विगत वर्ष के आयकर भुगतान का प्रमाण-पत्र.....
(Assesments year 2016-17, 2017-18 Financial Year 2015-16, 2016-17 का आयकर रिटर्न संलग्न किया जाय)
10. स्थायी आयकर खाता संख्या (Permanant Account Number).....
11. जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या
12. केन्द्रीय बिक्रीकर/व्यापार कर/वैट पंजीकरण संख्या
13. (विगत वर्षों के वैध व्यापार कर/वैट भुगतान का प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।)
14. विगत दो वर्षों (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18) का टर्न ओवर (औसतन 03.00 करोड प्रतिवर्ष)
(चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
15. वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की ऑडिट बैलेंस शीट (चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा निर्गत).....
16. विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2017-16) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का मुद्रण कार्य का अनुभव। संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। कार्यदेश, अनुबन्ध की प्रति मान्य नहीं होगी।
17. कागज उत्पादन/आपूर्ति का प्रमाण-पत्र- कागज क्रय करने के लिए अनुबन्धित पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के लिए एक्साइज/जी.एस.टी. विभाग/सम्बन्धित पेपर मिल द्वारा जारी पिछले दो वर्षों (2016-17, 2017-18) में प्रतिवर्ष कम से कम 24000 मीट्रिक टन उत्पादन/3500 मीट्रिक टन कागज किसी भी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति का प्रमाण पत्र.....
18. अनुबंध पत्र - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने के लिए किया गया अनुबंध पत्र की प्रति.....
19. पेपर मिल/अधिकृत वितरक का नाम व पता
जिसका नमूना कागज उपलब्ध करवाया जा रहा है.....
20. शपथ पत्र - निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र संलग्न करें-
 - असत्य एवं भ्रामक सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

Tender Documents Class I to XII (2019-20)



7241
03/11/19

संख्या 1007 /XXIV(1)/न0सू0अनु0/114/2017 T.C.

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

उप निदेशक (पाठ्य पुस्तक)

सेवा में,

निदेशक/पाठ्य पुस्तक अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

3-1-19

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक 02 दिसम्बर, 2018


विषय:- शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए कक्षा I से XII तक की एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी.
की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ निविदा प्रपत्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पा0पु0/27641/ नौ- II (03)/2018-19 दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें शासनादेश संख्या-738/XXIV(1)/ न0सू0अनु0/34/2010 Vol-I दिनांक 28 सितम्बर, 2016 का उल्लेख करते हुए पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा तैयार ई-निविदा प्रपत्र अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराया गया है। अवगत कराना है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-801/ XXIV(1)/न0सू0अनु0/114/2017 T.C.IV दिनांक 05 नवम्बर, 2018 में पाठ्य पुस्तक समिति को पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्धता के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित प्राविधानानुसार, निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्तों का निर्धारण, तकनीकी एवं वित्तीय बिड का निरीक्षण करने तथा पाठ्य पुस्तकों की ससमय आपूर्ति हेतु एवं मुद्रण/मुद्रणोत्तर सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दु पर निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्



NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL
RESEARCH AND TRAINING

फोन 011-26852261, फैक्स 011-26851070

ईमेल : pd.ncert@nic.in

ED 341676394 JN

फा. सं. 26-40/2005/प्रकाशन प्रभाग/टी.सी.एस.

28/01/19

प्रकाशन प्रभाग

21 जनवरी 2019

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड,
ननूरखेड़ा, देहरादून
उत्तराखंड - 248 001

8714

28/01/19

पाठ्यपुस्तक

28/01/2019

विषय: शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए कक्षा I से XII (हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम) की समस्त पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण/प्रकाशनार्थ कॉपीराइट प्रदान करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या पा.पु./27309/नौ-III(03)/2018-19, दिनांक 26.12.2018 का संदर्भ लें।

एनसीईआरटी अकादमिक सत्र 2019-20 के लिए कक्षा 1 से 12 तक संविदा में दी गई सूची के अनुसार (238 पाठ्यपुस्तकों) हेतु प्रकाशनाधिकार की अनुमति प्रदान कर रही है।

इस संबंध में यह भी ध्यान रखा जाए कि पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करते समय समान वस्तुसूची एवं संविदा के अनुसार निबन्धन एवं शर्तों का कठोरता से पालन किया जाय।

वर्ष 2019-20 के लिए किए गए संविदा की हस्ताक्षरित प्रति आपके संदर्भ एवं रिकार्ड के लिए संलग्न है। पाठ्यपुस्तकों की सी.डी. संविदानुसार उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी अधिकारी को सी.डी. की प्राप्ति हेतु प्रतिनियुक्त करने से पूर्व कृपया अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से इस संबंध में पुष्टि कर लें।

सधन्यवाद,

अवलोकनाथ

संलग्न : उपरोक्त

भवदीय

सिराज अनवर

21/01/2019

(एम. सिराज अनवर)

प्रोफेसर एवम अध्यक्ष

महा निदेशक
वि. शि. 0
उत्तराखंड

श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016

दूरभाष: 26560620, 26566360 फैक्स: 91-11-26868419

SRI AUROBINDO MARG, NEW DELHI-110016

PHONE: 26560620, 26566360 FAX: 91-11-26868419

GRAMS. RESEARCH




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK96904214785678Q
Certificate Issued Date : 26-Dec-2018 01:05 PM
Account Reference : NONACC (SV)/uk1203304/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK120330495416497961264Q
Purchased by : SMT JYOTI YADAV
Description of Document : Article Miscellaneous
Property Description : NA
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : SMT JYOTI YADAV
Second Party : NA
Stamp Duty Paid By : SMT JYOTI YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)



Please write or type below this line

AGREEMENT

MEMORANDUM of Agreement made this 26 day of December 2018 between the National Council of Educational Research and Training, NIE Campus, Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110016 (hereinafter called the NCERT) which expression shall, wherever the context so admits, include its legal representatives, successors and assigns of the first party and the **Director General School Education Uttarakhand, Nanoorkhera, Dehradun** (hereinafter called the Licence Holder Publisher) which expression shall, wherever the context so admits, include its successors and assigns of the second party.

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shclesstamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

WHEREAS the Director General School Education Uttarakhand, Nanoorkhera, Dehradun has requested for grant of Copyright for the textbooks mentioned as detailed below, the NCERT grants copyright to State /UT Agency Uttarakhand for the subject books for the academic session 2019-20 in English/Hindi/Urdu languages, subject to the terms and conditions mentioned in this agreement.

S.No	Name of the textbooks/books	Class
1	2	3
1	Rimjhim Bhag I	I
2	Marigold Book I	I
3	Math-Magic book I	I
4	Ganit Ka Jaadu Bhag I	I
5	Ibtedai Urdu 1	I
6	Rimjhim Bhag II	II
7	Marigold Book II	II
8	Math-Magic book II	II
9	Ganit Ka Jaadu Bhag II	II
10	Ibtedai Urdu 2	II
11	Rimjhim Bhag III	III
12	Marigold Book III	III
13	Math-Magic book III	III
14	Ganit Ka Jaadu Bhag III	III
15	Looking Around Book I	III
16	Ibtedai Urdu 3	III
17	Rimjhim Bhag IV	IV
18	Marigold Book IV	IV
19	Math-Magic book IV	IV
20	Ganit Ka Jaadu Bhag IV	IV
21	Looking Around Book II	IV
22	Ibtedai Urdu 4	IV
23	Rimjhim Bhag V	V
24	Marigold Book V	V
25	Math-Magic book V	V
26	Ganit Ka Jaadu Bhag V	V
27	Looking Around Book III	V
28	Aaspass Bhag III	V
29	Ibtedai Urdu 5	V
30	Vasant Bhag 1	VI
31	Bal Ramkatha	VI
32	Honey Suckle- English Textbook	VI
33	A Pact with the Sun (English Supplimentry)	VI
34	Ruchira Prathmo Bhag (Sanskrit)	VI
35	Mathematics	VI
36	Ganit	VI
37	Science	VI

38	Our Pasts I History	VI
39	Hamara Atit I- Itihas	VI
40	The Earth Our Habitate- Geography	VI
41	Prithvi Hamara Aawas - Bhugol	VI
42	Social and Political Life	VI
43	Samajik Aur Rajnitik Jeevan	VI
44	Apni Zaban	VI
45	Vasant Bhag II	VII
46	Bal Mahabharat Katha	VII
47	Honeycomb- English Textbook	VII
48	An Alien Hand-(English Suppl.)	VII
49	Ruchira Dwitiya Bhag (Sanskrit)	VII
50	Mathematics	VII
51	Ganit	VII
52	Science	VII
53	Our Pasts II- History	VII
54	Hamara Atit II- Itihas	VII
55	Our Environment Geography	VII
56	Hamara Paryavaran- Bhugol	VII
57	Social and Political Life II	VII
58	Samajik or Rajnitik Jeevan II	VII
59	Apni Zaban	VII
60	Vasant Bhag III	VIII
61	Bharat ki Khoj- Suppl. Hindi	VIII
62	Honeydew- English Textbook	VIII
63	It So Happened (Eng Suppl.)	VIII
64	Ruchira Tritiya Bhag	VIII
65	Mathematics	VIII
66	Ganit	VIII
67	Science	VIII
68	Vigyan	VIII
69	Our Pasts book III Part I -History	VIII
70	Our Pasts III Part II- History	VIII
71	Hamare Atit Pustak III Bhag I Itihas	VIII
72	Hamare Atit Pustak III Bhag II Itihas	VIII
73	Resource and Development- Geography	VIII
74	Social and Political Life III	VIII
75	Samajik Aur Rajnitik Jeevan III	VIII
76	Sansadhan Evam Vikas- Bhugol	VIII
77	Apni Zaban	VIII
78	Kshitij Bhag-I, Course A	IX
79	Kritika Bhag-I, Hindi Suppl. Course- A	IX
80	Beehive - English Text Book Course- B	IX

81	Moments - English Supplementary Reader , Course-B	IX
82	Shemushi Prathamo Bhag- Sanskrit	IX
83	Ganit	IX
84	Vigyan	IX
85	Bharat Aur Samkalin Vishwa I- Itihas	IX
86	Samakalin Bharat I- Bhugol	IX
87	Arthshastra	IX
88	Loktantrik Rajniti	IX
89	Nava-e-Urdu	IX
90	Sparsh Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	IX
91	Sanchayan Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Suppl. Course B	IX
92	Mathematics	IX
93	Science	IX
94	India and the Contemporary World I- History	IX
95	Contemporary India I- Geography	IX
96	Economics	IX
97	Democratic Politics	IX
98	Kshitij Bhag-II- Hindi, Course-A	X
99	Kritika Bhag-2. Hindi Suppl. Course-A	X
100	First Flight - English Text Book, Course-B	X
101	Foot Prints without Feet- English Supple. Reader Course-B	X
102	Shemushi Dwitiya bhag – Sanskrit	X
103	Ganit	X
104	Vigyan	X
105	Bharat Aur Samkalin Vishwa II- Itihas	X
106	Samakalin Bharat 2- Bhugol	X
107	Arthik Vikas Ki Samajh- Arthashastra	X
108	Loktantrik Rajniti II	X
109	Nava-e-Urdu	X
110	Sparsh Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	X
111	Sanchayan Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Suppl. Course B	X
112	Mathematics	X
113	Science	X
114	India and the Contemporary World II- History	X
115	Contemporary India II Geography	X
116	Understanding Economic Development- Economics	X
117	Democratic Politics II	X
118	Aroh Bhag-I Hindi Core	XI
119	Vitan Bhag-I Hindi Suppl. (Core)	XI
120	Abhivyakti Aur Madhyam (Core & Elective Cl XI & XII)	XI
121	Hornbill - English Core	XI
122	Snapshot - English Suppl. Core	XI
123	Sanskrit - Bhaswati Prathmo Bhag	XI



124	Ganit	XI
125	Jeev Vigyan	XI
126	Rasayan Bhag I	XI
127	Rasayan Bhag II	XI
128	Bhautiki Bhag I	XI
129	Bhautiki Bhag II	XI
130	Vishva Itihas Ke Kuch Vishay	XI
131	Bhautik Bhugol Ke Mool Siddhant	XI
132	Bharat : Bhautik Paryavaran	XI
133	Bhugol Mein Prayogatmak Karya - Bhag I	XI
134	Arthashastra Mein Sankhiyiki	XI
135	Bhartiya Arthvyavastha Ka Vikas	XI
136	Bharat Ka Samvidhan	XI
137	Rajniti Siddhant II	XI
138	Samajshastra Parichaya	XI
139	Samaj Ka Bodh	XI
140	Vyavsaya Adhyayan	XI
141	Lekhashastra - Vittiya Lekhankan Bhag I	XI
142	Lekhashastra - Vittiya Lekhankan Bhag II	XI
143	Manovigyan Ka Parichaya	XI
144	Antra Bhag - Hindi Elective	XI
145	Antra Bhag - Hindi Suppl. Elective	XI
146	Woven Words- English Elective	XI
147	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	IX
148	Mathematics	XI
149	Biology	XI
150	Chemistry Part I	XI
151	Chemistry Part II	XI
152	Physics Part I	XI
153	Physics Part II	XI
154	Themes in World History	XI
155	Fundamental of Physical Geography	XI
156	India: Physical Environment	XI
157	Practical Work in Georgraphy - Part I	XI
158	Statistics for Economics	XI
159	Indian Economic Development	XI
160	Indial Constitution at Work	XI
161	Pol. Theory II	XI
162	Introducing Sociology	XI
163	Understanding Society	XI
164	Business Studies	XI
165	Accountancy- Financial Accounting part I	XI
166	Accountancy- Financial Accounting part II	XI

167	Psychology	XI
168	Computer & Communication Technology- Part I	XI
169	Living Craft Tradition of India (Textbook in Heritage Crafts)	XI
170	The Story of Graphic Design	XI
171	Human Ecology & Family Science- Part I	XI
172	Human Ecology & Family Science- Part II	XI
173	Computer & Communication Technology- Part II	XI
174	Exploring the Craft Tradition of India	XI
175	Graphic Design Ek Kahani	XI
176	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag I	XI
177	An Introduction to Indian Art	XI
178	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag II	XI
179	Aaroh Bhag 2	XII
180	Vitan Bhag 2	XII
181	Flamingo - English Core	XII
182	Vistas - English Suppl. Reader Core	XII
183	Sanskrit - Bhaswati Dwitiyo Bhag	XII
184	Ganit Bhag - I	XII
185	Ganit Bhag - II	XII
186	Jeev Vigyan	XII
187	Rasayan Bhag I	XII
188	Rasayan Bhag II	XII
189	Bhautiki Bhag I	XII
190	Bhautiki Bhag II	XII
191	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas I	XII
192	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas II	XII
193	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas III	XII
194	Manav Bhoogol Ke Mool Sidhant	XII
195	Bharat - Log Aur Arthavyavastha	XII
196	Bhugol Mein Prayogatmak Karya - Bhag II	XII
197	Vyashti Arthashastra - Ek parichay	XII
198	Samashti Arthashastra - Ek parichay	XII
199	Samkalin Vishwa Rajniti	XII
200	Swatantra Bharat Mein Rajniti	XII
201	Bharat Mein Samajik Parivartan	XII
202	Bhartiya Samaj - Samajshastra	XII
203	Vyavsaya Adhyayan I	XII
204	Vyavsaya Adhyayan II	XII
205	Lekhashastra - Alabhkari Sansthayen evam Sajhedari Khatay	XII
206	Lekhashastra - Kampany Khatay Evam Vittiya Vivranon Ka Vishleshan	XII
207	Manovigyan	XII
208	Antara Bhag 2 Hindi Elective	XII
209	Antaral Bhag 2 Hindi Suppl. Elective	XII

210	Kaleidoscope- English Elective	XII
211	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	XII
212	Mathematics Part I	XII
213	Mathematics Part II	XII
214	Biology	XII
215	Chemistry Part I	XII
216	Chemistry Part II	XII
217	Physics Part I	XII
218	Physics Part II	XII
219	Themes in Indian History Part I	XII
220	Themes in Indian History Part II	XII
221	Themes in Indian History Part III	XII
222	Fundamental of Humam Geography	XII
223	Practical Work in Georgraphy - Part II	XII
224	India: People and Economy	XII
225	Introducing Microeconomics	XII
226	Introducing Macroeconomics	XII
227	Contemporary World Politics	XII
228	Politics in India since Independence	XII
229	Social Change and Development in India	XII
230	Indian Society- Sociology	XII
231	Business Studies I	XII
232	Business Studies II	XII
233	Accountancy- I- Not for profit organisation and partnership accounts	XII
234	Accountancy II- Company Account and Analysis of Financial Statements	XII
235	Accountancy Computerised Accounting System for Class- XII	XII
236	Phychology	XII
237	Craft Tradition of India Textbook in Heritage Craft for Class XII	XII
238	Towards a New Age of Graphic Design	XII


The NCERT is the sole owner of copyright of the WORK and is desirous of having it published by the **Director General School Education Uttarakhand, Nanoorkhera, Dehradun** (Name of the Licence Holder Board/Agency) on the terms and conditions specified here below:

1. The permission of the Council shall be granted for adoption of each book in entirely each year separately for the latest curriculum/syllabi.
2. In case any new chapter/lesson is introduced/incorporated by the licence holder State agency, subject to approval by NCERT, the said portion should be marked and separated by fly leaf clearly demarcating the original NCERT text and the additional matter incorporated by the licence holder. The details of such incorporated portion should be mentioned on the prelim pages as well. Further no new chapter/lesson is to be introduced/incorporated without obtaining prior approval of the NCERT. The Licence Holder State Agency shall indemnify and keep the NCERT indemnified, for all times,

against liability, suit, claims, or any kind of litigation ensuring and resulting from the additional matter incorporated or from translation from the original English version by the Licence Holder to any regional language(s).

3. The sale and distribution of the adopted edition of the NCERT books should be confined to the respective license holder State/UT only.
4. The license holder State/UT will be the licence holder of the adopted/adapted edition of NCERT books. In no circumstances the publishing rights be transferred to any other agency. The copyright of the title will exclusively vest with the NCERT, notwithstanding adaptation in the books by the licence holder. A mention of NCERT copyright availed by the licence holder on the imprint page along with NCERT logo be printed by the State/UTs.
5. The sale price of the edition produced by the licence holder State/UT agency should be at par with the corresponding English/Hindi/Urdu edition of the NCERT as far as possible. Variation in price, if any, should not be more than 10% of the sale price of the corresponding NCERT edition. If the license holder State/UT wants to translate the books into their regional language(s), they shall obtain prior permission from NCERT.
 - i) However, the NCERT will not be responsible for the accuracy, quality and contents of the translated version of the textbooks.
 - ii) Therefore, a Committee may be constituted by the State concerned to check the quality of the translated version and NCERT will provide academic experts to this Committee including a member from the NCERT. These experts will be nominated from subject areas as per requirement
6. The cover of the license holder State/UT edition will be distinctly different from the book cover of NCERT editions. The license holder State/UT agency shall not allow any other party to reproduce any portion from their edition of NCERT textbooks.
7. Due acknowledge should be given to the author(s) of the book(s) and the NCERT at a prominent place in the licence holder State Government editions/UT Agency edition, preferably on the inner title page/imprint page. The title page should also highlight the collaboration of NCERT with the State Government/agency prominently. Further, the Copyright of the NCERT shall clearly be printed on the imprint page of each copy of the book.
8. The production quality of printing, illustrations, layout, size, etc. should be reasonably good. Only good quality of printing paper including cover paper should be used, such as 80 GSM text paper and 220 GSM Cover Paper. Other technical guidelines should be at par with NCERT norms.
9. The NCERT shall be informed by the license holder State/UT the number of copies proposed to be printed by them for each edition in the following format. Two complementary copies of each edition of the books are to be sent to the Head,



Publication Division, NCERT for evaluation of the quality with reference to Clause 8 of the agreement.

S. No	Class	Name of the Title	MRP	Quantity printed during the year 2018-19	Total Amount	5% Rolity
1	2	3	4	5	6	7
1	I	Rimjhim Bhag I	59.61	34541	2058989	102949.45
2	I	Marigold Book I	59.61	34541	2058989	102949.45
3	I	Ganit Ka Jaadu Bhag I	59.61	18666	1112680	55634.01
4	I	Math-Magic book I	59.61	15875	946309	47315.44
5	II	Rimjhim Bhag II	59.61	34516	2057499	102874.94
6	II	Marigold Book I	59.61	34516	2057499	102874.94
7	II	Ganit Ka Jaadu Bhag I	59.61	18666	1112680	55634.01
8	II	Math-Magic book II	59.61	15850	944819	47240.93
9	III	Rimjhim Bhag III	59.61	32760	1952824	97641.18
10	III	Marigold Book I	59.61	32760	1952824	97641.18
11	III	Ganit Ka Jaadu Bhag III	59.61	16982	1012297	50614.85
12	III	Math-Magic book III	59.61	15778	940527	47026.33
13	III	Looking Around Book I	59.61	15778	940527	47026.33
14	IV	Rimjhim Bhag IV	59.61	32090	1912885	95644.25
15	IV	Marigold Book IV	59.61	32090	1912885	95644.25
16	IV	Ganit Ka Jaadu Bhag IV	59.61	16527	985174	49258.72
17	IV	Aaspass Bhag I	59.61	16527	985174	49258.72
18	IV	Math-Magic book IV	59.61	15563	927710	46385.52
19	IV	Looking Around Book II	59.61	15563	927710	46385.52
20	V	Rimjhim Bhag V	59.61	31304	1866031	93301.57
21	V	Marigold Book V	59.61	31304	1866031	93301.57
22	V	Ganit Ka Jaadu Bhag V	59.61	16158	963178	48158.92
23	V	Aaspass Bhag I	59.61	16158	963178	48158.92
24	V	Math-Magic book V	59.61	15146	902853	45142.65
25	V	Looking Around Book III	59.61	15563	927710	46385.52
26	VI	Vasant Bhag I	58.79	29225	1718138	85906.89
27	VI	Honey Suckle- English Textbook	58.79	29225	1718138	85906.89
28	VI	A Pact with the Sun (English Supplimentary)	32.07	29225	937246	46862.29
29	VI	Ganit	58.79	14391	846047	42302.34
30	VI	Science	58.79	29225	1718138	85906.89
31	VI	Hamara Atit I- Itihas	58.79	14391	846047	42302.34
32	VI	Prithvi Hamara Aawas - Bhugol	53.45	14391	769199	38459.95
33	VI	Samajik Aur Rajnitik Jeevan	58.79	14391	846047	42302.34
34	VI	Bal Ramkatha	42.76	25747	1100942	55047.09
35	VI	Ruchira Prathmo Bhag (Sanskrit)	53.45	14834	792877	39643.87

36	VI	Mathematics	58.79	14834	872091	43604.54
37	VI	Our Pasts I History	58.79	14834	872091	43604.54
38	VI	The Earth Our Habitate- Geography	53.45	14834	792877	39643.87
39	VI	Social and Political Life	58.79	14834	872091	43604.54
40	VII	Vasant Bhag II	58.79	25747	1513666	75683.31
41	VII	Honeycomb- English Textbook	58.79	25747	1513666	75683.31
42	VII	An Alien Hand-(English Suppl.)	37.41	25747	963195	48159.76
43	VII	Ganit	58.79	11878	698308	34915.38
44	VII	Vigyan	58.79	11878	698308	34915.38
45	VII	Hamara Atit II- Itihas	58.79	11878	698308	34915.38
46	VII	Hamara Paryavaran- Bhugol	53.45	11878	634879	31743.96
47	VII	Samajik or Rajnitik Jeevan II	58.79	11878	698308	34915.38
48	VII	Bal Mahabharat Katha	48.10	24380	1172678	58633.90
49	VII	Ruchira Dwtiya Bhag (Sanskrit)	53.45	13869	741298	37064.90
50	VII	Mathematics	58.79	13869	815359	40767.93
51	VII	Science	58.79	13869	815359	40767.93
52	VII	Our Pasts II- History	58.79	13869	815359	40767.93
53	VII	Our Environment Geography	53.45	13869	741298	37064.90
54	VII	Social and Political Life II	58.79	13869	815359	40767.93
55	VIII	Vasant Bhag III	58.79	24380	1433300	71665.01
56	VIII	Honeydew- English Textbook	58.79	24380	1433300	71665.01
57	VIII	It So Happened (Eng Suppl.)	48.10	24380	1172678	58633.90
58	VIII	Ganit	58.79	10757	632404	31620.20
59	VIII	Vigyan	58.79	10757	632404	31620.20
60	VIII	Hamare Atit Pustak III Bhag I Itihas	53.45	10757	574962	28748.08
61	VIII	Hamare Atit Pustak III Bhag II Itihas	58.79	10757	632404	31620.20
62	VIII	Sansadhan Evam Vikas- Bhugol	53.45	10757	574962	28748.08
63	VIII	Samajik Aur Rajnitik Jeevan III	58.79	10757	632404	31620.20
64	VIII	Bharat ki Khoj- Suppl. Hindi	58.79	10757	632404	31620.20
65	VIII	Ruchira Tritiya Bhag	58.79	13793	810890	40544.52
66	VIII	Mathematics	58.79	13793	810890	40544.52
67	VIII	Science	58.79	13793	810890	40544.52
68	VIII	Our Pasts book III Part I -History	53.45	13869	741298	37064.90
69	VIII	Our Pasts III Part II- History	58.79	13793	810890	40544.52
70	VIII	Resource and Development- Geography	53.45	13793	737236	36861.79
71	VIII	Social and Political Life III	58.79	13793	810890	40544.52
72	IX	Kshitij Bhag-I, Course A	53.88	36000	1939680	96984.00
73	IX	Kritika Bhag-I, Hindi Suppl. Course- A	24.49	36000	881640	44082.00
74	IX	Beehive - English Text Book Course- B	63.67	29000	1846430	92321.50
75	IX	Moments - English Supplementary Reader , Course-B	34.29	28000	960120	48006.00
76	IX	Shemushi Pratham Bhag- Sanskrit	48.98	22000	1077560	53878.00

77	IX	Ganit	132.24	25000	3306000	165300.00
78	IX	Vigyan	132.24	30000	3967200	198360.00
79	IX	Bharat Aur Samkalin Vishwa I- Itihas	112.65	23000	2590950	129547.50
80	IX	Samakalin Bharat I- Bhugol	48.98	25000	1224500	61225.00
81	IX	Arthshastra	44.08	23000	1013840	50692.00
82	IX	Loktantrik Rajniti	78.37	18000	1410660	70533.00
83	IX	Mathematics	132.24	15000	1983600	99180.00
84	IX	Science	132.24	30000	3967200	198360.00
85	IX	India and the Contemporary World I- History	112.65	30000	3379500	168975.00
86	IX	Contemporary India I- Geography	48.98	15500	759190	37959.50
87	IX	Economics	44.08	13000	573040	28652.00
88	IX	Democratic Politics	78.37	30000	2351100	117555.00
89	X	Kshitij Bhag-II- Hindi, Course-A	58.78	24000	1410720	70536.00
90	X	Kritika Bhag-2. Hindi Suppl. Course-A	29.39	23000	675970	33798.50
91	X	First Flight - English Text Book, Course-B	68.57	22000	1508540	75427.00
92	X	Foot Prints without Feet- English Supple. Reader Course-B	39.18	22000	861960	43098.00
93	X	Shemushi Dwitiya bhag - Sanskrit	58.78	17000	999260	49963.00
94	X	Ganit	137.14	24000	3291360	164568.00
95	X	Vigyan	161.63	25000	4040750	202037.50
96	X	Bharat Aur Samkalin Vishwa II- Itihas	122.45	17000	2081650	104082.50
97	X	Samakalin Bharat 2- Bhugol	63.67	18000	1146060	57303.00
98	X	Arthik Vikas Ki Samajh- Arthashastra	63.67	17000	1082390	54119.50
99	X	Loktantrik Rajniti II	78.37	18000	1410660	70533.00
100	X	Mathematics	137.14	25000	3428500	171425.00
101	X	Science	161.63	10000	1616300	80815.00
102	X	India and the Contemporary World II- History	122.45	30000	3673500	183675.00
103	X	Contemporary India II Geography	63.67	11000	700370	35018.50
104	X	Understanding Economic Development- Economics	63.67	30000	1910100	95505.00
105	X	Democratic Politics II	78.37	30000	2351100	117555.00
106	XI	Aroh Bhag-I Hindi Core	65.00	15000	975000	48750.00
107	XI	Vitan Bhag-I Hindi Suppl. (Core)	25.00	15000	375000	18750.00
108	XI	Hombill - English Core	50.00	15000	750000	37500.00
109	XI	Snapshot - English Suppl. Core	35.00	15000	525000	26250.00
110	XI	Sanskrit - Bhaswati Prathmo Bhag	60.00	8000	480000	24000.00
111	XI	Ganit	180.00	7000	1260000	63000.00
112	XI	Jeev Vigyan	200.00	5000	1000000	50000.00
113	XI	Rasayan Bhag I	155.00	5000	775000	38750.00
114	XI	Rasayan Bhag II	105.00	5000	525000	26250.00
115	XI	Bhautiki Bhag I	130.00	5000	650000	32500.00
116	XI	Bhautiki Bhag II	105.00	5000	525000	26250.00

117	XI	Vishva Itihas Ke Kuch Vishay	160.00	3000	480000	24000.00
118	XI	Bhautik Bhugol Ke Mool Siddhant	80.00	6000	480000	24000.00
119	XI	Bharat : Bhautik Paryavaran	60.00	5000	300000	15000.00
120	XI	Arthashastra Mein Sankhiyiki	55.00	7000	385000	19250.00
121	XI	Bhartiya Arthvyavastha Ka Vikas	85.00	7000	595000	29750.00
122	XI	Bharat Ka Samvidhan	100.00	7000	700000	35000.00
123	XI	Rajniti Siddhant II	70.00	7000	490000	24500.00
124	XI	Mathematics	180.00	13616	2450880	122544.00
125	XI	Physics Part I	130.00	16594	2157220	107861.00
126	XI	Physics Part II	105.00	16594	1742370	87118.50
127	XI	Accountancy- Financial Accounting part I	125.00	5160	645000	32250.00
128	XI	Accountancy- Financial Accounting part II	110.00	4775	525250	26262.50
129	XI	Chemistry Part I	155.00	4200	651000	32550.00
130	XI	Chemistry Part II	105.00	4200	441000	22050.00
131	XI	Themes in World History	160.00	1360	217600	10880.00
132	XI	Practical Work in Georgraphy - Part I	95.00	1000	95000	4750.00
133	XI	Statistics for Economics	55.00	5000	275000	13750.00
134	XI	India Constitution at Work	100.00	1200	120000	6000.00
135	XI	Pol. Theory II	70.00	1200	84000	4200.00
136	XI	Business Studies	115.00	4600	529000	26450.00
137	XII	Aaroh Bhag 2	70.00	22000	1540000	77000.00
138	XII	Vitan Bhag 2	40.00	19000	760000	38000.00
139	XII	Flamingo - English Core	45.00	19000	855000	42750.00
140	XII	Vistas - English Suppl. Reader Core	40.00	18000	720000	36000.00
141	XII	Sanskrit - Bhaswati Dwitiyo Bhag	35.00	9000	315000	15750.00
142	XII	Ganit Bhag - I	115.00	5000	575000	28750.00
143	XII	Ganit Bhag - II	130.00	5000	650000	32500.00
144	XII	Jeev Vigyan	170.00	4000	680000	34000.00
145	XII	Rasayan Bhag I	170.00	5000	850000	42500.00
146	XII	Rasayan Bhag II	115.00	5000	575000	28750.00
147	XII	Bhautiki Bhag I	170.00	5000	850000	42500.00
148	XII	Bhautiki Bhag II	140.00	3000	420000	21000.00
149	XII	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas I	80.00	3000	240000	12000.00
150	XII	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas II	95.00	3000	285000	14250.00
151	XII	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas III	115.00	3000	345000	17250.00
152	XII	Manav Bhoogol Ke Mool Sidhant	65.00	4000	260000	13000.00
153	XII	Vyashiti Arthashastra - Ek parichay	65.00	7000	455000	22750.00
154	XII	Samashti Arthashastra - Ek parichay	65.00	7000	455000	22750.00
155	XII	Swatantra Bharat Mein Rajniti	125.00	7000	875000	43750.00
156	XII	Bharat - Log Aur Arthavyavastha	95.00	5000	475000	23750.00
157	XII	Mathematics Part I	115.00	9000	1035000	51750.00

158	XII	Mathematics Part II	130.00	9000	1170000	58500.00
159	XII	Biology	170.00	5500	935000	46750.00
160	XII	Physics Part I	170.00	8000	1360000	68000.00
161	XI	Themes in Indian History Part I	80.00	1363	109040	5452.00
162	XII	Themes in Indian History Part II	95.00	1363	129485	6474.25
163	XII	Themes in Indian History Part III	115.00	1363	156745	7837.25
164	XII	Introducing Microeconomics	65.00	10000	650000	32500.00
165	XII	Introducing Macroeconomics	65.00	12000	780000	39000.00
166	XII	Business Studies I	95.00	10000	950000	47500.00
167	XII	Business Studies II	80.00	10000	800000	40000.00
168	XII	Accountancy- I- Not for profit organisation and partnership accounts	100.00	4000	400000	20000.00
169	XII	Accountancy II- Company Account and Analysis of Financial Statements	115.00	4200	483000	24150.00
170	XII	Chemistry Part I	170.00	5072	862240	43112.00
171	XII	Chemistry Part II	115.00	4100	471500	23575.00
172	XII	India: People and Economy	95.00	10000	950000	47500.00
173	XII	Contemporary World Politics	100.00	5100	510000	25500.00
174	XII	Psychology	100.00	500	50000	2500.00
175	I	Rimjhim Bhag I	53.98	10000	539800	26990.00
176	I	Marigold Book I	53.98	10000	539800	26990.00
177	I	Ganit Ka Jaadu Bhag I	53.98	10000	539800	26990.00
178	II	Rimjhim Bhag II	53.98	10000	539800	26990.00
179	II	Marigold Book I	53.98	10000	539800	26990.00
180	II	Ganit Ka Jaadu Bhag I	53.98	10000	539800	26990.00
Total				2680454	190056034.3	9502801.7

The request for granting copyright to the licence holder State/UTs shall be entertained only after clearing the royalty due pertaining to the previous year.




10. License Holder State/UTs agencies will have to pay license fee on the total values of their print order and the price of the text books finalize after E-tendering to NCERT as per details given below:

Class	Adoption/adaption in English/Hindi and Urdu	Translation in languages other than English, Hindi and Urdu
1 -XII	5%	5%

The details of price of the text books finalize after E-tendering will be sent to NCERT later on.

11. The Word 'Copyright' for the listed textbooks/books _____

Including the right of the translation in regional languages will vest with the NCERT in perpetuity.


12. If any difference or dispute arises between **Director General School Education Uttarakhand, Nanoorkhera, Dehradun** (Second party) and the NCERT (first party) relating to this Agreement, either party may approach the Secretary, NCERT and the matter will be referred to a sole arbitrator appointed by the Secretary, NCERT (first party) and the award given by the sole arbitrator will be final and binding on both the parties. Both the parties further agree that all disputes/claims shall be subject to the jurisdiction of Courts in Delhi only.
13. In case of any dispute arising out of this Agreement such dispute will not be allowed to hamper the publication of the mentioned textbooks/books and the NCERT in such eventuality will proceed with the publication pending the arbitration of the dispute.

Now, it is hereby mutually agreed the above mentioned terms and conditions.


I, **Director General School Education Uttarakhand, Nanoorkhera, Dehradun** after reading the above mentioned Terms and Conditions and having understood the content of this Agreement do sign it on this day 26 of December 2018.

Witness


1.


(G.P. K. Upwar)
निदेशक
Secondary Education Uttarakhand
Dehradun

Signature;


(Jyoti Yadav)
IAS/
Director General
School Education Uttarakhand
Dehradun-248001, Uttarakhand

2.


(J.P. Yadav)
Depty Director
Secondary Education Uttarakhand
जि.प. यादव
उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

(Official Stamp)

I, Major Harsh Kumar, Secretary, NCERT, on behalf of NCERT do sign this Agreement on this day 17.1.2019 of 20


Witness

1.


Signature;

Name;

Address;


मेजर हर्ष कुमार / Major Harsh Kumar
एन. सी. ई. आर. टी. / Secretary, NCERT
एन. सी. ई. आर. टी. नए दिल्ली-110016
National Council of Educational Research & Training
एन. सी. ई. आर. टी. नए दिल्ली-110016
(Official Stamp)
National Council of Educational Research & Training
New Delhi-110016

2.



माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून


विज्ञप्ति संख्या पा०पु०/०२/नौ-11(03)/2018-19, दिनांक 25 जनवरी 2019

अल्पकालिक ई-निविदा - कागज सहित मुद्रण

शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा I से XII तक की एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार (उत्तराखण्ड के सभी जनपदों) में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकृत अनुमती मुद्रकों, जिन्हें विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2017-18) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव हो, से ई-निविदा के माध्यम से Online तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	विवरण/कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
(1)	(2)	(3)
01	वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर टेण्डर डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने की तिथि	28 जनवरी 2019 11:00 AM
02	प्री-बिड कार्यशाला	29 जनवरी 2019 11:00 AM
03	तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने की अन्तिम तिथि	30 जनवरी 2019, 10:30 AM से 04 फरवरी 2019 11:00 AM तक
04	निम्नलिखित को तीन पृथक-पृथक लिफाफों में बन्द करके तथा तीनों को एक चौथे लिफाफे में सीलड कर निदेशालय में उपलब्ध करवाने की अन्तिम तिथि लिफाफा संख्या-01 <ul style="list-style-type: none"> निविदा आवेदन पत्र शुल्क : रु. 5000.00 (रु. पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (निविदा शुल्क वापस नहीं की जायेगी) अर्नेस्टमनी सेटवार (EMD) (बैंक ड्राफ्ट/एन.एस.सी./एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी) लिफाफा संख्या-02 <ul style="list-style-type: none"> निविदादाता द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित "मॉडल बुक : 2019-20" की पांच प्रतियां, लिफाफा संख्या-03 <ul style="list-style-type: none"> 80 एवं 220 GSM कागज के नमूनों की A-4 साईज की 40-40 शीटें 	04 फरवरी 2019, 12:30 PM तक
05	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	04 फरवरी 2019, 1:00 PM
06	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड के पश्चात्

- ई-निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास Digital Signature Certificate (DSC) होना अनिवार्य है। किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 0135-278440 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- प्री-बिड कार्यशाला सभागार सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित की जायेगी, जिसमें सभी इच्छुक निविदादाता भाग ले सकते हैं।
- ई-निविदा के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने के लिए निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.uktenders.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।


निदेशक/
पाठ्य पुस्तक अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
कक्षा I से XII की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण
शिक्षा सत्र : 2019-20

ई-निविदा - कागज सहित मुद्रण

(निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्तें)

भाग - एक

खण्ड : (क) - "ई-निविदा"

शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा I से XII तक की एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार (उत्तराखण्ड के सभी जनपदों) में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकृत अनुभवी मुद्रकों, जिन्हें विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2017-18) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव हो, से ई-निविदा के माध्यम से **Online तकनीकी एवं वित्तीय बिड** निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	विवरण/कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
(1)	(2)	(3)
01	वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर टेण्डर डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने की तिथि	25 जनवरी 2019 1:00 PM
02	प्री-बिड कार्यशाला	29 जनवरी 2019 11:00 AM
03	तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने की अन्तिम तिथि	30 जनवरी 2019, 11:30 AM से 06 फरवरी 2019 5 PM तक
04	निम्नलिखित को तीन पृथक-पृथक लिफाफों में बन्द करके तथा तीनों को एक चौथे लिफाफे में सीलड कर निदेशालय में उपलब्ध करवाने की अन्तिम तिथि लिफाफा संख्या-01 <ul style="list-style-type: none"> निविदा आवेदन पत्र शुल्क : ₹. 5000.00 (₹. पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (निविदा शुल्क वापस नहीं की जायेगी) अर्नेस्टमनी सेटवार (EMD) (बैंक ड्राफ्ट/एन.एस.सी./एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी) लिफाफा संख्या-02 <ul style="list-style-type: none"> निविदादाता द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित "मॉडल बुक : 2019-20" की पांच प्रतियां, लिफाफा संख्या-03 <ul style="list-style-type: none"> 80 एवं 220 GSM कागज के नमूनों की A-4 साईज की 40-40 शीटें 	07 फरवरी 2019, प्रातः 11:00 AM तक
05	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	07 फरवरी 2019, 1:00 PM
06	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड के पश्चात्

(Handwritten signatures and marks)

2. ई-निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास Digital Signature Certificate (DSC) होना अनिवार्य है। किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 0135-2781440 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
3. प्री-बिड कार्यशाला सभागार सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित की जायेगी, जिसमें सभी इच्छुक निविदादाता भाग ले सकते हैं।
4. ई-निविदा के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने के लिए निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.uktenders.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

खण्ड : (ख) - 'कार्य का विवरण'

5. कक्षा I से XII तक की कक्षाओं के लिए मुद्रित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों का विवरण-

सैट संख्या-1

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों का मूल्य	पृष्ठों की संख्या (जो घट बढ़ सकती है)	पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित संख्या (जो घट बढ़ सकती है)
1	2	3	4	5	6
1	I	रिमझिम भाग 1	55	136	98000
2	I	मैरीगोल्ड बुक 1	55	132	98000
3	I	गणित का जादू 1	55	158	83000
4	I	इब्लेदई 1	50	139	22000
5	I	Math Magic I	55	158	15000
6	II	रिमझिम 2	55	119	98000
7	II	मैरीगोल्ड बुक 2	55	184	98000
8	II	गणित का जादू 2	55	136	83000
9	II	इब्लेदई 2	50	172	28000
10	II	Math Magic II	55	136	15000
11	III	Math Magic III	55	116	15000
12	III	Looking Around Book I	55	172	98000
13	III	रिमझिम 3	55	148	98000
14	III	मैरीगोल्ड बुक 3	55	116	98000
15	III	गणित का जादू 3	55	207	83000
16	III	इब्लेदई 3	50	144	33000
17	III	बालसंस्कृतम भाग 1	24	72	80000
18	IV	रिमझिम 4	55	140	98000
19	IV	मैरीगोल्ड बुक 4	55	188	98000
20	IV	गणित का जादू 4	55	176	83000
21	IV	इब्लेदई 4	50	184	33000
22	IV	बालसंस्कृतम भाग-2	29	88	75000
23	IV	Math Magic IV	55	176	15000
24	IV	Looking Around Book II	55	228	98000

Tender Documents Class I to XII (2019-20)

(Handwritten signatures and marks)

25	V	रिमझिम 5	55	164	98000
26	V	मैरीगोल्ड बुक 5	55	192	98000
27	V	गणित का जादू	55	207	83000
28	V	इब्नेदई 5	50	194	27000
29	V	आस-पास	55	216	80000
30	V	बालसंस्कृतम भाग 3	35	112	80000
31	V	Math Magic V	55	207	15000
32	V	Looking Around Book III	55	216	15000
कुल योग (कक्षा 1 से 5)			1658		2139000

सेट संख्या-2

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों का मूल्य	पृष्ठों की संख्या (जो घट बढ़ सकती है)	पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित संख्या (जो घट बढ़ सकती है)
1	2	3	4	5	6
1	VI	बसंत भाग 1	55	144	115000
2	VI	Honey Suckle	55	148	115000
3	VI	A Pact with the Sun (Supplimentary)	30	63	115000
4	VI	आमोदनी	29	88	88000
5	VI	गणित	55	355	88000
6	VI	हमारा अतीत - इतिहास	55	152	88000
7	VI	पृथ्वी हमारा आवास- भूगोल	50	80	88000
8	VI	सामाजिक और राजनीति जीवन	50	116	88000
9	VI	अपनी जुबान	50	144	88000
10	VI	बाल रामकथा	40	96	88000
11	VI	Ruchira Prathmo Bhag	50	112	28000
12	VI	Mathematics	55	330	28000
13	VI	Science	55	176	115000
14	VI	Our Past	55	148	28000
15	VI	The Earth Our Habitate	50	75	28000
16	VI	Social and Political Life	55	100	29000
17	VII	बसंत भाग 2	55	156	125000
18	VII	Honey Comb	55	160	125000
19	VII	An Alien Hand-(Suppl.Eng)	35	83	125000
20	VII	आमोदनी	28	84	95000
21	VII	गणित	55	344	95000
22	VII	हमारा अतीत 2-इतिहास	55	167	95000
23	VII	हमारा पर्यावरण भूगोल	50	88	95000
24	VII	सामाजिक और राजनीति जीवन- 2	55	140	95000
25	VII	अपनी ज़बान	50	164	60000
26	VII	बाल महाभारत	45	108	95000
27	VII	Ruchira - II	50	120	25000

Tender Documents Class I to XII (2019-20)

(Handwritten signatures and marks)

28	VII	Mathematics	55	324	25000
29	VII	Science	55	248	125000
30	VII	Our Past II	55	167	25000
31	VII	Our Environment	50	87	25000
32	VII	Social and Political Life II	55	139	25000
33	VIII	बसंत भाग 3	55	148	125000
34	VIII	Honey Dew	55	148	125000
35	VIII	It So Happened (Suppl. Eng)	45	99	125000
36	VIII	आमोदनी	29	88	97000
37	VIII	गणित	55	305	97000
38	VIII	विज्ञान	55	268	97000
39	VIII	हमारा अतीत 3- भाग एक-इतिहास	50	88	97000
40	VIII	हमारा अतीत 3- भाग दो-इतिहास	55	104	97000
41	VIII	भूगोल	50	83	97000
42	VIII	सामाजिक और राजनीति जीवन- 3	55	144	97000
43	VIII	अपनी ज़बान	50	175	60000
44	VIII	भारत की खोज	55	132	97000
45	VIII	Ruchira III	55	135	26000
46	VIII	Mathematics	55	287	26000
47	VIII	Science	55	268	26000
48	VIII	Our Past III -Part 1	50	88	25000
49	VIII	Our Past III -Part 2	55	104	25000
50	VIII	Resource & Development	50	83	25000
51	VIII	Social and Political Life III	55	144	25000
कुल योग (कक्षा 6 से 8)			2576		3861000

सैट संख्या-3

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों का मूल्य	पृष्ठों की संख्या (जो घट बढ़ सकती है)	पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित संख्या (जो घट बढ़ सकती है)
1	2	3	4	5	6
1	IX	क्षितिज भाग-1	55	152	45000
2	IX	कृतिका भाग-1	25	72	45000
3	IX	Beehive - English Text Book	65	156	45000
4	IX	Moments - English Suppl. Reader	35	80	45000
5	IX	शेमुषी प्रथमो भाग	50	108	25000
6	IX	गणित	135	423	32000
7	IX	विज्ञान	135	268	32000
8	IX	भारत और समकालीन विश्व I-इतिहास	115	192	32000
9	IX	समकालीन भारत I-भूगोल	50	76	32000
10	IX	अर्थशास्त्र	45	60	32000
11	IX	लोकतांत्रिक राजनीति-I	80	136	32000

[Handwritten signatures and marks]

12	IX	नवा-ए-उर्दू	115	195	1000
13	IX	Sparsh Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	50	137	5000
14	IX	Sanchayan Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	25	65	5000
15	IX	Mathematics	135	358	13000
16	IX	Science	135	228	13000
17	IX	India and the Contemporary World I- History	115	192	5000
18	IX	Contemporary India I- Geography	50	76	5000
19	IX	Economics	45	64	5000
20	IX	Democratic Politics	80	124	5000
21	X	क्षितिज भाग-2	60	144	45000
22	X	कृतिका भाग-2	30	64	45000
23	X	First Flight - English Text Book	70	172	45000
24	X	Foot Prints without Feet - English Suppl.	40	88	45000
25	X	शेमुषी द्वितीया भाग	60	122	25000
26	X	गणित	140	416	32000
27	X	विज्ञान	165	336	32000
28	X	भारत और समकालीन विश्व II-इतिहास	125	212	32000
29	X	समकालीन भारत II-भूगोल	65	116	32000
30	X	आर्थिक विकास की समझ	65	104	32000
31	X	लोकतांत्रिक राजनीति-II	80	124	32000
32	X	नवा-ए-उर्दू	80	189	2000
33	X	Sparsh Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	60	153	5000
34	X	Sanchayan Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	25	61	5000
35	X	Mathematics	140	326	10000
36	X	Science	165	292	13000
37	X	India and the Contemporary World II- History	125	212	13000
38	X	Contemporary India II Geography	65	108	5000
39	X	Understanding Economic Development- Economics	65	104	5000
40	X	Democratic Politics II	80	124	5000
कुल योग (कक्षा 9 एवं 10)			3245		914000

सैट संख्या-4

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों का मूल्य	पृष्ठों की संख्या (जो घट बढ़ सकती है)	पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित संख्या (जो घट बढ़ सकती है)
1	2	3	4	5	6
1	XI	आरोह भाग-1	65	196	40000
2	XI	वितान भाग-1	25	72	40000
3	XI	अभिव्यक्ति और माध्यम	145	220	25000
4	XI	Hornbill - English Core	50	128	35000
5	XI	Snapshot - English Suppl. Core	35	88	35000
6	XI	भास्वती प्रथमो भाग	60	104	15000
7	XI	गणित	180	504	15000

Tender Documents Class I to XII (2019-20)

(Handwritten signatures and marks)

8	XI	जीव विज्ञान	200	352	10000
9	XI	रसायन भाग-1	155	260	20000
10	XI	रसायन भाग-2	105	179	20000
11	XI	भौतिकी भाग-1	130	252	20000
12	XI	भौतिकी भाग-2	105	199	20000
13	XI	विश्व इतिहास के कुछ विषय	160	268	15000
14	XI	भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त	80	164	15000
15	XI	भारत : भौतिक पर्यावरण	60	116	15000
16	XI	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग-1	95	132	15000
17	XI	अर्थशास्त्र में सांख्यिकी	55	144	15000
18	XI	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास	85	226	15000
19	XI	भारत का संविधान	100	256	18000
20	XI	राजनीति सिद्धान्त	70	164	15000
21	XI	समाज शास्त्र परिचय	45	128	15000
22	XI	समाज का बोध	45	124	15000
23	XI	व्यवसाय अध्ययन	70	340	3000
24	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-1	75	368	3000
25	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-2	70	323	3000
26	XI	मनोविज्ञान का परिचय	120	224	2000
27	XI	Antra Bhag - Hindi Elective	65	93	2000
28	XI	Antra Bhag - Hindi Suppl. Elective	40	197	2000
29	XI	Woven Words- English Elective	75	209	2000
30	XI	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	65	127	1000
31	XI	Mathematics	180	497	5000
32	XI	Biology	200	357	3000
33	XI	Chemistry Part I	155	269	5000
34	XI	Chemistry Part II	105	177	5000
35	XI	Physics Part I	130	245	5000
36	XI	Physics Part II	105	197	5000
37	XI	Themes in World History	160	269	2000
38	XI	Fundamental of Physical Geography	80	153	2000
39	XI	India: Physical Environment	60	109	2000
40	XI	Practical Work in Georgraphy - Part I	95	137	2000
41	XI	Statistics for Economics	55	145	2500
42	XI	Indian Economic Development	85	221	2500
43	XI	Indian Constitution at Work	100	257	2500
44	XI	Pol. Theory II	70	169	2500
45	XI	Introducing Sociology	45	113	1000
46	XI	Understanding Society	45	117	2000
47	XI	Business Studies	115	325	4000
48	XI	Accountancy- Financial Accounting part I	125	341	4000
49	XI	Accountancy- Financial Accounting part II	110	305	4000
50	XI	Phychology	120	213	2000
51	XI	Computer & Communicaion Technology- Part I	140	239	1000
52	XI	Living Craft Tradition of India (Textbook in Heritage Crafts)	120	137	2000

Tender Documents Class I to XII (2019-20)

[Handwritten signatures and marks]

53	XI	The Story of Graphic Design	170	129	2000
54	XI	Human Ecology & Family Science- Part I	160	241	2000
55	XI	Human Ecology & Family Science- Part II	105	165	2000
56	XI	Computer & Communication Technology- Part II	150	189	2000
57	XI	Exploring the Craft Tradition of India	110	133	2000
58	XI	Graphic Design Ek Kahani	170	129	2000
59	XI	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag I	140		2000
60	XI	An Introduction to Indian Art	125		2000
61	XI	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag II	150		2000
62	XII	आरोह भाग-2	70	168	35000
63	XII	वितान भाग-2	40	96	35000
64	XII	Flamingo - English Core	45	116	30000
65	XII	Vistas - English Suppl. Reader Core	40	112	30000
66	XII	भासवती द्वितीयो भाग	35	104	15000
67	XII	गणित भाग-1	115	132	13000
68	XII	गणित भाग-2	130	316	13000
69	XII	जीवविज्ञान	170	324	10000
70	XII	रसायन भाग-1	170	308	20000
71	XII	रसायन भाग-2	115	199	20000
72	XII	भौतिकी भाग-1	170	324	20000
73	XII	भौतिकी भाग-2	140	271	20000
74	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-1	80	128	12000
75	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-2	95	155	12000
76	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-3	115	167	12000
77	XII	मानव भूगोल के मूल सिद्धान्त	65	120	12000
78	XII	भारत - लोग और अर्थव्यवस्था	95	348	12000
79	XII	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य - भाग 2	70	208	12000
80	XII	व्यष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	65	187	12000
81	XII	समष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	65	128	12000
82	XII	समकालीन विश्व राजनीति	100	168	12000
83	XII	स्वतंत्र भारत में राजनीति	125	161	12000
84	XII	भारत में सामाजिक परिवर्तन	90	199	10000
85	XII	भारतीय समाज - समाजशास्त्र	105	180	10000
86	XII	व्यावसाय अध्ययन-1	60	172	5000
87	XII	व्यावसाय अध्ययन-2	50	260	5000
88	XII	अलाभकारी संस्थायें एवं साझेदारी खाते	85	288	5000
89	XII	कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	115	124	5000
90	XII	मनोविज्ञान	100	172	3000
91	XII	Antara Bhag 2 Hindi Elective	75	185	5000
92	XII	Antara Bhag 2 Hindi Suppl. Elective	30	165	5000
93	XII	Kaleidoscope- English Elective	70	249	5000
94	XII	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	55	133	5000
95	XII	Mathematics Part I	115	300	4000

Tender Documents Class I to XII (2019-20)

[Handwritten signatures and marks]

96	XII	Mathematics Part II	130	347	4000
97	XII	Biology	170	301	3000
98	XII	Chemistry Part I	170	297	6000
99	XII	Chemistry Part II	115	197	6000
100	XII	Physics Part I	170	325	6000
101	XII	Physics Part II	140	269	6000
102	XII	Themes in Indian History Part I	80	129	2000
103	XII	Themes in Indian History Part II	95	157	2000
104	XII	Themes in Indian History Part III	115	189	2000
105	XII	Fundamental of Humam Geography	65	125	2000
106	XII	Practical Work in Georgraphy - Part II	70	117	2000
107	XII	India: People and Economy	95	177	4000
108	XII	Introducing Microeconomics	65	113	4000
109	XII	Introducing Macroeconomics	65	113	4000
110	XII	Contemporary World Politics	100	161	2000
111	XII	Politics in India since Independence	125	209	2000
112	XII	Social Change and Development in India	90	177	4000
113	XII	Indian Society- Sociology	105	173	2000
114	XII	Business Studies I	95	245	4000
115	XII	Business Studies II	80	196	4000
116	XII	Accountancy- I- Not for profit organisation and partnership accounts	100	269	4000
117	XII	Accountancy II- Company Account and Analysis of Financial Statements	115	309	4000
118	XII	Accountancy Computerised Accounting System for Class- XII	108	197	1500
119	XII	Psychology	100	488	1500
120	XII	Craft radition of India Textbook in Heritage Craft for Class XII	155	43	3000
121	XII	Towards a New Age of Graphic Design	145	43	3000
कुल योग (कक्षा 11 एवं 12)			12238		1086000

6. सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न करने के लिए कार्यादेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 45 (पैंतालीस) दिन का समय दिया जायेगा।
7. कार्य पूर्ण करने का तात्पर्य राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त/निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित कर निर्धारित समयान्तर्गत खुले बाजार में राज्य के समस्त 13 जनपदों के पुस्तक-विक्रेताओं के पास बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने से है। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से ही कार्य पूर्ण नहीं समझा जायेगा।
8. पत्राचार हेतु पता :

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा,
देहरादून (उत्तराखण्ड) 248008

E-Mail : textbook109@gmail.com
Fax No : 0135-2781903
Phone No : 0135- 2781440

खण्ड : (ग) – “निविदा की मुख्य शर्तें”

9. सशर्त निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. निविदादाताओं द्वारा सभी चार सेटों (कक्षा I to V, VI to VIII, IX to X, XI to XII) के लिए सेटवार दरें कोट (Quote) की जानी होंगी। सभी सेटों के लिए केवल एक ही निविदा डालनी होगी।
11. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड “प्रपत्र क” में एवं वित्तीय बिड BOQ (Bill of Quantity) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता (मुद्रक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) के द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
12. **निविदा आवेदन पत्र शुल्क** : निविदा आवेदन पत्र शुल्क रुपये 5000.00 (रु. पांच हजार मात्र) निर्धारित है। निविदा आवेदन-पत्र शुल्क का बैंक ड्राफ्ट पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से जो देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम से देय हो, उपलब्ध करवाये जाने है।
13. **धरोहर राशि (EMD)** : निविदादाताओं द्वारा अर्नेस्ट मनी (EMD) की धनराशि पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट/एन.एस0सी0/एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी जो देहरादून में देय हो, के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी। धरोहर राशि निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 03 (तीन) माह के लिए वैध होनी चाहिए। असफल (अनर्ह) निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदाओं की अस्वीकृति के तुरन्त बाद उन्हें वापस कर दी जायेगी। एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा को वापस लेने अथवा सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि तक आवश्यक करार निष्पादित न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। धरोहर राशि के पृष्ठ भाग में फर्म का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करने होंगे। कक्षावार वर्गीकृत पाठ्य पुस्तकों के सेटों के लिए सेटवार निर्धारित मूल्य एवं EMD का विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	कक्षा	पाठ्य पुस्तकों की सेटों का विवरण	प्रति सेट निर्धारित मूल्य (In Rs.)	EMD (In Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I to V	पाठ्य पुस्तकों कक्षा-I to V	1658	2218000
2.	VI to VIII	पाठ्य पुस्तकों कक्षा-VI to VIII	2576	3838800
3.	IX to X	पाठ्य पुस्तकों कक्षा-IX to X	3245	1410100
4.	XI to XII	पाठ्य पुस्तकों कक्षा-XI to XII	12238	1985040

14. **सुरक्षा धनराशि (Security Money)**- सफल निविदादाता द्वारा कुल कार्य मूल्य की 10% सुरक्षा धनराशि (सिक्योरिटी मनी) का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चेक/एन0एस0सी0/बैंक गारण्टी पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से जमा करनी होगी, जिसे पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती, संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर वापस किया जायेगा। सुरक्षा धनराशि कार्य के सम्पादनार्थ निदेशालय द्वारा फर्म को भेजी गयी चयन की सूचना की तिथि के बाद बनी होनी चाहिए तथा बनने की तिथि से कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए।

(Handwritten signatures and marks)

15. पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन निविदादाता/निविदादाताओं को चयनित/अधिकृत किया जायेगा जिनकी दरें न्यूनतम (L-1) होंगी। निविदादाता/निविदादाताओं द्वारा पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित मानकों को दृष्टिगत रखते हुए दरें दी जानी है। प्राप्त निविदा को अंतिम रूप देते समय न्यूनतम दर के साथ-साथ पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों से कमतर गुणवत्ता मान्य नहीं होगी।
16. चयनित निविदादाता द्वारा निर्धारित दर के अतिरिक्त अनुबन्ध करते समय अथवा अनुबन्ध करने के बाद अथवा कार्यादेश जारी होने के बाद किसी प्रकार के कर को जोड़ने अथवा फार्म-C अथवा अन्य कोई भी फार्म, जिसके द्वारा सरकार से कर आदि के भुगतान में कोई छूट प्राप्त होती हो, की मांग नहीं की जायेगी। निदेशालय द्वारा इस प्रकार से की गयी मांग को मान्य नहीं किया जायेगा। केवल अपलोडेड प्रपत्र ही मान्य होंगे।
17. निविदा की समस्त अधिप्राप्तियां Procurement नियमावली 2017 के अनुसार ही की जायेंगी। उद्योग निदेशालय/विभाग में जिस सेवा या उत्पाद के लिए पंजीकरण हो, उसी सेवा/उत्पाद के लिए ही निविदा मान्य की जायेगी। प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों तथा प्रदत्त सेवाओं को शासकीय क्रय में मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 261/VII-2-14/143-उद्योग/2003, दिनांक 19 मार्च, 2014 के द्वारा पूर्व में जारी शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए शासकीय Procurement में निविदा के समय वरीयता उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अध्याय 2 के प्रावधान संख्या 32 के अनुरूप देय होगी। शासकीय क्रय में मूल्य/क्रय वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन/पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा, जो सभी निविदादाताओं को मान्य होगा। वरीयता प्रदान करने के लिए उद्योग आधार/ई.एम. पार्ट II व शासकीय सामग्री क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय में पंजीकरण प्राप्त कर लिया हो, का प्रमाण-पत्र देना होगा, जिसका पंजीकरण उद्योग निदेशालय में होना आवश्यक है।
18. निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनायें यथास्थान स्पष्ट पठनीय लेख में उल्लिखित हो, एवं आवेदन-पत्र में दी गयी संलग्नक संख्या के क्रम में संलग्नक Online Upload हो। आवेदन-पत्र में जो बिन्दु मुद्रक से सम्बन्धित न हो उसे काट दिया जाय/खाली न छोड़ा जाय। मात्र Online Uploaded निविदा प्रपत्र एवं संलग्नकों पर ही समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
19. निविदादाता द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा निर्धारित दरों से कम दर होना अनुमन्य होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदादाता को अनर्ह (असफल) समझा जायेगा।
20. वित्तीय बिड BOQ (Bill of Quantity) की दरों की अंकना करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को कक्षावार चार सेटों (कक्षा I to V, VI to VIII, IX to X, XI to XII) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेट में सम्बन्धित कक्षा की हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम दोनों की सभी पाठ्य पुस्तकों को समाहित किया गया है। एन0सी0ई0आर0टी0/विभाग द्वारा पाठ्य पुस्तवार जो दरें निर्धारित की गयी है उन्हें सेटवार (सेट की समस्त पाठ्य पुस्तकों) जोड़कर सेट के लिए दर निर्धारित की गयी है। निविदादाता द्वारा सेटवार निर्धारित दरों के सापेक्ष सेटवार दरें दी जानी है। इस प्रकार पाठ्य

पुस्तकों के मुद्रणार्थ सेटवार जितनी प्रतिशत कम दर दी जायेगी उसी दर के अनुरूप (अनुपात में) सम्बन्धित कक्षा की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिए निविदादाता द्वारा दी गयी दर समझी जायेगी।

21. निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए पाठ्य पुस्तकों की दी गयी दरों को संशोधित किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित मूल्य के अनुपात में निविदा प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित किया जायेगा।
22. पाठ्य पुस्तकों पर दी जाने वाली रॉयल्टी— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक : F.No.-26-40/2005 - Pub.(TCS) दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के लिए 5% रॉयल्टी का भुगतान NCERT नई दिल्ली के लिये किया जायेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड की पाठ्य पुस्तकों पर एक समान रॉयल्टी देय होगी। शिक्षा सत्र के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा यदि रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार ही फर्मों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।
23. शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत् (आई.सी.एस.ई. बोर्ड के विद्यालयों को छोड़कर) छात्र-छात्राओं हेतु (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) लगभग 1.5 करोड़ पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होगी। चयनित फर्म/फर्मों द्वारा शिक्षा सत्र के दौरान पुस्तकों की मांग के अनुसार प्रथम चरण में कक्षा 1 से 12 तक की कुल 80,00,000 (अस्सी लाख) पाठ्य पुस्तकें खुले बाजार में बिक्री हेतु चयनित मुद्रक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। बाजार में पाठ्य पुस्तकों की अतिरिक्त मांग होने पर चयनित फर्म/फर्मों द्वारा अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक समिति से अनुमति लेने के उपरान्त अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें मुद्रित की जायेगी। चयनित फर्म/फर्मों द्वारा न्यूनतम 35,00,000 (कक्षा 1 से 5 तक दस लाख पाठ्य पुस्तकों, कक्षा 6 से 8 तक पंद्रह लाख पाठ्य पुस्तकों, कक्षा 9 से 10 पांच लाख पाठ्य पुस्तकों एवं कक्षा 11 व 12 पांच लाख) पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सीमा से अधिक मात्रा में पाठ्य पुस्तकें मुद्रण करने की दशा में अतिरिक्त मुद्रित पाठ्य पुस्तकों पर नियमानुसार 5 प्रतिशत रॉयल्टी देय होगी। रॉयल्टी ड्राफ्ट के माध्यम से, जो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से बना हो, पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवायी जायेगी। रॉयल्टी का ड्राफ्ट देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में देय होना चाहिए।
24. चयनित फर्म को पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करते समय यह लिख कर देना होगा कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
25. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज के मानक एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे।
 - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में टेक्स्ट पेपर के लिए मिलवाटर मार्क Maplitho Paper 80 GSM नवीनतम संशोधित ISI मार्क 1848/2007 के नवीन संशोधित मानकों के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा। कागज एन.सी.ई.आर.टी. के मानकों के अनुरूप होगा। इससे निम्न गुणवत्ता का कागज मान्य नहीं होगा।
 - आवरण पृष्ठ के लिए आर्ट कार्ड 220 GSM., नवीनतम संशोधित BIS specification 4658/1988 के निर्धारित मानकों का कागज प्रयोग में लाया जायेगा। कागज

एन.सी.ई.आर.टी. के मानकों के अनुरूप होगा। इससे निम्न गुणवत्ता का कागज मान्य नहीं होगा।

26. कागज के नमूनों के लिए निर्धारित मानकानुसार बिना वाटरमार्क 80 GSM एवं 220 GSM कागज के पृथक-पृथक ए-4 साइज की 10-10 शीटों के चार सैट (अर्थात् ए-4 साइज की 40 शीटें) जो मोहरबंद टैग द्वारा बंधी हो तथा टैग पर निविदादाता के मोहर सहित हस्ताक्षर किये गये हों, उपलब्ध करानी होंगी। कागज के नमूनों पर कहीं पर भी निविदादाता द्वारा पेपरमिल का वाटरमार्क बनाने, अपना हस्ताक्षर करने अथवा कोई पहचान चिह्न बनाये जाने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।
27. निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से अर्ह निविदादाताओं को उनकी क्षमता के अनुरूप ही पाठ्य पुस्तकें आवंटित की जायेंगी। क्षमता का आंकलन तकनीकी बिड एवं आवश्यक समझे जाने पर पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा मुद्रण इकाई के भौतिक सत्यापन के आधार पर किया जायेगा। निविदादाताओं की क्षमता का आंकलन करने एवं संतुष्ट होने के बाद ही पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का आवंटन किया जायेगा। इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक समिति का निर्णय सभी निविदादाताओं को मान्य होगा।
28. फर्म की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए तथा छात्र हित में पुस्तकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त कार्य एक ही फर्म को दिये जाने के स्थान पर अन्य फर्मों को भी न्यूनतम दर/निर्धारित दर पर कार्य आबंटित किया जा सकता है जिसके लिए पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अन्तिम माना जायेगा।
29. न्यूनतम दर/निर्धारित दर के अन्तर्गत एक से अधिक फर्म आने पर पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा कार्य आबंटित किया जायेगा। इस प्रकार कार्य आबंटित किये जाने पर सभी निविदादाताओं को समिति का निर्णय मान्य होगा।
30. पुस्तकों के मुद्रण में प्रयुक्त होने वाले कागज की व्यवस्था स्वयं फर्म (सफल निविदादाता) द्वारा की जायेगी, जिसके लिये पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा कोई धनराशि नहीं दी जायेगी।
31. तकनीकी आवेदन पत्र (प्रपत्र भाग-2) बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता/अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हस्ताक्षर करने होंगे।
32. समस्त पाठ्य पुस्तकों को आवरण पृष्ठ सहित चार आकर्षक रंगों में मुद्रित किया जायेगा।
33. निविदादाता द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने का अनुबंध पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा। पाठ्य पुस्तकें अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पुष्टि के लिए मुद्रणोपरान्त चयनित फर्म को पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के बाद ही सुरक्षा धनराशि मुक्त की जायेगी।
34. निविदादाता द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज क्रय करने के लिए पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता से किया गया अनुबंध पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया जाना है। अनुबंध पत्र के साथ निम्न लिखित प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाना है—

- पेपर मिल से अनुबंध करने पर— सम्बन्धित पेपर मिल का पिछले दो वर्षों (2016-17, 2017-18) में प्रतिवर्ष कम से कम 5000 मीट्रिक टन कागज (मैपलिथो/क्रीमवोव) उत्पादन की क्षमता सम्बन्धी एक्सआइज/जी.एस.टी. विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

अथवा

- अधिकृत विक्रेता से अनुबन्ध करने पर— सम्बन्धित अधिकृत विक्रेता का पिछले दो वर्षों (2016-17, 2017-18) में प्रतिवर्ष कम से कम 3000 मीट्रिक टन कागज (मैपलिथो/क्रीमवोव) किसी भी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति करने का पेपर मिल (जिसके अधिकृत विक्रेता हैं) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
35. **शपथ पत्र**— निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना, जो देना आवश्यक था, छिपाई नहीं गयी है। यदि कोई सूचना छिपाई जाती है तो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा जो भी विधिक कार्यवाही की जायेगी वह निविदादाता को मान्य होगी।
- सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य हैं।
 - किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
 - फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
 - 32-पृष्ठों की नमूना प्रति जो चार रंगों में मुद्रित की गयी है, को आवरण पृष्ठ सहित उनके द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित किया गया है।
36. चयनित फर्म/फर्मों को पूरे शिक्षा सत्र के दौरान मांग के अनुरूप छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए निर्धारित मूल्य (विक्रय मूल्य) पर पाठ्य पुस्तकें खुले बाजार में उपलब्ध रखनी/करवानी होगी। बाजार की मांग के अनुरूप यदि जारी किये गये कार्यादेश से अधिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण की आवश्यकता होती है तो मुद्रक द्वारा पाठ्य पुस्तकों के पुनर्मुद्रण की अनुमति निदेशालय से प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के पाठ्य पुस्तकों का पुनर्मुद्रण नहीं किया जायेगा।
37. निविदादाता द्वारा अपना नैटवर्क राज्य के सभी जनपदों में इस प्रकार स्थापित करना होगा कि पुस्तकें प्रत्येक तहसील, विकास खण्ड, न्याय पंचायतों में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री हेतु समय से उपलब्ध हो जाय, ताकि सभी छात्र-छात्राएँ पुस्तकें क्रय कर सकें। पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा पाठ्य पुस्तकों के डुलान अथवा पाठ्य पुस्तकों पर आने वाले किसी भी व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
38. चयनित फर्मों द्वारा अनुबन्ध करने से पूर्व शपथ पत्र में जनपदवार कम से कम एक पुस्तक विक्रेता का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिनको उनके द्वारा प्राथमिकता/अनिवार्य रूप से बिक्री के लिए पर्याप्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवानी होगी। जनपद स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्धता होने पर ही कार्य सम्पन्न होने की प्रमाणिकता मानी जायेगी। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से कार्य सम्पन्न नहीं समझा जायेगा। चयनित निविदादाता द्वारा शपथ पत्र पर उनके द्वारा चयनित/अनुबन्धित पुस्तक विक्रेताओं का विवरण निम्नवत् देना होगा :-

क्र०सं०	जनपद	पुस्तक विक्रेता का नाम एवं पता	दूरभाष नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उत्तरकाशी		
2	टिहरी गढ़वाल		
3	रुद्रप्रयाग		
4	चमोली		
5	पौड़ी		
6	देहरादून		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

7	हरिद्वार		
8	ऊधमसिंह नगर		
9	नैनीताल		
10	अल्मोड़ा		
11	बागेश्वर		
12	पिथौरागढ़		
13	चम्पावत		

39. चयनित फर्म द्वारा खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करते समय सर्वप्रथम निदेशालय को निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी

क्र० सं०	पुस्तक विक्रेता का विवरण		कक्षा	पाठ्य पुस्तक	आपूर्ति संख्या
	जनपद	नाम/पता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
योग					

40. पुस्तकों की संख्या/पृष्ठों की संख्या घट-बढ़ सकती है तथा नामों में भी परिवर्तन हो सकता है जिसे विभागीय निर्देशानुसार परिवर्तित करना होगा। परिवर्तन की स्थिति में पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित दरों (मूल्य) में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
41. चार फर्मा (32 पृष्ठ) की मॉडल बुक : 2019-20 (नमूना) की पांच प्रतियां चार रंगों में निर्धारित मानक के कागज पर दोनों ओर मुद्रित कर शील्ड लिफाफे में निर्धारित तिथि तक निदेशालय में उपलब्ध करवायी जानी है। यह मुद्रक के अनुभव एवं मुद्रण कार्य की गुणवत्ता को प्रमाणित करेगा। मॉडल बुक (नमूना) वेब ऑफसेट/शीटफैड मशीन द्वारा मुद्रित होनी चाहिए। कम्प्यूटर प्रिंट या फोटोकापी मान्य नहीं होगी। मॉडल बुक बनाने के लिए विषय सामग्री निविदा डॉक्यूमेंट के साथ वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर उपलब्ध है।
42. चयनित फर्म को अनुबन्ध के लिए रुपये 100/- (रुपये एक सौ) का नॉन-ज्यूडीसियल स्टाम्प पेपर (जो टिकट के रूप में नहीं होगा) उपलब्ध करना होगा।

खण्ड : (घ) – तकनीकी बिड

43. तकनीकी बिड के रूप में निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण-पत्रों को Online Upload किया जाना है। समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्रों को Upload नहीं करने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी-
44. तकनीकी बिड (प्रपत्र भाग-2) (Uploaded)
45. कार्यरत मशीनों का साइज, प्रकार, मॉडल का वर्ष, क्रय की तिथि का विवरण-निविदादाता की अपनी स्वयं की पंजीकृत मुद्रण इकाई होनी चाहिए, जिसमें फोर कलर शीटफैड ऑफसेट मशीन साइज 19" X 26" एवं 508mm, 578mm वेब ऑफसेट तीनों प्रकार की कम से कम एक-एक मशीन होना अनिवार्य है। (Uploaded)
46. प्रेस डिक्लेरेशन का प्रमाण-पत्र दिनांक सहित, जो जिलाधिकारी/राजकीय प्रेस द्वारा जारी किया गया हो, ही मान्य होगा। (Uploaded)
47. उद्योग विभाग/राजकीय मुद्रणालय/सूचना विभाग (जो प्रेस की घोषणा करता हो) द्वारा जारी किया गया कार्यरत मशीनों की क्षमता का प्रमाण पत्र- फर्म की मुद्रण

क्षमता का आकलन करने के लिए कार्यरत मशीनों में से प्रत्येक मशीन की क्षमता का सक्षम संस्था/विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है। (Uploaded)

48. वित्तीय वर्ष : 2015-16, 2016-17 अर्थात् आगणन वर्ष (Assesment year) : 2016-17, 2017-18 में किये गये आयकर भुगतान का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र। (Uploaded)
49. स्थायी आयकर खाता (Permanant Account Number) संख्या। (Uploaded)
50. व्यापार कर विभाग द्वारा जारी वैध व्यापार कर/बिक्रीकर के भुगतान का प्रमाण पत्र। (Uploaded)
51. टर्न ओवर- मुद्रण उद्योग में विगत दो वर्षों (2016-17, 2017-18) का टर्न ओवर औसतन 03 (तीन) करोड़ प्रतिवर्ष होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। (Uploaded)
52. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव प्रमाण पत्र- विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण अनुभव के लिए संबंधित संस्था द्वारा जारी कार्यादेश एवं सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। प्रमाण पत्र में मुद्रण वर्ष, कक्षा, पाठ्य पुस्तकों का नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। (Uploaded)
53. कागज उत्पादन/आपूर्ति का प्रमाण-पत्र- फर्म द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज क्रय करने के लिए जिस पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता से किया गया अनुबन्ध पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया गया है, उस पेपर मिल का पिछले दो वर्षों (2016-17, 2017-18) में प्रतिवर्ष कम से कम 5000 मीट्रिक टन कागज (मैपलिथो/क्रीमवोव) उत्पादन तथा अधिकृत विक्रेता की दशा में 3000 मीट्रिक टन (मैपलिथो/क्रीमवोव) किसी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति करने का पेपर मिल के लिए एक्साइज/जी.एस.टी. विभाग द्वारा/अधिकृत विक्रेता के लिए पेपर मिल (जिसके अधिकृत विक्रेता हैं) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र। (Uploaded)
54. अनुबंध पत्र - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने के लिए किया गया अनुबंध पत्र। (Uploaded)
55. पेपर मिल/अधिकृत वितरक का नाम व पता, जिसका नमूना कागज उपलब्ध करवाया जा रहा है। (Uploaded)
56. शपथ पत्र - निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना, जो देना आवश्यक था, छिपाई नहीं गयी है। यदि कोई सूचना छिपाई जाती है तो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा जो भी विधिक कार्यवाही की जायेगी वह निविदादाता को मान्य होगी।
 - किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
 - फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
 - 32 - पृष्ठों की नमूना प्रति- "मॉडल बुक : 2019-20" जो चार रंगों में मुद्रित की गयी है, को आवरण पृष्ठ सहित उनके द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित किया गया है। (Uploaded)

57. तकनीकी बिड से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन लिफाफों को एक चौथे लिफाफे में सील कर पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून उत्तराखण्ड पिन-248008 में उपलब्ध करवाया जाना है, जिन्हें पंजीकृत डाक/कोरियर अथवा सीधे भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद लिफाफा प्राप्त होने पर ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। लिफाफे के ऊपर दाहिनी ओर मोटे अक्षरों में "निविदा पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 से 12, शिक्षा सत्र 2019-20" एवं विज्ञप्ति संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें-

लिफाफा संख्या-01

- निविदा आवेदन पत्र शुल्क : Rs. 5000.00 (रु० पाँच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (Uploaded)
- अर्नेस्टमनी (EMD) का बैंक ड्राफ्ट (Uploaded)
(निविदा शुल्क वापस नहीं होगी)

लिफाफा संख्या-02

- निविदादाता द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित "मॉडल बुक : 2019-20" की पांच प्रतियां,

लिफाफा संख्या-03

- कागज के नमूनों के लिए निर्धारित मानकानुसार एवं बिना वाटरमार्क 80 GSM एवं 220 GSM कागज के पृथक-पृथक ए-4 साइज की 10-10 शीटों के चार सैट (अर्थात् ए-4 साइज की 40 शीटें) जो मोहरबंद टैग द्वारा बंधी हो तथा टैग पर निविदादाता के मोहर सहित हस्ताक्षर किये गये हों, उपलब्ध करनी होंगी। कागज के नमूनों पर कहीं पर भी निविदादाता द्वारा पेपर मिल का वाटरमार्क बनाने, अपना हस्ताक्षर करने अथवा कोई पहचान चिह्न बनाये जाने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- 58 सुरक्षा धनराशि एवं अर्नेस्टमनी के सत्यापन/जाँच में गलत/फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कानूनी/विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

खण्ड : (ड) - "वित्तीय बिड"

- 59 पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेटवार वर्गीकृत पाठ्य पुस्तकों के सभी सेटों के लिए वित्तीय बिड (Financial Documents-BOQ) में सेटवार दरें Upload की जानी है।

खण्ड : (च) - "निविदा के अन्य नियम एवं शर्तें"

- 60 पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा जिन निविदादाताओं की "तकनीकी बिड" अनर्ह पायी जायेगी उन्हें उक्तवत् सूचित नहीं किया जायेगा और न ही निविदादाता को अनर्हता का कारण बताया जायेगा। सम्बन्धित निविदादाता किसी भी स्तर पर उसकी मांग नहीं करेगा।
- 61 तकनीकी बिड खोलने के बाद पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा वित्तीय बिड खोलने की तिथि निर्धारित कर Online घोषित की जायेगी।
- 62 निविदादाताओं द्वारा तकनीकी बिड के साथ उपलब्ध करवाये गये कागज के नमूनों को निदेशालय में सील करके भविष्य में आवश्यकतानुसार रासायनिक जांच करवाने के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।
- 63 निदेशालय द्वारा समय-समय पर मुद्रित एवं बिना मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के कागज की रासायनिक जांच करवायी जायेगी। मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की जांच पर आने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित फर्म (मुद्रक) द्वारा किया जायेगा। जांच आख्यानानुसार मानकानुसार कागज की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा

- फर्म पर दण्ड निर्धारित किया जायेगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं चयनित फर्म/फर्मों को मान्य होगा।
- 64 निर्धारित दरें, रॉयल्टी, समयावधि सहित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जाना है। कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकें जो बिक्री होने से रह जाती हैं, उनके भुगतान के लिए पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
- 65 पाठ्य पुस्तकें एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप (पेपर, पुस्तक का साइज, प्रिन्टिंग एवं बाइंडिंग) ही मुद्रित की जायेंगी। एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा जारी गाइड लाईन एवं कॉपी राइट एक्ट मुद्रकों को मान्य होगा।
- 66 आवरण पृष्ठों का मुद्रण इस प्रकार किया जायेगा कि उनका उपयोग किसी अन्य द्वारा नहीं किया जा सके।
- 67 पाठ्य पुस्तकें आवरण पृष्ठ सहित फोर कलर में कवर, बैक कवर तथा इन साइड कवर एवं इन साइड बैक कवर/टू कलर कवर, वन कलर इन साइड में मुद्रित होंगी। पाठ्य-पुस्तकों के कवर पेज पर 12 डिजिट में **Online Number** अंकित किया जायेगा ताकि पुस्तकों की विश्वसनीयता बनी रहे और नकली पुस्तकें बाजार में न आ सकें। 12 डिजिट में **On Line Number** कार्यादेश के साथ ही निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- 68 चयनित फर्म द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लाल रंग से मोटे अक्षरों में चार खाने के अन्दर "**Royalty Paid Book**" अंकित किया जायेगा।
- 69 समस्त पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र 2019-20" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2019-20" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा, इससे एन0सी0ई0आर0टी0 व राज्य सरकार की पुस्तकों में भिन्नता रहेगी।
- 70 चयनित फर्म द्वारा आवंटित समस्त पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों पर नीचे मध्य भाग में पृष्ठ संख्या तथा समस्त दाहिने एवं बांये पृष्ठों पर बाहर की ओर उत्तराखण्ड शिक्षा सत्र 2019-20 तथा अन्दर की ओर बांये पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ्य पुस्तक का नाम तथा दाहिनी ओर के पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ का नाम अंकित किया जायेगा। सभी अंकना 10 प्वाइंट बोल्ड में मुद्रित किये जायेंगे।
- 71 प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रारम्भ में यथास्थान महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से प्राक्कथन फर्म द्वारा मुद्रित किया जायेगा, जिसे कार्यादेश के साथ ही फर्म को निदेशालय से प्राप्त करना होगा।
- 72 मुद्रण कार्य की प्रूफ रीडिंग फर्म द्वारा अपने स्तर से करवायी जायेगी। अतः अक्षर, मात्रा, अंक, दशमलव, बिन्दु, कौमा, अर्द्धविराम, गणित के चिन्ह, आदि टूटे-छूटे, मिटने या स्थान बदलने से होने वाली त्रुटि की स्थिति में नहीं हों, के लिए प्रूफ रीडिंग अत्यधिक सावधानी से की जानी होगी। तथापि मुद्रण स्थल पर निदेशालय द्वारा गठित पैनल के द्वारा भी आवश्यकतानुसार प्रूफरीडिंग का निरीक्षण किया जा सकता है, जिससे पुस्तक का सही, सुस्पष्ट एवं आकर्षक स्वरूप बाजार में उपलब्ध हो सके।
- 73 पाठ्य पुस्तकें निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सी0डी0/हार्ड कापी के अनुसार ही मुद्रित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का भी फर्म को यथास्थान समावेश करना होगा।

- 74 पुस्तक का प्रकाशन विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रकाशक का उल्लेख करते समय मुद्रक द्वारा उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा तथा उचित/निर्धारित स्थान पर उत्तराखण्ड शासन का लोगो भी मुद्रित किया जायेगा।
- 75 पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में फॉन्ट का साइज, पुस्तकों का आकार, ट्रिम साइज, प्रिन्ट एरिया, स्पेसिंग एवं विषय सामग्री विभाग द्वारा दी गयी सी०डी० के अनुसार ही किया जायेगा।
- 76 समस्त इलस्ट्रेशन एवं चित्रांकन उत्तम इंक एवं रंग से विषयवस्तु के अनुरूप एवं समीपस्थ मुद्रित करेंगे, जिनका हेयर लाइन रजिस्ट्रेशन एकदम ठीक हो।
- 77 महत्वपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा महापुरुषों से संबंधित तथ्य अद्यतन शुद्ध हों। जिसे प्रत्येक स्तर पर चयनित फर्म द्वारा ठीक करना होगा। किसी भी प्रकार का विवाद उठने पर चयनित फर्म उत्तरदायी होगी।
- 78 पाठ्य पुस्तकों की बाइंडिंग— 112 या कम पृष्ठों की पाठ्य पुस्तकों में सेंटर स्टिचिंग तीन तार तथा 112 से अधिक पृष्ठों वाली पाठ्य पुस्तकों की परफैक्ट बाइंडिंग की जायेगी।
- 79 विगत शिक्षा सत्र के लिए एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के नमूनों को पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर देखा जा सकता है।
- 80 चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की बिक्री/प्रयोग उत्तराखण्ड राज्य तक ही सीमित रखनी होगी। पाठ्य पुस्तकों का विक्रय राज्य की सीमाओं के बाहर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 81 चयनित निविदादाताओं को निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पाठ्य पुस्तकों की सी०डी०/डी०वी०डी० मूल रूप में बिना किसी प्रकार की छेड़-छाड़ अथवा टूट-फूट के कार्य पूर्ण करने के 15 दिनों के भीतर निदेशालय को वापस करनी होगी।
- 82 समस्त खुले बाजार की पाठ्य-पुस्तकों पर मुद्रक द्वारा मूल्य मुद्रित किया जाना है। मूल्य सूची निदेशालय द्वारा मुद्रक को कार्यदेश के साथ उपलब्ध करवायी जायेगी। मुद्रण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुद्रकों का भी यह दायित्व होगा कि वह निदेशालय से पाठ्य-पुस्तकों की मूल्य सूची प्राप्त कर लें।
- 83 एक दूसरे से पूल किये जाने की स्थिति में दी गयी निविदा से सम्बन्धित निविदादाताओं को काली सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की जायेगी।
- 84 प्रश्नगत निविदा के क्रम में मुद्रित पाठ्य-पुस्तकों की बिक्री शैक्षिक सत्र 2018-19 के उपरान्त नहीं की जायेगी।
- 85 **दण्डात्मक कार्यवाही :-** पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में कमी अथवा मुद्रण/आपूर्ति विलम्ब की स्थिति में फर्म के विरुद्ध निम्नवत् दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(क) विलम्ब दण्ड— सभी जनपदों के मुख्यालयों में, बाजारों में बिक्री के लिए पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में फर्म पर निम्नवत् विलम्ब अर्थदण्ड निर्धारित किया जायेगा—

- 01 से 10 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 2%
- 11 से 20 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 5%
- 21 से 30 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 10%

- 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में मुद्रक की सुरक्षा धनराशि जब्त कर, उसे काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।

(ख) खराब मुद्रण:- पुस्तकों के सत्यापन में मानक के अनुरूप मुद्रण न पाये जाने अथवा खराब मुद्रण की दशा में सम्बन्धित प्रकार की पुस्तकों की कुल कीमत पर 05% से 15% तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। खराब मुद्रण के अन्तर्गत अस्पष्ट चित्र, अपठनीय छपाई आदि पर विचार किया जायेगा।

(ग) त्रुटिपूर्ण मुद्रण:- विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार मुद्रण न पाये जाने अथवा त्रुटिपूर्ण मुद्रण होने पर, नमूने के इतर कोई सामग्री छापने, गलत पाठ एवं चित्र छापने पर समिति द्वारा सम्बन्धित पुस्तकों की कुल कीमत पर 5 से 15% तक अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(घ) कम माप:- पाठ्य पुस्तकवार निर्धारित माप के अनुरूप समिति द्वारा कम आकार की पुस्तकों के मूल्य से कुल कम हुये कागजों के दुगने मूल्य के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। कागज की गुणवत्ता पर भी विचार किया जायेगा।

- 86 चयनित फर्म द्वारा प्रत्येक पाठ्य-पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।
- 87 महानिदेशक/अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक समिति, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर चयनित फर्म का निरीक्षण कर, पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के दौरान मुद्रित/अमुद्रित नमूना एकत्रित किया जायेगा। सील्ड नमूने पर चयनित फर्म एवं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, जो आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक जाँच के लिये प्रयोगशाला में प्रेषित किया जा सकता है।
- 88 सफल निविदादाता द्वारा यदि अनुबंध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नेस्टमनी/सिक्वोरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।
- 89 कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त चयनित फर्म द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये **On Line Number** का प्रमाण भी देना अनिवार्य होगा।
- 90 सुरक्षा धनराशि निम्नलिखित कार्यों तथा शर्तों को पूरा करने के उपरान्त वापस की जायेगी-

- फर्म द्वारा कार्यदेशानुसार मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करने एवं यह लिख कर देने पर कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
- पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती करने के उपरान्त संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर।
- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण-पत्र जारी करने पर।

- पाठ्य पुस्तकें अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पुष्टि के लिए मुद्रणोपरान्त फर्म द्वारा पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवाने पर।
 - नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये **On Line Number** (कहां से कहां तक) का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - निर्धारित प्रारूप (प्रस्तर-39) पर खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को आपूर्ति की गयी पाठ्य पुस्तकों का विवरण उपलब्ध कराने पर।
- 91 ऐसे अप्रत्याशित कारण जो फर्म के नियंत्रण से बाहर हैं, जिनका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता जैसे- युद्ध, क्रांति, आग, बाढ़, बीमारी फैलने की स्थिति में फर्म द्वारा लिखित रूप से पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को इसकी सूचना तुरन्त दी जायेगी तथा इसके कारणों का उल्लेख किया जायेगा। जब तक पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा अन्य निर्देश नहीं दिये जायेंगे फर्म अनुबंध के अनुरूप अपने कर्तव्यों/कार्यों का जहां तक सम्भव हो, निर्वहन किया जाता रहेगा।
- 92 सम्बन्धित कार्य के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे उत्तराखण्ड शासन के निर्णयार्थ (आर्बीट्रेशन) प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 93 सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के लिये सिर्फ देहरादून स्थित सुसंगत न्यायालय में ही मामला उठाया जा सकता है, अन्य किसी भी न्यायालय में नहीं।
- 94 कार्य सम्पन्न करने के लिए चयनित फर्म/फर्मों को जारी कार्यादेश एवं किये गये अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
- 95 राज्य हेतु मुद्रित की जाने वाली कक्षा 1 से 12 तक की एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों पर QR कोड की अंकना की जायेगी।

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

भाग - दो

प्रपत्र-क

शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए कक्षा I से XII की एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा विकसित
पाठ्य- पुस्तकों के मुद्रणार्थ तकनीकी बिड
(निविदा प्रपत्र तथा सभी संलग्नकों को अपलोड किया जाना अनिवार्य है)

1. निविदादाता का नाम
पता
फोन नम्बर (कार्यालय) मोबाईल
2. मुद्रक/फर्म का नाम
पता
फोन नम्बर कार्यालय मो
ई-मेल पता.....
3. मशीनों का विवरण साइज, प्रकार, मॉडल, क्रय तिथि (508 mm, 578 mm वेब ऑफसेट, 4 कलर शीटफैड मशीन 19" X 26")
(मशीनों का क्रय बिल संलग्न करें। मशीनों का निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जा सकता है)
5. प्रेस डिक्लेरेशन का दिनांक.....
(मुद्रण की इकाई के पंजीकरण एवं जिलाधिकारी/राजकीय प्रेस द्वारा जारी प्रेस डिक्लेरेशन की सत्यापित प्रति संलग्न की जाय)
6. कार्यरत मशीनों की मुद्रण क्षमता का विवरण.....
(सक्षम संस्था/विभाग (राजकीय प्रेस अथवा उद्योग विभाग) द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. विगत वर्ष के आयकर भुगतान का प्रमाण-पत्र.....
(Assesments year 2016-17, 2017-18 Financial Year 2015-16, 2016-17 का आयकर रिटर्न संलग्न किया जाय)
8. स्थायी आयकर खाता संख्या (Permanant Account Number).....
9. जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या
केन्द्रीय विक्रीकर/व्यापार कर/वैट पंजीकरण संख्या
(विगत वर्षों के वैध व्यापार कर/वैट भुगतान का प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।)
10. विगत दो वर्षों (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18) का टर्न ओवर (औसतन 03.00 करोड प्रतिवर्ष)
(घार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
11. वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की ऑडिट बैलेंस शीट (घार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत).....
12. विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2017-18) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का मुद्रण कार्य का अनुभव। संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। कार्यदेश, अनुबन्ध की प्रति मान्य नहीं होगी।
13. कागज उत्पादन/आपूर्ति का प्रमाण-पत्र- कागज क्रय करने के लिए अनुबन्धित पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के लिए एक्स.इज/जी.एस.टी. विभाग/सम्बन्धित पेपर मिल द्वारा जारी पिछले दो वर्षों (2016-17, 2017-18) में प्रतिवर्ष कम से कम 5000 मीट्रिक टन उत्पादन/3000 मीट्रिक टन कागज किसी भी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति का प्रमाण पत्र.....
14. अनुबंध पत्र - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने के लिए किया गया अनुबंध पत्र की प्रति.....
15. पेपर मिल/अधिकृत वितरक का नाम व पता
जिसका नमूना कागज उपलब्ध करवाया जा रहा है.....

16. शपथ पत्र -- निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र संलग्न करें--
- असत्य एवं भ्रामक सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
 - किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
 - फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
 - 32 पृष्ठों की नमूना प्रति "मॉडल बुक : 2019-20" जो चार रंगों में मुद्रित की गयी है, को आवरण पृष्ठ सहित उनके द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित किया गया है।
17. निविदा आवेदन पत्र के शुल्क का विवरण (सीधे पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को सीलड लिफाफे में उपलब्ध करवायें)

क्र.सं.	विवरण	आवेदन शुल्क रु. 5000-00
1	डी.डी. नं. व दिनांक	
2	धनराशि	
3	बैंक का नाम व शाखा	

18. धरोहर राशि (EMD) का विवरण (सीधे पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को सीलड लिफाफे में उपलब्ध करवायें)
- बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी संख्या व दिनांक
 - धनराशि-रु0
 - बैंक का नाम व शाखा.....
19. स्वयं की इकाई में मुद्रित "मॉडल बुक : 2019-20" की पांच प्रतिया (सीधे पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को सीलड लिफाफे में उपलब्ध करवायें).....
20. बिना वाटरमार्क 80 GSM एवं 220 GSM कागज के A4 साईज की 40-40 शीटें।
(सीधे पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को सीलड लिफाफे में उपलब्ध करवायें).....
21. तकनीकी बिड के साथ संलग्नकों की संख्या.....
22. अन्य कोई विवरण--.....
23. घोषणा - मैं मैसर्स

..... का मालिक/..... प्रतिशत साझेदार/प्रबन्धक हूँ। इस निविदा की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने एवं समस्त देयक के प्रति मेरा पूर्ण उत्तरदायित्व है। उपरोक्त समस्त सूचना पूर्णतया सत्य है। इससे सम्बन्धित कोई सूचनाएँ छिपाई नहीं गई है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा।

दिनांक

मालिक/प्रबन्धक के

हस्ताक्षर

नाम

संस्था की मुहर




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK03705849186485R
 Certificate Issued Date : 12-Feb-2019 01:48 PM
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1217204/ HALDWANI/ UK-NT
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK121720409130633504537R
 Purchased by : DEEPAK PRINTERS AND PUBLISHERS HALDWANI
 Description of Document : Article Miscellaneous
 Property Description : NA
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : DEEPAK PRINTERS AND PUBLISHERS HALDWANI
 Second Party : NA
 Stamp Duty Paid By : DEEPAK PRINTERS AND PUBLISHERS HALDWANI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)

Please write or अनुबन्ध पत्र line

विषय : शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा VI से XII तक की एन.सी.ई.आर.टी. एवं एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में बिक्री के लिये (उत्तराखण्ड के सभी जनपदों) उपलब्धता सुनिश्चित कराना

प्रथम पक्ष :

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 ननूरखेड़ा, देहरादून।

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

द्वितीय पक्ष/मुद्रक

मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड
 पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी,
 नैनीताल।

Deepak Printers & Publi

Bareilly Road

HALDWANI (Nainital) U


Statutory Alert:


1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shoestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the Users of the certificate.
3. In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority.

अनुबन्ध की तिथि/स्थान- 16 फरवरी 2019, देहरादून।

1. शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा VI से XII तक की एन.सी.ई.आर.टी. एवं एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (उत्तराखण्ड के सभी जनपदों) में उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानानुसार सम्पादित निविदा प्रक्रिया के क्रम में उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित प्रथम पक्ष अर्थात् पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून एवं द्वितीय पक्ष अर्थात् मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप अनुबन्ध किया गया।
2. द्वितीय पक्ष/मुद्रक निम्न सारणी में उल्लिखित पाठ्य पुस्तकों का उनके सम्मुख अंकित दरों (विक्रय मूल्य) पर मुद्रित कर उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहमत है :-

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ संख्या	निर्धारित विक्रय मूल्य
1	2	3	4	5
1	VI	बसंत भाग 1	115000	54.94
2	VI	Honey Suckle	115000	54.94
3	VI	A Pact with the Sun (Supplimentary)	115000	29.97
4	VI	आमोदनी	88000	28.97
5	VI	गणित	88000	54.94
6	VI	हमारा अतीत -इतिहास	88000	54.94
7	VI	पृथ्वी हमारा आवास- भूगोल	88000	49.94
8	VI	सामाजिक और राजनीति जीवन	88000	49.94
9	VI	अपनी जुबान	88000	49.94
10	VI	बाल रामकथा	88000	39.95
11	VI	Ruchira Prathmo Bhag	28000	49.94
12	VI	Mathematics	28000	54.94
13	VI	Science	115000	54.94
14	VI	Our Past	28000	54.94
15	VI	The Earth Our Habitate	28000	49.94
16	VI	Social and Political Life	29000	54.94
17	VII	बसंत भाग 2	125000	54.94
18	VII	Honey Comb	125000	54.94
19	VII	An Alien Hand-(Suppl.Eng)	125000	34.96
20	VII	आमोदनी	95000	27.97
21	VII	गणित	95000	54.94
22	VII	हमारा अतीत 2-इतिहास	95000	54.94


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।


Printers & Publishers
Gangoli Road
HALDWANI (Nainital) U.A.

23	VII	हमारा पर्यावरण भूगोल	95000	49.94
24	VII	सामाजिक और राजनीति जीवन- 2	95000	54.94
25	VII	अपनी ज़बान	60000	49.94
26	VII	बाल महाभारत	95000	44.95
27	VII	Ruchira - II	25000	49.94
28	VII	Mathematics	25000	54.94
29	VII	Science	125000	54.94
30	VII	Our Past II	25000	54.94
31	VII	Our Environment	25000	49.94
32	VII	Social and Political Life II	25000	54.94
33	VIII	बसंत भाग 3	125000	54.94
34	VIII	Honey Dew	125000	54.94
35	VIII	It So Happened (Suppl. Eng)	125000	44.95
36	VIII	आमोदनी	97000	28.97
37	VIII	गणित	97000	54.94
38	VIII	विज्ञान	97000	54.94
39	VIII	हमारा अतीत 3- भाग एक-इतिहास	97000	49.94
40	VIII	हमारा अतीत 3- भाग दो-इतिहास	97000	54.94
41	VIII	भूगोल	97000	49.94
42	VIII	सामाजिक और राजनीति जीवन- 3	97000	54.94
43	VIII	अपनी ज़बान	60000	49.94
44	VIII	भारत की खोज	97000	54.94
45	VIII	Ruchira III	26000	54.94
46	VIII	Mathematics	26000	54.94
47	VIII	Science	26000	54.94
48	VIII	Our Past III -Part 1	25000	49.94
49	VIII	Our Past III -Part 2	25000	54.94
50	VIII	Resource & Development	25000	49.94
51	VIII	Social and Political Life III	25000	54.94
52	IX	क्षितिज भाग-1	45000	54.95
53	IX	कृतिका भाग-1	45000	24.98
54	IX	Beehive - English Text Book	45000	64.94
55	IX	Moments - English Suppl. Reader	45000	34.97
56	IX	शेमुषी प्रथमो भाग	25000	49.95
57	IX	गणित	32000	134.88
58	IX	विज्ञान	32000	134.88
59	IX	भारत और समकालीन विश्व I-इतिहास	32000	114.89
60	IX	समकालीन भारत I-भूगोल	32000	49.95
61	IX	अर्थशास्त्र	32000	44.96
62	IX	लोकतांत्रिक राजनीति-I	32000	79.93
63	IX	नवा-ए-उर्दू	1000	114.89

Ritu Cuslati
Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road
 HALDWANI (Nainital) U.A.

[Signature]
 प्रिंटर
 माध्यमिक शिक्षा, उस्तादवाड़ा
 देहरादून।


64	IX	Sparsh Bhag 1 (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	5000	49.95
65	IX	Sanchayan Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	5000	24.98
66	IX	Mathematics	13000	134.88
67	IX	Science	13000	134.88
68	IX	India and the Contemporary World I- History	5000	114.89
69	IX	Contemporary India I- Geography	5000	49.95
70	IX	Economics	5000	44.96
71	IX	Democratic Politics	5000	79.93
72	X	क्षितिज भाग-2	45000	59.94
73	X	कृतिका भाग-2	45000	29.97
74	X	First Flight - English Text Book	45000	69.94
75	X	Foot Prints without Feet - English Suppl.	45000	39.96
76	X	शेमुषी द्वितीया भाग	25000	59.94
77	X	गणित	32000	139.87
78	X	विज्ञान	32000	164.85
79	X	भारत और समकालीन विश्व II-इतिहास	32000	124.88
80	X	समकालीन भारत II-भूगोल	32000	64.94
81	X	आर्थिक विकास की समझ	32000	64.94
82	X	लोकतांत्रिक राजनीति-II	32000	79.93
83	X	नवा-ए-उर्दू	2000	79.93
84	X	Sparsh Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	5000	59.94
85	X	Sanchayan Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	5000	24.98
86	X	Mathematics	10000	139.87
87	X	Science	13000	164.85
88	X	India and the Contemporary World II- History	13000	124.88
89	X	Contemporary India II Geography	5000	64.94
90	X	Understanding Economic Development- Economics	5000	64.94
91	X	Democratic Politics II	5000	79.93
92	XI	आरोह भाग-1	40000	64.98
93	XI	वितान भाग-1	40000	24.99
94	XI	अभिव्यक्ति और माध्यम	25000	144.96
95	XI	Hornbill - English Core	35000	49.99
96	XI	Snapshot - English Suppl. Core	35000	34.99
97	XI	भास्वती प्रथमो भाग	15000	59.98
98	XI	गणित	15000	179.95
99	XI	जीव विज्ञान	10000	199.95
100	XI	रसायन भाग-1	20000	154.96
101	XI	रसायन भाग-2	20000	104.97
102	XI	भौतिकी भाग-1	20000	129.97
103	XI	भौतिकी भाग-2	20000	104.97
104	XI	विश्व इतिहास के कुछ विषय	15000	159.96
105	XI	भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त	15000	79.98


A

[Signature]
 माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

[Signature]
 Dinesh Printers & Publishers
 Bareilly Road
 HALDWANI (Nainital) U.A.

106	XI	भारत : भौतिक पर्यावरण	15000	59.98
107	XI	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग-1	15000	94.98
108	XI	अर्थशास्त्र में सांख्यिकी	15000	54.99
109	XI	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास	15000	84.98
110	XI	भारत का संविधान	18000	99.97
111	XI	राजनीति सिद्धान्त	15000	69.98
112	XI	समाज शास्त्र परिचय	15000	44.99
113	XI	समाज का बोध	15000	44.99
114	XI	व्यवसाय अध्ययन	3000	69.98
115	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-1	3000	74.98
116	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-2	3000	69.98
117	XI	मनोविज्ञान का परिचय	2000	119.97
118	XI	Antra Bhag - Hindi Elective	2000	64.98
119	XI	Antra Bhag - Hindi Suppl. Elective	2000	39.99
120	XI	Woven Words- English Elective	2000	74.98
121	XI	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	1000	64.98
122	XI	Mathematics	5000	179.95
123	XI	Biology	3000	199.95
124	XI	Chemistry Part I	5000	154.96
125	XI	Chemistry Part II	5000	104.97
126	XI	Physics Part I	5000	129.97
127	XI	Physics Part II	5000	104.97
128	XI	Themes in World History	2000	159.96
129	XI	Fundamental of Physical Geography	2000	79.98
130	XI	India: Physical Environment	2000	59.98
131	XI	Practical Work in Georgraphy - Part I	2000	94.98
132	XI	Statistics for Economics	2500	54.99
133	XI	Indian Economic Development	2500	84.98
134	XI	Indian Constitution at Work	2500	99.97
135	XI	Pol. Theory II	2500	69.98
136	XI	Introducing Sociology	1000	44.99
137	XI	Understanding Society	2000	44.99
138	XI	Business Studies	4000	114.97
139	XI	Accountancy- Financial Accounting part I	4000	124.97
140	XI	Accountancy- Financial Accounting part II	4000	109.97
141	XI	Psychology	2000	119.97
142	XI	Computer & Communicaion Technology- Part I	1000	139.96
143	XI	Living Craft Tradition of India (Textbook in Heritage Crafts)	2000	119.97
144	XI	The Story of Graphic Design	2000	169.96
145	XI	Human Ecology & Family Science- Part I	2000	159.96
146	XI	Human Ecology & Family Science- Part II	2000	104.97
147	XI	Computer & Communicaion Technology- Part II	2000	149.96
148	XI	Exploring the Craft Tradition of India	2000	109.97
149	XI	Graphic Design Ek Kahani	2000	169.96


 शिक्षक
 माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
 देहरादून।


 Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road
 HALDWANI (Nainital) U.A.

150	XI	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag I	2000	139.96
151	XI	An Introduction to Indian Art	2000	124.97
152	XI	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag II	2000	149.96
153	XII	आरोह भाग-2	35000	69.98
154	XII	वितान भाग-2	35000	39.99
155	XII	Flamingo - English Core	30000	44.99
156	XII	Vistas - English Suppl. Reader Core	30000	39.99
157	XII	भास्वती द्वितीयो भाग	15000	34.99
158	XII	गणित भाग-1	13000	114.97
159	XII	गणित भाग-2	13000	129.97
160	XII	जीवविज्ञान	10000	169.96
161	XII	रसायन भाग-1	20000	169.96
162	XII	रसायन भाग-2	20000	114.97
163	XII	भौतिकी भाग-1	20000	169.96
164	XII	भौतिकी भाग-2	20000	139.96
165	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-1	12000	79.98
166	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-2	12000	94.98
167	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-3	12000	114.97
168	XII	मानव भूगोल के मूल सिद्धान्त	12000	64.98
169	XII	भारत - लोग और अर्थव्यवस्था	12000	94.98
170	XII	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य - भाग 2	12000	69.98
171	XII	व्यष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	12000	64.98
172	XII	समष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	12000	64.98
173	XII	समकालीन विश्व राजनीति	12000	99.97
174	XII	स्वतंत्र भारत में राजनीति	12000	124.97
175	XII	भारत में सामाजिक परिवर्तन	10000	89.98
176	XII	भारतीय समाज - समाजशास्त्र	10000	104.97
177	XII	व्यावसाय अध्ययन-1	5000	59.98
178	XII	व्यावसाय अध्ययन-2	5000	49.99
179	XII	अलाभकारी संस्थायें एवं साझेदारी खाते	5000	84.98
180	XII	कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	5000	114.97
181	XII	मनोविज्ञान	3000	99.97
182	XII	Antara Bhag 2 Hindi Elective	5000	74.98
183	XII	Antara Bhag 2 Hindi Suppl. Elective	5000	29.99
184	XII	Kaleidoscope- English Elective	5000	69.98
185	XII	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	5000	54.99
186	XII	Mathematics Part I	4000	114.97
187	XII	Mathematics Part II	4000	129.97
188	XII	Biology	3000	169.96
189	XII	Chemistry Part I	6000	169.96
190	XII	Chemistry Part II	6000	114.97

राधा कुलदा
 राष्ट्रीय शिक्षा, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road
 HALDWANI (Nainital) U.A.

191	XII	Physics Part I	6000	169.96
192	XII	Physics Part II	6000	139.96
193	XII	Themes in Indian History Part I	2000	79.98
194	XII	Themes in Indian History Part II	2000	94.98
195	XII	Themes in Indian History Part III	2000	114.97
196	XII	Fundamental of Humam Geography	2000	64.98
197	XII	Practical Work in Georgraphy - Part II	2000	69.98
198	XII	India: People and Economy	4000	94.98
199	XII	Introducing Microeconomics	4000	64.98
200	XII	Introducing Macroeconomics	4000	64.98
201	XII	Contemporary World Politics	2000	99.97
202	XII	Politics in India since Independence	2000	124.97
203	XII	Social Change and Development in India	4000	89.98
204	XII	Indian Society- Sociology	2000	104.97
205	XII	Business Studies I	4000	94.98
206	XII	Business Studies II	4000	79.98
207	XII	Accountancy- I- Not for profit organisation and partnership accounts	4000	99.97
208	XII	Accountancy II- Company Account and Analysis of Financial Statements	4000	114.97
209	XII	Accountancy Computerised Accounting System for Class- XII	1500	107.97
210	XII	Phychology	1500	99.97
211	XII	Craft radition of India Textbook in Heritage Craft for Class XII	3000	154.96
212	XII	Towards a New Age of Graph-ic Design	3000	144.96

- पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशनाधिकार (कॉपीराइट) प्रथम पक्ष में निहित रहेगा, जो द्वितीय पक्ष के ऐसे दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वसूलेगा, जो प्रकाशनाधिकार के उल्लंघन से हो या पाठ्य पुस्तकों की किसी बात से सम्बन्धित उत्तरदायित्व के विषय में हो। द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लिखित आदेश के बिना उक्त पुस्तकों की आवंटित/आवंटित से अधिक प्रतियां मुद्रित नहीं करेगा और न ही वह प्रथम पक्ष के लिखित आदेश के बिना उनको पुनः मुद्रित करेगा, इस प्रकार बिना लिखित आदेश के ऐसी मुद्रित सब प्रतियां मुद्रक से प्रथम पक्ष की ओर से जब्त कर ली जायेगी और मुद्रक उसके लिए किसी प्रतिकर का दावा नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में मुद्रक के विरुद्ध अलग से कार्यवाही भी की जायेगी।
- द्वितीय पक्ष प्रस्तर-03 में उल्लिखित समस्त पाठ्य पुस्तकों को कार्यादेश जारी होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर मुद्रित कर खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्ध करवाने के लिए सहमत है।
- शासन द्वारा किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना प्राप्त होती है, तो इस अवधि में किया गया परिवर्तन दोनों पक्षों को मान्य होगा, द्वितीय पक्ष संशोधित नवीनीकृत पाण्डुलिपि को मुद्रित करने के लिये बाध्य होगा।
- द्वितीय पक्ष उपर्युक्त प्रस्तर-03 में उल्लिखित दरों (विक्रय मूल्य) को सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकों में यथास्थान मुद्रित करेगा एवं इन्हीं दरों पर बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध करवायेगा।
- निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए पाठ्य पुस्तकों की दी गयी दरों को

निविदाक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

Deepak Printers & Publishe
Bareilly Road
HALDWANI (Nainital) U.A.


संशोधित किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित मूल्य के अनुपात में निविदा प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित किया जायेगा, जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा आमंत्रित निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तें अनुमन्य होगी।


8. **सुरक्षा धनराशि (Security Money):** द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष अर्थात् पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से सुरक्षा धनराशि (Security Money), का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चेक/एन0एस0सी0/बैंक गारण्टी के रूप में बन्धक रखी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	सुरक्षा धनराशि का प्रकार	दिनांक	संख्या	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बैंक गारंटी, भारतीय स्टेट बैंक भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी	13-02-2019	BGNo:SME2018-19/18	5421000/-
शब्दों में (रुपये चत्वन लाख इक्कीस हजार मात्र)				

नोट : कॉलम 2 में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एनएससी/बैंक गारण्टी/आदि लिखें।

9. सुरक्षा धनराशि (Security Money)– पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती, संतोषजनक कार्य पूर्ण होने एवं समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण-पत्र जारी करने पर।
10. **कागज की विशिष्टियाँ :** एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली की भांति ही पाठ्य पुस्तकों को निम्नलिखित मानकों के कागज पर मुद्रित किया जायेगा—
- पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में टेक्स्ट पेपर के लिए मिलवाटर मार्क Maplitho Paper 80 GSM नवीनतम संशोधित ISI मार्क 1848/2007 के नवीन संशोधित मानकों के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा। कागज एन.सी.ई.आर.टी. के मानकों के अनुरूप होगा। इससे निम्न गुणवत्ता का कागज मान्य नहीं होगा।
 - आवरण पृष्ठ के लिए आर्ट कार्ड 220 GSM., नवीनतम संशोधित BIS specification 4658/1988 के निर्धारित मानकों का कागज प्रयोग में लाया जायेगा। कागज एन.सी.ई.आर.टी. के मानकों के अनुरूप होगा। इससे निम्न गुणवत्ता का कागज मान्य नहीं होगा।
11. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में प्रयुक्त होने वाले कागज की व्यवस्था स्वयं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी। जिसके लिए प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जायेगी।
12. द्वितीय पक्ष को पूरे शिक्षा सत्र के दौरान मांग के अनुरूप छात्र/छात्राओं की सुविधा के लिए निर्धारित मूल्य (विक्रय मूल्य) पर पाठ्य पुस्तकें खुले बाजार में उपलब्ध रखनी/करवानी होगी। बाजार की मांग के अनुरूप यदि जारी किये गये कार्यादेश से अधिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के पुनर्मुद्रण की अनुमति प्रथम पक्ष से प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के पाठ्य पुस्तकों का पुनर्मुद्रण नहीं किया जायेगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित पुस्तकों की बिक्री **शैक्षिक सत्र : 2019-20** के उपरान्त नहीं की जायेगी।


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।


Deepak Printers & Publishers
Bareilly Road
HALDWANI (Nainital) U.A.

14. द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की बिक्री/प्रयोग उत्तराखण्ड राज्य तक ही सीमित होगी। पाठ्य पुस्तकों का विक्रय राज्य की सीमाओं के बाहर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी बिड में जिस पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने का अनुबन्ध पत्र संलग्न किया गया है, अनिवार्यतः उसी पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता से कागज क्रय किया गया, के लिए मुद्रणोपरान्त पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के बाद ही द्वितीय पक्ष की सुरक्षा धनराशि मुक्त की जायेगी।
16. पाठ्य पुस्तकों पर दी जाने वाली रॉयल्टी— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक : F.No.-26-40/2005 - Pub.(TCS) दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के लिए 5% रॉयल्टी का भुगतान NCERT नई दिल्ली के लिये किया जायेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड की पाठ्य पुस्तकों पर एक समान रॉयल्टी देय होगी। शिक्षा सत्र के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा यदि रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार ही फर्मों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।
17. द्वितीय पक्ष द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के कुल मूल्य पर 5% (पांच प्रतिशत) रॉयल्टी दी जानी है, किन्तु दिनांक 25 जनवरी 2019 को प्रकाशित/आमंत्रित निविदा डोक्यूमेंट के प्रस्तर 23 में दी गयी शर्तानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा कक्षा 6 से 8 तक की पंद्रह लाख पाठ्य पुस्तकों, कक्षा 9 से 10 तक की पांच लाख पाठ्य पुस्तकों एवं कक्षा 11 से 12 तक की पांच लाख पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सीमा से अधिक मात्रा में पाठ्य पुस्तकों मुद्रण करने की दशा में अतिरिक्त मुद्रित पाठ्य पुस्तकों पर भी नियमानुसार 5 प्रतिशत रॉयल्टी देय होगी। रॉयल्टी ड्राफ्ट के माध्यम से, जो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से बना हो, पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवायी जानी है। रॉयल्टी का ड्राफ्ट देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में देय होना चाहिए।
18. द्वितीय पक्ष को पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करते समय यह लिख कर देना होगा कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
19. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित दरें, रॉयल्टी, समयवधि सहित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जायेगा। कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकें जो बिक्री होने से रह जाती है, उनके भुगतान के लिए पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड उत्तरदायी नहीं होंगे।
20. द्वितीय पक्ष द्वारा अपना नैटवर्क राज्य के सभी जनपदों में इस प्रकार स्थापित किया जायेगा कि पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक तहसील, विकास खण्ड, न्याय पंचायतों में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री हेतु समय से उपलब्ध हो जायें, ताकि सभी छात्र/छात्राएँ पुस्तकें क्रय कर सकें। इस कार्य के लिए प्रथम पक्ष की ओर से किसी भी तरह का कोई ढुलान व्यय देय नहीं होगा।
21. छात्र-छात्राओं को आसानी से पाठ्य पुस्तकें सुलभ हो सकें, के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा जनपदवार निम्नलिखित पुस्तक विक्रेताओं का चयन किया गया है। जिन्हें द्वितीय पक्ष द्वारा प्राथमिकता/अनिवार्य रूप से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवानी होंगी। जनपद स्तर पर

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

Deepak Printers & Publishers

HALLUWANI ROAD, DEHRADUN, U.A.

पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता ही कार्य सम्पन्न होने की प्रमाणिकता मानी जायेगी। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से कार्य सम्पन्न नहीं समझा जायेगा—

क्र.स.	जनपद	पुस्तक विक्रेता का नाम एवं पता	दूरभाष संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उत्तरकाशी	रमेश दिनेश पुस्तक भण्डार, उत्तरकाशी	
2.	टिहरी गढ़वाल	बृहमानन्द बुक डिपो, टिहरी गढ़वाल	
3.	रुद्रप्रयाग	हिमालयन बुक डिपो, रुद्रप्रयाग	9761906355
4.	चमोली	पीयूश बुक डिपो, चमोली	9897867846
5.	पौड़ी गढ़वाल	राजेन्द्र बुक डिपो, पौड़ी गढ़वाल	9758970853
6.	देहरादून	राकेश बुक डिपो, देहरादून	0135-52432150
7.	हरिद्वार	डायमंड पुस्तक भण्डार, हरिद्वार	9358398035
8.	ऊधमसिंह नगर	विनोद पुस्तक भण्डार, उधमसिंहनगर	9927131000
9.	नैनीताल	पुरनमल एण्ड सन्स, नैनीताल	9927856789
10.	अल्मोड़ा	भगवान बुक डिपो, अल्मोड़ा	
11.	बागेश्वर	शिवा बुक डिपो, बागेश्वर	9412105467
12.	पिथौरागढ़	मनीराम पुनेठा, पिथौरागढ़	9897578437
13.	चम्पावत	भगोली स्टेशनरी, चम्पावत	9412097044

नोट: द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पुस्तक विक्रेताओं की विस्तृत सूची अनुबन्ध के अन्त में संलग्न है।

22. द्वितीय पक्ष की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए तथा छात्र हित में पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त कार्य एक ही फर्म को दिये जाने के स्थान पर अन्य फर्मों को भी निर्धारित दर पर कार्य आबंटित किया जा सकता है। जिसके लिए पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अन्तिम माना जायेगा।
23. द्वितीय पक्ष द्वारा खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करते समय सर्वप्रथम निदेशालय को निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी—


क्र० सं०	पुस्तक विक्रेता का विवरण		कक्षा	पाठ्य पुस्तक	आपूर्ति संख्या
	जनपद	नाम/पता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
योग					


24. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर मुद्रित एवं बिना मुद्रित कागज पाठ्य पुस्तकों के कागज की रासायनिक जांच करवायी जायेगी। मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की जांच पर आने वाले व्यय का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। जांच आख्यानसार मानकानुसार कागज की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा फर्म पर दण्ड निर्धारित किया जायेगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
25. महानिदेशक/अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक समिति, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर चयनित फर्म का निरीक्षण कर, पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के दौरान मुद्रित/अमुद्रित नमूना एकत्रित किया जायेगा। सील्ड नमूनें पर चयनित फर्म एवं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, जो आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक जांच के लिये प्रयोगशाला में प्रेषित किया जा सकता है।

निदेशक
रासायनिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

Deepak Printers & Publishers
Bareilly Road
HALDWANI (Nainital) U.A.

26. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर फर्म एवं बाजार में कार्य का निरीक्षण किया जायेगा।
27. पाठ्य पुस्तकों की संख्या/पृष्ठों की संख्या घट-बढ़ सकती है तथा नामों में भी परिवर्तन हो सकता है, जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार परिवर्तित करना होगा। परिवर्तन की स्थिति में पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित दरों (विक्रय मूल्य) में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
28. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकें एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप (पेपर, पाठ्य पुस्तक का साइज, प्रिन्टिंग एवं बाइंडिंग) ही मुद्रित की जायेंगी
29. द्वितीय पक्ष द्वारा आवरण पृष्ठों का मुद्रण इस प्रकार किया जायेगा कि इनका उपयोग किसी अन्य द्वारा न किया जा सके।
30. सभी आवरण पृष्ठ चार रंगों में मुद्रित होंगे।
31. पाठ्य पुस्तकें आवरण पृष्ठ सहित फ्लैट कलर में कवर, बैक कवर तथा इन साइड कवर तथा इन साइड बैक कवर/टू कलर कवर, वन कलर इन साइड में मुद्रित होंगी। प्रत्येक कवर पर 12 डिजिट में ON LINE NUMBER मुद्रित किये जायेंगे, जो कार्यादेश के साथ ही द्वितीय पक्ष द्वारा निदेशालय से प्राप्त करने होंगे।
32. द्वितीय पक्ष द्वारा राज्य हेतु मुद्रित की जाने वाली कक्षा 1 से 12 तक की एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों पर QR कोड की अंकना यथा स्थान पर की जायेगी।
33. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लाल रंग से मोटे अक्षरों में चार खाने के अन्दर **"Royalty Paid Book"** अंकित किया जायेगा।
34. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के कवर पेज पर ON LINE NUMBER अंकित किया जायेगा ताकि पुस्तकों की विश्वसनीयता बनी रहे और नकली पाठ्य पुस्तकें बाजार में न आ सकें।
35. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कवर पेज की सी0डी0/डी0वी0डी0 प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
36. एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली तथा राज्य सरकार द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों में भिन्नता के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर **"उत्तराखण्ड राज्य हेतु"** तथा **"शिक्षा सत्र : 2019-20"** मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर **"उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2019-20"** तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा।
37. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों की मोटाई (बाइंडिंग साइड पर) पर जो बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे, **"विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड"** मुद्रित किया जायेगा।
38. प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रारम्भ में यथास्थान विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से प्राक्कथन द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित किया जायेगा, जिससे द्वितीय पक्ष को कार्यादेश के साथ ही निदेशालय से प्राप्त करना होगा।
39. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकें निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सी0डी0/हार्ड कापी के अनुसार ही मुद्रित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्ष द्वारा निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का यथास्थान समावेश करना होगा।


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।


Deepak Printers & Publishers
Bareilly Road
HALDWANI (Nainital) U.A.


40. पुस्तक का प्रकाशन विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रकाशक का उल्लेख करते समय मुद्रक द्वारा उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा तथा उचित/निर्धारित स्थान पर उत्तराखण्ड शासन का लोगो भी मुद्रित किया जायेगा।
41. द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित समस्त पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों पर नीचे मध्य भाग में पृष्ठ संख्या तथा समस्त दाहिने एवं बांये पृष्ठों पर बाहर की ओर उत्तराखण्ड शिक्षा सत्र 2019-20 तथा अन्दर की ओर बांये पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ्य पुस्तक का नाम तथा दाहिनी ओर के पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ का नाम अंकित किया जायेगा। सभी अंकना 10 प्वाइंट बोल्ड में मुद्रित की जायेगी।
42. मुद्रण कार्य की पुफ रीडिंग द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्तर से करवायी जायेगा। अतः अक्षर, मात्रा, अंक, दशमलव, बिन्दु, कौमा, अर्द्धविराम, गणित के चिन्ह आदि टूटे-छूटे, मिटने या स्थान बदलने से होने वाली त्रुटि की स्थिति नहीं हों, के लिए प्रूफ रीडिंग अत्यधिक सावधानी से की जानी होगी।
43. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में फान्ट का साइज, पुस्तकों का आकार, ट्रिम साइज, प्रिन्ट एरिया, स्पेसिंग एवं विषय सामग्री विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार ही किया जायेगा।
44. द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त इलस्ट्रेशन एवं चित्रांकन उत्तम इंक एवं रंग से विषयवस्तु के अनुरूप एवं समीपस्थ मुद्रित किया जायेगा, जिनका हेयर लाइन रजिस्ट्रेशन एकदम ठीक हो।
45. महत्वपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा महापुरुषों से सम्बन्धित तथ्य अद्यतन शुद्ध हों, जिस प्रत्येक स्तर पर द्वितीय पक्ष द्वारा ठीक करना होगा। किसी भी प्रकार का विवाद उठने की स्थिति में द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा।
46. पाठ्य पुस्तकों की बाइंडिंग— द्वितीय पक्ष द्वारा 112 या कम पृष्ठों की पाठ्य पुस्तकों में सेंटर स्टिचिंग तीन तार तथा 112 से अधिक पृष्ठों वाली पाठ्य पुस्तकों की परफैक्ट बाइंडिंग की जायेगी।
47. द्वितीय पक्ष द्वारा चयनित फर्म द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।
48. समस्त जनपदों के बाजार में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर निम्नवत् विलम्ब-अर्थदण्ड निर्धारित किया जायेगा—


- 01 से 10 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 2%
- 11 से 20 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 5%

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

Deepak Printers & Publishers
Bareilly Road
HALDWANI (Nainital) U.A.

- 21 से 30 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 10%
 - 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में मुद्रक की सुरक्षा धनराशि जब्त कर, उसे काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।
49. द्वितीय पक्ष (सफल निविदादाता) द्वारा यदि अनुबंध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नेस्टमनी/सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।
50. मुद्रण के उपरान्त द्वितीय पक्ष को 10.00 (दस) रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित मुद्रित कक्षा/विषयवार पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये ON LINE NUMBER का प्रमाण पत्र देना होगा।
51. सुरक्षा धनराशि द्वितीय पक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्यों तथा शर्तों को पूरा करने के उपरान्त वापस की जायेगी—
- फर्म द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करने एवं यह लिख कर देना पर कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
 - पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती करने के उपरान्त संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर।
 - समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण-पत्र जारी करने पर।
 - पाठ्य पुस्तकें अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पुष्टि के लिए मुद्रणोपरान्त फर्म द्वारा पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवाने पर।
 - नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये **On Line Number** (कहाँ से कहाँ तक) का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - निर्धारित प्रारूप (अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर 23) पर खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को आपूर्ति की गयी पाठ्य पुस्तकों का विवरण उपलब्ध कराने पर।
52. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी बिड के साथ उपलब्ध करवाये गये कागज के नमूनों को भविष्य में आवश्यकतानुसार रासायनिक जांच करवाने के लिए निदेशालय में सीलड करके सुरक्षित रखा गया है।


 निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
 देहरादून।


Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road
 HALDWANI (Nainital) U.A.

53. ऐसे अप्रत्याशित कारण जो द्वितीय पक्ष के नियंत्रण से बाहर हैं, जिनका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता जैसे- युद्ध, क्रांति, आग, बाढ़, बीमारी फैलने की स्थिति में द्वितीय पक्ष लिखित रूप से पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को इसकी सूचना तुरन्त देगा तथा इसके कारणों का उल्लेख करेगा। जब तक पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा अन्य निर्देश नहीं दिये जायेंगे द्वितीय पक्ष अनुबन्ध के आधार पर अपने कर्तव्यों/कार्यों का जहां तक सम्भव हो, निर्वहन करता रहेगा।
54. सम्बन्धित कार्य के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे उत्तराखण्ड शासन के निर्णयार्थ (आर्बीट्रेशन) प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
55. सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के लिए सिर्फ देहरादून स्थित सुसंगत न्यायालय में ही मामला उठाया जा सकता है, अन्य किसी भी न्यायालय में नहीं।
56. कार्य सम्पन्न करने के लिए द्वितीय पक्ष को जारी कार्यदेश एवं किये गये अनुबन्ध को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अर्थात् पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
57. उपर्युक्त बिन्दुओं में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों अर्थात् प्रथम पक्ष पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून तथा द्वितीय पक्ष मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य फरवरी 2019 को स्थान - निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून में निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव में आकर पूरी समझबूझ एवं स्वस्थ मस्तिष्क के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। दोनों ही पक्ष अनुबन्ध की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

~~2019~~
(आरओके/कु/र/2019)

प्रथम पक्ष :
पाठ्य पुस्तक
अधिकारी/निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

साक्षी-1 :
संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

साक्षी-2 :
उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

द्वितीय पक्ष:
मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड
पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी,
नैनीताल

साक्षी-1 :
दीपक प्रिन्टर्स & Publishers
नाम एवं पदनाम
पता BAREILLY ROAD, NAINITAL, U.A.

साक्षी-2 :
हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम
पता राज इंटरप्राइजेज
प्रिन्टर्स & पब्लिशर्स
कालाद्वानी रोड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

Adnan Khan
Mishkampur D. Dun




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK03705532023151R
Certificate Issued Date : 12-Feb-2019 01:48 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1217204/ HALDWANI/ UK-NT
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK121720409130228455266R
Purchased by : RAJ ENTERPRISES HALDWANI
Description of Document : Article Miscellaneous
Property Description : NA
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : RAJ ENTERPRISES HALDWANI
Second Party : NA
Stamp Duty Paid By : RAJ ENTERPRISES HALDWANI
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)



Please write or type below this line.

विषय : शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा I से V तक की एन.सी.ई.आर.टी. एवं एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में बिक्री के लिये (उत्तराखण्ड के सभी जनपदों) उपलब्धता सुनिश्चित कराना

प्रथम पक्ष :
पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

द्वितीय पक्ष/मुद्रक
मैसर्स राज इण्टरप्राइजेज पिन्टर्स
एण्ड पब्लिशर्स/कालाहूगी रोड, हल्द्वानी,
नैनीताल।

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.sholestamp.com". Any discrepancy in the details of this certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

राज इण्टरप्राइजेज
प्रिण्टर्स & पब्लिशर्स
कालाहूगी रोड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

अनुबन्ध की तिथि/स्थान- 16 फरवरी 2019, देहरादून।

1. शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा I से V तक की एन.सी.ई.आर.टी. एवं एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (उत्तराखण्ड के सभी जनपदों) में उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानानुसार सम्पादित निविदा प्रक्रिया के क्रम में उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित प्रथम पक्ष अर्थात् पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून एवं द्वितीय पक्ष अर्थात् मैसर्स राज इंटरप्राइजेज प्रिंटेर्स एण्ड पब्लिशर्स, कालादूंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप अनुबन्ध किया गया।
2. द्वितीय पक्ष/मुद्रक निम्न सारणी में उल्लिखित पाठ्य पुस्तकों का उनके सम्मुख अंकित दरों (विक्रय मूल्य) पर मुद्रित कर उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहमत है :-

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ संख्या	निर्धारित विक्रय मूल्य
1	2	3	4	5
1	I	रिमझिम भाग 1	98000	54.90
2	I	मैरीगोल्ड बुक 1	98000	54.90
3	I	गणित का जादू 1	83000	54.90
4	I	इब्लेदई 1	22000	49.91
5	I	Math Magic I	15000	54.90
6	II	रिमझिम 2	98000	54.90
7	II	मैरीगोल्ड बुक 2	98000	54.90
8	II	गणित का जादू 2	83000	54.90
9	II	इब्लेदई 2	28000	49.91
10	II	Math Magic II	15000	54.90
11	III	Math Magic III	15000	54.90
12	III	Looking Around Book 1	98000	54.90
13	III	रिमझिम 3	98000	54.90
14	III	मैरीगोल्ड बुक 3	98000	54.90
15	III	गणित का जादू 3	83000	54.90
16	III	इब्लेदई 3	33000	49.91
17	III	बालसंस्कृतम भाग 1	80000	23.96
18	IV	रिमझिम 4	98000	54.90
19	IV	मैरीगोल्ड बुक 4	98000	54.90
20	IV	गणित का जादू 4	83000	54.90
21	IV	इब्लेदई 4	33000	49.91
22	IV	बालसंस्कृतम भाग-2	75000	28.95

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून

राज इंटरप्राइजेज
प्रिंटेर्स & पब्लिशर्स
कालादूंगी रोड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

23	IV	Math Magic IV	15000	54.90
24	IV	Looking Around Book II	98000	54.90
25	V	रिमझिम 5	98000	54.90
26	V	मैरीगोल्ड बुक 5	98000	54.90
27	V	गणित का जादू	83000	54.90
28	V	इक्के-दई 5	27000	49.91
29	V	आस-पास	80000	54.90
30	V	बालसंस्कृतम भाग 3	80000	34.94
31	V	Math Magic V	15000	54.90
32	V	Looking Around Book III	15000	54.90

- पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशनाधिकार (कॉपीराइट) प्रथम पक्ष में निहित रहेगा, जो द्वितीय पक्ष के ऐसे दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वसूलेगा, जो प्रकाशनाधिकार के उल्लंघन से हो या पाठ्य पुस्तकों की किसी बात से सम्बन्धित उत्तरदायित्व के विषय में हो। द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लिखित आदेश के बिना उक्त पुस्तकों की आवंटित/आवंटित से अधिक प्रतियां मुद्रित नहीं करेगा और न ही वह प्रथम पक्ष के लिखित आदेश के बिना उनको पुनः मुद्रित करेगा, इस प्रकार बिना लिखित आदेश के ऐसी मुद्रित सब प्रतियां मुद्रक से प्रथम पक्ष की ओर से जब्त कर ली जायेगी और मुद्रक उसके लिए किसी प्रतिकर का दावा नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में मुद्रक के विरुद्ध अलग से कार्यवाही भी की जायेगी।
- द्वितीय पक्ष प्रस्तर-03 में उल्लिखित समस्त पाठ्य पुस्तकों को कार्यादेश जारी होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर मुद्रित कर खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्ध करवाने के लिए सहमत है।
- शासन द्वारा किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना प्राप्त होती है, तो इस अवधि में किया गया परिवर्तन दोनों पक्षों को मान्य होगा, द्वितीय पक्ष संशोधित नवीनीकृत पाण्डुलिपि को मुद्रित करने के लिये बाध्य होगा।
- द्वितीय पक्ष उपर्युक्त प्रस्तर-03 में उल्लिखित दरों (विक्रय मूल्य) को सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकों में यथास्थान मुद्रित करेगा एवं इन्हीं दरों पर बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध करवायेगा।
- निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए पाठ्य पुस्तकों की दी गयी दरों को संशोधित किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित मूल्य के अनुपात में निविदा प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित किया जायेगा, जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
- सुरक्षा धनराशि (Security Money):** द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष अर्थात् पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से सुरक्षा धनराशि (Security Money), का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चैक/एन0एस0सी0/बैंक गारण्टी के रूप में बन्धक रखी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र.स.	सुरक्षा धनराशि का प्रकार	दिनांक	संख्या	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Fix Deposit Canara Bank, Bareilly Road, Haldwani	12-02-2019	517256	1827000/-
शब्दों में (रूपये अठारह लाख सताईस हजार मात्र)				

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

राज इंटरप्राइजेज

प्रिण्टर्स & पब्लिशर्स


कालाहंगी रोड,


इलाहाबाद (उत्तराखण्ड)

नोट : कॉलम 2 में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एनएससी/बैंक गारण्टी/आदि लिखें।

9. सुरक्षा धनराशि (Security Money)— पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती, संतोषजनक कार्य पूर्ण होने एवं समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण—पत्र जारी करने पर।
10. कागज की विशिष्टियाँ : एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली की भांति ही पाठ्य पुस्तकों को निम्नलिखित मानकों के कागज पर मुद्रित किया जायेगा—
 - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में टेक्स्ट पेपर के लिए मिलवाटर मार्क Maplitho Paper 80 GSM नवीनतम संशोधित ISI मार्क 1848/2007 के नवीन संशोधित मानकों के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा। कागज एन.सी.ई.आर.टी. के मानकों के अनुरूप होगा। इससे निम्न गुणवत्ता का कागज मान्य नहीं होगा।
 - आवरण पृष्ठ के लिए आर्ट कार्ड 220 GSM., नवीनतम संशोधित BIS specification 4658/1988 के निर्धारित मानकों का कागज प्रयोग में लाया जायेगा। कागज एन.सी.ई.आर.टी. के मानकों के अनुरूप होगा। इससे निम्न गुणवत्ता का कागज मान्य नहीं होगा।
11. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में प्रयुक्त होने वाले कागज की व्यवस्था स्वयं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी। जिसके लिए प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जायेगी।
12. द्वितीय पक्ष को पूरे शिक्षा सत्र के दौरान मांग के अनुरूप छात्र/छात्राओं की सुविधा के लिए निर्धारित मूल्य (विक्रय मूल्य) पर पाठ्य पुस्तकों खुले बाजार में उपलब्ध रखनी/करवानी होगी। बाजार की मांग के अनुरूप यदि जारी किये गये कार्यादेश से अधिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के पुनर्मुद्रण की अनुमति प्रथम पक्ष से प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के पाठ्य पुस्तकों का पुनर्मुद्रण नहीं किया जायेगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित पुस्तकों की बिक्री शैक्षिक सत्र : 2019-20 के उपरान्त नहीं की जायेगी।
14. द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की बिक्री/प्रयोग उत्तराखण्ड राज्य तक ही सीमित होगी। पाठ्य पुस्तकों का विक्रय राज्य की सीमाओं के बाहर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा आमंत्रित निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तें अनुमन्य होगी।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी बिड में जिस पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने का अनुबन्ध पत्र संलग्न किया गया है, अनिवार्यतः उसी पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता से कागज क्रय किया गया, के लिए मुद्रणोपरान्त पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के बाद ही द्वितीय पक्ष की सुरक्षा धनराशि मुक्त की जायेगी।
16. पाठ्य पुस्तकों पर दी जाने वाली रॉयल्टी— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक : F.No.-26-40/2005 – Pub.(TCS) दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के लिए 5% रॉयल्टी का भुगतान NCERT नई दिल्ली के लिये किया जायेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के लिये किया जायेगा।




निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।


राज इण्डिया जेज

विभाग & संज्ञा


रूर,


हरद्वारा (पंचोत्तर)

दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड की पाठ्य पुस्तकों पर एक समान रॉयल्टी देय होगी। शिक्षा सत्र के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा यदि रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार ही फर्मों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।

17. द्वितीय पक्ष द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के कुल मूल्य पर 5% (पांच प्रतिशत) रॉयल्टी दी जानी है, किन्तु दिनांक 25 जनवरी 2019 को प्रकाशित/आमंत्रित निविदा डाक्यूमेंट के प्रस्तर 23 में दी गयी शर्तानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की दस लाख पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सीमा से अधिक मात्रा में पाठ्य पुस्तकें मुद्रण करने की दशा में अतिरिक्त मुद्रित पाठ्य पुस्तकों पर भी नियमानुसार 5 प्रतिशत रॉयल्टी देय होगी। रॉयल्टी ड्राफ्ट के माध्यम से, जो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से बना हो, पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवायी जानी है। रॉयल्टी का ड्राफ्ट देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में देय होना चाहिए।
18. द्वितीय पक्ष को पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करते समय यह लिख कर देना होगा कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
19. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित दरें, रॉयल्टी, समयावधि सहित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जायेगा। कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकें जो बिक्री होने से रह जाती हैं, उनके भुगतान के लिए पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड उत्तरदायी नहीं होंगे।
20. द्वितीय पक्ष द्वारा अपना नैटवर्क राज्य के सभी जनपदों में इस प्रकार स्थापित किया जायेगा कि पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक तहसील, विकास खण्ड, न्याय पंचायतों में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री हेतु समय से उपलब्ध हो जायें, ताकि सभी छात्र/छात्राएँ पुस्तकें क्रय कर सकें। इस कार्य के लिए प्रथम पक्ष की ओर से किसी भी तरह का कोई ढुलान व्यय देय नहीं होगा।
21. छात्र-छात्राओं को आसानी से पाठ्य पुस्तकें सुलभ हो सकें, के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा जनपदवार निम्नलिखित पुस्तक विक्रेताओं का चयन किया गया है। जिन्हें द्वितीय पक्ष द्वारा प्राथमिकता/अनिवार्य: रूप से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवानी होगी। जनपद स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता ही कार्य सम्पन्न होने की प्रमाणिकता मानी जायेगी। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से कार्य सम्पन्न नहीं समझा जायेगा-

क्र.स.	जनपद	पुस्तक विक्रेता का नाम एवं पता	दूरभाष संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उत्तरकाशी	रमेश दिनेश पुस्तक भण्डार, उत्तरकाशी	
2.	टिहरी गढ़वाल	बृहमानन्द बुक डिपो, टिहरी गढ़वाल	
3.	रुद्रप्रयाग	हिमालयन बुक डिपो, रुद्रप्रयाग	9761906355
4.	चमोली	पीयूश बुक डिपो, चमोली	9897867846
5.	पौड़ी गढ़वाल	राजेंद्र बुक डिपो, पौड़ी गढ़वाल	9758970853
6.	देहरादून	राकेश बुक डिपो, देहरादून	0135-52432150
7.	हरिद्वार	डायमंड पुस्तक भण्डार, हरिद्वार	9358398035
8.	ऊधमसिंह नगर	विनोद पुस्तक भण्डार, ऊधमसिंहनगर	9927131000
9.	नैनीताल	पुरनमल एण्ड सन्स, नैनीताल	9927856789


 दिनांक
 माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
 देहरादून।


 दिनांक


10.	अल्मोड़ा	भगवान बुक डिपो, अल्मोड़ा	
11.	बागेश्वर	शिवा बुक डिपो, बागेश्वर	9412105467
12.	पिथौरागढ़	मनीराम पुनेठा, पिथौरागढ़	9897578437
13.	चम्पावत	भगोली, स्टेशनरी, चम्पावत	9412097044

नोट: द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पुस्तक विक्रेताओं की विस्तृत सूची अनुबन्ध के अन्त में संलग्न है।

22. द्वितीय पक्ष की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए तथा छात्र हित में पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त कार्य एक ही फर्म को दिये जाने के स्थान पर अन्य फर्मों को भी निर्धारित दर पर कार्य आबंटित किया जा सकता है। जिसके लिए पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अन्तिम माना जायेगा।
23. द्वितीय पक्ष द्वारा खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करते समय सर्वप्रथम निदेशालय को निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी-

क्र० सं०	पुस्तक विक्रेता का विवरण		कक्षा	पाठ्य पुस्तक	आपूर्ति संख्या
	जनपद	नाम/पता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
योग					

24. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर मुद्रित एवं बिना मुद्रित कागज पाठ्य पुस्तकों के कागज की रासायनिक जांच करवायी जायेगी। मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की जांच पर आने वाले व्यय का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। जांच आख्यानसार मानकानुसार कागज की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा फर्म पर दण्ड निर्धारित किया जायेगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
25. महानिदेशक/अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक समिति, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर चयनित फर्म का निरीक्षण कर, पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के दौरान मुद्रित/अमुद्रित नमूना एकत्रित किया जायेगा। सीलड नमूनें पर चयनित फर्म एवं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, जो आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक जांच के लिये प्रयोगशाला में प्रेषित किया जा सकता है।
26. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर फर्म एवं बाजार में कार्य का निरीक्षण किया जायेगा।
27. पाठ्य पुस्तकों की संख्या/पृष्ठों की संख्या घट-बढ़ सकती है तथा नामों में भी परिवर्तन हो सकता है, जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार परिवर्तित करना होगा। परिवर्तन की स्थिति में पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित दरों (विक्रय मूल्य) में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
28. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकें एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप (पेपर, पाठ्य पुस्तक का साइज, प्रिन्टिंग एवं बाइंडिंग) ही मुद्रित की जायेंगी
29. द्वितीय पक्ष द्वारा आवरण पृष्ठों का मुद्रण इस प्रकार किया जायेगा कि इनका उपयोग किसी अन्य द्वारा न किया जा सके।
30. सभी आवरण पृष्ठ चार रंगों में मुद्रित होंगे।
31. पाठ्य पुस्तकें आवरण पृष्ठ सहित फोर कलर में कवर, बैक कवर तथा इन साइड कवर तथा इन साइड बैक कवर/टू कलर कवर, वन कलर इन साइड में मुद्रित होंगी। प्रत्येक


 निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

राज इण्टरप्राइजेज
 प्रिंटर्स & पब्लिशर्स
 कालाढुंगी रोड,
 इन्दौरी (नेनीताल)


- कवर पर 12 डिजिट में ON LINE NUMBER मुद्रित किये जायेंगे, जो कार्यादेश के साथ ही द्वितीय पक्ष द्वारा निदेशालय से प्राप्त करने होंगे।
32. द्वितीय पक्ष द्वारा राज्य हेतु मुद्रित की जाने वाली कक्षा 1 से 12 तक की एन.सी.ई.आर.टी. /एस.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों पर QR कोड की अंकना यथा स्थान पर की जायेगी।
 33. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लाल रंग से मोटे अक्षरों में चार खाने के अन्दर "**Royalty Paid Book**" अंकित किया जायेगा।
 34. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के कवर पेज पर ON LINE NUMBER अंकित किया जायेगा ताकि पुस्तकों की विश्वसनीयता बनी रहे और नकली पाठ्य पुस्तकें बाजार में न आ सकें।
 35. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कवर पेज की सी0डी0/डी0वी0डी0 प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
 36. एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली तथा राज्य सरकार द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों में भिन्नता के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र : 2019-20" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2019-20" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा।
 37. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों की मोटाई (बाइंडिंग साइड पर) पर जो बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे, "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।
 38. प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रारम्भ में यथास्थान विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से प्राक्कथन द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित किया जायेगा, जिससे द्वितीय पक्ष को कार्यादेश के साथ ही निदेशालय से प्राप्त करना होगा।
 39. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकें निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सी0डी0/हार्ड कापी के अनुसार ही मुद्रित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्ष द्वारा निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का यथास्थान समावेश करना होगा।
 40. पुस्तक का प्रकाशन विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रकाशक का उल्लेख करते समय द्वितीय पक्ष द्वारा उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा तथा उचित/निर्धारित स्थान पर उत्तराखण्ड शासन का लोगो भी मुद्रित किया जायेगा।
 41. द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित समस्त पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों पर नीचे मध्य भाग में पृष्ठ संख्या तथा समस्त दाहिने एवं बांये पृष्ठों पर बाहर की ओर उत्तराखण्ड शिक्षा सत्र 2019-20 तथा अन्दर की ओर बांये पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ्य पुस्तक का नाम तथा दाहिनी ओर के पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ का नाम अंकित किया जायेगा। सभी अंकना 10 प्वाइंट बोल्ड में मुद्रित की जायेगी।
 42. मुद्रण कार्य की प्रुफ रीडिंग द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्तर से करवायी जायेगी। अतः अक्षर, मात्रा, अंक, दशमलव, बिन्दु, कौमा, अर्द्धविराम, गणित के चिन्ह आदि टूटे-छूटे, मिटने या


निदेशालय
साध्यनिक
उत्तराखण्ड
देवरूढ़।

राज इंटरप्राइजेज
प्रिण्टर्स & पब्लिशर्स
कालाहवी रोड,
हस्तावी (नंजीक)

स्थान बदलने से होने वाली त्रुटि की स्थिति नहीं हों, के लिए प्रूफ रीडिंग अत्यधिक सावधानी से की जानी होगी।

43. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में फान्ट का साइज, पुस्तकों का आकार, ट्रिम साइज, प्रिन्ट एरिया, स्पेसिंग एवं विषय सामग्री विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार ही किया जायेगा।
44. द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त इलस्ट्रेशन एवं चित्रांकन उत्तम इंक एवं रंग से विषयवस्तु के अनुरूप एवं समीपस्थ मुद्रित किया जायेगा, जिनका हेयर लाइन रजिस्ट्रेशन एकदम ठीक हो।
45. महत्वपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा महापुरुषों से सम्बन्धित तथ्य अद्यतन शुद्ध हों, जिसे प्रत्येक स्तर पर द्वितीय पक्ष द्वारा ठीक करना होगा। किसी भी प्रकार का विवाद उठने की स्थिति में द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा।
46. पाठ्य पुस्तकों की बाईंडिंग— द्वितीय पक्ष द्वारा 112 या कम पृष्ठों की पाठ्य पुस्तकों में सेंटर स्टिचिंग तीन तार तथा 112 से अधिक पृष्ठों वाली पाठ्य पुस्तकों की परफैक्ट बाईंडिंग की जायेगी।
47. द्वितीय पक्ष द्वारा चयनित फर्म द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।
48. समस्त जनपदों के बाजार में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर निम्नवत् विलम्ब-अर्धदण्ड निर्धारित किया जायेगा—
 - 01 से 10 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 2%
 - 11 से 20 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 5%
 - 21 से 30 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 10%
 - 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में मुद्रक की सुरक्षा धनराशि जब्त कर, उसे काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।
49. द्वितीय पक्ष (सफल निविदादाता) द्वारा यदि अनुबंध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नैस्टमनी/सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।
50. मुद्रण के उपरान्त द्वितीय पक्ष को 10.00 (दस) रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित मुद्रित कक्षा/विषयवार पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये ON LINE NUMBER का प्रमाण पत्र देना होगा।


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।



राज इण्टरप्राइजस
प्रिन्टर्स & पब्लिशर्स
कालाढुंगी रोड,
इल्हानी (नैनीताल)

51. सुरक्षा धनराशि द्वितीय पक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्यों तथा शर्तों को पूरा करने के उपरान्त वापस की जायेगी—
- फर्म द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करने एवं यह लिख कर देने पर कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
 - पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती करने के उपरान्त संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर।
 - समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण—पत्र जारी करने पर।
 - पाठ्य पुस्तकें अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पुष्टि के लिए मुद्रणोपरान्त फर्म द्वारा पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवाने पर।
 - नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये On Line Number (कहाँ से कहाँ तक) का प्रमाण—पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - निर्धारित प्रारूप (अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर 23) पर खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को आपूर्ति की गयी पाठ्य पुस्तकों का विवरण उपलब्ध कराने पर।
52. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी बिड के साथ उपलब्ध करवाये गये कागज के नमूनों को भविष्य में आवश्यकतानुसार रासायनिक जांच करवाने के लिए निदेशालय में सीलड करके सुरक्षित रखा गया है।
53. ऐसे अप्रत्याशित कारण जो द्वितीय पक्ष के नियंत्रण से बाहर हैं, जिनका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता जैसे— युद्ध, क्रांति, आग, बाढ़, बीमारी फैलने की स्थिति में द्वितीय पक्ष लिखित रूप से पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को इसकी सूचना तुरन्त देगा तथा इसके कारणों का उल्लेख करेगा। जब तक पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा अन्य निर्देश नहीं दिये जायेंगे द्वितीय पक्ष अनुबंध के आधार पर अपने कर्तव्यों/कार्यों का जहां तक सम्भव हो, निर्वहन करता रहेगा।
54. सम्बन्धित कार्य के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे उत्तराखण्ड शासन के निर्णयार्थ (आर्बीट्रेशन) प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
55. सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के लिए सिर्फ देहरादून स्थित सुसंगत न्यायालय में ही मामला उठाया जा सकता है, अन्य किसी भी न्यायालय में नहीं।


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।


राजें इण्टरप्राइजेज
प्रिण्टर्स & पब्लिशर्स
कालाबंगी रोड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

56. कार्य सम्पन्न करने के लिए द्वितीय पक्ष को जारी कार्यादेश एवं किये गये अनुबन्ध को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अर्थात् पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
57. उपर्युक्त बिन्दुओं में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों अर्थात् प्रथम पक्ष पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून तथा द्वितीय पक्ष राज इण्टरप्राइजेज, पिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, कालादूंगी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य 16 फरवरी 2019 को रथान - निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून में निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव में आकर पूरी समझबूझ एवं स्वस्थ मस्तिष्क के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। दोनों ही पक्ष अनुबन्ध की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।


16.02.19
(आरुण कुमार)
निदेशक


प्रथम पक्ष : माध्यमिक पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

साक्षी-1 : 
(आरुण कुमार) निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।


साक्षी-2 : 
(जय प्रकाश यादव)
उपनिदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड


(प्रवीण कुमार)

द्वितीय पक्ष: मैसर्स राज इण्टरप्राइजेज
पिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स,
कालादूंगी रोड़ हल्द्वानी,
नैनीताल

हस्ताक्षर 
नाम एवं पदनाम राज इण्टरप्राइजेज
पता कालादूंगी रोड़,
हल्द्वानी (नैनीताल)

साक्षी-1 :

हस्ताक्षर 
नाम एवं पदनाम Deepak Printers & Publishers
पता Bareilly Road
HALDWANI (Nainital) U.A.

साक्षी-2 : 
Adnan Khan
Mohkempur - D. Dun

निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या : पा.पु./ 1464 / नौ-II(02)/2018-19, दिनांक 18 फरवरी 2019,

कार्यादेश

शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए कक्षा I से IV की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के अनुसार सम्पादित निविदा प्रक्रिया तथा इस निमित्त पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून तथा मैसर्स राज इण्टरप्राइजेज प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, कालादूंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य हुए अनुबन्ध दिनांक 16 फरवरी 2019 के अनुरूप कार्य सम्पन्न करने के लिए मैसर्स राज इण्टरप्राइजेज प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, कालादूंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल को निम्न सारणी में अंकित विवरणानुसार कार्यादेश जारी होनी की तिथि से 45 दिन की सीमान्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यादेश जारी किया जाता है-


क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ संख्या	निर्धारित विक्रय मूल्य
1	2	3	4	5
1	I	रिमझिम भाग 1	98000	54.90
2	I	मैरीगोल्ड बुक 1	98000	54.90
3	I	गणित का जादू 1	83000	54.90
4	I	इब्लेदई 1	22000	49.91
5	I	Math Magic I	15000	54.90
6	II	रिमझिम 2	98000	54.90
7	II	मैरीगोल्ड बुक 2	98000	54.90
8	II	गणित का जादू 2	83000	54.90
9	II	इब्लेदई 2	28000	49.91
10	II	Math Magic II	15000	54.90
11	III	Math Magic III	15000	54.90
12	III	Looking Around Book I	98000	54.90
13	III	रिमझिम 3	98000	54.90
14	III	मैरीगोल्ड बुक 3	98000	54.90
15	III	गणित का जादू 3	83000	54.90
16	III	इब्लेदई 3	33000	49.91
17	III	बालसंस्कृतम भाग 1	80000	23.96
18	IV	रिमझिम 4	98000	54.90
19	IV	मैरीगोल्ड बुक 4	98000	54.90
20	IV	गणित का जादू 4	83000	54.90
21	IV	इब्लेदई 4	33000	49.91



22	IV	बालसंस्कृतम् भाग-2	75000	28.95
23	IV	Math Magic IV	15000	54.90
24	IV	Looking Around Book II	98000	54.90
25	V	रिमझिम 5	98000	54.90
26	V	मैरीगोल्ड बुक 5	98000	54.90
27	V	गणित का जादू	83000	54.90
28	V	इब्नेदई 5	27000	49.91
29	V	आस-पास	80000	54.90
30	V	बालसंस्कृतम् भाग 3	80000	34.94
31	V	Math Magic V	15000	54.90
32	V	Looking Around Book III	15000	54.90


- 02- उपर्युक्त सारणी के अनुरूप निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का विक्रय मूल्य, मुद्रक द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक पर यथास्थान बड़े फॉण्ट में अंकित/मुद्रित किया जायेगा।
- 03- प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के कवर पेज पर 12 digit On Line Number अंकित किया जायेगा। पाठ्य पुस्तकवार On Line Number संलग्न हैं। (संलग्नक-1)
- 04- पाठ्य पुस्तकों की DVDs भी कार्योदेश के साथ ही संलग्न कर उपलब्ध करवायी जा रही हैं। मुद्रक सर्वप्रथम DVDs को खोलकर चेक कर लें ताकि बाद में DVDs खुलने से सम्बन्धित कोई समस्या न आये। (संलग्नक-2)
- 05- पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से तैयार किये गये प्राक्कथन की प्रति पाठ्य पुस्तकों में यथास्थान मुद्रित करने के लिए अंग्रेजी (भाषा) के लिए अंग्रेजी, तथा अन्य पाठ्य पुस्तकों के लिए हिन्दी में संलग्न है। (संलग्नक-3, 4)
- 06- पाठ्य पुस्तकों की मोटाई पर जो बाहर की ओर से स्पष्ट रूप से दिखायी दे, "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित करना होगा। पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र : 2019-20" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर सम्बन्धित "पाठ्य पुस्तक का नाम" एवं "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2019-20" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा, इससे एन0सी0ई0आर0टी0 व राज्य सरकार की पुस्तकों में भिन्नता रहेगी।
- 07- प्रकाशक का उल्लेख करते समय उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।
- 08- यदि प्रथम पक्ष को कक्षा 1 से 5 तक की अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा मांग के अनुरूप पाठ्य-पुस्तकें तत्काल प्रथम पक्ष को उपलब्ध करानी होगी।
- 09- प्रथम पक्ष द्वारा एन0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड राज्य द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण से पूर्व इन पाठ्य-पुस्तकों की प्रुफ रीडिंग एन0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड से अवश्य करवानी होगी।

41



- 10- विगत वर्षों के लिए मुद्रित की गयी पाठ्य पुस्तकों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध न करवाया जाय। ऐसा करने पर फर्म को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
- 11- उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कार्यादेश दोनों पक्षों के मध्य किये गये अनुबन्ध एवं निविदा डाक्यूमेंट में उल्लिखित समस्त शर्तों से आच्छादित रहेगा। दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षरयुक्त अनुबन्ध की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-5)
- 12- अनुबन्ध एवं कार्यादेश को निरस्त करने का अधिकार पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड में सुरक्षित रहेगा।


संलग्नक : यथोपरि।


(आर.के. कुंवर)
पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं० : पा.पु./ 33119-23 /नौ-11(02)/2018-19, दिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मैसर्स राज इण्टरप्राइजेज प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।
2. महानिदेशक/अध्यक्ष पाठ्य पुस्तक समिति, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(आर.के. कुंवर)
पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड


निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या : पा.पु. / 1463 / नो-II(02) / 2018-19, दिनांक 18 फरवरी 2019,

कार्यादेश

शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए कक्षा 6 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के अनुसार सम्पादित निविदा प्रक्रिया तथा इस निमित्त **पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून** तथा **मैसर्स दीपक प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल** के मध्य हुए अनुबन्ध दिनांक 16 फरवरी 2019 के अनुरूप कार्य सम्पन्न करने के लिए **मैसर्स दीपक प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल** को निम्न सारणी में अंकित विवरणानुसार कार्यादेश जारी होनी की तिथि से 45 दिन की सीमान्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यादेश जारी किया जाता है-

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ संख्या	निर्धारित विक्रय मूल्य
1	2	3	4	5
1	VI	बसंत भाग 1	115000	54.94
2	VI	Honey Suckle	115000	54.94
3	VI	A Pact with the Sun (Supplimentary)	115000	29.97
4	VI	आमोदनी	88000	28.97
5	VI	गणित	88000	54.94
6	VI	हमारा अतीत -इतिहास	88000	54.94
7	VI	पृथ्वी हमारा आवास- भूगोल	88000	49.94
8	VI	सामाजिक और राजनीति जीवन	88000	49.94
9	VI	अपनी जुबान	88000	49.94
10	VI	बाल रामकथा	88000	39.95
11	VI	Ruchira Prathmo Bhag	28000	49.94
12	VI	Mathematics	28000	54.94
13	VI	Science	115000	54.94
14	VI	Our Past	28000	54.94
15	VI	The Earth Our Habitate	28000	49.94
16	VI	Social and Political Life	29000	54.94
17	VII	बसंत भाग 2	125000	54.94
18	VII	Honey Comb	125000	54.94
19	VII	An Alien Hand-(Suppl.Eng)	125000	34.96
20	VII	आमोदनी	95000	27.97
21	VII	गणित	95000	54.94
22	VII	हमारा अतीत 2-इतिहास	95000	54.94

7 

23	VII	हमारा पर्यावरण भूगोल	95000	49.94
24	VII	सामाजिक और राजनीति जीवन- 2	95000	54.94
25	VII	अपनी ज़बान	60000	49.94
26	VII	बाल महाभारत	95000	44.95
27	VII	Ruchira - II	25000	49.94
28	VII	Mathematics	25000	54.94
29	VII	Science	125000	54.94
30	VII	Our Past II	25000	54.94
31	VII	Our Environment	25000	49.94
32	VII	Social and Political Life II	25000	54.94
33	VIII	बसंत भाग 3	125000	54.94
34	VIII	Honey Dew	125000	54.94
35	VIII	It So Happened (Suppl. Eng)	125000	44.95
36	VIII	आमोदनी	97000	28.97
37	VIII	गणित	97000	54.94
38	VIII	विज्ञान	97000	54.94
39	VIII	हमारा अतीत 3- भाग एक-इतिहास	97000	49.94
40	VIII	हमारा अतीत 3- भाग दो-इतिहास	97000	54.94
41	VIII	भूगोल	97000	49.94
42	VIII	सामाजिक और राजनीति जीवन- 3	97000	54.94
43	VIII	अपनी ज़बान	60000	49.94
44	VIII	भारत की खोज	97000	54.94
45	VIII	Ruchira III	26000	54.94
46	VIII	Mathematics	26000	54.94
47	VIII	Science	26000	54.94
48	VIII	Our Past III -Part 1	25000	49.94
49	VIII	Our Past III -Part 2	25000	54.94
50	VIII	Resource & Development	25000	49.94
51	VIII	Social and Political Life III	25000	54.94
52	IX	क्षितिज भाग-1	45000	54.95
53	IX	कृतिका भाग-1	45000	24.98
54	IX	Beehive - English Text Book	45000	64.94
55	IX	Moments - English Suppl. Reader	45000	34.97
56	IX	शेमुषी प्रथमो भाग	25000	49.95
57	IX	गणित	32000	134.88
58	IX	विज्ञान	32000	134.88
59	IX	भारत और समकालीन विश्व I-इतिहास	32000	114.89
60	IX	समकालीन भारत I-भूगोल	32000	49.95
61	IX	अर्थशास्त्र	32000	44.96
62	IX	लोकतांत्रिक राजनीति-I	32000	79.93
63	IX	नवा-ए-उर्दू	1000	114.89

47

[Handwritten Signature]

64	IX	Sparsh Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	5000	49.95
65	IX	Sanchayan Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	5000	24.98
66	IX	Mathematics	13000	134.88
67	IX	Science	13000	134.88
68	IX	India and the Contemporary World I- History	5000	114.89
69	IX	Contemporary India I- Geography	5000	49.95
70	IX	Economics	5000	44.96
71	IX	Democratic Politics	5000	79.93
72	X	क्षितिज भाग-2	45000	59.94
73	X	कृतिका भाग-2	45000	29.97
74	X	First Flight - English Text Book	45000	69.94
75	X	Foot Prints without Feet - English Suppl.	45000	39.96
76	X	शेमुषी द्वितीया भाग	25000	59.94
77	X	गणित	32000	139.87
78	X	विज्ञान	32000	164.85
79	X	भारत और समकालीन विश्व II-इतिहास	32000	124.88
80	X	समकालीन भारत II-भूगोल	32000	64.94
81	X	आर्थिक विकास की समझ	32000	64.94
82	X	लोकतांत्रिक राजनीति-II	32000	79.93
83	X	नवा-ए-उर्दू	2000	79.93
84	X	Sparsh Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	5000	59.94
85	X	Sanchayan Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	5000	24.98
86	X	Mathematics	10000	139.87
87	X	Science	13000	164.85
88	X	India and the Contemporary World II- History	13000	124.88
89	X	Contemporary India II Geography	5000	64.94
90	X	Understanding Economic Development- Economics	5000	64.94
91	X	Democratic Politics II	5000	79.93
92	XI	आरोह भाग-1	40000	64.98
93	XI	वितान भाग-1	40000	24.99
94	XI	अभिव्यक्ति और माध्यम	25000	144.96
95	XI	Hornbill - English Core	35000	49.99
96	XI	Snapshot - English Suppl. Core	35000	34.99
97	XI	भास्वती प्रथमो भाग	15000	59.98
98	XI	गणित	15000	179.95
99	XI	जीव विज्ञान	10000	199.95
100	XI	रसायन भाग-1	20000	154.96
101	XI	रसायन भाग-2	20000	104.97
102	XI	भौतिकी भाग-1	20000	129.97
103	XI	भौतिकी भाग-2	20000	104.97
104	XI	विश्व इतिहास के कुछ विषय	15000	159.96

my

[Handwritten signature]

105	XI	भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त	15000	79.98
106	XI	भारत : भौतिक पर्यावरण	15000	59.98
107	XI	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग-1	15000	94.98
108	XI	अर्थशास्त्र में सांख्यिकी	15000	54.99
109	XI	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास	15000	84.98
110	XI	भारत का संविधान	18000	99.97
111	XI	राजनीति सिद्धान्त	15000	69.98
112	XI	समाज शास्त्र परिचय	15000	44.99
113	XI	समाज का बोध	15000	44.99
114	XI	व्यवसाय अध्ययन	3000	69.98
115	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-1	3000	74.98
116	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-2	3000	69.98
117	XI	मनोविज्ञान का परिचय	2000	119.97
118	XI	Antra Bhag - Hindi Elective	2000	64.98
119	XI	Antra Bhag - Hindi Suppl. Elective	2000	39.99
120	XI	Woven Words- English Elective	2000	74.98
121	XI	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	1000	64.98
122	XI	Mathematics	5000	179.95
123	XI	Biology	3000	199.95
124	XI	Chemistry Part I	5000	154.96
125	XI	Chemistry Part II	5000	104.97
126	XI	Physics Part I	5000	129.97
127	XI	Physics Part II	5000	104.97
128	XI	Themes in World History	2000	159.96
129	XI	Fundamental of Physical Geography	2000	79.98
130	XI	India: Physical Environment	2000	59.98
131	XI	Practical Work in Georgraphy - Part I	2000	94.98
132	XI	Statistics for Economies	2500	54.99
133	XI	Indian Economic Development	2500	84.98
134	XI	Indian Constitution at Work	2500	99.97
135	XI	Pol. Theory II	2500	69.98
136	XI	Introducing Sociology	1000	44.99
137	XI	Understanding Society	2000	44.99
138	XI	Business Studies	4000	114.97
139	XI	Accountancy- Financial Accounting part I	4000	124.97
140	XI	Accountancy- Financial Accounting part II	4000	109.97
141	XI	Psychology	2000	119.97
142	XI	Computer & Communicaion Technology- Part I	1000	139.96
143	XI	Living Craft Tradition of India (Textbook in Heritage Crafts)	2000	119.97
144	XI	The Story of Graphic Design	2000	169.96
145	XI	Human Ecology & Family Science- Part I	2000	159.96
146	XI	Human Ecology & Family Scier.ce- Part II	2000	104.97
147	XI	Computer & Communicaion Technology- Part II	2000	149.96

84

[Handwritten signature]

148	XI	Exploring the Craft Tradition of India	2000	109.97
149	XI	Graphic Design Ek Kahani	2000	169.96
150	XI	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag I	2000	139.96
151	XI	An Introduction to Indian Art	2000	124.97
152	XI	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag II	2000	149.96
153	XII	आरोह भाग-2	35000	69.98
154	XII	वितान भाग-2	35000	39.99
155	XII	Flamingo - English Core	30000	44.99
156	XII	Vistas - English Suppl. Reader Core	30000	39.99
157	XII	भासवती द्वितीयो भाग	15000	34.99
158	XII	गणित भाग-1	13000	114.97
159	XII	गणित भाग-2	13000	129.97
160	XII	जीवविज्ञान	10000	169.96
161	XII	रसायन भाग-1	20000	169.96
162	XII	रसायन भाग-2	20000	114.97
163	XII	भौतिकी भाग-1	20000	169.96
164	XII	भौतिकी भाग-2	20000	139.96
165	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-1	12000	79.98
166	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-2	12000	94.98
167	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-3	12000	114.97
168	XII	मानव भूगोल के मूल सिद्धान्त	12000	64.98
169	XII	भारत - लोग और अर्थव्यवस्था	12000	94.98
170	XII	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य - भाग 2	12000	69.98
171	XII	व्यष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	12000	64.98
172	XII	समष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	12000	64.98
173	XII	समकालीन विश्व राजनीति	12000	99.97
174	XII	स्वतंत्र भारत में राजनीति	12000	124.97
175	XII	भारत में सामाजिक परिवर्तन	10000	89.98
176	XII	भारतीय समाज - समाजशास्त्र	10000	104.97
177	XII	व्यावसाय अध्ययन-1	5000	59.98
178	XII	व्यावसाय अध्ययन-2	5000	49.99
179	XII	अलाभकारी संस्थायें एवं साझेदारी खाते	5000	84.98
180	XII	कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	5000	114.97
181	XII	मनोविज्ञान	3000	99.97
182	XII	Antara Bhag 2 Hir.di Elective	5000	74.98
183	XII	Antara Bhag 2 Hindi Suppl. Elective	5000	29.99
184	XII	Kaleidoscope- English Elective	5000	69.98
185	XII	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	5000	54.99
186	XII	Mathematics Part I	4000	114.97
187	XII	Mathematics Part II	4000	129.97

4

[Handwritten signature]

188	XII	Biology	3000	169.96
189	XII	Chemistry Part I	6000	169.96
190	XII	Chemistry Part II	6000	114.97
191	XII	Physics Part I	6000	169.96
192	XII	Physics Part II	6000	139.96
193	XII	Themes in Indian History Part I	2000	79.98
194	XII	Themes in Indian History Part II	2000	94.98
195	XII	Themes in Indian History Part III	2000	114.97
196	XII	Fundamental of Humam Geography	2000	64.98
197	XII	Practical Work in Georgraphy - Part II	2000	69.98
198	XII	India: People and Economy	4000	94.98
199	XII	Introducing Microeconomics	4000	64.98
200	XII	Introducing Macroeconomics	4000	64.98
201	XII	Contemporary World Politics	2000	99.97
202	XII	Politics in India since Independence	2000	124.97
203	XII	Social Change and Development in India	4000	89.98
204	XII	Indian Society- Sociology	2000	104.97
205	XII	Business Studies I	4000	94.98
206	XII	Business Studies II	4600	79.98
207	XII	Accountancy- I- Not for profit organisation and partnership accounts	4000	99.97
208	XII	Accountancy II- Company Account and Analysis of Financial Statements	4000	114.97
209	XII	Accountancy (Computerised Accounting System for Class- XII)	1500	107.97
210	XII	Phychology	1500	99.97
211	XII	Craft radition of India Textbook in Heritage Craft for Class XII	3000	154.96
212	XII	Towards a New Age of Graphic Design	3000	144.96

- 02- उपर्युक्त सारणी के अनुरूप निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का विक्रय मूल्य, मुद्रक द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक पर यथास्थान बड़े फॉण्ट में अंकित/मुद्रित किया जायेगा।
- 03- प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के कवर पेज पर 12 digit On Line Number अंकित किया जायेगा। पाठ्य पुस्तकवार On Line Number संलग्न हैं। (संलग्नक-1)
- 04- पाठ्य पुस्तकों की DVDs भी कार्यादेश के साथ ही संलग्न कर उपलब्ध करवायी जा रही हैं। मुद्रक सर्वप्रथम DVDs को खोलकर चेक कर लें ताकि बाद में DVDs खुलने से सम्बन्धित कोई समस्या न आये। (संलग्नक-2)
- 05- पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से तैयार किये गये प्राक्कथन की प्रति पाठ्य पुस्तकों में यथास्थान मुद्रित करने के लिए अंग्रेजी (भाषा) के लिए अंग्रेजी, तथा अन्य पाठ्य पुस्तकों के लिए हिन्दी में संलग्न है। (संलग्नक-3, 4)
- 06- पाठ्य पुस्तकों की मोटाई पर जो बाहर की ओर से स्पष्ट रूप से दिखायी दे, "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित करना होगा। पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र : 2019-20" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर सम्बन्धित "पाठ्य पुस्तक का नाम" एवं "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष :


४५



2019-20" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा, इससे एन0सी0ई0आर0टी0 व राज्य सरकार की पुस्तकों में भिन्नता रहेगी।

- 07- प्रकाशक का उल्लेख करते समय उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।
- 08- यदि प्रथम पक्ष को कक्षा 6 से 12 तक की अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा मांग के अनुरूप पाठ्य-पुस्तकें तत्काल प्रथम पक्ष को उपलब्ध करानी होगी।
- 09- प्रथम पक्ष द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड राज्य द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण से पूर्व इन पाठ्य-पुस्तकों की प्रुफ रीडिंग एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड से अवश्य करवानी होगी।
- 10- विगत वर्षों के लिए मुद्रित की गयी पाठ्य पुस्तकों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध न करवाया जाय। ऐसा करने पर फर्म को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
- 11- उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कार्यादेश दोनों पक्षों के मध्य किये गये अनुबन्ध एवं निविदा डाक्यूमेंट में उल्लिखित समस्त शर्तों से आच्छादित रहेगा। दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षरयुक्त अनुबन्ध की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-5)
- 12- अनुबन्ध एवं कार्यादेश को निरस्त करने का अधिकार पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड में सुरक्षित रहेगा।

संलग्नक : यथोपरि।



(आर.क. कुंवर)

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0 : पा.पु./33114-18 /नौ-11(02)/2018-19, दिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल
2. महानिदेशक/अध्यक्ष पाठ्य पुस्तक समिति, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(आर.क. कुंवर)

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

M

अनुभाग- पाठ्य पुस्तक

मैनुअल (2016-17)

क्र.सं.	शासनादेश सं०/आदेश सं/कार्यालय ज्ञाप, अनुबन्ध पत्र
1	एन.सी.ई.आर.टी. कॉपीराइट दिनांक 10 नवम्बर 2016
2	शासनादेश संख्या 2173/XXIV-3)/16/04(1)/2005 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 23 दिसम्बर 2016
3	ई-निविदा विज्ञप्ति 01 दिनांक 28 दिसम्बर 2016
4	ई-निविदा ड्राक्यूमेंट दिनांक 30 दिसम्बर 2016
5	कक्षा 10, 11 एवं 12की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ चयनित फर्म राज इण्टरप्राईजेज एण्ड स्टेशनरी, हल्द्वानी के साथ सम्पन्न अनुबन्ध पत्र दिनांक 6 फरवरी 2017
6	कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ चयनित फर्म दीपक प्रिंटर एण्ड पब्लिशर्स हल्द्वानी के साथ सम्पन्न अनुबन्ध पत्र दिनांक 6 फरवरी 2017
7	कार्यादेश संख्या पा०पु०/1423/नौ-II(36)/2016-17 दिनांक 10 फरवरी 2019
8	कार्यादेश संख्या पा०पु०/1424/नौ-II(36)/2016-17 दिनांक 10 फरवरी 2019



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्



NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL
RESEARCH AND TRAINING

फा. सं. 26-40/2005/प्रकाशन प्रभाग/टी.सी.एस.

प्रकाशन प्रभाग

दिनांक 10.11.2016

सेवा में,

श्री आर.के. कुंवर
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड,
ननूरखेडा, देहरादून
उत्तराखंड - 248 001

विषय: शिक्षा सत्र 2017-18 के लिए कक्षा IX से XII (हिन्दी माध्यम) की समस्त पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण/प्रकाशनार्थ कॉपीराइट प्रदान करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र क्रमांक पा.पु./21906/नौ-11(36)/2016-17. दिनांक 7.10.2016 का संदर्भ लें।

एनसीईआरटी अकादमिक सत्र 2017-18 के लिए कक्षा 9 से 12 तक संविदा में दी गई सूची के अनुसार (79 पाठ्यपुस्तकों) हेतु प्रकाशनाधिकार की अनुमति प्रदान कर रही है।

इस संबंध में यह भी ध्यान रखा जाए कि पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करते समय समान वस्तुसूची एवं संविदा के अनुसार निबन्धन एवं शर्तों का कठोरता से पालन किया जाय।

वर्ष 2017-18 के लिए किए गए संविदा की हस्ताक्षरित प्रति आपके संदर्भ एवं रिकार्ड के लिए संलग्न है। पाठ्यपुस्तकों की सी.डी. संविदानुसार उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी अधिकारी को सी.डी. की प्राप्ति हेतु प्रतिनियुक्त करने से पूर्व कृपया अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से इस संबंध में पुष्टि कर लें।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सधन्यवाद,

भवदीय

संलग्न : उपरोक्त

सिराज अनवर

10/11/2016
(डॉ. एम. सिराज अनवर)

प्रोफेसर एवम अध्यक्ष

DD - 40621

पा.पु. 5

15/11/16

C 88
15/11/16

AD (500) / DD पाठ्यपुस्तक

15.11.2016

99




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK079034245550620
Certificate Issued Date	: 13-Oct-2016 01:11 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1213904/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK1213904156987553374570
Purchased by	: DIRECTOR MADHAYAMIC EDUCATION UTTARAKHAND
Description of Document	: Article Miscellaneous
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: DIRECTOR MADHAYAMIC EDUCATION UTTARAKHAND
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: DIRECTOR MADHAYAMIC EDUCATION UTTARAKHAND
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Handwritten text and signature

Please write or type below this line

AGREEMENT

MEMORANDUM of Agreement made this 17 day of October 2016 between the National Council of Educational Research and Training, NIE Campus, Sri Aurobindo Marg, New Dethi - 110016 (hereinafter called the NCERT) which expression shall, wherever the context so admits, include its legal representatives, successors and assigns of the first party and the Director, Secondary Education Uttarakhand, Nanarkhera, Dehradun (hereinafter called the Licence Holder Publisher) which expression shall, wherever the context so admits, include its successors and assigns of the second party.

Handwritten signature

Handwritten signature (R.K. Kunwar)

Statutory Alert:

Authenticity of the Stamp Certificate should be verified at 'www.shoilestamp.com'. Any discrepancy in the details on this Certificate and as

WHEREAS the Director, Secondary Education Uttarakhand, Nanoorkhera, Dehradun has requested for grant of Copyright for the textbooks mentioned as detailed below, the NCERT grants copyright to State /UT Agency Uttarakhand for the subject books for the academic session 2017-18 in English/Hindi/Urdu languages, subject to the terms and conditions mentioned in this agreement.

S.No.	Name of the textbooks/books	Class
1.	Kshitij Bhag-I	IX
2.	Kritika Bhag-I	IX
3.	Beehive - English Text Book	IX
4.	Moments - English Supplementary Reader	IX
5.	Shemushi prathamo Bhag	IX
6.	Ganit	IX
7.	Vigyan	IX
8.	Bharat Aur Samkalin Vishwa I- Itihas	IX
9.	Samakalin Bharat I- Bhugol	IX
10.	Arthshastra	IX
11.	Loktantrik Rajniti	IX
12.	Nava-e-Urdu	IX
S.No.	Name of the textbooks/books	Class
13.	Kshitij Bhag-II	X
14.	Kritika Bhag-II	X
15.	First Flight - English Text Book	X
16.	Foot Prints without Feet- English Supplementary Reader	X
17.	Shemushi Dwitiya bhag - Sanskrit	X
18.	Ganit	X
19.	Vigyan	X
20.	Bharat Aur Samkalin Vishwa II- Itihas	X
21.	Samakalin Bharat II- Bhugol	X
22.	Arthik Vikas Ki Samajh	X
23.	Loktantrik Rajniti II	X
24.	Nava-e-Urdu	X
S.No.	Name of the textbooks/books	Class
25.	Aroh Bhag-I Hindi Core	XI
26.	Vitan Bhag-I Hindi Suppl. Core	XI
27.	Abhivyakti Aur Madhyam	XI
28.	Hombill - English Core	XI
29.	Snap Shot - English Suppl. Core	XI
30.	Sanskrit - Bhaswati Prathmo Bhag	XI
31.	Ganit	XI
32.	Jeev Vigyan	XI
33.	Rasayan Bhag I	XI
34.	Rasayan Bhag II	XI
35.	Bhautiki Bhag I	XI
36.	Bhautiki Bhag II	XI
37.	Vishva Itihas Ke Kuch Vishay	XI
38.	Bhautik Bhugol Ke Mool Siddhant	XI
39.	Bharat : Bhautik Paryavaran	XI
40.	Bhugol Mein Prayogatmak Karya - Bhag I	XI
41.	Arthashastra Mein Sankhiyiki	XI
42.	Bhartiya Arthvyavastha Ka Vikas	XI
43.	Bharat Ka Samvidhan	XI
44.	Rajniti Siddhant	XI

am
Abhin

Am

R.K. Kuwar
(R.K. Kuwar)

45.	Samajshastra Parichaya	XI
46.	Samaj Ka Bodh	XI
47.	Vyavsaya Adhyayan	XI
48.	Lekhashastra - Vittiya Lekhankar: Bhag I	XI
49.	Lekhashastra - Vittiya Lekhankar: Bhag II	XI
50.	Manovigyan Ka Parichaya	XI
S.No.	Name of the textbooks/books	Class
51.	Aaroh Bhag 2	XII
52.	Vitan Bhag 2	XII
53.	Flamingo - English Core	XII
54.	Vistas - English Suppl. Reader Core	XII
55.	Sanskrit - Bhaswati Dwitiyo Bhag	XII
56.	Ganit Bhag - I	XII
57.	Ganit Bhag - II	XII
58.	Jeev Vigyan	XII
59.	Rasayan Bhag I	XII
60.	Rasayan Bhag II	XII
61.	Bhautiki Bhag I	XII
62.	Bhautiki Bhag II	XII
63.	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas I	XII
64.	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas II	XII
65.	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas III	XII
66.	Manav Bhoogol Ke Mool Sidhant	XII
67.	Bharat - Log Aur Arthavyavastha	XII
68.	Bhugol Mein Prayogatmak Karya - Bhag II	XII
69.	Vyashti Arthashastra - Ek parichay	XII
70.	Samashti Arthashastra - Ek parichay	XII
71.	Samkalin Vishwa Rajniti	XII
72.	Swatantra Bharat Mein Rajniti	XII
73.	Bharat Mein Samajik Parivartan	XII
74.	Bhartiya Samaj - Samajshastra	XII
75.	Vyavsaya Adhyayan I	XII
76.	Vyavsaya Adhyayan II	XII
77.	Lekhashastra - Alabhkari Sans:hayen evam Sajhedari Khatay	XII
78.	Lekhashastra - Kampany Khatay Evam Vittiya Vivranon Ka Vishleshan	XII
79.	Manovigyan	XII

The NCERT is the sole owner of copyright of the WORK and is desirous of having it published by the Director, Secondary Education Uttarakhnad, Nanoorkhera, Dehradun (Name of the Licence Holder Board/Agency) on the terms and conditions specified here below:

1. The permission of the Council shall be granted for adoption of each book in entirety each year separately for the latest curriculum/syllabi.
2. In case any new chapter/lesson is introduced/incorporated by the licence holder State agency, subject to approval by NCERT, the said portion should be marked and separated by fly leaf clearly demarcating the original NCERT text and the additional matter incorporated by the licence holder. The details of such incorporated portion should be mentioned on the prelim pages as well. Further no new chapter/lesson is to be introduced/incorporated without obtaining prior approval of the NCERT. The Licence Holder State Agency shall indemnify and keep the NCERT indemnified, for all times, against liability, suit, claims, or any kind of litigation ensuring and resulting from the

am
Prain

Amrit
[Signature]
(R-K. Kumar)

additional matter incorporated or from translation from the original English version by the Licence Holder to any regional language(s).

3. The sale and distribution of the adopted edition of the NCERT books should be confined to the respective licence holder State/UT only.
4. The licence holder State/UT will be the licence holder of the adopted/adapted edition of NCERT books. In no circumstances the publishing rights be transferred to any other agency. The copyright of the title will exclusively vest with the NCERT, notwithstanding adaptation in the books by the licence holder. A mention of NCERT copyright availed by the licence holder on the imprint page along with NCERT logo be printed by the State/UTs.
5. The sale price of the edition produced by the licence holder State/UT agency should be at par with the corresponding English/Hindi/Urdu edition of the NCERT as far as possible. Variation in price, if any, should not be more than 10% of the sale price of the corresponding NCERT edition. If the license holder State/UT wants to translate the books into their regional language(s), they shall obtain prior permission from NCERT.
 - i) However, the NCERT will not be responsible for the accuracy, quality and contents of the translated version of the textbooks.
 - ii) Therefore, a Committee may be constituted by the State concerned to check the quality of the translated version and NCERT will provide academic experts to this Committee including a member from the NCERT. These experts will be nominated from subject areas as per requirement
6. The cover of the license holder State/UT edition will be distinctly different from the book cover of NCERT editions. The license holder State/UT agency shall not allow any other party to reproduce any portion from their edition of NCERT textbooks.
7. Due acknowledge should be given to the author(s) of the book(s) and the NCERT at a prominent place in the licence holder State Government editions/UT Agency edition, preferably on the inner title page/imprint page. The title page should also highlight the collaboration of NCERT with the State Government/agency prominently. Further, the Copyright of the NCERT shall clearly be printed on the imprint page of each copy of the book.
8. The production quality of printing, illustrations, layout, size, etc. should be reasonably good. Only good quality of printing paper including cover paper should be used, such as 80 GSM text paper and 220 GSM Cover Paper. Other technical guidelines should be at par with NCERT norms.
9. The NCERT shall be informed by the licence holder State/UT the number of copies proposed to be printed by them for each edition in the following format. Two complementary copies of each edition of the books are to be sent to the Head, Publication Division, NCERT for evaluation of the quality with reference to Clause 8 of the agreement.

am
Kain.

M. J. Khan

[Signature]
(R-K-Khan)

The Details of royalty of the academic year/session 2016-17

S.N.	Class	Name of the title	Enrolment figures for the year	MRP	Quantity printed during the year	Total
					2016-17	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	IX	Kshitij Bhag-I	39000	53.35	25400	67754.50
2	IX	Kritika Bhag-I	38000	24.25	22350	27099.38
3	IX	Beehive - English Text Book	30000	63.05	23100	72822.75
4	IX	Moments - English Supplementary Reader	31000	33.95	17850	30300.38
5	IX	Shemushi prathamo Bhag	22000	48.50	15200	36860.00
6	IX	Ganit	29000	130.95	34100	223269.72
7	IX	Vigyan	30000	106.70	21650	115502.75
8	IX	Bharat Aur Samkalin Vishwa I- Itihas	25000	92.15	16710	76991.33
9	IX	Samakalin Bharat I- Bhugol	27000	48.50	17700	42922.50
10	IX	Arthshastra	25000	43.65	18100	39503.25
11	IX	Loktantrik Rajniti	19000	77.60	18200	70616.00
12	IX	Nava-e-Urdu	1000	29.10	0	0.00
13	X	Kshitij Bhag-II	28000	58.19	16200	47133.90
14	X	Kritika Bhag-II	29000	29.10	17200	25026.00
15	X	First Flight - English Text Book	27000	67.89	15000	50917.50
16	X	Foot Prints without Feet- English Supplementary Reader	26000	33.95	15100	25632.25
17	X	Shemushi Dwitiya bhag - Sanskrit	17000	58.19	13000	37823.50
18	X	Ganit	25000	135.79	18000	122211.00
19	X	Vigyan	27000	130.94	18050	118173.35
20	X	Bharat Aur Samkalin Vishwa II- Itihas	19000	101.84	13900	70778.80
21	X	Samakalin Bharat II- Bhugol	21000	63.04	15000	47280.00
22	X	Arthik Vikas Ki Samajh	19000	63.04	14100	44443.20
23	X	Loktantrik Rajniti II	20000	77.59	12100	46941.95
24	X	Nava-e-Urdu	1000	58.19	0	0.00
25	XI	Aroh Bhag-I Hindi Core	24000	63.06	20000	63060.00
26	XI	Vitan Bhag-I Hindi Suppl. Core	24000	24.26	10000	12130.00
27	XI	Abhivyakti Aur Madhyam	3000	140.68	0	
28	XI	Hornbill - English Core	24000	48.51	20000	48510.00
29	XI	Snap Shot - English Suppl. Core	24000	33.96	10000	16980.00
30	XI	Sanskrit - Bhaswati Prathmo Bhag	7000	58.21	5000	14552.50
31	XI	Ganit	8000	174.64	5000	43660.00
32	XI	Jeev Vigyan	4000	194.04	4000	38808.00
33	XI	Rasayan Bhag I	7000	150.38	5000	37595.00
34	XI	Rasayan Bhag II	6000	101.87	5000	25467.50
35	XI	Bhautiki Bhag I	7000	126.13	5000	31532.50
36	XI	Bhautiki Bhag II	6000	101.87	5000	25467.50
37	XI	Vishva Itihas Ke Kuch Vishay	3000	135.83	2500	16978.75
38	XI	Bhautik Bhugol Ke Mool Siddhant	5000	77.62	5000	19405.00

am
Again

My 1/2/17
[Signature]

S.N.	Class	Name of the title	Enrolment figures for the year	MRP	Quantity printed during the year	Total
					2016-17	Amount
39	XI	Bharat : Bhautik Paryavaran	5000	43.66	3000	6549.00
40	XI	Bhugol Mein Prayogatmak Karya - Bhag I	4000	77.62	5000	19405.00
41	XI	Arthashastra Mein Sankhiyiki	7000	53.36	5000	13340.00
42	XI	Bhartiya Arthvyavastha Ka Vikas	7000	82.47	5000	20617.50
43	XI	Bharat Ka Samvidhan	6000	97.02	5000	24255.00
44	XI	Rajniti Siddhant	7000	58.21	5000	14552.50
45	XI	Samajshastra Parichaya	3000	43.66	0	0.00
46	XI	Samaj Ka Bodh	3000	43.66	0	0.00
47	XI	Vyavsaya Adhyayan	1000	67.91	0	0.00
48	XI	Lekhashastra - Vittiya Lekhankan Bhag I	1000	72.77	0	0.00
49	XI	Lekhashastra - Vittiya Lekhankan Bhag II	1000	67.91	0	0.00
50	XI	Manovigyan Ka Parichaya	1000	116.42	0	0.00
51	XII	Aaroh Bhag 2	26000	67.91	11700	39727.35
52	XII	Vitan Bhag 2	24000	38.81	12950	25129.48
53	XII	Flamingo - English Core	22000	43.66	14900	32526.70
54	XII	Vistas - English Suppl. Reader Core	22000	38.81	13450	26099.73
55	XII	Sanskrit - Bhaswati Dwitiyo Bhag	10000	33.96	6000	10188.00
56	XII	Ganit Bhag - I	11000	111.57	7050	39328.43
57	XII	Ganit Bhag - II	9000	126.13	7100	44776.15
58	XII	Jeev Vigyan	5000	164.94	4000	32988.00
59	XII	Rasayan Bhag I	6000	164.94	3950	32575.65
60	XII	Rasayan Bhag II	4000	111.57	3950	22035.08
61	XII	Bhautiki Bhag I	5000	164.94	3000	24741.00
62	XII	Bhautiki Bhag II	3000	135.83	3000	20374.50
63	XII	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas I	3000	72.77	2000	7277.00
64	XII	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas II	2000	82.47	2600	10721.10
65	XII	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas III	2000	111.55	2000	11155.00
66	XII	Manav Bhoogol Ke Mool Sidhant	2000	63.06	4000	12612.00
67	XII	Bharat - Log Aur Arthavyavastha	4000	92.17	4000	18434.00
68	XII	Bhugol Mein Prayogatmak Karya - Bhag II	4000	67.91	2000	6791.00
69	XII	Vyashti Arthashastra - Ek parichay	4000	63.06	4100	12927.30
70	XII	Samashti Arthashastra - Ek parichay	4000	63.06	4800	15134.40
71	XII	Samkalin Vishwa Rajniti	8000	97.00	4710	22843.50
72	XII	Swatantra Bharat Mein Rajniti	8000	121.28	4650	28197.60
73	XII	Bharat Mein Samajik Parivartan	2000	101.87	0	0.00
74	XII	Bhartiya Samaj - Samajshastra	3000	101.87	1800	9168.30
75	XII	Vyavsaya Adhyayan I	1000	92.17	0	0.00
76	XII	Vyavsaya Adhyayan II	1000	48.51	0	0.00

an
Main

Madan

ded

S.N.	Class	Name of the title	Enrolment figures for the year	MRP	Quantity printed during the year	Total
					2016-17	Amount
77	XII	Lekhashastra – Alabhikari Sansthayen evam Sajhedari Khatey	1000	82.47	0	0.00
78	XII	Lekhashastra – Kampany Khatey Evam Vittiya Vivranon Ka Vishleshan	1000	97.02	0	0.00
79	XII	Manovigyan	1000	121.28	0	0.00
Total			3000	200.77	0	0.00

The request for granting copyright to the licence holder State/UTs shall be entertained only after clearing the royalty due pertaining to the previous year.

10. Licence Holder State/UTs agencies will have to pay licence fee on the total values of their print order to NCERT as per details given below:

Class	Adoption/adaption in English/Hindi and Urdu	Translation in languages other than English, Hindi and Urdu
IX – XII	5%	5%

11. The Word 'Copyright' for the listed textbooks/books including the right of the translation in regional languages will vest with the NCERT in perpetuity.
12. If any difference or dispute arises between Director, Secondary Education Uttarakhand, Nanoorkhera, Dehradun (Second party) and the NCERT (first party) relating to this Agreement, either party may approach the Secretary, NCERT and the matter will be referred to a sole arbitrator appointed by the Secretary, NCERT (first party) and the award given by the sole arbitrator will be final and binding on both the parties. Both the parties further agree that all disputes/claims shall be subject to the jurisdiction of Courts in Delhi only.
13. In case of any dispute arising out of this Agreement such dispute will not be allowed to hamper the publication of the mentioned textbooks/books and the NCERT in such eventuality will proceed with the publication pending the arbitration of the dispute.

as
Again

Mishra

[Signature]
(R. K. Kumar)

Now, it is hereby mutually agreed the above mentioned terms and conditions.

I, Director, Secondary Education Uttarakhand, Nanoorkhera, Dehradun after reading the above mentioned Terms and Conditions and having understood the content of this Agreement do sign it on this day 17. of October 2016.

Witness

1.

([Signature])
Joint Director
Secondary Education Uttarakhand
Nanoorkhera, Dehradun

Signature;

([Signature])
(R. K. Kunwar)
Director

Secondary Education Uttarakhand
Nanoorkhera,
Dehradun-248001, Uttarakhand

2.

([Signature])
(J. P. YADAV)
Deputy Director
Secondary Education Uttarakhand
Nanoorkhera, Dehradun

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
नैनोकरा, देहरादून

I, [Signature] SRIVASTAVA, Secretary, NCERT, on behalf of NCERT do sign this Agreement on this day 17 of Nov. 2016

Witness

1.

Signature;

([Signature])

Name; SRIVASTAVA SRIVASTAVA

Address: _____

2.

([Signature])
Asain

सचिव/Secretary
एन. सी. ई. आर. टी. / N. C. E. R. T.
श्री अरविन्द मारु (Sri Aravindo Maru)
एन. सी. ई. आर. टी. / N. C. E. R. T.

(Official Stamp)

संख्या: 2173/XXIV-3/16/02(145-12816) 04(1) 2005

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निर्देशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 23 दिसम्बर, 2016

विषय: शिक्षा सत्र 2017-18 में राज्य के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में कक्षा IX से XII तक अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु पाठ्य-पुस्तक मुद्रण एवं मुद्रित पाठ्य-पुस्तकें खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ई-निविदा की शर्तों के निर्धारण सम्बन्धी प्रारूप को अनुमोदित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- पा0पु0/24177-78/नौ-II(36)/2016-17, दिनांक: 04 नवम्बर, 2016 तथा पत्रांक- पा0पु0/28186/नौ-II(36)/2016-17, दिनांक: 16 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षा सत्र 2017-18 में राज्य के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में कक्षा IX से XII में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु पाठ्य-पुस्तक मुद्रण एवं मुद्रित पाठ्य-पुस्तकें खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ई-निविदा की शर्तों के निर्धारण सम्बन्धी प्रारूप को दिनांक: 02.11.2016 को अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त दिनांक: 15 नवम्बर, 2016 (प्रति संलग्न) के निर्णयानुसार आवश्यक संशोधन करते हुए निविदा निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,
ह.प.म.
(महिमा)
उप सचिव

निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून


विज्ञापित संख्या : पा.पु./ 01 /नौ-II(36)/2016-17, दिनांक 28 दिसम्बर 2016,

"ई-निविदा - कागज सहित मुद्रण"

शिक्षा सत्र 2017-18 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यनरत् छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा IX से XII की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (उत्तराखण्ड के सभी जनपद) में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकृत अनुभवी मुद्रकों, जिन्हें विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2011-12 से 2015-16) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव हो, से ई-निविदा के माध्यम से Online तकनीकी एवं वित्तीय बिड निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	विवरण/कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
(1)	(2)	(3)
01	वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर टेण्डर डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने की तिथि	30 दिसम्बर 2016 11.30 AM
02	प्री-बिड कार्यशाला	04 जनवरी 2017 11.30 AM
03	तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने की अन्तिम तिथि	07 जनवरी 2017, 10.00 AM से 19 जनवरी 2017, 5.00 PM तक
04	निम्नलिखित को तीन पृथक-पृथक लिफाफों में बन्द करके तथा तीनों का एक चौथे लिफाफे में सील कर निदेशालय में उपलब्ध करवाने की अन्तिम तिथि लिफाफा संख्या-01 <ul style="list-style-type: none"> • निविदा आवेदन पत्र शुल्क : 2500.00 (दो हजार पाँच सौ) • वैट 14%: रू0 350-00 (रू0 तीन सौ पाचास) • अर्नेस्टमनी (EMD) • निविदा शुल्क वापस नहीं होगी। लिफाफा संख्या-02 <ul style="list-style-type: none"> • निविदादाता द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित "मॉडल बुक : 2016-17" की पांच प्रतियाँ, लिफाफा संख्या-03 <ul style="list-style-type: none"> • 80 एवं 220 GSM कागज के नमूनों की A-4 साईज की 40-40 शीटें 	21 जनवरी 2017, 5.00 PM तक
05	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	23 जनवरी 2017, 11.00 AM
06	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड खोलने के बाद घोषित की जायेगी।

2. ई-निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास Digital Signature Certificate (DSC) होना अनिवार्य है। किसी भी जानकारी के लिए टॉल-फ्री नम्बर-18002662277 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
3. प्री-बिड कार्यशाला निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित की जायेगी, जिसमें सभी इच्छुक निविदादाता भाग ले सकते हैं।
4. ई-निविदा के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने के लिए निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.uktenders.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।


 दिनांक 2016
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,

(2)

निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
कक्षा IX से XII की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण
शिक्षा सत्र : 2017-18

ई-निविदा - कागज सहित मुद्रण

(निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्तें)

भाग - एक

खण्ड : (क) - ई-निविदा "मुद्रण"

शिक्षा सत्र 2017-18 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा IX से XII की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (उत्तराखण्ड के सभी जनपद) में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकृत अनुभवी मुद्रकों, जिन्हें विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2011-12 से 2015-16) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव हो, से ई-निविदा के माध्यम से Online तकनीकी एवं वित्तीय बिड निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	विवरण/कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
(1)	(2)	(3)
01	वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर टेण्डर डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने की तिथि	30 दिसम्बर 2016 11.30 AM
02	प्री-बिड कार्यशाला	04 जनवरी 2017 11.30 AM
03	तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने की अन्तिम तिथि	07 जनवरी 2017, 10.00 AM से 19 जनवरी 2017, 5.00 PM तक
04	निम्नलिखित को तीन पृथक-पृथक लिफाफों में बन्ध करके तथा तीनों को एक चौथे लिफाफे में सील कर निदेशालय में उपलब्ध करवाने की अन्तिम तिथि लिफाफा संख्या-01 <ul style="list-style-type: none"> • निविदा आवेदन पत्र शुल्क : 2500.00 (दो हजार पाँच सौ) • वैट 14%: रू0 350-00 (रू0 तीन सौ पाचास) • अर्नेस्टमनी (EMD) • निविदा शुल्क वापस नहीं होगी। लिफाफा संख्या-02 <ul style="list-style-type: none"> • निविदादाता द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित "मॉडल बुक : 2017-18" की पांच प्रतियां, लिफाफा संख्या-03 <ul style="list-style-type: none"> • 80 एवं 220 GSM कागज के नमूनों की A-4 साईज की 40-40 शीटें 	21 जनवरी 2017 5.00 PM तक
05	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	23 जनवरी 2017, 11.00 AM
06	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड खोलने के बाद घोषित की जायेगी।

2. ई-निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास Digital Signature Certificate (DSC) होना अनिवार्य है। किसी भी जानकारी के लिए टॉल-फ्री नम्बर-18002662277 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
3. प्री-बिड कार्यशाला निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित की जायेगी, जिसमें सभी इच्छुक निविदादाता भाग ले सकते हैं।
4. ई-निविदा के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने के लिए निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.uktenders.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

खण्ड : (ख) – "कार्य का विवरण"

5. कक्षा IX से XII की कक्षाओं के लिए जो पाठ्य पुस्तकें मुद्रित की जानी है उनका विवरण निम्नवत् है। मुद्रणार्थ संख्या अनुमानित है-

क्र०	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पृष्ठों की संख्या	पुस्तकों की अनुमानित संख्या (जो घट-बढ़ सकती है)	NCERT/ विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य	मुद्रण	
						टैक्टस पेपर	आवरण पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IX	क्षितिज भाग-1	152	35000	55.00	चार रंग में	चार रंग में
2	IX	कृतिका भाग-1	72	33000	25.00	चार रंग में	चार रंग में
3	IX	Beehive - English Text Book	156	27000	65.00	चार रंग में	चार रंग में
4	IX	Moments - English Suppl. Reader	80	26000	35.00	चार रंग में	चार रंग में
5	IX	शेमुशी प्रथमो भाग	108	21000	50.00	चार रंग में	चार रंग में
6	IX	गणित	420	27000	135.00	चार रंग में	चार रंग में
7	IX	विज्ञान	268	26000	110.00	चार रंग में	चार रंग में
8	IX	भारत और समकालीन विश्व I-इतिहास	192	20000	115.00	चार रंग में	चार रंग में
9	IX	समकालीन भारत I-भूगोल	76	21000	50.00	चार रंग में	चार रंग में
10	IX	अर्थशास्त्र	60	19000	45.00	चार रंग में	चार रंग में
11	IX	लोकतांत्रिक राजनीति-I	136	14000	80.00	चार रंग में	चार रंग में
12	IX	नवा-ए-उर्दू		1000	115.00	चार रंग में	चार रंग में
13	IX	कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास	96	68000	28.00	चार रंग में	चार रंग में
14	IX	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	96	68000	30.00	चार रंग में	चार रंग में
योग				406000	938.00	चार रंग में	चार रंग में
15	X	क्षितिज भाग-2	144	23000	60.00	चार रंग में	चार रंग में
16	X	कृतिका भाग-2	64	24000	30.00	चार रंग में	चार रंग में
17	X	First Flight - English Text Book	172	23000	70.00	चार रंग में	चार रंग में
18	X	Foot Prints without Feet	88	22000	35.00	चार रंग में	चार रंग में
19	X	शेमुशी द्वितीया भाग	122	16000	60.00	चार रंग में	चार रंग में
20	X	गणित	416	22000	140.00	चार रंग में	चार रंग में
21	X	विज्ञान	336	23000	135.00	चार रंग में	चार रंग में
22	X	भारत और समकालीन विश्व II-इतिहास	212	14000	125.00	चार रंग में	चार रंग में
23	X	समकालीन भारत II-भूगोल	116	15000	55.00	चार रंग में	चार रंग में
24	X	आर्थिक विकास की समझ	104	13000	65.00	चार रंग में	चार रंग में
25	X	लोकतांत्रिक राजनीति-II	124	16000	80.00	चार रंग में	चार रंग में
26	X	नवा-ए-उर्दू		1000	80.00	चार रंग में	चार रंग में
27	X	कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास	94	68000	28.00	चार रंग में	चार रंग में

28	X	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	92	47000	30.00	चार रंग में	चार रंग में
योग				327000	1003.00	चार रंग में	चार रंग में
29	XI	आरोह भाग-1	196	24000	65.00	चार रंग में	चार रंग में
30	XI	वितान भाग-1	72	21000	25.00	चार रंग में	चार रंग में
31	XI	अभिव्यक्ति और माध्यम	220	2000	145.00	चार रंग में	चार रंग में
32	XI	Hornbill - English Core	128	24000	50.00	चार रंग में	चार रंग में
33	XI	Snapshot - English Suppl. Core	88	21000	35.00	चार रंग में	चार रंग में
34	XI	भास्वती प्रथमो भाग	104	7000	60.00	चार रंग में	चार रंग में
35	XI	गणित	504	7000	180.00	चार रंग में	चार रंग में
36	XI	जीव विज्ञान	352	4000	200.00	चार रंग में	चार रंग में
37	XI	रसायन भाग-1	260	7000	155.00	चार रंग में	चार रंग में
38	XI	रसायन भाग-2	179	6000	105.00	चार रंग में	चार रंग में
39	XI	भौतिकी भाग-1	252	7000	130.00	चार रंग में	चार रंग में
40	XI	भौतिकी भाग-2	199	7000	105.00	चार रंग में	चार रंग में
41	XI	विश्व इतिहास के कुछ विषय	268	3000	155.00	चार रंग में	चार रंग में
42	XI	भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त	164	6000	80.00	चार रंग में	चार रंग में
43	XI	भारत : भौतिक पर्यावरण	116	4000	55.00	चार रंग में	चार रंग में
44	XI	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग-1	132	4000	30.00	चार रंग में	चार रंग में
45	XI	अर्थशास्त्र में सांख्यिकी	144	6000	55.00	चार रंग में	चार रंग में
46	XI	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास	226	6000	85.00	चार रंग में	चार रंग में
47	XI	भारत का संविधान	256	6000	100.00	चार रंग में	चार रंग में
48	XI	राजनीति सिद्धान्त	164	6000	70.00	चार रंग में	चार रंग में
49	XI	समाज शास्त्र परिचय	128	3000	45.00	चार रंग में	चार रंग में
50	XI	समाज का बोध	124	3000	45.00	चार रंग में	चार रंग में
51	XI	व्यवसाय अध्ययन	340	1000	70.00	चार रंग में	चार रंग में
52	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-1	368	1000	75.00	चार रंग में	चार रंग में
53	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-2	323	1000	70.00	चार रंग में	चार रंग में
54	XI	मनोविज्ञान का परिचय	224	1000	120.00	चार रंग में	चार रंग में
55	XI	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	160	1000	65.00	चार रंग में	चार रंग में
योग				189000	2425.00	चार रंग में	चार रंग में
56	XII	आरोह भाग-2	168	21000	70.00	चार रंग में	चार रंग में
57	XII	वितान भाग-2	96	20000	40.00	चार रंग में	चार रंग में
58	XII	Flamingo - English Core	116	18000	45.00	चार रंग में	चार रंग में
59	XII	Vistas - English Suppl. Reader Core	112	18000	40.00	चार रंग में	चार रंग में
60	XII	भास्वती द्वितीयो भाग	104	8000	35.00	चार रंग में	चार रंग में
61	XII	गणित भाग-1	132	8000	115.00	चार रंग में	चार रंग में
62	XII	गणित भाग-2	316	8000	130.00	चार रंग में	चार रंग में
63	XII	जीवविज्ञान	324	4000	170.00	चार रंग में	चार रंग में
64	XII	रसायन भाग-1	308	5000	170.00	चार रंग में	चार रंग में
65	XII	रसायन भाग-2	199	3000	115.00	चार रंग में	चार रंग में
66	XII	भौतिकी भाग-1	324	3000	170.00	चार रंग में	चार रंग में
67	XII	भौतिकी भाग-2	271	2000	140.00	चार रंग में	चार रंग में
68	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-1	128	3000	80.00	चार रंग में	चार रंग में
69	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-2	155	2000	95.00	चार रंग में	चार रंग में
70	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-3	167	2000	115.00	चार रंग में	चार रंग में
71	XII	मानव भूगोल के मूल सिद्धान्त	120	3000	65.00	चार रंग में	चार रंग में
72	XII	भारत - लोग और अर्थव्यवस्था	348	5000	95.00	चार रंग में	चार रंग में

73	XII	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य - भाग 2	208	2000	50.00	चार रंग में	चार रंग में
74	XII	व्यष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	187	5000	65.00	चार रंग में	चार रंग में
75	XII	समष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	128	5000	65.00	चार रंग में	चार रंग में
76	XII	समकालीन विश्व राजनीति	168	6000	100.00	चार रंग में	चार रंग में
77	XII	स्वतंत्र भारत में राजनीति	161	6000	125.00	चार रंग में	चार रंग में
78	XII	भारत में सामाजिक परिवर्तन	199	2000	105.00	चार रंग में	चार रंग में
79	XII	भारतीय समाज - समाजशास्त्र	180	2000	105.00	चार रंग में	चार रंग में
80	XII	व्यवसाय अध्ययन-1	172	1000	60.00	चार रंग में	चार रंग में
81	XII	व्यवसाय अध्ययन-2	260	1000	50.00	चार रंग में	चार रंग में
82	XII	अलाभकारी संस्थायें एवं साझेदारी खाते	288	1000	85.00	चार रंग में	चार रंग में
83	XII	कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	124	1000	100.00	चार रंग में	चार रंग में
84	XII	मनोविज्ञान	172	1000	125.00	चार रंग में	चार रंग में
85	XII	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	104	1000	50.00	चार रंग में	चार रंग में
योग				167000	2775.00	चार रंग में	चार रंग में
महायोग				1089000	7141.00		

6. सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न करने के लिए कार्यादेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 02 (दो) माह का समय दिया जायेगा।
7. कार्य पूर्ण करने का तात्पर्य राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित कर निर्धारित समयान्तर्गत खुले बाजार में राज्य के समस्त 13 जनपदों के पुस्तक-विक्रेताओं के पास बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने से है। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से ही कार्य पूर्ण नहीं समझा जायेगा।
8. पत्राचार हेतु पता :

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
तपोवन मार्ग, ननूरखेड़ा,
देहरादून (उत्तराखण्ड)-248008

E-Mail : textbook109@gmail.com
Fax No : 0135- 2781903
Phone No : 0135- 2781440

खण्ड : (ग) – “निविदा की मुख्य शर्तें”

9. सशर्त निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. निविदादाता द्वारा एक अथवा एक से अधिक सेटों (कक्षाओं) के लिए केवल एक निविदा डालनी होगी।
11. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड “प्रपत्र क” में एवं वित्तीय बिड BOQ (Bill of Quantity) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता (मुद्रक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) के द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
12. **निविदा आवेदन पत्र शुल्क** : निविदा आवेदन पत्र शुल्क रुपये 2500.00 (दो हजार पांच सौ) तथा वैट रू0 350-00 (रू0 तीन सौ पचास) निर्धारित है। निविदा आवेदन-पत्र शुल्क एवं वैट शुल्क के पृथक-पृथक दो बैंक ड्राफ्ट निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से जो देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम से देय हो, उपलब्ध करवाये जाने हैं।
13. **धरोहर राशि (EMD)** : निविदादाताओं द्वारा अर्नेस्ट मनी (EMD) की धनराशि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी जो देहरादून में देय हो, के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी। धरोहर राशि निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 06 (छः) माह के लिए वैध होनी चाहिए। असफल (अनर्ह) निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदाओं की अस्वीकृति के तुरन्त बाद उन्हें वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि निदेशालय में जमा रहेगी, जिसे उनकी सुरक्षा धनराशि (Security Money) में समायोजित कर दिया जायेगा। एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा को वापस लेने अथवा सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि तक आवश्यक करार निष्पादित न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। धरोहर राशि के पृष्ठ भाग में फर्म का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करने होंगे। कक्षावार वर्गीकृत पाठ्य पुस्तकों के सेटों के लिए सेटवार निर्धारित मूल्य एवं EMD का विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	कक्षा	पाठ्य पुस्तकों की सेटों का विवरण	प्रति सेट निर्धारित मूल्य (In Rs.)	EMD (In Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IX	पाठ्य पुस्तकों कक्षा-IX	938	4,47,100.00
2.	X	पाठ्य पुस्तकों कक्षा-X	1003	3,97,400.00
3.	XI	पाठ्य पुस्तकों कक्षा-XI	2425	2,83,300.00
4.	XII	पाठ्य पुस्तकों कक्षा-XII	2775	2,60,500.00
योग				13,88,300.00

14. **सुरक्षा धनराशि (Security Money)**- सफल निविदादाता द्वारा कुल कार्य मूल्य की 10% सुरक्षा धनराशि (सिक्योरिटी मनी), जिसमें तकनीकी बिड के साथ दी गयी अर्नेस्टमनी समाहित हो, का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चैक/एन0एस0सी0/बैंक गारण्टी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से जमा करनी होगी, जिसे पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती, संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर वापस किया जायेगा। **सुरक्षा धनराशि कार्य के सम्पादनार्थ निदेशालय द्वारा फर्म को भेजी गयी चयन की सूचना की तिथि के बाद बनी होनी चाहिए तथा बनने की तिथि से कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए।**

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

15. पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन निविदादाता/निविदादाताओं को चयनित/अधिकृत किया जायेगा जिनकी दरें न्यूनतर (L-1) होंगी। निविदादाता/निविदादाताओं द्वारा पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित मानकों को दृष्टिगत रखते हुए दरें दीं जानी हैं। प्राप्त निविदा को अंतिम रूप देते समय न्यूनतम दर के साथ-साथ पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों से कमतर गुणवत्ता मान्य नहीं होगी। इसके लिए उन समस्त मानकों/निर्देशों पर ध्यान दिया जायेगा जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता के लिए कॉपीराइट में उल्लेखित है।
16. चयनित निविदादाता द्वारा निर्धारित दर के अतिरिक्त अनुबन्ध करते समय अथवा अनुबन्ध करने के बाद अथवा कार्यादेश जारी होने के बाद किसी प्रकार के कर को जोड़ने अथवा फार्म-C अथवा अन्य कोई भी फार्म, जिसके द्वारा सरकार से कर आदि के भुगतान में कोई छूट प्राप्त होती हो, की मांग नहीं की जायेगी। निदेशालय द्वारा इस प्रकार से की गयी मांग को मान्य नहीं किया जायेगा। केवल अपलोड प्रपत्र ही मान्य होंगे।
17. निविदा की समस्त अधिप्राप्तियां Procurement नियमावली 2008 सपटित यथासंशोधित 2015 के अनुसार ही की जायेगी। उद्योग निदेशालय/विभाग में जिस सेवा या उत्पाद के लिए पंजीकरण हो, उसी सेवा/उत्पाद के लिये ही निविदा मान्य की जायेगी। प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों तथा प्रदत्त सेवाओं को शासकीय क्रय में मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 261/VII-2-14/143 उद्योग/2003 देहरादून दिनांक 19 मार्च 2014 के द्वारा पूर्व में जारी शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुये शासकीय Procurement में निविदा के समय वरीयता प्रदान की जायेगी। शासकीय क्रय में मूल्य/क्रय वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन/पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा, जो सभी निविदादाताओं को मान्य होगा। वरीयता प्राप्त करने के लिये EM2 का प्रमाण-पत्र देना होगा, जिसका पंजीकरण उद्योग निदेशालय में होना आवश्यक है।
18. निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनायें यथास्थान स्पष्ट पठनीय लेख में उल्लिखित हो, एवं आवेदन-पत्र में दी गयी संलग्नक संख्या के क्रम में संलग्नक Online Upload हो। आवेदन-पत्र में जो बिन्दु मुद्रक से सम्बन्धित न हो उसे काट दिया जाय/खाली न छोड़ा जाय। मात्र Online Uploaded निविदा प्रपत्र एवं संलग्नकों पर ही समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
19. निविदादाता द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली/विभाग द्वारा निर्धारित दरों से 10 प्रतिशत अधिक अथवा कम होना अनुमन्थ होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदादाता को तकनीकी रूप से अनर्ह (असफल) समझा जायेगा।
20. वित्तीय बिड (BOQ) में दरों की अंकना करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को कक्षावार चार सेटों (IX to XII) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेट में सम्बन्धित कक्षा की सभी पाठ्य पुस्तकों को समाहित किया गया है। एन0सी0ई0आर0टी0/विभाग द्वारा पाठ्य पुस्तकवार जो दरें निर्धारित की गयी हैं उन्हें कक्षावार (कक्षा की समस्त पाठ्य पुस्तकें) जोड़कर सेट के लिए दर निर्धारित की गयी है। निविदादाता द्वारा सेटवार निर्धारित दरों के सापेक्ष सेटवार दरें दी जानी हैं। इस प्रकार पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ सेटवार जितनी प्रतिशत कम दर दी जायेगी उसी दर के अनुरूप (अनुपात में) सम्बन्धित कक्षा की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिए निविदादाता द्वारा दी गयी दर समझी जायेगी।

21. निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2016-17 के लिए पाठ्य पुस्तकों की दी गयी दरों को संशोधित किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित मूल्य के अनुपात में निविदा प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित किया जायेगा।
22. **पाठ्य पुस्तकों पर दी जाने वाली रॉयल्टी**— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक : F.No.-26-40/2005 – Pub.(TCS) दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के लिए 5% रॉयल्टी का भुगतान NCERT नई दिल्ली के लिये किया जायेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड की पाठ्य पुस्तकों पर एक समान रॉयल्टी देय होगी। शिक्षा सत्र के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा यदि रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार ही फर्मों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।
23. चयनित फर्म/फर्मों द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के कुल मूल्य पर 5% (पांच प्रतिशत) रॉयल्टी दी जानी है। रॉयल्टी ड्राफ्ट के माध्यम से, जो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से बना हो, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करवायी जानी है। रॉयल्टी का ड्राफ्ट देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में देय होना चाहिए।
24. चयनित फर्म को पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करते समय यह लिख कर देना होगा कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
25. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज के मानक एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे।
- पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में टेक्स्ट पेपर के लिए Maplitho Paper 80 GSM टाइप "A" नवीनतम संशोधित ISI मार्क 1848/2007 के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा।
 - आवरण पृष्ठ के लिए आर्ट कार्ड 220 GSM., नवीनतम संशोधित BIS specification 4658/1988 के निर्धारित मानकों का कागज प्रयोग में लाया जायेगा।
26. कागज के नमूनों के लिए निर्धारित मानकानुसार बिना वाटरमार्क 80 GSM एवं 220 GSM कागज के पृथक-पृथक ए-4 साइज की 10-10 शीटों के चार सैट (अर्थात् ए-4 साइज की 40 शीटें) जो मोहरबंद टैग द्वारा बंधी हो तथा टैग पर निविदादाता के मोहर सहित हस्ताक्षर किये गये हों, उपलब्ध करानी होंगी। कागज के नमूनों पर कहीं पर भी निविदादाता द्वारा पेपरमिल का वाटरमार्क बनाने, अपना हस्ताक्षर करने अथवा कोई पहचान चिह्न बनाये जाने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।
27. निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से अर्ह निविदादाताओं को उनकी क्षमता के अनुरूप ही पाठ्य पुस्तकें आवंटित की जायेंगी। क्षमता का आंकलन तकनीकी बिड एवं आवश्यक समझे जाने पर पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा मुद्रण इकाई के भौतिक सत्यापन के आधार पर किया जायेगा। निविदादाताओं की क्षमता का आंकलन करने एवं संतुष्ट होने के बाद ही पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का आवंटन किया जायेगा। इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक समिति का निर्णय सभी निविदादाताओं को मान्य होगा।

28. फर्म की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए तथा छात्र हित में पुस्तकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त कार्य एक ही फर्म को दिये जाने के स्थान पर अन्य फर्मों को भी निर्धारित दर पर कार्य आबंटित किया जा सकता है जिसके लिए पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अन्तिम माना जायेगा।
29. न्यूनतम दर/निर्धारित दर के अन्तर्गत एक से अधिक फर्म आने पर पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा कार्य आबंटित किया जायेगा। इस प्रकार कार्य आबंटित किये जाने पर सभी निविदादाताओं को समिति का निर्णय मान्य होगा।
30. पुस्तकों के मुद्रण में प्रयुक्त होने वाले कागज की व्यवस्था स्वयं फर्म (सफल निविदादाता) द्वारा की जायेगी, जिसके लिये निदेशालय द्वारा कोई धनराशि नहीं दी जायेगी।
31. तकनीकी आवेदन पत्र (प्रपत्र भाग-2) बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता/अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हस्ताक्षर करने होंगे।
32. समस्त पाठ्य पुस्तकों को आवरण पृष्ठ सहित चार आकर्षक रंगों में मुद्रित किया जायेगा।
33. निविदादाता द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने का अनुबंध पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा। पाठ्य पुस्तकें अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पुष्टि के लिए मुद्रणोपरान्त चयनित फर्म को पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के बाद ही सुरक्षा धनराशि मुक्त की जायेगी।
34. निविदादाता द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज क्रय करने के लिए पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता से किया गया अनुबंध पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया जाना है। अनुबंध पत्र के साथ निम्न लिखित प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाना है-

- पेपर मिल से अनुबंध करने पर- सम्बन्धित पेपर मिल का पिछले दो वर्षों (2014-15, 2015-16) में प्रतिवर्ष कम से कम 1000 मीट्रिक टन कागज (क्रीमवोव/मैपलिथो) किसी भी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति करने का एक्साइज विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

अथवा

- अधिकृत विक्रेता से अनुबंध करने पर- सम्बन्धित अधिकृत विक्रेता का पिछले दो वर्षों (2014-15, 2015-16) में प्रतिवर्ष कम से कम 1000 मीट्रिक टन कागज (क्रीमवोव/मैपलिथो) किसी भी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति करने का पेपर मिल (जिसके अधिकृत विक्रेता हैं) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
35. शपथ पत्र- निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना, जो देना आवश्यक था, छिपाई नहीं गयी है। यदि कोई सूचना छिपाई जाती है तो निदेशालय द्वारा जो भी विधिक कार्यवाही की जायेगी वह निविदादाता को मान्य होगी।

- सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनायें प्रत्येक दशा में सत्य हैं।
- किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
- फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
- 32-पृष्ठों की नमूना प्रति जो चार रंगों में मुद्रित की गयी है, को आवरण पृष्ठ सहित उमके द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित किया गया है।

36. चयनित फर्म/फर्मों को पूरे शिक्षा सत्र के दौरान मांग के अनुरूप छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए निर्धारित मूल्य (विक्रय मूल्य) पर पाठ्य पुस्तकें खुले बाजार में उपलब्ध रखनी/करवानी होगी। बाजार की मांग के अनुरूप यदि जारी किये गये कार्यादेश से अधिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण की आवश्यकता होती है तो मुद्रक द्वारा पाठ्य पुस्तकों के पुनर्मुद्रण की अनुमति निदेशालय से प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के पाठ्य पुस्तकों का पुनर्मुद्रण नहीं किया जायेगा।
37. निविदादाता द्वारा अपना नैटवर्क राज्य के सभी जनपदों में इस प्रकार स्थापित करना होगा कि पुस्तकें प्रत्येक तहसील, विकास खण्ड, न्याय पंचायतों में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री हेतु समय से उपलब्ध हो जाय, ताकि सभी छात्र-छात्राएँ पुस्तकें क्रय कर सकें। निदेशालय द्वारा पाठ्य पुस्तकों के दुलान अथवा पाठ्य पुस्तकों पर आने वाले किसी भी व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
38. चयनित फर्मों द्वारा अनुबन्ध करने से पूर्व शपथ पत्र में जनपदवार कम से कम एक पुस्तक विक्रेता का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिनको उनके द्वारा प्राथमिकता/अनिवार्य रूप से बिक्री के लिए पर्याप्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवानी होगी। जनपद स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्धता होने पर ही कार्य सम्पन्न होने की प्रमाणिकता मानी जायेगी। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से कार्य सम्पन्न नहीं समझा जायेगा। चयनित निविदादाता द्वारा शपथ पत्र पर उनके द्वारा चयनित/अनुबन्धित पुस्तक विक्रेताओं का विवरण निम्नवत् देना होगा :-

क्र०सं०	जनपद	पुस्तक विक्रेता का नाम एवं पता	दूरभाष नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उत्तरकाशी		
2	टिहरी गढ़वाल		
3	रुद्रप्रयाग		
4	चमोली		
5	पौड़ी		
6	देहरादून		
7	हरिद्वार		
8	ऊधमसिंह नगर		
9	नैनीताल		
10	अल्मोड़ा		
11	बागेश्वर		
12	पिथौरागढ़		
13	चम्पावत		

39. चयनित फर्म द्वारा खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करते समय सर्वप्रथम निदेशालय को निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी :-

क्र० सं०	पुस्तक विक्रेता का विवरण		कक्षा	पाठ्य पुस्तक	आपूर्ति संख्या	Online Number	
	जनपद	नाम/पता				कहां से	कहां तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
योग							

Signature

Signature

Signature

40. पुस्तकों की संख्या/पृष्ठों की संख्या घट-बढ़ सकती है तथा नामों में भी परिवर्तन हो सकता है जिसे विभागीय निर्देशानुसार परिवर्तित करना होगा। परिवर्तन की स्थिति पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित दरों (मूल्य) में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
41. चार फर्मा (32 पृष्ठ) की मॉडल बुक : 2017-18 (नमूना) की पांच प्रतियां चार रंगों में निर्धारित मानक के कागज पर दोनों ओर मुद्रित कर शील्ड लिफाफों में निर्धारित तिथि तक निदेशालय में उपलब्ध करवायी जानी है। यह मुद्रक के अनुभव एवं मुद्रण कार्य की गुणवत्ता को प्रमाणित करेगा। मॉडल बुक (नमूना) वेब ऑफसेट/शीटफैड मशीन द्वारा मुद्रित होनी चाहिए। कम्प्यूटर प्रिंट या फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। मॉडल बुक बनाने के लिए विषय सामग्री निविदा डॉक्यूमेंट के साथ वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर उपलब्ध है।
42. चयनित फर्म को अनुबन्ध के लिए रुपये 100/- (रुपये एक सौ) का नॉन-ज्यूडीसियल स्टाम्प पेपर (जो टिकट के रूप में नहीं होगा) उपलब्ध करना होगा।

खण्ड : (घ) - तकनीकी बिड

43. तकनीकी बिड के रूप में निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण-पत्रों को Online Upload किया जाना है। समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्रों को Upload नहीं करने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी-
44. तकनीकी बिड (प्रपत्र भाग-2)।
45. कार्यरत मशीनों का साइज, प्रकार, मॉडल का वर्ष, क्रय की तिथि का विवरण- निविदादाता की अपनी स्वयं की पंजीकृत मुद्रण इकाई होनी चाहिए, जिसमें फोर कलर शीटफैड ऑफसेट मशीन साइज 19" X 26" एवं 508mm, 578mm वेब ऑफसेट तीनों प्रकार की कम से कम एक-एक मशीन होना अनिवार्य है।
46. प्रेस डिक्लेरेशन का प्रमाण-पत्र दिनांक सहित, जो जिलाधिकारी/राजकीय प्रेस द्वारा जारी किया गया हो, ही मान्य होगा। (Uploaded)
47. उद्योग विभाग/राजकीय मुद्रणालय/सूचना विभाग (जो प्रेस की घोषणा करता हो) द्वारा जारी किया गया कार्यरत मशीनों की क्षमता का प्रमाण पत्र- फर्म की मुद्रण क्षमता का आकलन करने के लिए कार्यरत मशीनों में से प्रत्येक मशीन की क्षमता का सक्षम संस्था/विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।
48. वित्तीय वर्ष : 2013-14, 2014-15 अर्थात आगणन वर्ष (Assesment year) : 2014-15, 2015-16 में किये गये आयकर भुगतान का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।
49. स्थायी आयकर खाता (Permanant Account Number) संख्या। (Uploaded)
50. व्यापार कर विभाग द्वारा जारी वैध व्यापार कर/बिक्रीकर के भुगतान का प्रमाण पत्र। (Uploaded)
51. टर्न ओवर- मुद्रण उद्योग में विगत दो वर्षों का टर्न ओवर औसतन 03 (तीन) करोड़ प्रतिवर्ष होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। (Uploaded)
52. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव प्रमाण पत्र- विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण अनुभव के लिए संबंधित संस्था द्वारा जारी कार्यादेश एवं सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। प्रमाण पत्र में मुद्रण वर्ष, कक्षा, पाठ्य पुस्तकों का नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। (Uploaded)

53. **कागज आपूर्ति का प्रमाण-पत्र**— फर्म द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज क्रय करने के लिए जिस पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता से किया गया अनुबन्ध पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया गया है, उस पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता का पिछले दो वर्षों में प्रतिवर्ष कम से कम 1000 मीट्रिक टन कागज (क्रीमवोव/मैपलिथो) किसी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति करने का पेपर मिल के लिए एक्साइज विभाग द्वारा/अधिकृत विक्रेता के लिए पेपर मिल (जिसके अधिकृत विक्रेता हैं) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
54. **अनुबंध पत्र** — पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने के लिए किया गया अनुबंध पत्र।
55. पेपर मिल/अधिकृत वितरक का नाम व पता, जिसका नमूना कागज उपलब्ध करवाया जा रहा है।
56. **शपथ पत्र** — निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना, जो देना आवश्यक था, छिपाई नहीं गयी है। यदि कोई सूचना छिपाई जाती है तो निदेशालय द्वारा जो भी विधिक कार्यवाही की जायेगी वह निविदादाता को मान्य होगी।
- किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
 - फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
 - 32 — पृष्ठों की नमूना प्रति— "मॉडल बुक : 2017-18" जो चार रंगों में मुद्रित की गयी है, को आवरण पृष्ठ सहित उनके द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित किया गया है।
57. तकनीकी बिड से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन लिफाफों को एक चौथे लिफाफे में सील्ड कर पाठ्य पुस्तक अनुभाग, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड पिन-248008 में उपलब्ध करवाया जाना है, जिन्हें पंजीकृत डाक/कोरियर अथवा सीधे भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद लिफाफा प्राप्त होने पर ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। लिफाफे के ऊपर दाहिनी ओर मोटे अक्षरों में "निविदा पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 से 12, शिक्षा सत्र 2017-18" एवं विज्ञप्ति संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें—

लिफाफा संख्या-01

- निविदा आवेदन पत्र शुल्क : 2500.00 (दो हजार पाँच सौ) का बैंक ड्राफ्ट (Uploaded)
- वैट 14%: ₹0 350-00 (₹0 तीन सौ पाचास) का बैंक ड्राफ्ट (Uploaded)
- अर्नेस्टमनी (EMD) का बैंक ड्राफ्ट (Uploaded)
- निविदा शुल्क वापस नहीं होगी।

लिफाफा संख्या-02

- निविदादाता द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित "मॉडल बुक : 2016-17" की पांच प्रतियां,

लिफाफा संख्या-03

- कागज के नमूनों के लिए निर्धारित मानकानुसार एवं बिना वाटरमार्क 80 GSM एवं 220 GSM कागज के पृथक-पृथक ए-4 साइज की 10-10 शीटों के चार सैट (अर्थात् ए-4 साइज की 40 शीटें) जो मोहरबंद टैग द्वारा बंधी हो तथा टैग पर निविदादाता के मोहर सहित हस्ताक्षर किये गये हों, उपलब्ध करनी होंगी। कागज के नमूनों पर कहीं पर भी निविदादाता द्वारा पेपर मिल का वाटरमार्क बनाने, अपना

हस्ताक्षर करने अथवा कोई पहचान चिह्न बनाये जाने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।

- सुरक्षा धनराशि एवं अर्नेस्टमनी के सत्यापन/जॉच में गलत/फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कानूनी/विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

खण्ड : (ड) – “वित्तीय बिड”

58. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कक्षावार वर्गीकृत पाठ्य पुस्तकों के सेटों के लिए वित्तीय बिड (Financial Documents—BOQ) में सेटवार दरें Upload की जानी हैं।

खण्ड : (च) – “निविदा के अन्य नियम एवं शर्तें”

59. पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा जिन निविदाताओं की “तकनीकी बिड” अनर्ह पायी जायेगी उन्हें उक्तवत् सूचित नहीं किया जायेगा और न ही निविदाता को अनर्हता का कारण बताया जायेगा। सम्बन्धित निविदादाता किसी भी स्तर पर उसकी मांग नहीं करेगा।
60. तकनीकी बिड खोलने के बाद पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा वित्तीय बिड खोलने की तिथि निर्धारित कर Online घोषित की जायेगी।
61. निविदादाताओं द्वारा तकनीकी बिड के साथ उपलब्ध करवाये गये कागज के नमूनों को निदेशालय में सील्ड करके भविष्य में आवश्यकतानुसार रासायनिक जांच करवाने के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।
62. निदेशालय द्वारा समय-समय पर मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के कागज की रासायनिक जांच करवायी जायेगी। मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की जांच पर आने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित फर्म (मुद्रक) द्वारा किया जायेगा। जांच आख्यानानुसार मानकानुसार कागज की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा फर्म पर दण्ड निर्धारित किया जायेगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं चयनित फर्म/फर्मों को मान्य होगा।
63. निर्धारित दरें, रॉयल्टी, समयवधि सहित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जाना है। कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकें जो बिक्री होने से रह जाती हैं, उनके भुगतान के लिए निदेशालय जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
64. पाठ्य पुस्तकें एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप (पेपर, पुस्तक का साइज, प्रिन्टिंग एवं बाइंडिंग) ही मुद्रित की जायेंगी। एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा जारी गाइड लाईन एवं कॉपी राइट एक्ट मुद्रकों को मान्य होगा।
65. आवरण पृष्ठों का मुद्रण इस प्रकार किया जायेगा कि उनका उपयोग किसी अन्य द्वारा नहीं किया जा सके।
66. पाठ्य पुस्तकें आवरण पृष्ठ सहित फोर कलर में कवर, बैक कवर तथा इन साइड कवर एवं इन साइड बैक कवर/टू कलर कवर, वन कलर इन साइड में मुद्रित होंगी। पाठ्य-पुस्तकों के कवर पेज पर Hologram तथा 12 डिजिट में Online Number अंकित किया जायेगा ताकि पुस्तकों की विश्वसनीयता बनी रहे और नकली पुस्तकें बाजार में न आ सकें। 12 डिजिट में On Line Number कार्यादेश के साथ ही निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
67. चयनित फर्म द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लाल रंग से मोटे अक्षरों में चार खाने के अन्दर "Royalty Paid Book" अंकित किया जायेगा।

68. समस्त पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र 2017-18" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2017-18" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा, इससे एन0सी0ई0आर0टी0 व राज्य सरकार की पुस्तकों में भिन्नता रहेगी।
69. चयनित फर्म द्वारा आवंटित समस्त पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों पर नीचे मध्य भाग में पृष्ठ संख्या तथा समस्त दाहिने एवं बांये पृष्ठों पर बाहर की ओर उत्तराखण्ड शिक्षा सत्र 2017-18 तथा अन्दर की ओर बांये पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ्य पुस्तक का नाम तथा दाहिनी ओर के पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ का नाम अंकित किया जायेगा। सभी अंकना 10 प्वाइंट बोल्ड में मुद्रित किये जायेंगे।
70. प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रारम्भ में यथास्थान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से प्राक्कथन फर्म द्वारा मुद्रित किया जायेगा, जिसे कार्यादेश के साथ ही फर्म को निदेशालय से प्राप्त करना होगा।
71. मुद्रण कार्य की प्रूफ रीडिंग फर्म द्वारा अपने स्तर से करवायी जायेगी। अतः अक्षर, मात्रा, अंक, दशमलव, बिन्दु, कौमा, अर्द्धविराम, गणित के चिन्ह, आदि टूटे-छूटे, मिटने या स्थान बदलने से होने वाली त्रुटि की स्थिति में नहीं हों, के लिए प्रूफ रीडिंग अत्यधिक सावधानी से की जानी होगी। तथापि मुद्रण स्थल पर निदेशालय द्वारा गठित पैनल के द्वारा भी आवश्यकतानुसार प्रूफरीडिंग का निरीक्षण किया जा सकता है, जिससे पुस्तक का सही, सुस्पष्ट एवं आकर्षक स्वरूप बाजार में उपलब्ध हो सके।
72. पाठ्य पुस्तकें निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सी0डी0/हार्ड कापी के अनुसार ही मुद्रित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का भी फर्म को यथास्थान समावेश करना होगा।
73. पुस्तक का प्रकाशन विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रकाशक का उल्लेख करते समय मुद्रक द्वारा उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।
74. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में फॉन्ट का साइज, पुस्तकों का आकार, ट्रिम साइज, प्रिन्ट एरिया, स्पेसिंग एवं विषय सामग्री विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार ही किया जायेगा। जिन पुस्तकों की सी0डी0 उपलब्ध नहीं करायी जायेगी उनको दिये गये नमूनों के अनुसार मुद्रित किया जाना होगा। पुस्तकों के मुद्रण हेतु उपलब्ध कराई गयी सी0डी0 मात्र विषय वस्तु के लिए होगी। शेष सभी आवश्यक तथ्य मुद्रक को दिये गये निर्देशानुसार स्वयं अंकित करने होंगे।
75. समस्त इलस्ट्रेशन एवं चित्रांकन उत्तम इंक एवं रंग से विषयवस्तु के अनुरूप एवं समीपस्थ मुद्रित करेंगे, जिनका हेयर लाइन रजिस्ट्रेशन एकदम ठीक हो।
76. महत्वपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा महापुरुषों से संबंधित तथ्य अद्यतन शुद्ध हों। जिसे प्रत्येक स्तर पर चयनित फर्म द्वारा ठीक करना होगा। किसी भी प्रकार का विवाद उठने पर चयनित फर्म उत्तरदायी होगी।
77. पाठ्य पुस्तकों की बाइंडिंग- 160 या कम पृष्ठों की पाठ्य पुस्तकों में सेंटर स्टिचिंग तीन तार तथा 160 से अधिक पृष्ठों वाली पाठ्य पुस्तकों की परफैक्ट बाइंडिंग की जायेगी।
78. विगत शिक्षा सत्र के लिए मुद्रित कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों के नमूनों को निदेशालय में किसी भी कार्य दिवस पर देखा जा सकता है।
79. चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की बिक्री/प्रयोग उत्तराखण्ड राज्य तक ही सीमित रखनी होगी। पाठ्य पुस्तकों का विक्रय राज्य की सीमाओं के बाहर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

80. चयनित निविदादाताओं को निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पाठ्य पुस्तकों की सी0डी0/डी0वी0डी0 मूल रूप में बिना किसी प्रकार की छेड़-छाड़ अथवा टूट-फूट के कार्य पूर्ण करने के 15 दिनों के भीतर निदेशालय को वापस करनी होगी।
81. समस्त निःशुल्क एवं खुले बाजार की पाठ्य-पुस्तकों पर मुद्रक द्वारा मूल्य मुद्रित किया जाना है। मूल्य सूची निदेशालय द्वारा मुद्रक को कार्यादेश के साथ उपलब्ध करवायी जायेगी। मुद्रण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुद्रकों का भी यह दायित्व होगा कि वह निदेशालय से पाठ्य-पुस्तकों की मूल्य सूची प्राप्त कर लें।
82. एक दूसरे से पूल किये जाने की स्थिति में दी गयी निविदा से सम्बन्धित निविदादाताओं को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
83. प्रश्नगत निविदा के क्रम में मुद्रित पाठ्य-पुस्तकों की बिक्री शैक्षिक सत्र 2017-18 के उपरान्त नहीं की जायेगी।
84. दण्डात्मक कार्यवाही :- पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में कमी अथवा मुद्रण/आपूर्ति विलम्ब की स्थिति में फर्म के विरुद्ध निम्नवत् दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(क) विलम्ब दण्ड- सभी जनपदों के मुख्यालयों में बाजारों में बिक्री के लिए पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में फर्म पर निम्नवत् विलम्ब अर्धदण्ड निर्धारित किया जायेगा-

- 01 से 10 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 2%
- 11 से 20 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 5%
- 21 से 30 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 10%
- 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में मुद्रक की सुरक्षा धनराशि जब्त कर, उसे काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।

(ख) खराब मुद्रण:- पुस्तकों के सत्यापन में मानक के अनुरूप मुद्रण न पाये जाने अथवा खराब मुद्रण की दशा में सम्बन्धित प्रकार की पुस्तकों की कुल कीमत पर 05% से 15% तक की कटौती की जायेगी। खराब मुद्रण के अन्तर्गत अस्पष्ट चित्र, अपठनीय छपाई आदि पर विचार किया जायेगा।

(ग) त्रुटिपूर्ण मुद्रण:- विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार मुद्रण न पाये जाने अथवा त्रुटिपूर्ण मुद्रण होने पर सम्बन्धित पुस्तकों की कुल कीमत पर 15% तक कटौती की जायेगी। नमूने के इतर कोई सामग्री छापने, गलत पाठ एवं चित्र छापने पर समिति कटौती करेगी।

(घ) कम माप:- पाठ्य पुस्तकवार निर्धारित माप के अनुरूप समिति द्वारा कम आकार की पुस्तकों के मूल्य से कुल कम हुये कागजों के दुगने मूल्य के बराबर कटौती की जायेगी। कागज की गुणवत्ता पर भी विचार किया जायेगा।

85. चयनित फर्म द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 25-25 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/ अभिलेखार्थ बिना मूल्य के पाठ्य पुस्तक अनुभाग, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवानी होगी।
86. निदेशालय द्वारा समय-समय पर फर्म एवं बाजार में जाकर कार्य का निरीक्षण किया जा सकता है।
87. सफल निविदादाता द्वारा यदि अनुबंध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नेस्टमनी/शिक्षयोरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।

88. कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त चयनित फर्म द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये **On Line Number** का प्रमाण भी देना अनिवार्य होगा।
89. सुरक्षा धनराशि निम्नलिखित कार्यों तथा शर्तों को पूरा करने के उपरान्त वापस की जायेगी-
- फर्म द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करने एवं यह लिख कर देने पर कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
 - पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती करने के उपरान्त संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर।
 - समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक शिक्षा) द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण-पत्र जारी करने पर।
 - पाठ्य पुस्तकें अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पुष्टि के लिए मुद्रणोपरान्त फर्म द्वारा पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 25-25 प्रतियां अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ बिना मूल्य के निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवाने पर।
 - नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये **On Line Number** का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - निर्धारित प्रारूप (प्रस्तर-39) पर खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को आपूर्ति की गयी पाठ्य पुस्तकों का विवरण उपलब्ध कराने पर।
90. ऐसे अप्रत्याशित कारण जो फर्म के नियंत्रण से बाहर हैं, जिनका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता जैसे- युद्ध, क्रांति, आग, बाढ़, बीमारी फैलने की स्थिति में फर्म द्वारा लिखित रूप से निदेशालय को इसकी सूचना तुरन्त दी जायेगी तथा इसके कारणों का उल्लेख किया जायेगा। जब तक निदेशालय द्वारा अन्य निर्देश नहीं दिये जायेंगे फर्म अनुबंध के अनुरूप अपने कर्तव्यों/कार्यों का जहां तक सम्भव हो, निर्वहन किया जाता रहेगा।
91. सम्बन्धित कार्य के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे उत्तराखण्ड शासन के निर्णयार्थ (आर्बीट्रेशन) प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
92. सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के लिये सिर्फ देहरादून स्थित सुसंगत न्यायालय में ही मामला उठाया जा सकता है, अन्य किसी भी न्यायालय में नहीं।
93. कार्य सम्पन्न करने के लिए चयनित फर्म/फर्मों को जारी कार्यादेश एवं किये गये अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

भाग - दो

प्रपत्र-क

शिक्षा सत्र 2017-18 के लिए कक्षा IX से XII की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ तकनीकी बिड

(निविदा प्रपत्र तथा सभी संलग्नकों को अपलोड किया जाना अनिवार्य है)

1. निविदादाता का नाम
पता
फोन नम्बर (कार्यालय) मोबाईल
2. मुद्रक/फर्म का नाम
पता
फोन नम्बर कार्यालय मो0
3. मशीनों का विवरण साइज, प्रकार, मॉडल, क्रय तिथि (508 mm, 578 mm वेब ऑफसेट, 4 कलर शीटफैड मशीन 19" X 26")
(मशीनों का क्रय बिल संलग्न करें। मशीनों का निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जा सकता है)
5. प्रेस डिक्लेरेशन का दिनांक.....
(मुद्रण की इकाई के पंजीकरण एवं जिलाधिकारी/राजकीय प्रेस द्वारा जारी प्रेस डिक्लेरेशन की सत्यापित प्रति संलग्न की जाय)
6. कार्यरत मशीनों की मुद्रण क्षमता का विवरण.....
(सक्षम संस्था/विभाग (राजकीय प्रेस अथवा उद्योग विभाग) द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. विगत वर्ष के आयकर भुगतान का प्रमाण-पत्र.....
(Assesments year 2015-16 Financial Year 2014-15 का आयकर रिटर्न संलग्न किया जाय)
8. स्थायी आयकर खाता संख्या (Permanant Account Number).....
9. वैध व्यापार कर/वैट पंजीकरण संख्या:
केन्द्रीय बिक्रीकर/व्यापार कर/वैट पंजीकरण संख्या
(वैध व्यापार कर/वैट भुगतान का प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।)
10. विगत दो वर्षों (वर्ष 2014 एवं 2015) का टर्न ओवर (औसतन 03.00 करोड प्रतिवर्ष)
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
11. वित्तीय वर्ष 2015-16 की ऑडिट बैलेंस शीट (चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत).....
12. विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2011-12 से 2015-16) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का मुद्रण कार्य का अनुभव.....
(विवरण निम्न तालिका में दिया जाये तथा प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें)

क्र0 सं0	वर्ष	मुद्रणादेश या स्वीकृति देने वाली संस्था का नाम	कार्यदेश संख्या/तिथि	पाठ्य पुस्तकों का विवरण
1				
2				
3				


13. कागज आपूर्ति का प्रमाण-पत्र- कागज क्रय करने के लिए अनुबन्धित पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के लिए एक्साइज विभाग/सम्बन्धित पेपर मिल द्वारा जारी पिछले दो वर्षों (2014-15, 2015-16) में प्रतिवर्ष कम से कम 1000 मीट्रिक टन कागज (क्रीमवोव/मैपलिथो) किसी भी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति का प्रमाण पत्र.....
14. अनुबंध पत्र - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने के लिए किया गया अनुबंध पत्र.....

15. पेपर मिल/अधिकृत वितरक का नाम व पता
जिसका नमूना कागज उपलब्ध करवाया जा रहा है.....
16. शपथ पत्र – निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र संलग्न करें-
- असत्य एवं भ्रामक सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
 - किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
 - फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काजी सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
 - 32 पृष्ठों की नमूना प्रति "मॉडल बुक : 2017-18" जो चार रंगों में मुद्रित की गयी है, को आवरण पृष्ठ सहित उनके द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित किया गया है।
17. निविदा आवेदन पत्र के मूल्य एवं बैट शुल्क का विवरण (सीधे निदेशालय को सीलड लिफाफे में उपलब्ध करवायें)
- डी0डी0 नं0 व दिनांक
 - धनराशि-रु0
 - बैंक का नाम व शाखा.....
18. धरोहर राशि (EMD) का विवरण (सीधे निदेशालय को सीलड लिफाफे में उपलब्ध करवायें)
- डी0डी0 नं0 व दिनांक
 - धनराशि-रु0
 - बैंक का नाम व शाखा.....
19. स्वयं की इकाई में मुद्रित "मॉडल बुक : 2017-18" की पांच प्रतियां
(सीधे निदेशालय को सीलड लिफाफे में उपलब्ध करवायें).....
20. बिना वाटरमार्क 80 GSM एवं 220 GSM कागज के A4 साईज के 40-40 शीटें।
(सीधे निदेशालय को सीलड लिफाफे में उपलब्ध करवायें).....
21. तकनीकी बिड के साथ संलग्नकों की संख्या.....
22. अन्य कोई विवरण-.....
23. घोषणा – मैं मैसर्स
..... का मालिक / प्रतिशत


साझेदार/प्रबन्धक हूँ। इस निविदा की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने एवं समस्त देयक के प्रति मेरा पूर्ण उत्तरदायित्व है। उपरोक्त समस्त सूचना पूर्णतया सत्य है। इससे सम्बन्धित कोई सूचनाएँ छिपाई नहीं गई है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा।

दिनांक
मालिक/प्रबन्धक के हस्ताक्षर
नाम
संस्था की मुहर


23/12/16










सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK13000498177631P
 Certificate Issued Date : 03-Feb-2017 02:12 PM
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1217204/ HALDWANI/ UK-NT
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK121720426006296985526P
 Purchased by : HARI MOHAN AGARWAL
 Description of Document : Article Miscellaneous
 Property Description : N A
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : HARI MOHAN AGARWAL
 Second Party : N A
 Stamp Duty Paid By : HARI MOHAN AGARWAL
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



अनुबन्ध पत्र

विषय :

Please write or type below this line
 वर्ष 2017-18 के लिए उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त, हाईस्कूल/इण्टर/विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा IX से XII की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में बिक्री के लिए ज़िम्मेदारता सुनिश्चित करना।

प्रथम पक्ष :

निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 ननूरखेड़ा, देहरादून।

द्वितीय पक्ष/मुद्रक:

मैसर्स राज इण्टरप्राइजेज,
 कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी,
 राज इण्टरप्राइजेज
 पब्लिशर्स एण्ड स्टेशनर्स
 कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी (नैताल)

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.stcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
 2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.


अनुबन्ध की तिथि/स्थान- 06 फरवरी 2017, देहरादून।

2. शिक्षा सत्र 2017-18 के लिए उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त/हाईस्कूल/इण्टर/विद्यालयों में कक्षा IX से XII की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए प्रस्तर-03 में उल्लेखित पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्राविधानानुसार सम्पादित निविदा प्रक्रिया के क्रम में उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित प्रथम पक्ष अर्थात् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून एवं द्वितीय पक्ष अर्थात् मैसर्स राज इण्टरप्राईजेज, कालादुंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप अनुबन्ध किया गया।
3. द्वितीय पक्ष/मुद्रक निम्न सारणी में उल्लिखित पाठ्य पुस्तकों का उनके सम्मुख अंकित दरों (विक्रय मूल्य) पर मुद्रित कर उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहमत है :-

क्र.सं.	कक्षा	पाठ्य-पुस्तक	निर्धारित विक्रय मूल्य 2017-18	मुद्रणार्थ निर्धारित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	X	क्षितिज भाग-2	64.19	23000
2	X	कृतिका भाग-2	32.09	24000
3	X	First Flight - English	74.89	23000
4	X	Foot Prints without Feet	37.44	22000
5	X	शेमुषी द्वितीया भाग	64.19	16000
6	X	गणित	149.77	22000
7	X	विज्ञान	144.42	23000
8	X	भारत और समकालीन विश्व II-इतिहास	133.72	14000
9	X	समकालीन भारत II-भूगोल	69.54	15000
10	X	आर्थिक विकास की समझ	69.54	13000
11	X	लोकतांत्रिक राजनीति-II	85.58	16000
12	X	नवा-ए-उर्दू	85.58	1000
13	X	कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास	29.95	68000
14	X	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	32.09	47000
15	XI	आरोह भाग-1	69.56	24000
16	XI	वितान भाग-1	26.75	21000
17	XI	अभिव्यक्ति और माध्यम	155.16	2000
18	XI	Hornbill - English Core	53.51	24000
19	XI	Snapshot - English Suppl.	37.45	21000
20	XI	भास्वती प्रथमो भाग	64.21	7000
21	XI	गणित	192.62	7000
22	XI	जीव विज्ञान	214.02	4000






राज इण्टरप्राईजेज
 बकिंगहस एण्ड स्टेजन्स
 कालादुंगी रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)

23	XI	रसायन भाग-1	165.87	7000
24	XI	रसायन भाग-2	112.36	6000
25	XI	भौतिकी भाग-1	139.11	7000
26	XI	भौतिकी भाग-2	112.36	7000
27	XI	विश्व इतिहास के कुछ विषय	165.87	3000
28	XI	भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त	85.61	6000
29	XI	भारत : भौतिक पर्यावरण	58.86	4000
30	XI	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग-1	85.61	4000
31	XI	अर्थशास्त्र में सांख्यिकी	58.86	6000
32	XI	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास	90.96	6000
33	XI	भारत का संविधान	107.01	6000
34	XI	राजनीति सिद्धान्त	74.91	6000
35	XI	समाज शास्त्र परिचय	48.15	3000
36	XI	समाज का बोध	48.15	3000
37	XI	व्यवसाय अध्ययन	74.91	1000
38	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-1	80.26	1000
39	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-2	74.91	1000
40	XI	मनोविज्ञान का परिचय	128.41	1000
41	XI	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	69.56	1000
42	XII	आरोह भाग-2	74.89	21000
43	XII	वित्तन भाग-2	42.8	20000
44	XII	Flamingo - English Core	48.15	18000
45	XII	Vistas - English Suppl. Reader Core	42.8	18000
46	XII	संस्कृत - भास्वती-II	37.45	8000
47	XII	गणित भाग-I	123.04	8000
48	XII	गणित भाग-II	139.09	8000
49	XII	जीवविज्ञान	181.88	4000
50	XII	रसायन भाग-1	181.88	5000
51	XII	रसायन भाग-2	123.04	3000
52	XII	भौतिकी भाग-1	181.88	3000
53	XII	भौतिकी भाग-2	149.79	2000
54	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-1	85.59	3000
55	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-2	101.64	2000
56	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-3	123.04	2000
57	XII	मानव भूगोल के मूल सिद्धान्त	69.54	3000
58	XII	भारत - लोग और अर्थव्यवस्था	101.64	5000

Aswani Bisht
राज इंटर प्राइजेज
पब्लिशर्स एण्ड स्टेशनर्स
कालाईंगी रोड, हल्द्वानी (मैनीचर)

59	XII	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य - भाग 2	53.5	2000
60	XII	व्यष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	69.54	5000
61	XII	समष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	69.54	5000
62	XII	समकालीन विश्व राजनीति	106.99	6000
63	XII	स्वतंत्र भारत में राजनीति	133.74	6000
64	XII	भारत में सामाजिक परिवर्तन	112.34	2000
65	XII	भारतीय समाज - समाजशास्त्र	112.34	2000
66	XII	व्यवसाय अध्ययन-1	64.19	1000
67	XII	व्यवसाय अध्ययन-2	53.5	1000
68	XII	अलाभकारी संस्थायें एवं साझेदारी खाते	90.94	1000
69	XII	कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	106.99	1000
70	XII	मनोविज्ञान	133.74	1000
71	XII	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	53.5	1000

- पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशनाधिकार (कॉपीराइट) प्रथम पक्ष में निहित रहेगा, जो द्वितीय पक्ष के ऐसे दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वसूलेगा, जो प्रकाशनाधिकार के उल्लंघन से हो या पाठ्य पुस्तकों की किसी बात से सम्बन्धित उत्तरदायित्व के विषय में हो। द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लिखित आदेश के बिना उक्त पुस्तकों की आवंटित/आवंटित से अधिक प्रतियां से अधिक मुद्रित नहीं करेगा और न ही वह प्रथम पक्ष के लिखित आदेश के बिना उनको पुनः मुद्रित करेगा, इस प्रकार बिना लिखित आदेश के ऐसी मुद्रित सब प्रतियां मुद्रक से प्रथम पक्ष की ओर से जब्त कर ली जायेगी और मुद्रक उसके लिए किसी प्रतिकर का दावा नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में मुद्रक के विरुद्ध अलग से कार्यवाही भी की जायेगी।
- द्वितीय पक्ष प्रस्तर-03 में उल्लिखित समस्त पाठ्य पुस्तकों को कार्यादेश जारी होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर मुद्रित कर खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्ध करवाने के लिए सहमत है।
- शासन द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना प्राप्त होती है तो इस अवधि में किया गया परिवर्तन दोनों पक्षों को मान्य होगा। द्वितीय पक्ष संशोधित नवीनीकृत पाण्डुलिपि को मुद्रित करने के लिए बाध्य होंगे।
- द्वितीय पक्ष उपर्युक्त प्रस्तर-03 में उल्लिखित दरों (विक्रय मूल्य) को सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकों में यथास्थान मुद्रित करेगा एवं इन्हीं दरों पर बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध करवायेगा।
- द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त पुस्तकों को चार/दो आकर्षक रंगों में अथवा एक रंग में मुद्रित किया जायेगा।
- पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में प्रयुक्त होने वाले कागज की व्यवस्था स्वयं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी। जिसके लिए प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जायेगी।
- कागज की विशिष्टियाँ :** एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली की भांति ही पाठ्य पुस्तकों को निम्नलिखित मानकों के कागज पर मुद्रित किया जायेगा-




Ashish Bishu
राज इण्टर्राईजेज
 पब्लिशर्स एण्ड स्टेशनर्स
 कालाहमी रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)


- पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में टेक्स्ट पेपर के लिए Maplitho Paper 80 GSM टाइप "A" नवीनतम संशोधित ISI मार्क 1848/2007 के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा।
 - आवरण पृष्ठ के लिए आर्ट कार्ड 220 GSM., नवीनतम संशोधित BIS specification 4658/1988 के निर्धारित मानकों का कागज प्रयोग में लाया जायेगा।
11. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में वही टेक्स्ट पेपर/आवरण पेज का कागज प्रयुक्त किया जायेगा, जो एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली की पुस्तकों में प्रयुक्त किया जा रहा है।
 12. द्वितीय पक्ष को पूरे शिक्षा सत्र के दौरान मांग के अनुरूप छात्र/छात्राओं की सुविधा के लिए निर्धारित मूल्य (विक्रय मूल्य) पर पाठ्य पुस्तकें खुले बाजार में उपलब्ध रखनी/करवानी होगी। बाजार की मांग के अनुरूप यदि जारी किये गये कार्यादेश से अधिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के पुनर्मुद्रण की अनुमति प्रथम पक्ष से प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के पाठ्य पुस्तकों का पुनर्मुद्रण नहीं किया जायेगा।
 13. द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित पुस्तकों की बिक्री शैक्षिक सत्र : 2017-18 के उपरान्त नहीं की जायेगी।
 14. मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की बिक्री/प्रयोग उत्तराखण्ड राज्य तक ही सीमित होगी। पाठ्य पुस्तकों का विक्रय राज्य की सीमाओं के बाहर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
 15. सुरक्षा धनराशि (Security Money): द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष अर्थात् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से सुरक्षा धनराशि (Security Money), का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चेक/एन0एस0सी0/बैंक गारण्टी के रूप में बन्धक रखी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	सुरक्षा धनराशि का प्रकार	दिनांक	संख्या	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Fix Deposit	03-02-2017	2014/NDRR 0154609	7,56,000/-
शब्दों में (सात लाख छप्पन हजार मात्र)				

नोट : कॉलम 2 में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एनएससी/बैंक गारण्टी/आदि लिखें।

16. सुरक्षा धनराशि पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जांच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती एवं समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा जनपदों में पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण पत्र जारी करने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर वापस किया जायेगा।
17. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी बिड में जिस पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने का अनुबन्ध पत्र संलग्न किया गया है, अनिवार्यतः उसी पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता से कागज क्रय किया गया, के लिए मुद्रणोपरान्त पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण






राज इंटरप्राइजेज
 दरिद्रमार्ग एण्ड स्टेजानस
 कालाङ्गी रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के बाद ही द्वितीय पक्ष की सुरक्षा धनराशि मुक्त की जायेगी।

18. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा यदि शिक्षा सत्र 2017-18 के लिए पाठ्य पुस्तकों की दरों को संशोधित किया जाता है तो तदनुसार संशोधित मूल्य के अनुपात में निविदा प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित किया जायेगा।
19. पाठ्य पुस्तकों पर दी जाने वाली रॉयल्टी— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक : F.No.-26-40/2005 - Pub.(TCS) दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के लिए 5% रॉयल्टी का भुगतान NCERT नई दिल्ली के लिये किया जायेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड की पाठ्य पुस्तकों पर एक समान रॉयल्टी देय होगी। शिक्षा सत्र के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा यदि रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार ही फर्मों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।
20. द्वितीय पक्ष द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली/ निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को कार्यादेश के सापेक्ष मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के कुल मूल्य पर 5% (पांच प्रतिशत) रॉयल्टी दी जायेगी। रॉयल्टी ड्राफ्ट के माध्यम से, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से बना हो, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवायी जानी है। रॉयल्टी का ड्राफ्ट देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में देय होना चाहिए।
21. चयनित फर्म को पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करते समय यह लिख कर देना होगा कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
22. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित दरें, रॉयल्टी, समयावधि सहित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जायेगा। कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकें जो बिक्री होने से रह जाती हैं उनके भुगतान के लिए निदेशालय उत्तरदायी नहीं होगा।
23. द्वितीय पक्ष द्वारा अपना नैटवर्क राज्य के सभी जनपदों में इस प्रकार स्थापित किया जायेगा कि पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक तहसील, विकास खण्ड, न्याय पंचायतों में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री हेतु समय से उपलब्ध हो जायं, ताकि सभी छात्र/छात्राएँ पुस्तकें क्रय कर सकें। इस कार्य के लिए प्रथम पक्ष की ओर से किसी भी तरह का कोई दुलान व्यय देय नहीं होगा।
24. छात्र-छात्राओं को आसानी से पाठ्य पुस्तकें सुलभ हो सकें, के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा जनपदवार निम्नलिखित पुस्तक विक्रेताओं का चयन किया गया है। जिन्हें द्वितीय पक्ष द्वारा प्राथमिकता/अनिवार्य: रूप से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवानी होगी। जनपद स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता ही कार्य सम्पन्न होने की प्रमाणिकता मानी जायेगी। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से कार्य सम्पन्न नहीं समझा जायेगा—

क्र०	जनपद	पुस्तक विक्रेता का नाम एवं पता	दूरभाष





Arshish Khatun
राज इंटरप्राइजेज
 पब्लिशर्स एण्ड स्टेशनर्स
 बालाद्वी गोड, हल्द्वानी (नैनीताल)

सं०			संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उत्तरकाशी	मै० रमेश दिनेश पुस्तक भण्डार, उत्तरकाशी	
2.	टिहरी गढ़वाल	मै० ब्रह्मानन्द बुक डिपो, नई टिहरी	
3.	रुद्रप्रयाग	मै० हिमालयन बुक डिपो, रुद्रप्रयाग	
4.	चौली	मै० रोहित पुस्तक भण्डार	
5.	पौड़ी गढ़वाल	मै० राजेन्द्र बुक डिपो पौड़ी	
6.	छेहरादून	मै० इन्दर बुक डिपो देहरादून	
7.	हरिद्वार	मै० भार्गव पुस्तक भण्डार हरिद्वार	
8.	रुधमसिंह नगर	मै० विनोद पुस्तक भण्डार रुद्रपुर,	
9.	नैनीताल	मै० पूरणमल एण्ड सन्स नैनीताल	
10.	अल्मोड़ा	मै० नागेश बुक डिपो नैनीताल	
11.	बागेश्वर	मै० शिवा बुक डिपो बागेश्वर	
12.	पिथौरागढ़	मै० मनीराम पुनेटा पिथौरागढ़	
13.	चम्पावत	मै० बगोली स्टेशनर्स चम्पावत	


नोट: द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पुस्तक विक्रेताओं की विस्तृत सूची अनुबन्ध के अन्त में संलग्न है।

25. द्वितीय पक्ष की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए तथा छात्र हित में पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त कार्य एक ही फर्म को दिये जाने के स्थान पर अन्य फर्मों को भी निर्धारित दर पर कार्य आबंटित किया जा सकता है। जिसके लिए पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अन्तिम माना जायेगा।
26. द्वितीय पक्ष द्वारा खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करते समय सर्वप्रथम निदेशालय को निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी-

क्र० सं०	पुस्तक विक्रेता का विवरण		कक्षा	पाठ्य पुस्तक	आपूर्ति संख्या	Online Number	
	जन्मपद	नाम/पता				कहां से	कहां तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
योग							

27. मुद्रण के दौरान पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में प्रयुक्त हो रहे बिना मुद्रित कागज के नमूने लेकर तथा मुद्रणोपरान्त मुद्रित कागज की रासायनिक जांच करवायी जायेगी। कागज की गुणवत्ता में संदेह की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर कई बार कागज की जांच करवायी जा सकती है जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा भी समय-समय पर गुणवत्ता की जांच प्रेस में जाकर की जायेगी जिसके लिए द्वितीय पक्ष द्वारा अपेक्षित सहयोग दिया जायेगा।
28. कागज की रासायनिक जांच के अनुसार मानकों में कमी पाये जाने पर पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा द्वितीय पक्ष पर दण्ड निर्धारित किया जायेगा। द्वितीय पक्ष को समिति का निर्णय मान्य होगा।
29. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर फर्म एवं बाजार में कार्य का निरीक्षण किया जायेगा।
30. पाठ्य पुस्तकों को चार या दो रंगों में अथवा एक रंग में मुद्रित किया जायेगा।





राज इण्टर प्राइजेज
 एडमिशन एण्ड स्टेशनर्स
 कालादुंगी रोड, हस्दानी (नैनीताल)

31. पाठ्य पुस्तकों की संख्या/पृष्ठों की संख्या घट-बढ़ सकती है तथा नामों में भी परिवर्तन हो सकता है, जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा विभागीय निर्देशानुसार परिवर्तित करना होगा। परिवर्तन की स्थिति में पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित दरों (विक्रय मूल्य) में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
32. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकें एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप (पेपर, पाठ्य पुस्तक का साइज, प्रिंटिंग एवं बाइंडिंग) ही मुद्रित की जायेंगी
33. आवरण पृष्ठों का मुद्रण इस प्रकार किया जायेगा कि इनका उपयोग किसी अन्य द्वारा न किया जा सके।
34. सभी आवरण पृष्ठ चार रंगों में मुद्रित होंगे।
35. पाठ्य पुस्तकें आवरण पृष्ठ सहित फोर कलर में कवर, बैक कवर तथा इन साइड कवर तथा इन साइड बैक कवर/टू कलर कवर, वन कलर इन साइड में मुद्रित होंगी। प्रत्येक कवर पर 12 डिजिट में ON LINE NUMBER मुद्रित किये जायेंगे, जो कार्यादेश के साथ ही द्वितीय पक्ष द्वारा निदेशालय से प्राप्त करने होंगे।
36. प्रथम पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के आवरण पृष्ठों को पृथक से एक अलग सी0डी0 में कार्यादेश के साथ ही उपलब्ध किया जायेगा। आवरण पृष्ठ इसके लिए निर्धारित मानक के कागज पर मुद्रित किये जायेंगे जो किसी भी दशा में एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों से कम नहीं होंगे। अक्षर एवं चित्र सुस्पष्ट होने चाहिए।
37. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लाल रंग से मोटे अक्षरों में चार खाने के अन्दर "Royalty Paid Book" अंकित किया जायेगा।
38. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के कवर पेज पर Hologram तथा ON LINE NUMBER अंकित किया जायेगा ताकि पुस्तकों की विश्वसनीयता बनी रहे और नकली पाठ्य पुस्तकें बाजार में न आ सकें।
39. एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली तथा राज्य सरकार द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों में भिन्नता के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र : 2017-18" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर "उत्तराखण्ड वर्ष : 2017-18" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा।
40. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों की मोटाई (बाइंडिंग साइड पर) पर जो बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे, "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।
41. प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रारम्भ में यथास्थान निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से प्राक्कथन द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित किया जायेगा, जिससे द्वितीय पक्ष को कार्यादेश के साथ ही निदेशालय से प्राप्त करना होगा।
42. पाठ्य पुस्तकें निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सी0डी0/हार्ड कापी के अनुसार ही मुद्रित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्ष द्वारा निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का यथास्थान समावेश करना होगा।
43. पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रकाशक का उल्लेख करते समय द्वितीय पक्ष द्वारा उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।




Ashish Bisht
राज इण्टर-हाईवेज

प्रबल गस एण्ड स्टेशनर्स
भालाद्वी रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)

44. द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित समस्त पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों पर नीचे मध्य भाग में पृष्ठ संख्या तथा समस्त दाहिने एवं बांये पृष्ठों पर बाहर की ओर उत्तराखण्ड शिक्षा सत्र 2017-18 तथा अन्दर की ओर बांये पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ्य पुस्तक का नाम तथा दाहिनी ओर के पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ का नाम अंकित किया जायेगा। सभी अंकना 10 प्वाइंट बोल्ड में मुद्रित की जायेगी।
45. मुद्रण कार्य की प्रुफ रीडिंग द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्तर से करवायी जायेगी। अतः अक्षर, मात्रा, अंक, दशमलव, बिन्दु, कौमा, अर्द्धविराम, गणित के चिन्ह आदि टूटे-छूटे, मिटने या स्थान बदलने से होने वाली त्रुटि की स्थिति में नहीं हों, के लिए प्रूफ रीडिंग अत्यधिक सावधानी से की जानी होगी।
46. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में फान्ट का साइज, पुस्तकों का आकार, ट्रिम साइज, प्रिन्ट एरिया, स्पेसिंग एवं विषय सामग्री विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार ही किया जायेगा। जिन पुस्तकों की सी0डी0 उपलब्ध नहीं करायी जायेगी उनको दिये गये नमूनों के अनुसार मुद्रित किया जाना होगा। पुस्तकों के मुद्रण हेतु उपलब्ध कराई गयी सी0डी0 मात्र विषय वस्तु के लिए होंगी। शेष सभी आवश्यक तथ्य द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार स्वयं अंकित करने होंगे।
47. द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त इलस्ट्रेशन एवं चित्रांकन उत्तम इंक एवं रंग से विषयवस्तु के अनुरूप एवं समीपस्थ मुद्रित किया जायेगा, जिनका हेयर लाइन रजिस्ट्रेशन एकदम ठीक हो।
48. महत्वपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा महापुरुषों से सम्बन्धित तथ्य अद्यतन शुद्ध हों, जिसे प्रत्येक स्तर पर द्वितीय पक्ष द्वारा ठीक करना होगा। किसी भी प्रकार का विवाद उठने की स्थिति में द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा।
49. पाठ्य पुस्तकों की बाइंडिंग— द्वितीय पक्ष द्वारा 160 या कम पृष्ठों की पाठ्य पुस्तकों में सेंटर स्टिचिंग तीन तार तथा 160 से अधिक पृष्ठों वाली पाठ्य पुस्तकों की परफैक्ट बाइंडिंग की जायेगी।
50. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक पुस्तक की 25-25 प्रतियां निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, रामनगर बोर्ड तथा एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ बिना मूल्य के निदेशालय को उपलब्ध करवानी होगी।
51. समस्त जनपदों के बाजार में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर निम्नवत् विलम्ब-अर्थदण्ड निर्धारित किया जायेगा—
- 01 से 10 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 2%
 - 11 से 20 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 5%
 - 21 से 30 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 10%
 - 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में मुद्रक की सुरक्षा धनराशि जब्त कर, उसे काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।
52. द्वितीय पक्ष द्वारा यदि अनुबन्ध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी तथा काली सूची में दर्ज किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।





Ashish Bisht

राज इंटर्राईजेज
एडिशनर्स एण्ड स्टेशनर्स
कालाहारी रोड, तल्हाना (नैनीताल)


53. मुद्रण के उपरान्त द्वितीय पक्ष को 10.00 (दस) रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित मुद्रित कक्षा/विषयवार पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये ON LINE NUMBER का प्रमाण पत्र देना होगा।
54. द्वितीय पक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्यों तथा शर्तों को पूरा करने के उपरान्त उसकी सुरक्षा धनराशि वापस की जायेगी-
- फर्म द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करने एवं यह लिख कर देने पर कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
 - पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती करने के उपरान्त संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर।
 - समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक शिक्षा) द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण-पत्र जारी करने पर।
 - पाठ्य पुस्तकें अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पुष्टि के लिए मुद्रणोपरान्त फर्म द्वारा पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 25-25 प्रतियां अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ बिना मूल्य के निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवाने पर।
 - नोटरी द्वारा सत्यापित रुपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये On Line Number का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - निर्धारित प्रारूप (प्रस्तर-39) पर खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को आपूर्ति की गयी पाठ्य पुस्तकों का विवरण उपलब्ध करवाने पर।
55. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी बिड के साथ उपलब्ध करवाये गये कागज के नमूनों को भविष्य में आवश्यकतानुसार रासायनिक जांच करवाने के लिए निदेशालय में सीलड करके सुरक्षित रखा गया है।
56. ऐसे अप्रत्याशित कारण जो द्वितीय पक्ष के नियंत्रण से बाहर हैं, जिनका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता जैसे- युद्ध, क्रांति, आग, बाढ़, बीमारी फैलने की स्थिति में द्वितीय पक्ष लिखित रूप से निदेशालय को इसकी सूचना तुरन्त देगा तथा इसके कारणों का उल्लेख करेगा। जब तक निदेशालय द्वारा अन्य निर्देश नहीं दिये जायेंगे द्वितीय पक्ष अनुबंध के आधार पर अपने कर्तव्यों/कार्यों का जहां तक सम्भव हो, निर्वहन करता रहेगा।
57. सम्बन्धित कार्य के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे उत्तराखण्ड शासन के निर्णयार्थ (आर्बीट्रेशन) प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
58. सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के लिए सिर्फ देहरादून स्थित सुसंगत न्यायालय में ही मामला उठाया जा सकता है, अन्य किसी भी न्यायालय में नहीं।
59. द्वितीय पक्ष द्वारा उपर्युक्तानुसार विविदा के नियम, निर्देश एवं शर्तों का आंशिक/पूर्णतः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उसकी सुरक्षा धनराशि जब्त की जायेगी तथा काली सूची में दर्ज किया जायेगा।





राज इंटरनेट
 पब्लिशर्स एंड स्टेशनर्स
 कालाङ्गी रोड, देहरादून (उ.प्र.)

60. कार्य सम्पन्न करने के लिए द्वितीय पक्ष को जारी कार्यादेश एवं किये गये अनुबन्ध को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अर्थात् निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
61. उपर्युक्त बिन्दुओं में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों अर्थात् प्रथम पक्ष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून तथा द्वितीय पक्ष मैसर्स राज इण्टरप्राइजेज कालादूंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य 06 फरवरी 2017 को स्थान - निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून में निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव में आकर पूरी समझबूझ एवं स्वस्थ मस्तिष्क के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। दोनों ही पक्ष अनुबन्ध की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

<p>प्रथम पक्ष : निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून</p> <p>साक्षी-1 : हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम पता</p> <p>साक्षी-2 : हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम पता</p>	<p>द्वितीय पक्ष: नाम मैसर्स राज इण्टरप्राइजेज, कालादूंगी रोड, हल्द्वानी नैनीताल</p> <p>साक्षी-1 : हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम पता</p> <p>साक्षी-2 : हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम पता</p>
---	---




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK13000565472796P
Certificate Issued Date	: 03-Feb-2017 02:13 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1217204/ HALDWANI/ UK-NT
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK121720426006509728054P
Purchased by	: DEEPAK KUMAR AGARWAL
Description of Document	: Article Miscellaneous
Property Description	: N A
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: DEEPAK KUMAR AGARWAL
Second Party	: N A
Stamp Duty Paid By	: DEEPAK KUMAR AGARWAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write अप्रामाण्य पत्र on this line

विषय :

वर्ष 2017-18 के लिए उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त, हाईस्कूल/इण्टर/विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा IX से XII की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में बिक्री के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करना।

प्रथम पक्ष :

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

द्वितीय पक्ष/मुद्रक

मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स,
बरेली रोड, हल्द्वानी,
नैनीताल।

Deepak Printers & Publishers
Bareilly Road,
HALDWANI (Nainital) UK.

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shoiesstamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

अनुबन्ध की तिथि/स्थान- ०६ फरवरी 2017, देहरादून।


- शिक्षा सत्र 2017-18 के लिए उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त/हाईस्कूल/इण्टर/विद्यालयों में कक्षा IX से XII की कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए प्रस्तर-03 में उल्लेखित पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्राविधानानुसार सम्पादित निविदा प्रक्रिया के क्रम में उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित प्रथम पक्ष अर्थात् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून एवं द्वितीय पक्ष अर्थात् मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप अनुबन्ध किया गया।
- द्वितीय पक्ष/मुद्रक निम्न सारणी में उल्लिखित पाठ्य पुस्तकों का उनके सम्मुख अंकित दरों (विक्रय मूल्य) पर मुद्रित कर उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहमत है :-

क्र० सं०	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	निर्धारित विक्रय मूल्य 2017-18	मुद्रणार्थ निर्धारित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IX	क्षितिज भाग-1	58.81	35000
2	IX	कृतिका भाग-1	26.73	33000
3	IX	Beehive - English Text Book	69.50	27000
4	IX	Moments - English Suppl. Reader	37.43	26000
5	IX	शेमुशी प्रथमो भाग	53.46	21000
6	IX	गणित	144.35	27000
7	IX	विज्ञान	117.62	26000
8	IX	भारत और समकालीन विश्व I-इतिहास	122.97	20000
9	IX	समकालीन भारत I-भूगोल	53.46	21000
10	IX	अर्थशास्त्र	48.12	19000
11	IX	लोकतांत्रिक राजनीति-I	85.54	14000
12	IX	नवा-ए-उर्दू	122.97	1000
13	IX	कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास	29.94	68000
14	IX	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	32.08	68000

- पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशनाधिकार (कॉपीराइट) प्रथम पक्ष में निहित रहेगा, जो द्वितीय पक्ष के ऐसे दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वसूलेगा, जो प्रकाशनाधिकार के उल्लंघन से हो या पाठ्य पुस्तकों की किसी बात से सम्बन्धित उत्तरदायित्व के विषय में हो। द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लिखित आदेश के बिना उक्त पुस्तकों की आवंटित/आवंटित से अधिक प्रतियां से अधिक मुद्रित नहीं करेगा और न ही वह प्रथम पक्ष के लिखित आदेश के बिना उनको पुनः मुद्रित करेगा, इस प्रकार बिना लिखित आदेश के ऐसी मुद्रित सब प्रतियां मुद्रक से प्रथम






 Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road,
 HALDWANI (Nainital) UK.

पक्ष की ओर से जल कर ली जायेगी और मुद्रक उसके लिए किसी प्रतिकर का दावा नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में मुद्रक के विरुद्ध अलग से कार्यवाही भी की जायेगी।

5. द्वितीय पक्ष प्रस्तर-03 में उल्लिखित समस्त पाठ्य पुस्तकों को कार्यादेश जारी होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर मुद्रित कर खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्ध करवाने के लिए सहमत है।
6. शासन द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना प्राप्त होती है तो इस अवधि में किया गया परिवर्तन दोनों पक्षों को मान्य होगा। द्वितीय पक्ष संशोधित नवीनीकृत पाण्डुलिपि को मुद्रित करने के लिए बाध्य होंगे।
7. द्वितीय पक्ष उपर्युक्त प्रस्तर-03 में उल्लिखित दरों (विक्रय मूल्य) को सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकों में यथास्थान मुद्रित करेगा एवं इन्हीं दरों पर बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध करवायेगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त पुस्तकों को चार/दो आकर्षक रंगों में अथवा एक रंग में मुद्रित किया जायेगा।
9. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में प्रयुक्त होने वाले कागज की व्यवस्था स्वयं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी। जिसके लिए प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जायेगी।
10. **कागज की विशिष्टियाँ** : एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली की भांति ही पाठ्य पुस्तकों को निम्नलिखित मानकों के कागज पर मुद्रित किया जायेगा—
 - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में टेक्स्ट पेपर के लिए Maplitho Paper 80 GSM टाइप "A" नवीनतम संशोधित ISI मार्क 1848/2007 के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा।
 - आवरण पृष्ठ के लिए आर्ट कार्ड 220 GSM., नवीनतम संशोधित BIS specification 4658/1988 के निर्धारित मानकों का कागज प्रयोग में लाया जायेगा।
11. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में वही टैक्स्ट पेपर/आवरण पेज का कागज प्रयुक्त किया जायेगा, जो एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली की पुस्तकों में प्रयुक्त किया जा रहा है।
12. द्वितीय पक्ष को पूरे शिक्षा सत्र के दौरान मांग के अनुरूप छात्र/छात्राओं की सुविधा के लिए निर्धारित मूल्य (विक्रय मूल्य) पर पाठ्य पुस्तकें खुले बाजार में उपलब्ध रखनी/करवानी होगी। बाजार की मांग के अनुरूप यदि जारी किये गये कार्यादेश से अधिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के पुनर्मुद्रण की अनुमति प्रथम पक्ष से प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के पाठ्य पुस्तकों का पुनर्मुद्रण नहीं किया जायेगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित पुस्तकों की बिक्री **शैक्षिक सत्र : 2017-18** के उपरान्त नहीं की जायेगी।
14. मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की बिक्री/प्रयोग उत्तराखण्ड राज्य तक ही सीमित होगी। पाठ्य पुस्तकों का विक्रय राज्य की सीमाओं के बाहर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।



Ashish Bishnoi
Deepak Printers & Publishers
Bareilly Road,
HALDWANI (Nainital) UK.


15. **सुरक्षा धनराशि (Security Money):** द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष अर्थात् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से सुरक्षा धनराशि (Security Money), का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चेक/एन0एस0सी0/बैंक गारण्टी के रूप में बन्धक रखी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	सुरक्षा धनराशि का प्रकार	दिनांक	संख्या	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Fix Deposit	03-02-2017	NTB/2015 461661	3,58,540/-
शब्दों में (तीन लाख अठावन हजार पांच सौ चालीस)				

नोट : कॉलम 2 में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एनएससी/बैंक गारण्टी/आदि लिखें।

16. सुरक्षा धनराशि पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जांच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती एवं समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा जनपदों में पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण पत्र जारी करने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर वापस किया जायेगा।
17. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी बिड में जिस पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने का अनुबन्ध पत्र संलग्न किया गया है, अनिवार्यतः उसी पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता से कागज क्रय किया गया, के लिए मुद्रणोपरांत पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के बाद ही द्वितीय पक्ष की सुरक्षा धनराशि मुक्त की जायेगी।
18. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा यदि शिक्षा सत्र 2017-18 के लिए पाठ्य पुस्तकों की दरों को संशोधित किया जाता है तो तदनुसार संशोधित मूल्य के अनुपात में निविदा प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित किया जायेगा।
19. **पाठ्य पुस्तकों पर दी जाने वाली रॉयल्टी-** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक : F.No.-26-40/2005 - Pub.(TCS) दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के लिए 5% रॉयल्टी का भुगतान NCERT नई दिल्ली के लिये किया जायेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड की पाठ्य पुस्तकों पर एक समान रॉयल्टी देय होगी। शिक्षा सत्र के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा यदि रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार ही फर्मों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।
20. द्वितीय पक्ष द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली/ निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को कार्यादेश के सापेक्ष मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के कुल मूल्य पर 5% (पांच प्रतिशत) रॉयल्टी दी जायेगी। रॉयल्टी ड्राफ्ट के माध्यम से, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से बना हो, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवायी जानी है। रॉयल्टी का ड्राफ्ट देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में देय होना चाहिए।




 Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road,
 PALDWANI (Nainital) UK.


21. चयनित फर्म को पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करते समय यह लिख कर देना होगा कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
22. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित दरें, रॉयल्टी, समयावधि सहित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जायेगा। कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकें जो बिक्री होने से रह जाती हैं उनके भुगतान के लिए निदेशालय उत्तरदायी नहीं होगा।
23. द्वितीय पक्ष द्वारा अपना नैटवर्क राज्य के सभी जनपदों में इस प्रकार स्थापित किया जायेगा कि पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक तहसील, विकास खण्ड, न्याय पंचायतों में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री हेतु समय से उपलब्ध हो जायें, ताकि सभी छात्र/छात्राएँ पुस्तकें क्रय कर सकें। इस कार्य के लिए प्रथम पक्ष की ओर से किसी भी तरह का कोई दुलान व्यय देय नहीं होगा।
24. छात्र-छात्राओं को आसानी से पाठ्य पुस्तकें सुलभ हो सकें, के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा जनपदवार निम्नलिखित पुस्तक विक्रेताओं का चयन किया गया है। जिन्हें द्वितीय पक्ष द्वारा प्राथमिकता/अनिवार्य: रूप से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवानी होगी। जनपद स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता ही कार्य सम्पन्न होने की प्रमाणिकता मानी जायेगी। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से कार्य सम्पन्न नहीं समझा जायेगा—

क्र० सं०	जनपद	पुस्तक विक्रेता का नाम एवं पता	दूरभाष संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उत्तरकाशी	मै० रमेश दिनेश पुस्तक भण्डार, उत्तरकाशी	
2.	टिहरी गढ़वाल	मै० ब्रह्मानन्द बुक डिपो, नई टिहरी	
3.	रूद्रप्रयाग	मै० हिमालयन बुक डिपो, रूद्रप्रयाग	
4.	चमोली	मै० रोहित पुस्तक भण्डार	
5.	पौड़ी गढ़वाल	मै० राजेन्द्र बुक डिपो पौड़ी	
6.	देहरादून	मै० इन्दर बुक डिपो देहरादून	
7.	हरिद्वार	मै० भार्गव पुस्तक भण्डार हरिद्वार	
8.	ऊधमसिंह नगर	मै० विनोद पुस्तक भण्डार रूद्रपुर,	
9.	नैनीताल	मै० पूरणमल एण्ड सन्स नैनीताल	
10.	अल्मोड़ा	मै० नागेश बुक डिपो नैनीताल	
11.	बागेश्वर	मै० शिवा बुक डिपो बागेश्वर	
12.	पिथौरागढ़	मै० मनीराम पुनेठा पिथौरागढ़	
13.	चम्पावत	मै० बगोली स्टेशनर्स चम्पावत	

नोट: द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पुस्तक विक्रेताओं की विस्तृत सूची अनुबन्ध के अन्त में संलग्न है।

25. द्वितीय पक्ष की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए तथा छात्र हित में पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त कार्य एक ही फर्म को दिये जाने के स्थान पर अन्य फर्मों को भी निर्धारित दर पर कार्य आबंटित किया जा सकता है। जिसके लिए पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अन्तिम माना जायेगा।


 Leepak Printers & Publishers
 Bareilly Road,
 HALDWANI (Nainital) UK.

26. द्वितीय पक्ष द्वारा खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करते समय सर्वप्रथम निदेशालय को निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी—


क्र० सं०	पुस्तक विक्रेता का विवरण		कक्षा	पाठ्य पुस्तक	आपूर्ति संख्या	Online Number	
	जनपद	नाम/पता				कहां से	कहां तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
योग							

27. मुद्रण के दौरान पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में प्रयुक्त हो रहे बिना मुद्रित कागज के नमूने लेकर तथा मुद्रणोपरान्त मुद्रित कागज की रासायनिक जांच करवायी जायेगी। कागज की गुणवत्ता में संदेह की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर कई बार कागज की जांच करवायी जा सकती है जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा भी समय-समय पर गुणवत्ता की जांच प्रेस में जाकर की जायेगी जिसके लिए द्वितीय पक्ष द्वारा अपेक्षित सहयोग दिया जायेगा।
28. कागज की रासायनिक जांच के अनुसार मानकों में कमी पाये जाने पर पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा द्वितीय पक्ष पर दण्ड निर्धारित किया जायेगा। द्वितीय पक्ष को समिति का निर्णय मान्य होगा।
29. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर फर्म एवं बाजार में कार्य का निरीक्षण किया जायेगा।
30. पाठ्य पुस्तकों को चार या दो रंगों में अथवा एक रंग में मुद्रित किया जायेगा।
31. पाठ्य पुस्तकों की संख्या/पृष्ठों की संख्या घट-बढ़ सकती है तथा नामों में भी परिवर्तन हो सकता है, जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा विभागीय निर्देशानुसार परिवर्तित करना होगा। परिवर्तन की स्थिति में पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित दरों (विक्रय मूल्य) में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
32. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप (पेपर, पाठ्य पुस्तक का साइज, प्रिन्टिंग एवं बाइंडिंग) ही मुद्रित की जायेंगी
33. आवरण पृष्ठों का मुद्रण इस प्रकार किया जायेगा कि इनका उपयोग किसी अन्य द्वारा न किया जा सके।
34. सभी आवरण पृष्ठ चार रंगों में मुद्रित होंगे।
35. पाठ्य पुस्तकें आवरण पृष्ठ सहित फोर कलर में कवर, बैक कवर तथा इन साइड कवर तथा इन साइड बैक कवर/टू कलर कवर, वन कलर इन साइड में मुद्रित होंगी। प्रत्येक कवर पर 12 डिजिट में ON LINE NUMBER मुद्रित किये जायेंगे, जो कार्यादेश के साथ ही द्वितीय पक्ष द्वारा निदेशालय से प्राप्त करने होंगे।
36. प्रथम पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के आवरण पृष्ठों को पृथक से एक अलग सी0डी0 में कार्यादेश के साथ ही उपलब्ध किया जायेगा। आवरण पृष्ठ इसके लिए निर्धारित मानक के कागज पर मुद्रित किये जायेंगे जो किसी भी दशा में एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों से कम नहीं होंगे। अक्षर एवं चित्र सुस्पष्ट होने चाहिए।

Assign Diskt
Deepak Printers & Publishers
Bareilly Road,
ALDWANI (Nainital) P.K.

37. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लाल रंग से मोटे अक्षरों में चार खाने के अन्दर "Royalty Paid Book" अंकित किया जायेगा।
38. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के कवर पेज पर Hologram तथा ON LINE NUMBER अंकित किया जायेगा ताकि पुस्तकों की विश्वसनीयता बनी रहे और नकली पाठ्य पुस्तकों बाजार में न आ सकें।
39. एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली तथा राज्य सरकार द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों में भिन्नता के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र : 2017-18" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर "उत्तराखण्ड वर्ष : 2017-18" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा।
40. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों की मोटाई (बाइंडिंग साइड पर) पर जो बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे, "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।
41. प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रारम्भ में यथास्थान निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से प्राक्कथन द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित किया जायेगा, जिससे द्वितीय पक्ष को कार्यदेश के साथ ही निदेशालय से प्राप्त करना होगा।
42. पाठ्य पुस्तकें निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सी0डी0/हार्ड कापी के अनुसार ही मुद्रित की जायेगी। इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्ष द्वारा निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का यथास्थान समावेश करना होगा।
43. पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रकाशक का उल्लेख करते समय द्वितीय पक्ष द्वारा उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।
44. द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित समस्त पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों पर नीचे मध्य भाग में पृष्ठ संख्या तथा समस्त दाहिने एवं बांये पृष्ठों पर बाहर की ओर उत्तराखण्ड शिक्षा सत्र 2017-18 तथा अन्दर की ओर बांये पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ्य पुस्तक का नाम तथा दाहिनी ओर के पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ का नाम अंकित किया जायेगा। सभी अंकना 10 प्वाइंट बोल्ड में मुद्रित की जायेगी।
45. मुद्रण कार्य की प्रूफ रीडिंग द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्तर से करवायी जायेगी। अतः अक्षर, मात्रा, अंक, दशमलव, बिन्दु, कौमा, अर्द्धविराम, गणित के चिन्ह आदि टूटे-छूटे, मिटने या स्थान बदलने से होने वाली त्रुटि की स्थिति में नहीं हों, के लिए प्रूफ रीडिंग अत्यधिक सावधानी से की जानी होगी।
46. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में फान्ट का साइज, पुस्तकों का आकार, ट्रिम साइज, प्रिन्ट एरिया, स्पेसिंग एवं विषय सामग्री विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार ही किया जायेगा। जिन पुस्तकों की सी0डी0 उपलब्ध नहीं करायी जायेगी उनको दिये गये नमूनों के अनुसार मुद्रित किया जाना होगा। पुस्तकों के मुद्रण हेतु उपलब्ध कराई गयी सी0डी0 मात्र विषय वस्तु के लिए होगी। शेष सभी आवश्यक तथ्य द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार स्वयं अंकित करने होंगे।





 Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road,
 HALDWANI (Nainital) UK.


47. द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त इलस्ट्रेशन एवं चित्रांकन उत्तम इंक एवं रंग से विषयवस्तु के अनुरूप एवं समीपस्थ मुद्रित किया जायेगा, जिनका हेयर लाइन रजिस्ट्रेशन एकदम ठीक हो।
48. महत्वपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा महापुरुषों से सम्बन्धित तथ्य अद्यतन शुद्ध हों, जिसे प्रत्येक स्तर पर द्वितीय पक्ष द्वारा ठीक करना होगा। किसी भी प्रकार का विवाद उठने की स्थिति में द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा।
49. पाठ्य पुस्तकों की बाइंडिंग— द्वितीय पक्ष द्वारा 160 या कम पृष्ठों की पाठ्य पुस्तकों में सेंटर स्टिचिंग तीन तार तथा 160 से अधिक पृष्ठों वाली पाठ्य पुस्तकों की परफैक्ट बाइंडिंग की जायेगी।
50. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक पुस्तक की 25-25 प्रतियां निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, रामनगर बोर्ड तथा एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ बिना मूल्य के निदेशालय को उपलब्ध करवानी होगी।
51. समस्त जनपदों के बाजार में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर निम्नवत् विलम्ब-अर्धदण्ड निर्धारित किया जायेगा—
- 01 से 10 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 2%
 - 11 से 20 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 5%
 - 21 से 30 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 10%
 - 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में मुद्रक की सुरक्षा धनराशि जब्त कर, उसे काली सूची में दर्ज करने की वस्तुति की जायेगी।
52. द्वितीय पक्ष द्वारा यदि अनुबन्ध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगा तथा काली सूची में दर्ज किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
53. मुद्रण के उपरान्त द्वितीय पक्ष को 10.00 (दस) रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित मुद्रित कक्षा/विषयवार पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये ON LINE NUMBER का प्रमाण पत्र देना होगा।
54. द्वितीय पक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्यों तथा शर्तों को पूरा करने के उपरान्त उसकी सुरक्षा धनराशि वापस की जायेगी—
- फर्म द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करने एवं यह लिख कर देने पर कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
 - पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती करने के उपरान्त संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर।




Ashish Bhat
 Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road,
 HALDWANI (Nainital) UK.


- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक शिक्षा) द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण-पत्र जारी करने पर।
 - पाठ्य पुस्तकें अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पुष्टि के लिए मुद्रणोपरान्त फर्म द्वारा पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 25-25 प्रतियां अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ बिना मूल्य के निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवाने पर।
 - नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये **On Line Number** का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - निर्धारित प्रारूप (प्रस्तर-39) पर खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को आपूर्ति की गयी पाठ्य पुस्तकों का विवरण उपलब्ध कराने पर।
55. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी बिड के साथ उपलब्ध करवाये गये कागज के नमूनों को भविष्य में आवश्यकतानुसार रासायनिक जांच करवाने के लिए निदेशालय में सीलड करके सुरक्षित रखा गया है।
56. ऐसे अप्रत्याशित कारण जो द्वितीय पक्ष के नियंत्रण से बाहर हैं, जिनका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता जैसे- युद्ध, क्रांति, आग, बाढ़, बीमारी फैलने की स्थिति में द्वितीय पक्ष लिखित रूप से निदेशालय को इसकी सूचना तुरन्त देगा तथा इसके कारणों का उल्लेख करेगा। जब तक निदेशालय द्वारा अन्य निर्देश नहीं दिये जायेंगे द्वितीय पक्ष अनुबंध के आधार पर अपने कर्तव्यों/कार्यों का जहां तक सम्भव हो, निर्वहन करता रहेगा।
57. सम्बन्धित कार्य के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे उत्तराखण्ड शासन के निर्णयार्थ (आर्बीट्रेशन) प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
58. सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के लिए सिर्फ देहरादून स्थित सुसंगत न्यायालय में ही मामला उठाया जा सकता है, अन्य किसी भी न्यायालय में नहीं।
59. द्वितीय पक्ष द्वारा उपर्युक्तानुसार निविदा के नियम, निर्देश एवं शर्तों का आंशिक/पूर्णतः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उसकी सुरक्षा धनराशि जब की जायेगी तथा काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
60. कार्य सम्पन्न करने के लिए द्वितीय पक्ष को जारी कार्यादेश एवं किये गये अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अर्थात् निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।






Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road,
 HALDWANI (Nainital) UK.


61. उपर्युक्त बिन्दुओं में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों अर्थात् प्रथम पक्ष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून तथा द्वितीय पक्ष मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य 06 फरवरी 2017 को स्थान - निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून में निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव में आकर पूरी समझबूझ एवं स्वस्थ मस्तिष्क के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। दोनों ही पक्ष अनुबन्ध की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

प्रथम पक्ष : निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 ननूरखेड़ा, देहरादून।

साक्षी-1 : हस्ताक्षर 
 नाम एवं पदनाम
 पता रामकृष्णानिमाल
 अय निदेशक (माठ)
 अठ (1995)

साक्षी-2 : हस्ताक्षर 
 नाम एवं पदनाम
 पता अय प्रकाश यादव
 अय निदेशक (माठ)
 माठ शिव निदेशालय
 देहरादून

द्वितीय पक्ष : नाम Ashish Bisht
 मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स
 बरेली रोड, हल्द्वानी,
 नैनीताल NI (Nainital) UK

साक्षी-1 : हस्ताक्षर 
 नाम एवं पदनाम
 पता राज शंकर प्रिन्टर्स
 काठमांडू रोड हल्द्वानी

साक्षी-2 : हस्ताक्षर
 नाम एवं पदनाम
 पता

निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून।

आदेश संख्या : पा.पु. / 1424 / नौ-II(36) / 2016-17, दिनांक 19 फरवरी 2017.

कार्यादेश

शिक्षा सत्र 2017-18 के लिए कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के अनुसार सम्पादित निविदा प्रक्रिया तथा इस निमित्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून तथा मैसर्स राज इण्टर प्राईजेज, कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य हुए अनुबन्ध दिनांक 06 फरवरी 2017 के अनुरूप कार्य सम्पन्न करने के लिए मैसर्स राज इण्टर प्राईजेज, कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल को निम्न सारणी में अंकित विवरणानुसार कार्यादेश जारी होनी की तिथि से 45 दिन की सीमान्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यादेश जारी किया जाता है-

क्र.सं.	कक्षा	पाठ्य-पुस्तक	निर्धारित विक्रय मूल्य 2017-18	मुद्रणार्थ निर्धारित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	X	क्षितिज भाग-2	64.19	23000
2	X	कृतिका भाग-2	32.09	24000
3	X	First Flight - English	74.89	23000
4	X	Foot Prints without Feet	37.44	22000
5	X	शेमुषी द्वितीया भाग	64.19	16000
6	X	गणित	149.77	22000
7	X	विज्ञान	144.42	23000
8	X	भारत और समकालीन विश्व II-इतिहास	133.72	14000
9	X	समकालीन भारत II-भूगोल	69.54	15000
10	X	आर्थिक विकास की समझ	69.54	13000
11	X	लोकतांत्रिक राजनीति-II	85.58	16000
12	X	नवा-ए-उर्दू	85.58	1000
13	X	कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास	29.95	68000
14	X	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	32.09	47000
15	XI	आरोह भाग-1	69.56	24000
16	XI	वितान भाग-1	26.75	21000
17	XI	अभिव्यक्ति और माध्यम	155.16	2000
18	XI	Hornbill - English Core	53.51	24000
19	XI	Snapshot - English Suppl.	37.45	21000
20	XI	भास्वती प्रथमो भाग	64.21	7000
21	XI	गणित	192.62	7000




22	XI	जीव विज्ञान	214.02	4000
23	XI	रसायन भाग-1	165.87	7000
24	XI	रसायन भाग-2	112.36	6000
25	XI	भौतिकी भाग-1	139.11	7000
26	XI	भौतिकी भाग-2	112.36	7000
27	XI	विश्व इतिहास के कुछ विषय	165.87	3000
28	XI	भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त	85.61	6000
29	XI	भारत : भौतिक पर्यावरण	58.86	4000
30	XI	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग-1	85.61	4000
31	XI	अर्थशास्त्र में सांख्यिकी	58.86	6000
32	XI	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास	90.96	6000
33	XI	भारत का संविधान	107.01	6000
34	XI	राजनीति सिद्धान्त	74.91	6000
35	XI	समाज शास्त्र परिचय	48.15	3000
36	XI	समाज का बोध	48.15	3000
37	XI	व्यवसाय अध्ययन	74.91	1000
38	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-1	80.26	1000
39	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-2	74.91	1000
40	XI	मनोविज्ञान का परिचय	128.41	1000
41	XI	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	69.56	1000
42	XII	आरोह भाग-2	74.89	21000
43	XII	वित्तान भाग-2	42.8	20000
44	XII	Flamingo - English Core	48.15	18000
45	XII	Vistas - English Suppl. Reader Core	42.8	18000
46	XII	संस्कृत - भास्वती-II	37.45	8000
47	XII	गणित भाग-I	123.04	8000
48	XII	गणित भाग-II	139.09	8000
49	XII	जीवविज्ञान	181.88	4000
50	XII	रसायन भाग-1	181.88	5000
51	XII	रसायन भाग-2	123.04	3000
52	XII	भौतिकी भाग-1	181.88	3000
53	XII	भौतिकी भाग-2	149.79	2000
54	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-1	85.59	3000
55	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-2	101.64	2000
56	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-3	123.04	2000
57	XII	मानव भूगोल के मूल सिद्धान्त	69.54	3000

58	XII	भारत – लोग और अर्थव्यवस्था	101.64	5000
59	XII	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य – भाग 2	53.5	2000
60	XII	व्यष्टि अर्थशास्त्र – एक परिचय	69.54	5000
61	XII	समष्टि अर्थशास्त्र – एक परिचय	69.54	5000
62	XII	समकालीन विश्व राजनीति	106.99	6000
63	XII	स्वतंत्र भारत में राजनीति	133.74	6000
64	XII	भारत में सामाजिक परिवर्तन	112.34	2000
65	XII	भारतीय समाज – समाजशास्त्र	112.34	2000
66	XII	व्यवसाय अध्ययन-1	64.19	1000
67	XII	व्यवसाय अध्ययन-2	53.5	1000
68	XII	अलाभकारी संस्थायें एवं साझेदारी खाते	90.94	1000
69	XII	कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	106.99	1000
70	XII	मनोविज्ञान	133.74	1000
71	XII	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	53.5	1000

02- उपर्युक्त सारणी के अनुरूप निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का विक्रय मूल्य, मुद्रक द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक पर यथास्थान बड़े फॉण्ट में अंकित/मुद्रित किया जायेगा।

03- प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के कवर पेज पर Hologram तथा 12 digit On Line Number अंकित किया जायेगा। पाठ्य पुस्तकवार On Line Number संलग्न हैं। (संलग्नक-1)

04- पाठ्य पुस्तकों की DVDs भी कार्यादेश के साथ ही संलग्न कर उपलब्ध करवायी जा रही हैं। मुद्रक सर्वप्रथम DVDs को खोलकर चेक कर लें ताकि बाद में DVDs खुलने से सम्बन्धित कोई समस्या न आये। (संलग्नक-2)

05- आवरण पृष्ठों के लिए पृथक से DVDs उपलब्ध करवायी जा रही हैं। मुद्रक DVDs के अनुसार आवरण पृष्ठ तैयार करेंगे। (संलग्नक-3)

06- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से तैयार किये गये प्राक्कथन की प्रति पाठ्य पुस्तकों में यथास्थान मुद्रित करने के लिए अंग्रेजी (भाषा) के लिए अंग्रेजी, तथा अन्य पाठ्य पुस्तकों के लिए हिन्दी में संलग्न है। (संलग्नक-4, 5)

07- पाठ्य पुस्तकों की मोटाई पर जो बाहर की ओर से स्पष्ट रूप से दिखायी दे, "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित करना होगा। पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र : 2017-18" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर सम्बन्धित "पाठ्य पुस्तक का नाम" एवं "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2017-18" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा, इससे एन0सी0ई0आर0टी0 व राज्य सरकार की पुस्तकों में भिन्नता रहेगी।

08- प्रकाशक का उल्लेख करते समय उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।

09 यदि प्रथम पक्ष को कक्षा 10, 11 एवं 12 की अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा मांग के अनुरूप पाठ्य-पुस्तकों तत्काल प्रथम पक्ष को उपलब्ध करानी होगी।

10 प्रथम पक्ष द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड राज्य द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण से पूर्व इन पाठ्य-पुस्तकों की प्रुफ रीडिंग एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड से अवश्य करवानी होगी।

11- विगत वर्षों के लिए मुद्रित की गयी पाठ्य पुस्तकों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध न करवाया जाय। ऐसा करने पर फर्म को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।

12- उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कार्यादेश इस निमित्त किये गये अनुबन्ध से आच्छादित रहेगा। दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षरयुक्त अनुबन्ध की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-6)

13- अनुबन्ध एवं कार्यादेश को निरस्त करने का अधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड में सुरक्षित रहेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

(आर.के. कुंवर) 2.2.2017
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0 : पा.पु./ 34231-35/नौ-II(36)/2016-17, दिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मैसर्स राज इण्टर प्राईजेज, कालादुंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल
2. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

(आर.के. कुंवर) 2.2.2017
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या : पा.पु. / 1423 / नौ-II(36) / 2016-17, दिनांक 1^o फरवरी 2017,

कार्यादेश

शिक्षा सत्र 2017-18 के लिए कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के अनुसार सम्पादित निविदा प्रक्रिया तथा इस निमित्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून तथा मैसर्स दीपक प्रिंटर्स एण्ड पब्लिसर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य हुए अनुबन्ध दिनांक 06 फरवरी 2017 के अनुरूप कार्य सम्पन्न करने के लिए मैसर्स दीपक प्रिंटर्स एण्ड पब्लिसर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल को निम्न सारणी में अंकित विवरणानुसार कार्यादेश जारी होनी की तिथि से 45 दिन की सीमान्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यादेश जारी किया जाता है-

क्र० सं०	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	निर्धारित विक्रय मूल्य 2017-18	मुद्रणार्थ निर्धारित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IX	क्षितिज भाग-1	58.81	35000
2	IX	कृतिका भाग-1	26.73	33000
3	IX	Beehive - English Text Book	69.50	27000
4	IX	Moments - English Suppl. Reader	37.43	26000
5	IX	शमुशी प्रथमो भाग	53.46	21000
6	IX	गणित	144.35	27000
7	IX	विज्ञान	117.62	26000
8	IX	भारत और समकालीन विश्व I-इतिहास	122.97	20000
9	IX	समकालीन भारत I-भूगोल	53.46	21000
10	IX	अर्थशास्त्र	48.12	19000
11	IX	लोकतांत्रिक राजनीति-I	85.54	14000
12	IX	नवा-ए-उर्दू	122.97	1000
13	IX	कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास	29.94	68000
14	IX	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा	32.08	68000

02- उपर्युक्त सारणी के अनुरूप निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का विक्रय मूल्य, मुद्रक द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक पर यथास्थान बड़े फॉण्ट में अंकित/मुद्रित किया जायेगा।

03- प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के कवर पेज पर Hologram तथा 12 digit On Line Number अंकित किया जायेगा। पाठ्य पुस्तकवार On Line Number संलग्न हैं। (संलग्नक-1)

04- पाठ्य पुस्तकों की DVDs भी कार्यादेश के साथ ही संलग्न कर उपलब्ध करवायी जा रही हैं। मुद्रक सर्वप्रथम DVDs को खोलकर चेक कर लें ताकि बाद में DVDs खुलने से सम्बन्धित कोई समस्या न आये। (संलग्नक-2)



05- आवरण पृष्ठों के लिए पृथक से DVDs उपलब्ध करवायी जा रही है। मुद्रक DVDs के अनुसार आवरण पृष्ठ तैयार करेंगे। (संलग्नक-3)

06- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से तैयार किये गये प्राक्कथन की प्रति पाठ्य पुस्तकों में यथास्थान मुद्रित करने के लिए अंग्रेजी (भाषा) के लिए अंग्रेजी, तथा अन्य पाठ्य पुस्तकों के लिए हिन्दी में संलग्न है। (संलग्नक-4, 5)

07- पाठ्य पुस्तकों की मोटाई पर जो बाहर की ओर से स्पष्ट रूप से दिखायी दे, "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित करना होगा। पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र : 2017-18" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर सम्बन्धित "पाठ्य पुस्तक का नाम" एवं "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2017-18" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा, इससे एन0सी0ई0आर0टी0 व राज्य सरकार की पुस्तकों में भिन्नता रहेगी।

08- प्रकाशक का उल्लेख करते समय उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।

09- यदि प्रथम पक्ष को कक्षा 9 की अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा मांग के अनुरूप पाठ्य-पुस्तकें तत्काल प्रथम पक्ष को उपलब्ध करानी होगी।

10- प्रथम पक्ष द्वारा एन0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड राज्य द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण से पूर्व इन पाठ्य-पुस्तकों की प्रुफ रीडिंग एन0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड से अवश्य करवानी होगी।

11- विगत वर्षों के लिए मुद्रित की गयी पाठ्य पुस्तकों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध न करवाया जाय। ऐसा करने पर फर्म को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।

12- उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कार्यादेश इस निमित्त किये गये अनुबन्ध से आच्छादित रहेगा। दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षरयुक्त अनुबन्ध की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-6)

13- अनुबन्ध एवं कार्यादेश को निरस्त करने का अधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड में सुरक्षित रहेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

(आ.क. कुंवर)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0 : पा.पु./34225-30/नौ-11(36)/2016-17, दिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल
2. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

(आ.क. कुंवर)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

अनुभाग- पाठ्य पुस्तक

मैनुअल (2017-18)

क्र.सं.	शासनादेश सं०/आदेश सं/कार्यालय ज्ञाप, अनुबन्ध पत्र
1	शासनादेश संख्या 403/XXIV(1)/न०सू०अनु०/2017/34/2010T.C बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 23 अगस्त 2017
2	उत्तराखण्ड शासन कार्यालय ज्ञाप संख्या 541/XXIV(1)/न०सू०अनु०/108/2017 बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 06 सितम्बर 2017
3	उत्तराखण्ड शासन कार्यालय ज्ञाप संख्या 578/XXIV(1)/न०सू०अनु०/34/2010 T.C बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 26 सितम्बर 2017
4	शासनादेश संख्या 594/XXIV(1)/न०सू०अनु०/114/2017 T.C बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 17 अक्टूबर 2017
5	शासनादेश संख्या 789/XXIV(1)/न०सू०अनु०/114/2017 T.C बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 7 दिसम्बर 2017
6	ई-निविदा ड्राक्यूमेंट दिनांक 14 दिसम्बर 2017
7	एन.सी.ई.आर.टी. कॉपीराइट दिनांक 11 जनवरी 2018
8	शासनादेश संख्या 154/XXIV(1)/न०सू०अनु०/114/2017 बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 22 जनवरी 2018
9	पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ चयनित फर्म दीपक प्रिंटर एण्ड पब्लिशर्स, हल्द्वानी के साथ सम्पन्न अनुबन्ध पत्र दिनांक 25 जनवरी 2018
10	कार्यादेश संख्या पा०पु०/1371/नौ-II(42)/2017-18 दिनांक 25 जनवरी 2018
11	शासनादेश संख्या 324/XXIV(1)/न०सू०अनु०/114/2017 T.C बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 16 मार्च 2018
12	ई-निविदा ड्राक्यूमेंट दिनांक 23 अप्रैल 2018
13	पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ चयनित फर्म जी-टैक प्रिंट वर्क्स, साईट-ए, मथुरा के साथ सम्पन्न अनुबन्ध पत्र दिनांक 5 मई 2018
14	कार्यादेश संख्या पा०पु०/218/नौ-II(45)/2018-19 दिनांक 05 मई 2018

संख्या 403 /XXIV(1) नवसृजित/2017/34/2010TC

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून दिनांक 23 अगस्त, 2017

विषय:—आई०सी०एस०सी०बोर्ड के विद्यालयों को छोड़कर राज्य के समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से कक्षा 1 से 12 तक एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकें लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

नहोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 8374/विविध/2017-18 दिनांक 18 जुलाई, 2017 के संदर्भ में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं / प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाने तथा छात्रों के अभिभावकों पर आने वाले अनियंत्रित व्ययभार से राहत दिलाने हेतु आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 में आई०सी०एस०सी० बोर्ड के विद्यालयों को छोड़कर प्रदेश में स्थित राजकीय / सहायता प्राप्त अशासकीय / मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों व अंग्रेजी माध्यम से संचालित समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक एन०सी०ई०आर०टी० की पाठ्य पुस्तकें लागू की जायेंगी।

2- कक्षा 1 से 12 तक की विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जायेगा तथा इस हेतु आगामी सत्र 2018-19 में सर्वप्रथम कक्षा 3 एवं कक्षा 6 में एन०सी०ई०आर०टी० की अंग्रेजी माध्यम की विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को लागू किया जाये एवं आगामी वर्षों में इसे क्रमोत्तर रूप में संचालित किया जाय।

3- राज्य में कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों में एन०सी०एफ० 2005 के मानकों के अनुसार संचालित पाठ्यक्रम को एन०सी०ई०आर०टी० से अनुमति प्राप्त कर उक्त पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय परिवेश में सम्बन्धित पाठ्य सामग्री सम्मिलित की जाये।

4- राज्य के समस्त राजकीय / सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं हेतु एन०सी०ई०आर०टी० से कॉपीराइट प्राप्त कर एन० सी० ई० आर० टी० की पाठ्य पुस्तकें लागू करते हुए वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन व परिवर्द्धन किया जायेगा एवं राजकीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं हेतु पाठ्य पुस्तकों का व्ययभार सर्व शिक्षा अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्ववत् बहन किया जाता रहेगा। निजी तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए पाठ्य पुस्तकें कय हेतु बाजार में उपलब्ध कराई जायेगी।

5- कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत एस०सी०/एस०टी० छात्रों के लिए एन०सी०ई०आर०टी० से कॉपी राइट प्राप्त कर पुस्तकें मुद्रित कर छात्रों को उपलब्ध करायी जायेगी।

23

तथा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अन्य छात्रों, सहायता प्राप्त विद्यालयों, मान्यता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों के समस्त छात्रों हेतु पुस्तकें मुद्रित कर कय हेतु बाजार में उपलब्ध करायी जायेगी।

6- कक्षा 1 से 12 तक के अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों को विद्यालयों की मांग के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तकें भी मुद्रित कराई जायेगी।

7- एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तकों के अध्यापन हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।


8- मितव्ययता के दृष्टिगत विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना की जाय तथा एक वर्ष की पुस्तकों से आगामी शिक्षा सत्र के छात्रों को भी लाभान्वित किया जाय।

9- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधित) नियमावली 2017 के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतः आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 65(म0)/वित्त व्यय (नियंत्रण) अनुभाग-3 दिनांक 22-8-2017 में प्राप्त उत्तकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव

संख्या (1)/XXIV(1) नवसृजित/2018/34/2010Vol-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तराखण्ड।
- 7- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड देहरादून।
- 8- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल -नैनीताल।
- 9- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल-पौड़ी।
- 10- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 12- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 13- माध्यमिक शिक्षा अनुभाग -3 / वित्त व्यय (नियंत्रण) अनुभाग-3
- 14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव

2084
14/09/18

40

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग
संख्या S-4/XXIV(1)/न0सृ0अनु0/108/2017
देहरादून: दिनांक 06 सितम्बर, 2017

उपनिष्ठाध्यक्ष

मं

14/09/18

कार्यालय-ज्ञाप

शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पाठ्य-पुस्तक समिति का निम्नवत गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- | | |
|---|--------------|
| 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड | अध्यक्ष |
| 2- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 3- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 4- निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 5- वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 6- अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 7- अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 8- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की | सदस्य |
| 9- संयुक्त/उप निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 10- वित्त अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 11- संयुक्त निदेशक, पाठ्य पुस्तक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड | सचिव |
| 12- संयुक्त/उप निदेशक, पाठ्य पुस्तक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड | संयुक्त सचिव |

उक्त समिति पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित प्राविधानानुसार, निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्तों का निर्धारण तकनीकी एवं वित्तीय बिड का निरीक्षण करने के लिए तथा पाठ्य पुस्तकों की ससमय आपूर्ति हेतु गठित होगी तथा पाठ्य पुस्तक समिति मुद्रण/मुद्रणोत्तर सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दु पर निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत होगी।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव (प्रभारी)

संख्या 54/1/XXIV(1)/न०स०अनु०/108/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
- 4- निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
- 5- वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड।
- 7- अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
- 8- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की।
- 9- संयुक्त/उप निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 10- वित्त अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
- 11- संयुक्त निदेशक, पाठ्य पुस्तक, एस०सी०ई०आर०टी०, उत्तराखण्ड।
- 12- संयुक्त/उप निदेशक, पाठ्य पुस्तक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)

(दिनेश चन्द्र जोशी)

उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
बैसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग
संख्या 578/XXIV(1)/न0सृ0अनु0/34/2010 T.C.
देहरादून: दिनांक 26 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तकें संचालित किए जाने के दृष्टिगत राज्य के समस्त राजकीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के छात्र-छात्राओं हेतु निःशुल्क/सःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पाठ्य पुस्तक प्रकोष्ठ का निम्नवत एतद्वारा गठन किया जाता है:-

1- पाठ्य पुस्तक अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
2- अपर निदेशक	महानिदेशक कार्यालय
3- संयुक्त निदेशक	एस0सी0ई0आर0टी0
4- उप निदेशक	विभागीय
5- वित्त अधिकारी	विद्यालयी शिक्षा
6- लेखाकार	विद्यालयी शिक्षा
7- बुक्स डिजाईनिंग / डी0टी0पी0 ऑपरेटर	विभागीय
8- कागज विशेषज्ञ	लिथो प्रेस रुड़की
9- प्रुफ रीडर (हिन्दी / संस्कृत)	विभागीय, प्रवक्ता स्तर
10- प्रुफ रीडर (अंग्रेजी)	विभागीय, प्रवक्ता स्तर
11- प्रुफ रीडर (विज्ञान / गणित)	विभागीय, प्रवक्ता स्तर
12- प्रुफ रीडर (अन्य विषय)	विभागीय, प्रवक्ता स्तर
13- वरिष्ठ प्रशासनिक / प्रशासनिक अधिकारी	विभागीय
14- कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर आपरेटर	02 (विभागीय)
15- परिचारक	विभागीय

पाठ्य पुस्तक अधिकारी के कार्य दायित्व निम्नवत होंगे:-

- (1) कक्षा 1 से 12 तक के राज्य के समस्त राजकीय / सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त विद्यालयों हेतु गन्तब्य (For Destination) / बाजार में, ससमय, निःशुल्क एवं सशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।

- (2) पाठ्य पुस्तक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रतिवर्ष शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से कम से कम 15 दिन पूर्व छात्र/छात्राओं के लिए खुले बाजार/निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो जायं।
- (3) पाठ्य पुस्तक प्रकोष्ठ, पाठ्य पुस्तक अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेगा।
- (4) उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार पाठ्य पुस्तक अधिकारी द्वारा वर्षभर पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी कार्य किया जायेगा।
- (5) पाठ्य पुस्तक अधिकारी, पाठ्य पुस्तक समिति उत्तराखण्ड के सचिव के रूप में कार्य निष्पादित करेगा।
- (6) पाठ्य पुस्तक अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा विभाग के समस्त घटकों यथा महानिदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड तथा एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली इत्यादि से समन्वयन करते हुए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कार्य करेगा तथा सभी आन्तरिक विभागों का सहयोग लेकर कार्यों को सम्पादित करेगा।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव (प्रभारी)


संख्या 578 (1)/XXIV(1)/न0सू0अनु0/34/2010 T.C., तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 2- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, एन0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड।
- 4- संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा।

- 5- उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा।
- 6- वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 7- लेखाकार, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 8- कागज विशेषज्ञ, राजकीय मुद्रणालय, लिथो प्रेस रुड़की।
- 9- बुक्स डिजाईनिंग/डीटीपीओ (ऑपरेटर, विद्यालयी शिक्षा, /प्रुफ रीडर (हिन्दी/ संस्कृत), प्रुफ रीडर (अंग्रेजी), प्रुफ रीडर (विज्ञान/गणित) एवं प्रुफ रीडर (अन्य विषय) विभागीय प्रवक्ता स्तर/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(दिनेश चन्द्र जोशी)

उप सचिव

797

23/10/2017

संख्या 594/XXIV(1)/न0सु0अनु0/114/2017

प्रेषक,

चन्द्र शेखर भट्ट,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

विषय:- शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए कक्षा I से XII तक एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,


आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों को छोड़कर राज्य के समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु कक्षा 1 से 12 तक एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्य पुस्तकें लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-403/XXIV(1)नवसृजित/2017/34/2010 T.C. दिनांक 23 अगस्त, 2017 के संदर्भ में आपके पत्रांक-प्रका0वि0/1470/सात-I (01)/2017-18 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को एतद्वारा निम्नवत अनुमोदित किया जाता है:-

- 1- उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय मान्यता प्राप्त/निजी विद्यालयों के कक्षा 1 से 8वीं तक तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षा हेतु अलग-अलग पाठ्य पुस्तकें मुद्रित न कराकर कक्षा 1 से 12वीं तक एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तकें ई-टेण्डर के माध्यम से, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 से कॉपीराइट प्राप्त कर, एन0सी0ई0आर0टी0 के मानकों के अनुरूप, एक साथ मुद्रित करायी जायेंगी।
- 2- शासनादेश संख्या-144/XXIV(1)/2010-19/2008 दिनांक 02 फरवरी, 2010 जिसमें पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज एवं मुद्रण की निविदा अलग-अलग करने की व्यवस्था है, को अतिक्रमित करते हुए पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज एवं मुद्रण का टेण्डर अलग-अलग न करके कागज सहित मुद्रण का टेण्डर एक साथ ही किया जायेगा।
- 3- कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों हेतु निःशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें तथा खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु तकनीकी विड की विशिष्टियाँ (Specification) समान रूप से निर्धारित करते हुए, वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, निःशुल्क एवं खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण के लिए पृथक-पृथक निविदा आमंत्रित की जायेंगी।

2

- 4- शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को एकमुश्त पुस्तकीय सहायता न देकर निःशुल्क एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी।

भवदीय,


(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव (प्रभारी)

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

देहरादून: दिनांक 07 दिसम्बर, 2017

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

विषय:- कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण सम्बन्धी शासनादेश 28-11-2017 में आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 672 / XXIV(1) / न०स०अनु० / 114 / 2017 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के क्रम में अपने पत्रांक- पा०पु० / 27388 / नौ-II (42) / 2017-18 दिनांक 29 नवम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, तदनुसार उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 नवम्बर, 2017 में आपके प्रस्तावानुसार आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित किए जाने का मुझे निदेश हुआ है:-

1. कक्षा 1 से 12 तक की समस्त निःशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें एन०सी०ई० आर०टी० की ही छपायी जायेगी, उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत भाषा कक्षा-3 से पढाई जाती है, जिसके लिए एन०सी०ई०आर०टी० ने पुस्तक बनायी है। क्योंकि एन०सी०ई०आर०टी० की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 से लागू है, ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु कक्षा-3 से एन०सी०आर०टी० के एवज में एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा तैयार करायी गई संस्कृत की पुस्तक जो कक्षा-3 से लागू है, छपायी जाय। इन पाठ्य- पुस्तकों हेतु कागज एवं मुद्रण की पृथक-पृथक निविदा की जाय। निःशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों के कागज व मुद्रण की निविदा की दरें एन०सी०ई०आर०टी० के मानकों से न्यूनतम निर्धारित की जाय।
2. कक्षा 1 से 12 तक की खुले बाजार/सशुल्क उपलब्ध कराये जाने वाली एन०सी०ई०आर०टी० एवं एन०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड द्वारा विकसित, समस्त पाठ्य पुस्तकों हेतु कागज सहित मुद्रण की निविदा की जाय तथा एन०सी०ई०आर०टी० / एन०सी०ई०आर०टी० की पाठ्य-पुस्तकों के बिक्री मूल्य हेतु, एन०सी०ई०आर०टी० / एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा निर्धारित दरों से कम दरों पर ही निविदा आमंत्रित की जाय।

3. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधित) नियमावली 2017 के सुसंगत प्राविधानों सहित वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. क्रय/निविदा समिति के अध्यक्ष, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा होंगे तथा उक्त समिति में विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त बाहरी वित्त नियंत्रक श्री गंगा प्रसाद शर्मा, कार्यालय अपर आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड को भी पारदर्शिता के दृष्टिगत सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड यदि किसी अन्य व्यक्ति को उक्त समिति में सदस्य रखना चाहते हैं तो वे इसके लिए स्वतंत्र हैं।

शासनादेश दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीया,



(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या (1)/XXIV(1)/न०स०अनु०/114/2017, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
 - 2- पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
 - 3- निदेशक एस०सी०ई०आर०टी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 4- श्री गंगा प्रसाद शर्मा, वित्त नियंत्रक, कार्यालय अपर आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, रिंग रोड, देहरादून।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
कक्षा I से XII की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण
शिक्षा सत्र : 2018-19

ई-निविदा – कागज सहित मुद्रण


(निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्तें)

भाग – एक

खण्ड : (क) – “ई-निविदा”

शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा I से XII तक की एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (उत्तराखण्ड के सभी जनपदों) में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकृत अनुभवी मुद्रकों, जिन्हें विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2012-13 से 2016-17) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव हो, से ई-निविदा के माध्यम से **Online तकनीकी एवं वित्तीय बिड** निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	विवरण/कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
(1)	(2)	(3)
01	वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर टेण्डर डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने की तिथि	14 दिसम्बर 2017, 11:30 AM
02	प्री-बिड कार्यशाला	19 दिसम्बर 2017, 11:30 AM
03	तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने की अन्तिम तिथि	21 दिसम्बर 2017, 10.00 AM से 02-जनवरी 2018, 5.00 PM तक
04	निम्नलिखित को तीन पृथक-पृथक लिफाफों में बन्द करके तथा तीनों को एक चौथे लिफाफे में सील कर निदेशालय में उपलब्ध करवाने की अन्तिम तिथि लिफाफा संख्या-01 <ul style="list-style-type: none"> • निविदा आवेदन पत्र शुल्क : रु. 5000.00 (रु. पांच हजार मात्र) • निविदा पर देय कर (यदि कोई हो) को निविदादाता पाठ्य पुस्तक अधिकारी उत्तराखण्ड के खाते में जमा करेंगे। • अर्नेस्टमनी डिपोजिट (EMD) • निविदा शुल्क वापस नहीं होगी। लिफाफा संख्या-02 <ul style="list-style-type: none"> • निविदादाता द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित “मॉडल बुक : 2018-19” की पांच प्रतियां, लिफाफा संख्या-03 <ul style="list-style-type: none"> • 80 एवं 220 GSM कागज के नमूनों की A-4 साईज की 40-40 शीटें 	02-जनवरी 2018, प्रातः 10 बजे से 5.00 PM तक
05	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	03-जनवरी 2018, 11.00 AM
06	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड के पश्चात्



38		Marigold Book IV	188	11722	50.00
39		Math Magic IV	176	11722	50.00
40		Looking Around Book II	228	11722	50.00
41	V	Rimjhim Bhag V	164	11410	50.00
42		Marigold Book V	192	11410	50.00
43		Math Magic V	207	11410	50.00
44		Looking Around Book III	216	11410	50.00
TOTAL					

सेट संख्या-2

क्रम सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पृष्ठों की संख्या	पुस्तकों की अनुमानित संख्या (जो घट-बढ़ सकती है)	NCERT/विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य
1	2	3	4	5	6
1	VI	बसंत भाग 1	144	18096	50.00
2		Honey Suckle	148	18096	50.00
3		A Pact with the Sun (Supplimentary)	63	18096	30.00
4		आमोदनी	88	14477	23.00
5		गणित	355	18096	50.00
6		Science (In English medium)	176	18096	50.00
7		हमारा अतीत - इतिहास	152	18096	50.00
8		पृथ्वी हमारा आवास- भूगोल	80	18096	50.00
9		सामाजिक और राजनीति जीवन	116	18096	50.00
10		अपनी जुबान	144	7238	50.00
11		बाल रामकथा	96	18096	40.00
12	VII	बसंत भाग 2	156	14102	50.00
13		Honey Comb	160	14102	50.00
14		An Alien Hand- (Suppl. Eng)	83	14102	35.00
15		आमोदनी	84	11281	23.00
16		गणित	344	14102	50.00
17		विज्ञान	260	14102	50.00
18		हमारा अतीत 2-इतिहास	167	14102	50.00
19		हमारा पर्यावरण भूगोल	88	14102	50.00
20		सामाजिक और राजनीति जीवन- 2	140	14102	50.00
21		अपनी जुबान	164	5641	50.00
22		बाल महाभारत	108	14102	45.00
23	VIII	बसंत भाग 3	148	13139	50.00
24		Honey Dew	148	13139	50.00
25		It So Happened (Suppl. Eng)	99	13139	45.00
26		आमोदनी	88	10511	23.00
27		गणित	305	13139	50.00
28		विज्ञान	268	13139	50.00
29		हमारा अतीत 3- भाग एक-इतिहास	88	13139	50.00
30		हमारा अतीत 3- भाग दो-इतिहास	104	13139	50.00
31		भूगोल	83	13139	50.00
32		सामाजिक और राजनीति जीवन- 3	144	13139	50.00
33		अपनी जुबान	175	5255	50.00
34	भारत की खोज	132	13139	50.00	
35	VI	Vasant Bhag I	144	11158	50.00
36		Honey Suckle	148	11158	50.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

15	X	First Flight - English Text Book	172	22000	70.00
16	X	Foot Prints without Feet - English Suppl.	88	22000	35.00
17	X	शेमुषी द्वितीया भाग	122	17000	60.00
18	X	गणित	416	24000	140.00
19	X	विज्ञान	336	25000	135.00
20	X	भारत और समकालीन विश्व II-इतिहास	212	17000	125.00
21	X	समकालीन भारत II-भूगोल	116	18000	65.00
22	X	आर्थिक विकास की समझ	104	17000	65.00
23	X	लोकतांत्रिक राजनीति-II	124	18000	80.00
24	X	नवा-ए-उर्दू	189	1000	80.00
25	IX	Sparsh Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	137	7646	50.00
26	IX	Sanchayan Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	65	7646	25.00
27	IX	Mathematics	358	37240	135.00
28	IX	Science	228	37252	135.00
29	IX	India and the Contemporary World I- History	192	37252	115.00
30	IX	Contemporary India I- Geography	76	37252	50.00
31	IX	Economics	64	37252	45.00
32	IX	Democratic Politics	124	37252	80.00
33	X	Sparsh Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	153	7646	60.00
24	X	Sanchayan Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	61	7646	25.00
35	X	Mathematics	326	37240	140.00
36	X	Science	292	37252	165.00
37	X	India and the Contemporary World II- History	212	37252	125.00
38	X	Contemporary India II Geography	108	37252	65.00
39	X	Understanding Economic Development- Economics	104	37252	65.00
40	X	Democratic Politics II	124	37252	80.00
योग				1001584	3185
<u>सेट-4</u>					
1	XI	आरोह भाग-1	196	23000	65.00
2	XI	वितान भाग-1	72	21000	25.00
3	XI	अभिव्यक्ति और माध्यम	220	1000	145.00
4	XI	Hornbill - English Core	128	23000	50.00
5	XI	Snapshot - English Suppl. Core	88	21000	35.00
6	XI	भास्वती प्रथमो भाग	104	8000	60.00
7	XI	गणित	504	7000	180.00
8	XI	जीव विज्ञान	352	5000	200.00
9	XI	रसायन भाग-1	260	7000	155.00

Tender Documents Class IX to XII (2018-19)

5

47	XII	समकालीन विश्व राजनीति	168	7000	100.00
48	XII	स्वतंत्र भारत में राजनीति	161	7000	125.00
49	XII	भारत में सामाजिक परिवर्तन	199	3000	105.00
50	XII	भारतीय समाज - समाजशास्त्र	180	3000	105.00
51	XII	व्यावसाय अध्ययन-1	172	1000	60.00
52	XII	व्यावसाय अध्ययन-2	260	1000	50.00
53	XII	अलामकारी संस्थायें एवं साझेदारी खाते	288	1000	85.00
54	XII	कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	124	1000	100.00
55	XII	मनोविज्ञान	172	1000	125.00
56	XI	Antra Bhag - Hindi Elective	93	2058	65.00
57	XI	Antra Bhag - Hindi Suppl. Elective	197	2058	40.00
58	XI	Woven Words- English Elective	209	27	75.00
59	XI	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	127	10	65.00
60	XI	Mathematics	497	13616	180.00
61	XI	Biology	357	5549	200.00
62	XI	Chemistry Part I	269	16594	155.00
63	XI	Chemistry Part II	177	16594	105.00
64	XI	Physics Part I	245	16594	130.00
65	XI	Physics Part II	197	16594	105.00
66	XI	Themes in World History	269	1363	155.00
67	XI	Fundamental of Physical Geography	153	945	80.00
68	XI	India: Physical Environment	109	945	55.00
69	XI	Practical Work in Georgraphy - Part I	137	945	85.00
70	XI	Statistics for Economics	145	12085	55.00
71	XI	Indian Economic Development	221	12085	85.00
72	XI	Indian Constitution at Work	257	1187	100.00
73	XI	Pol. Theory II	169	1187	70.00
74	XI	Introducing Sociology	113	263	45.00
75	XI	Understanding Society	117	263	45.00
76	XI	Business Studies	325	11308	115.00
77	XI	Accountancy- Financial Accounting part I	341	11312	125.00
78	XI	Accountancy- Financial Accounting part II	305	11312	110.00
79	XI	Psychology	213	488	120.00
80	XI	Computer & Communicaion Technology- Part I	239	2583	140.00
81	XI	Living Craft Tradition of India (Textbook in Heritage Crafts)	137	43	120.00
82	XI	The Story of Graphic Design	129	43	170.00
83	XI	Human Ecology & Family Science- Part I	241	10	160.00

Tender Documents Class IX to XII (2018-19)

Amec

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

119	XII	Psychology	225	488	125.00
120	XII	Craft tradition of India Textbook in Heritage Craft for Class XII	149	43	155.00
121	XII	Towards a New Age of Graphic Design	173	43	145.00
कुल योग				756467	12305

6. सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न करने के लिए कार्यादेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 45 (पैंतालीस) दिन का समय दिया जायेगा।
7. कार्य पूर्ण करने का तात्पर्य राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त/निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित कर निर्धारित समयान्तर्गत खुले बाजार में राज्य के समस्त 13 जनपदों के पुस्तक-विक्रेताओं के पास बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने से है। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से ही कार्य पूर्ण नहीं समझा जायेगा।
8. पत्राचार हेतु पता :

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा,
देहरादून (उत्तराखण्ड) 248008

E-Mail : textbook109@gmail.com
Fax No : 0135-2781903
Phone No : 0135- 2781440

खण्ड : (ग) – “निविदा की मुख्य शर्तें”

9. सशर्त निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. निविदादाताओं द्वारा सभी चार सेटों (कक्षा I to V, VI to VIII, IX to X, XI to XII) के लिए सेटवार दरें कोट (Quote) की जानी होंगी। सभी सेटों के लिए केवल एक ही निविदा डालनी होगी।
11. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड “प्रपत्र क” में एवं वित्तीय बिड BOQ (Bill of Quantity) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता (मुद्रक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) के द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा आवेदन पत्र शुल्क : निविदा आवेदन पत्र शुल्क रूपये 5000.00 (रु. पांच हजार मात्र) निर्धारित है। निविदा आवेदन-पत्र शुल्क का बैंक ड्राफ्ट पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से जो देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम से देय हो, उपलब्ध करवाये जाने है।
13. धरोहर राशि (EMD) : निविदादाताओं द्वारा अर्नेस्ट मनी (EMD) की धनराशि पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट/एन.एस0सी0/एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी जो देहरादून में देय हो, के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी। धरोहर राशि निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 03 (तीन) माह के लिए वैध होनी चाहिए। असफल (अनई) निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदाओं की अस्वीकृति के तुरन्त बाद उन्हें वापस कर दी जायेगी। एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा को वापस लेने अथवा सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि तक आवश्यक करार निष्पादित न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। धरोहर राशि के पृष्ठ

(Handwritten signatures and initials)

18. निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनायें यथास्थान स्पष्ट पठनीय लेख में उल्लिखित हो, एवं आवेदन-पत्र में दी गयी संलग्नक संख्या के क्रम में संलग्नक Online Upload हो। आवेदन-पत्र में जो बिन्दु मुद्रक से सम्बन्धित न हो उसे काट दिया जाय/खाली न छोड़ा जाय। मात्र Online Uploaded निविदा प्रपत्र एवं संलग्नकों पर ही समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
19. निविदादाता द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा निर्धारित दरों से कम दर होना अनुमत्त होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदादाता को अनर्ह (असफल) समझा जायेगा।
20. वित्तीय बिड **BOQ (Bill of Quantity)** की दरों की अंकना करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को कक्षावार चार सेटों (कक्षा I to V, VI to VIII, IX to X, XI to XII) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेट में सम्बन्धित कक्षा की हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम दोनों की सभी पाठ्य पुस्तकों को समाहित किया गया है। एन0सी0ई0आर0टी0/विभाग द्वारा पाठ्य पुस्तकवार जो दरें निर्धारित की गयी हैं उन्हें सेटवार (सेट की समस्त पाठ्य पुस्तकों) जोड़कर सेट के लिए दर निर्धारित की गयी है। निविदादाता द्वारा सेटवार निर्धारित दरों के सापेक्ष सेटवार दरें दी जानी हैं। इस प्रकार पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ सेटवार जितनी प्रतिशत कम दर दी जायेगी उसी दर के अनुरूप (अनुपात में) सम्बन्धित कक्षा की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिए निविदादाता द्वारा दी गयी दर समझी जायेगी।
21. निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए पाठ्य पुस्तकों की दी गयी दरों को संशोधित किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित मूल्य के अनुपात में निविदा प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित किया जायेगा।
22. पाठ्य पुस्तकों पर दी जाने वाली रॉयल्टी- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक : F.No.-26-40/2005 - Pub.(TCS) दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के लिए 5% रॉयल्टी का भुगतान NCERT नई दिल्ली के लिये किया जायेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड की पाठ्य पुस्तकों पर एक समान रॉयल्टी देय होगी। शिक्षा सत्र के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा यदि रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार ही फर्मों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।
23. चयनित फर्म/फर्मों द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के कुल मूल्य पर 5% (पांच प्रतिशत) रॉयल्टी दी जानी है। रॉयल्टी ड्राफ्ट के माध्यम से, जो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से बना हो, पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवायी जानी है। रॉयल्टी का ड्राफ्ट देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में देय होना चाहिए।
24. चयनित फर्म को पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करते समय यह लिख कर देना होगा कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
25. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज के मानक एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे।
 - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में टेक्स्ट पेपर के लिए मिलवाटर मार्क Maplitho Paper 80 GSM नवीनतम संशोधित ISI मार्क 1848/2007 के नवीन संशोधित मानकों के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा। कागज एन.सी.ई.आर.टी. के मानकों के अनुरूप होगा। इससे निम्न गुणवत्ता का कागज मान्य नहीं होगा। कतरन, रद्दी, रिसाइकल्ड, पल्प से निर्मित कागज मान्य नहीं होगा।

(Handwritten signatures and marks)

(मैपलिथो/क्रीमवोव) उत्पादन की क्षमता सम्बन्धी एक्साइज विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।


अथवा

- अधिकृत विक्रेता से अनुबन्ध करने पर- सम्बन्धित अधिकृत विक्रेता का पिछले दो वर्षों (2015-16, 2016-17) में प्रतिवर्ष कम से कम 3500 मीट्रिक टन कागज (मैपलिथो/क्रीमवोव) किसी भी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति करने का पेपर मिल (जिसके अधिकृत विक्रेता हैं) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
35. **शपथ पत्र**— निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना, जो देना आवश्यक था, छिपाई नहीं गयी है। यदि कोई सूचना छिपाई जाती है तो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा जो भी विधिक कार्यवाही की जायेगी वह निविदादाता को मान्य होगी।
- सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनायें प्रत्येक दशा में सत्य है।
 - किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
 - फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
 - 32-पृष्ठों की नमूना प्रति जो चार रंगों में मुद्रित की गयी है, को आवरण पृष्ठ सहित उनके द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित किया गया है।
36. चयनित फर्म/फर्मों को पूरे शिक्षा क्षेत्र के दौरान मांग के अनुरूप छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए निर्धारित मूल्य (विक्रय मूल्य) पर पाठ्य पुस्तकें खुले बाजार में उपलब्ध रखनी/करवानी होगी। बाजार की मांग के अनुरूप यदि जारी किये गये कार्यादेश से अधिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण की आवश्यकता होती है तो मुद्रक द्वारा पाठ्य पुस्तकों के पुनर्मुद्रण की अनुमति निदेशालय से प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के पाठ्य पुस्तकों का पुनर्मुद्रण नहीं किया जायेगा।
37. निविदादाता द्वारा अपना नैटवर्क राज्य के सभी जनपदों में इस प्रकार स्थापित करना होगा कि पुस्तकें प्रत्येक तहसील, विकास खण्ड, न्याय पंचायतों में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री हेतु समय से उपलब्ध हो जाय, ताकि सभी छात्र-छात्राएँ पुस्तकें क्रय कर सकें। पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा पाठ्य पुस्तकों के ढुलान अथवा पाठ्य पुस्तकों पर आने वाले किसी भी व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
38. चयनित फर्मों द्वारा अनुबन्ध करने से पूर्व शपथ पत्र में जनपदवार कम से कम एक पुस्तक विक्रेता का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिनको उनके द्वारा प्राथमिकता/अनिवार्य रूप से बिक्री के लिए पर्याप्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवानी होगी। जनपद स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्धता होने पर ही कार्य सम्पन्न होने की प्रमाणिकता मानी जायेगी; मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से कार्य सम्पन्न नहीं समझा जायेगा। चयनित निविदादाता द्वारा शपथ पत्र पर उनके द्वारा चयनित/अनुबन्धित पुस्तक विक्रेताओं का विवरण निम्नवत् देना होगा :-

क्र०सं०	जनपद	पुस्तक विक्रेता का नाम एवं पता	दूरभाष नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उत्तरकाशी		
2	टिहरी गढ़वाल		
3	रूद्रप्रयाग		

47. उद्योग विभाग/राजकीय मुद्रणालय/सूचना विभाग (जो प्रेस की घोषणा करता हो) द्वारा जारी किया गया कार्यरत मशीनों की क्षमता का प्रमाण पत्र— फर्म की मुद्रण क्षमता का आकलन करने के लिए कार्यरत मशीनों में से प्रत्येक मशीन की क्षमता का सक्षम संस्था/विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है। (Uploaded)
48. वित्तीय वर्ष : 2014-15, 2015-16 अर्थात् आगणन वर्ष (Assesment year) : 2015-16, 2016-17 में किये गये आयकर भुगतान का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र। (Uploaded)
49. स्थायी आयकर खाता (Permanant Account Number) संख्या। (Uploaded)
50. व्यापार कर विभाग द्वारा जारी वैध व्यापार कर/बिक्रीकर के भुगतान का प्रमाण पत्र। (Uploaded)
51. टर्न ओवर— मुद्रण उद्योग में विगत दो वर्षों (2015-16, 2016-17) का टर्न ओवर औसतन 03 (तीन) करोड़ प्रतिवर्ष होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। (Uploaded)
52. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव प्रमाण पत्र— विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि) में से कम से कम 02 (दो) वर्षों का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण अनुभव के लिए संबंधित संस्था द्वारा जारी कार्यादेश एवं सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। प्रमाण पत्र में मुद्रण वर्ष, कक्षा, पाठ्य पुस्तकों का नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। (Uploaded)
53. कागज उत्पादन/आपूर्ति का प्रमाण-पत्र— फर्म द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज क्रय करने के लिए जिस पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता से किया गया अनुबन्ध पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया गया है, उस पेपर मिल का पिछले दो वर्षों (2015-16, 2016-17) में प्रतिवर्ष कम से कम 24000 मीट्रिक टन कागज (मैपलिथो/क्रीमवोव) उत्पादन तथा अधिकृत विक्रेता की दशा में 3500 मीट्रिक टन (मैपलिथो/क्रीमवोव) किसी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति करने का पेपर मिल के लिए एक्साइज विभाग द्वारा/अधिकृत विक्रेता के लिए पेपर मिल (जिसके अधिकृत विक्रेता हैं) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र। (Uploaded)
54. अनुबंध पत्र — पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने के लिए किया गया अनुबंध पत्र। (Uploaded)
55. पेपर मिल/अधिकृत वितरक का नाम व पता, जिसका नमूना कागज उपलब्ध करवाया जा रहा है। (Uploaded)
56. शपथ पत्र — निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना, जो देना आवश्यक था, छिपाई नहीं गयी है। यदि कोई सूचना छिपाई जाती है तो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा जो भी विधिक कार्यवाही की जायेगी वह निविदादाता को मान्य होगी।
- किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
 - फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
 - 32 - पृष्ठों की नमूना प्रति— "मॉडल बुक : 2018-19" जो चार रंगों में मुद्रित की गयी है, को आवरण पृष्ठ सहित उनके द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित किया गया है। (Uploaded)



 Ahmed 15






समिति के द्वारा फर्म पर दण्ड निर्धारित किया जायेगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं चयनित फर्म/फर्मों को मान्य होगा।

- 64 निर्धारित दरें, रॉयल्टी, समयावधि सहित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जाना है। कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकें जो बिक्री होने से रह जाती हैं, उनके भुगतान के लिए पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
- 65 पाठ्य पुस्तकें एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप (पेपर, पुस्तक का साइज, प्रिन्टिंग एवं बाइंडिंग) ही मुद्रित की जायेंगी। एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा जारी गाइड लाईन एवं कॉपी राइट एक्ट मुद्रकों को मान्य होगा।
- 66 आवरण पृष्ठों का मुद्रण इस प्रकार किया जायेगा कि उनका उपयोग किसी अन्य द्वारा नहीं किया जा सके।
- 67 पाठ्य पुस्तकें आवरण पृष्ठ सहित फोर कलर में कवर, बैक कवर तथा इन साइड कवर एवं इन साइड बैक कवर/टू कलर कवर, वन कलर इन साइड में मुद्रित होंगी। पाठ्य-पुस्तकों के कवर पेज पर 12 डिजिट में **Online Number** अंकित किया जायेगा ताकि पुस्तकों की विश्वसनीयता बनी रहे और नकली पुस्तकें बाजार में न आ सकें। 12 डिजिट में **On Line Number** कार्यादेश के साथ ही निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- 68 चयनित फर्म द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लाल रंग से मोटे अक्षरों में चार खाने के अन्दर "**Royalty Paid Book**" अंकित किया जायेगा।
- 69 समस्त पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र 2018-19" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2018-19" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा, इससे एन0सी0ई0आर0टी0 व राज्य सरकार की पुस्तकों में भिन्नता रहेगी।
- 70 चयनित फर्म द्वारा आवंटित समस्त पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों पर नीचे मध्य भाग में पृष्ठ संख्या तथा समस्त दाहिने एवं बांये पृष्ठों पर बाहर की ओर उत्तराखण्ड शिक्षा सत्र 2018-19 तथा अन्दर की ओर बांये पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ्य पुस्तक का नाम तथा दाहिनी ओर के पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ का नाम अंकित किया जायेगा। सभी अंकना 10 प्वाइंट बौल्ड में मुद्रित किये जायेंगे।
- 71 प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रारम्भ में यथास्थान महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से प्राक्कथन फर्म द्वारा मुद्रित किया जायेगा, जिसे कार्यादेश के साथ ही फर्म को निदेशालय से प्राप्त करना होगा।
- 72 मुद्रण कार्य की प्रूफ रीडिंग फर्म द्वारा अपने स्तर से करवायी जायेगी। अतः अक्षर, मात्रा, अंक, दशमलव, बिन्दु, कौमा, अर्द्धविराम, गणित के चिन्ह, आदि टूटे-छूटे, मिटने या स्थान बदलने से होने वाली त्रुटि की स्थिति में नहीं हों, के लिए प्रूफ रीडिंग अत्यधिक सावधानी से की जानी होगी। तथापि मुद्रण स्थल पर निदेशालय द्वारा गठित पैनल के द्वारा भी आवश्यकतानुसार प्रूफरीडिंग का निरीक्षण किया जा सकता है, जिससे पुस्तक का सही, सुस्पष्ट एवं आकर्षक स्वरूप बाजार में उपलब्ध हो सके।
- 73 पाठ्य पुस्तकें निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सी0डी0/हार्ड कापी के अनुसार ही मुद्रित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का भी फर्म को यथास्थान समावेश करना होगा।
- 74 पुस्तक का प्रकाशन विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रकाशक का उल्लेख करते समय मुद्रक द्वारा उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा

17



(ख) खराब मुद्रण:— पुस्तकों के सत्यापन में मानक के अनुरूप मुद्रण न पाये जाने अथवा खराब मुद्रण की दशा में सम्बन्धित प्रकार की पुस्तकों की कुल कीमत पर 05% से 15% तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। खराब मुद्रण के अन्तर्गत अस्पष्ट चित्र, अपठनीय छपाई आदि पर विचार किया जायेगा।

(ग) त्रुटिपूर्ण मुद्रण:— विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार मुद्रण न पाये जाने अथवा त्रुटिपूर्ण मुद्रण होने पर, नमूने के इतर कोई सामग्री छापने, गलत पाठ एवं चित्र छापने पर समिति द्वारा सम्बन्धित पुस्तकों की कुल कीमत पर 5 से 15% तक अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।


(घ) कम माप:— पाठ्य पुस्तकवार निर्धारित माप के अनुरूप समिति द्वारा कम आकार की पुस्तकों के मूल्य से कुल कम हुये कागजों के दुगने मूल्य के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। कागज की गुणवत्ता पर भी विचार किया जायेगा।

- 86 चयनित फर्म द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।
- 87 महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर फर्म एवं बाजार में जाकर कार्य का निरीक्षण किया जा सकता है।
- 88 सफल निविदादाता द्वारा यदि अनुबंध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नेस्टमनी/सिक्क्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।
- 89 कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त चयनित फर्म द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये **On Line Number** का प्रमाण भी देना अनिवार्य होगा।
- 90 सुरक्षा धनराशि निम्नलिखित कार्यों तथा शर्तों को पूरा करने के उपरान्त वापस की जायेगी—

- फर्म द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करने एवं यह लिख कर देने पर कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
- पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती करने के उपरान्त संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर।
- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण-पत्र जारी करने पर।
- पाठ्य पुस्तकें अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पुष्टि के लिए मुद्रणोपरान्त फर्म द्वारा पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर।
- प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवाने पर।

- नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प शेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये On Line Number (कहां से कहां तक) का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - निर्धारित प्रारूप (प्रस्तर-39) पर खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को आपूर्ति की गयी पाठ्य पुस्तकों का विवरण उपलब्ध कराने पर।
- 91 ऐसे अप्रत्याशित कारण जो फर्म के नियंत्रण से बाहर हैं, जिनका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता जैसे- युद्ध, क्रांति, आग, बाढ़, बीमारी फैलने की स्थिति में फर्म द्वारा लिखित रूप से पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को इसकी सूचना तुरन्त दी जायेगी तथा इसके कारणों का उल्लेख किया जायेगा। जब तक पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा अन्य निर्देश नहीं दिये जायेंगे फर्म अनुबंध के अनुरूप अपने कर्तव्यों/कार्यों का जहां तक सम्भव हो, निर्वहन किया जाता रहेगा।
- 92 सम्बन्धित कार्य के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे उत्तराखण्ड शासन के निर्णयार्थ (आर्बीट्रेशन) प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 93 सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के लिये सिर्फ देहरादून स्थित सुसंगत न्यायालय में ही मामला उठाया जा सकता है, अन्य किसी भी न्यायालय में नहीं।
- 94 कार्य सम्पन्न करने के लिए चयनित फर्म/फर्मों को जारी कार्यदेश एवं किये गये अनुबन्ध को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून




- फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
 - 32 पृष्ठों की नमूना प्रति "मॉडल बुक : 2018-19" जो चार रंगों में मुद्रित की गयी है, को आवरण पृष्ठ सहित उनके द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित किया गया है।
17. निविदा आवेदन पत्र के शुल्क का विवरण (सीधे पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को सीलड लिफाफे में उपलब्ध करवायें)

क्रम सं.	विवरण	आवेदन शुल्क रु. 5000-00
1	डी.डी. नं. व दिनांक	
2	धनराशि	
3	बैंक का नाम व शाखा	

18. धरोहर राशि (EMD) का विवरण (सीधे पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को सीलड लिफाफे में उपलब्ध करवायें)
- बैंक ड्राफ्ट/एनएससी/एफडीआर/बैंक गारण्टी संख्या व दिनांक
 - धनराशि-रु०
 - बैंक का नाम व शाखा
19. स्वयं की इकाई में मुद्रित "मॉडल बुक : 2018-19" की पांच प्रतियां (सीधे पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को सीलड लिफाफे में उपलब्ध करवायें).....
20. बिना वाटरमार्क 80 GSM एवं 220 GSM कागज के A4 साईज की 40-40 शीटें।
(सीधे पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को सीलड लिफाफे में उपलब्ध करवायें).....
21. तकनीकी बिड के साथ संलग्नकों की संख्या.....
22. अन्य कोई विवरण-.....
23. घोषणा - मैं मैसर्स
..... का मालिक/..... प्रतिशत
साझेदार/प्रबन्धक हूँ। इस निविदा की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने एवं समस्त देयक के प्रति मेरा पूर्ण उत्तरदायित्व है। उपरोक्त समस्त सूचना पूर्णतया सत्य है। इससे सम्बन्धित कोई सूचनाएँ छिपाई नहीं गई हैं। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा।

दिनांक



मालिक/प्रबन्धक के
हस्ताक्षर

नाम
संस्था की मुहर



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्



NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL
RESEARCH AND TRAINING

फा. सं. 26-40/2005/प्रकाशन प्रभाग/टी.सी.एस. / 498

प्रकाशन प्रभाग

दिनांक 11.1.2018

सेवा में,

श्री रामकृष्ण उनियाल
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड,
ननूरखेड़ा, देहरादून
उत्तराखंड - 248 001

विषय: शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए कक्षा I से XII तक की पाठ्य पुस्तकों के कॉपीराइट अधिकार एवं पाठ्य पुस्तकों सी.डी. / डी.वी.डी प्रदान करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र क्रमांक पा.पु./30854-55/नौ-
II(42)/2017-18. दिनांक 02.01.2018 का संदर्भ लें।

एनसीईआरटी अकादमिक सत्र 2018-19 के लिए कक्षा 1 से 12 तक संविदा
में दी गई सूची के अनुसार (242 पाठ्यपुस्तकों) हेतु प्रकाशनाधिकार की अनुमति
प्रदान कर रही है।

इस संबंध में यह भी ध्यान रखा जाए कि पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करते
समय समान वस्तुसूची एवं संविदा के अनुसार निबन्धन एवं शर्तों का कठोरता से
पालन किया जाय।

वर्ष 2018-19 के लिए किए गए संविदा की हस्ताक्षरित प्रति आपके संदर्भ
एवं रिकार्ड के लिए संलग्न है। पाठ्यपुस्तकों की सी.डी. संविदानुसार उपलब्ध
करवाई जाएगी। किसी अधिकारी को सी.डी. की प्राप्ति हेतु प्रतिनियुक्त करने से
पूर्व कृपया अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से इस संबंध में पुष्टि कर लें।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
सधन्यवाद,

भवदीय

सिराज अनवर

11/1/2018

(एम. सिराज अनवर)

प्रोफेसर एवम अध्यक्ष

SRI AUROBINDO MARG, NEW DELHI-110016

PHONE: 26560620, 26566360 FAX:91-11-26868419

GRAMS : EDUSEARCH

श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016

दूरभाष: 26560620, 26566360 फैक्स: 91-11-26868419

तार: शिक्षाशोध

AD (Sec) / DMC
श्री रामकृष्ण अनियाल
अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखंड
ननूरखेड़ा
देहरादून
18-01-2018

के. व. लो. कित
19-01-2018




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK47223785550418P
Certificate Issued Date : 30-Dec-2017 03:10 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1211904/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK121190495190698468556P
Purchased by : CAPTAIN ALOK SHEKHAR TIWARI
Description of Document : Article Miscellaneous
Property Description : NA
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : CAPTAIN ALOK SHEKHAR TIWARI
Second Party : NA
Stamp Duty Paid By : CAPTAIN ALOK SHEKHAR TIWARI
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(Dne Hundred only)



Please write or type below this line-----

AGREEMENT

MEMORANDUM of Agreement made this 30 day of **December 2017** between the National Council of Educational Research and Training, NIE Campus, Sri Aurobindo Marg, New Delhi – 110016 (hereinafter called the NCERT) which expression shall, wherever the context so admits, include its legal representatives, successors and assigns of the first party and the **Director General School Education Uttarakhand, Nanoorkhera, Dehradun** (hereinafter called the Licence Holder Publisher) which expression shall, wherever the context so admits, include its successors and assigns of the second party.

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shoestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as

by L
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

WHEREAS the Director General School Education Uttarakhand, Nainital, Dehradun has requested for grant of Copyright for the textbooks mentioned as detailed below, the NCERT grants copyright to State /UT Agency Uttarakhand for the subject books for the academic session 2018-19 in English/Hindi/Urdu languages, subject to the terms and conditions mentioned in this agreement.

S.No	Name of the textbooks/books-	Class
1	2	3
1	Rimjhim Bhag I	I
2	Marigold Book I	I
3	Math-Magic book I	I
4	Ganit Ka Jaadu Bhag I	I
5	Ibtedai Urdu 1	I
6	Rimjhim Bhag II	II
7	Marigold Book II	II
8	Math-Magic book II	II
9	Ganit Ka Jaadu Bhag II	II
10	Ibtedai Urdu 2	II
11	Rimjhim Bhag III	III
12	Marigold Book III	III
13	Math-Magic book III	III
14	Ganit Ka Jaadu Bhag III	III
15	Looking Around Book I	III
16	Aaspass Bhag I	III
17	Ibtedai Urdu 3	III
18	Rimjhim Bhag IV	IV
19	Marigold Book IV	IV
20	Math-Magic book IV	IV
21	Ganit Ka Jaadu Bhag IV	IV
22	Looking Around Book II	IV
23	Aaspass Bhag II	IV
24	Ibtedai Urdu 4	IV
25	Rimjhim Bhag V	V
26	Marigold Book V	V
27	Math-Magic book V	V
28	Ganit Ka Jaadu Bhag V	V
29	Looking Around Book III	V
30	Aaspass Bhag III	V
31	Ibtedai Urdu 5	V
32	Vasant Bhag I	VI
33	Bal Ramkatha	VI
34	Honey Suckle	VI
35	A Pact with the Sun (Supplimentary)	VI
36	Ruchira Prathmo Bhag	VI
37	Mathematics	VI
38	Ganit	VI

महानिदेशक
शाला शिक्षा, उत्तराखण्ड

39	Science	VI
40	Vigyan	VI
41	Our Pasts I History	VI
42	Hamara Atit I Itihas	VI
43	The Earth Our Habitate Geography	VI
44	Prithvi hamara aawas Bhugol	VI
45	Social and Political Life	VI
46	Samajik or Rajnitik Jeevan	VI
47	Apni Zaban	VI
48	Vasant Bhag II	VII
49	Bal Mahabharat Katha	VII
50	Honey Comb	VII
51	An Alien Hand-(Suppl.Eng)	VII
52	Ruchira Dwitiya Bhag	VII
53	Mathematics	VII
54	Ganit	VII
55	Science	VII
56	Vigyan	VII
57	Our Pasts II- History	VII
58	Hamara Atit II- Itihas	VII
59	Our Environment Geography	VII
60	Hamara Paryavaran Bhugol	VII
61	Social and Political Life II	VII
62	Samajik or Rajnitik Jeevan II	VII
63	Apni Zaban	VII
64	Vasant Bhag III	VIII
65	Bharat ki Khoj-	VIII
66	Honey Dew	VIII
67	It So Happened (Suppl. Eng)	VIII
68	Ruchira Tritiya Bhag	VIII
69	Mathematics	VIII
70	Ganit	VIII
71	Science	VIII
72	Vigyan	VIII
73	Our Pasts book III- History Part I	VIII
74	Our Pasts III – History Part II	VIII
75	Hamare Atit pustak III Bhag 1 Itihas	VIII
76	Hamare Atit pustak III Bhag 2 Itihas	VIII
77	Resource & Development Geography	VIII
78	Social and Political Life III	VIII
79	Samajik aur Rajnitikjeevan III	VIII
80	Sansadhan evam vikas Bhugol	VIII
81	Apni Zaban	VIII
82	Kshitij Bhag-I	IX
83	Kritika Bhag-I	IX

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and text:
 by L
 Kishore
 with Eng. Section

Handwritten text:
 100
 1000000000

84	Beehive - English Text Book	IX
85	Moments - English Supplementary Reader	IX
86	Shemushi prathamo Bhag	IX
87	Ganit	IX
88	Vigyan	IX
89	Bharat Aur Samkalin Vishwa I- Itihas	IX
90	Samakalin Bharat I- Bhugol	IX
91	Arthshastra	IX
92	Loktantrik Rajniti	IX
93	Nava-e-Urdu	IX
94	Sparsh Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	IX
95	Sanchayan Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	IX
98	Mathematics	IX
97	Science	IX
98	India and the Contemporary World I- History	IX
99	Contemporary India I- Geography	IX
100	Economics	IX
101	Democratic Politics	X
102	Kshitij Bhag-II	X
103	Kritika Bhag-II	X
104	First Flight - English Text Book	X
105	Foot Prints without Feet- English Supplementary Reader	X
106	Shemushi Dwitiya bhag - Sanskrit	X
107	Ganit	X
108	Vigyan	X
109	Bharat Aur Samkalin Vishwa II- Itihas	X
110	Samakalin Bharat II- Bhugol	X
111	Arthik Vikas Ki Samajh	X
112	Loktantrik Rajniti II	X
113	Nava-e-Urdu	X
114	Sparsh Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	X
115	Sanchayan Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	X
116	Mathematics	X
117	Science	X
118	India and the Contemporary World II- History	X
119	Contemporary India II Geography	X
120	Understanding Economic Development- Economics	X
121	Democratic Politics II	X
122	Aroh Bhag-I Hindi Core	XI
123	Vitan Bhag-I Hindi Suppl. Core	XI
124	Abhivyakti Aur Madhyam	XI
125	Hombill - English Core	XI
126	Snap Shot - English Suppl. Core	XI
127	Sanskrit - Bhaswati Pratham Bhag	XI
128	Ganit	XI

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

महानिदेशक
बालमुकुन्द

129	Jeev Vigyan	XI
130	Rasayan Bhag I	XI
131	Rasayan Bhag II	XI
132	Bhautiki Bhag I	XI
133	Bhautiki Bhag II	XI
134	Vishva Itihas Ke Kuch Vishay	XI
135	Bhautik Bhugol Ke Mool Siddhant	XI
136	Bharat : Bhautik Paryavaran	XI
137	Bhugol Mein Prayogatmak Karya - Bhag I	XI
138	Arthashastra Mein Sankhiyiki	XI
139	Bhartiya Arthvyavastha Ka Vikas	XI
140	Bharat Ka Samvidhan	XI
141	Rajniti Siddhant	XI
142	Samajshastra Parichaya	XI
143	Samaj Ka Bodh	XI
144	Vyavsaya Adhyayan	XI
145	Lekhashastra - Vittiya Lekhankan Bhag I	XI
146	Lekhashastra - Vittiya Lekhankan Bhag II	XI
147	Manovigyan Ka Parichaya	XI
148	Antra Bhag - Hindi Elective	XI
149	Antra Bhag - Hindi Suppl. Elective	XI
150	Woven Words- English Elective	XI
151	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	IX
152	Mathematics	XI
153	Biology	XI
154	Chemistry Part I	XI
155	Chemistry Part II	XI
156	Physics Part I	XI
157	Physics Part II	XI
158	Themes in World History	XI
159	Fundamental of Physical Geography	XI
160	India: Physical Environment	XI
161	Practical Work in Georgraphy - Part I	XI
162	Statistics for Economics	XI
163	Indian Economic Development	XI
164	India's Constitution at Work	XI
165	Pol. Theory II	XI
166	Introducing Sociology	XI
167	Understanding Society	XI
168	Business Studies	XI
169	Accountancy- Financial Accounting part I	XI
170	Accountancy- Financial Accounting part II	XI
171	Psychology	XI
172	Computer & Communication Technology- Part I	XI
173	Living Craft Tradition of India (Textbook in Heritage Crafts)	XI

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

10/10/2020
10/10/2020

Handwritten signature
Handwritten text

174	The Story of Graphic Design	XI
175	Human Ecology & Family Science- Part I	XI
176	Human Ecology & Family Science- Part II	XI
177	Computer & Communication Technology- Part II	XI
178	Exploring the Craft Tradition of India	XI
179	Graphic Design Ek Kahani	XI
180	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag I	XI
181	An Introduction to Indian Art	XI
182	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag II	XI
183	Aaroh Bhag 2	XII
184	Vitan Bhag 2	XII
185	Flamingo - English Core	XII
186	Vistas - English Suppl. Reader Core	XII
187	Sanskrit - Bhaswati Dwitiyo Bhag	XII
188	Ganit Bhag - I	XII
189	Ganit Bhag - II	XII
190	Jeev Vigyan	XII
191	Rasayan Bhag I	XII
192	Rasayan Bhag II	XII
193	Bhautiki Bhag I	XII
194	Bhautiki Bhag II	XII
195	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas I	XII
196	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas II	XII
197	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas III	XII
198	Manav Bhoogol Ke Mool Sidhant	XII
199	Bharat - Log Aur Arthavyavastha	XII
200	Bhugol Mein Prayogatmak Karya - Bhag II.	XII
201	Vyashti Arthashastra - Ek parichay	XII
202	Samashti Arthashastra - Ek parichay	XII
203	Samkalin Vishwa Rajniti	XII
204	Swatantra Bharat Mein Rajniti	XII
205	Bharat Mein Samajik Parivartan	XII
206	Bhartiya Samaj - Samajshastra	XII
207	Vyavsaya Adhyayan I	XII
208	Vyavsaya Adhyayan II	XII
209	Lekhashastra - Alabhkari Sansthaen evam Sajhedari Khatay	XII
210	Lekhashastra - Kampany Khatay Evam Vittiya Vivranon Ka Vishleshan	XII
211	Manovigyan	XII
212	Antara Bhag 2 Hindi Elective	XII
213	Antara Bhag 2 Hindi Suppl. Elective	XII
214	Kaleidoscope- English Elective	XII
215	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	XII
216	Mathematics Part I	XII
217	Mathematics Part II	XII
218	Biology	XII

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Page No. _____
Date _____

219	Chemistry Part I	XII
220	Chemistry Part II	XII
221	Physics Part I	XII
222	Physics Part II	XII
223	Themes in Indian History Part I	XII
224	Themes in Indian History Part II	XII
225	Themes in Indian History Part III	XII
226	Fundamental of Human Geography	XII
227	Practical Work in Geography - Part II	XII
228	India: People and Economy	XII
229	Introducing Microeconomics	XII
230	Introducing Macroeconomics	XII
231	Contemporary World Politics	XII
232	Politics in India since Independence	XII
233	Social Change and Development in India	XII
234	Indian Society- Sociology	XII
235	Business Studies I	XII
236	Business Studies II	XII
237	Accountancy- I- Not for profit organisation and partnership accounts	XII
238	Accountancy II- Company Account and Analysis of Financial Statements	XII
239	Accountancy Computerised Accounting System for Class- XII	XII
240	Psychology	XII
241	Craft tradition of India Textbook in Heritage Craft for Class XII	XII
242	Towards a New Age of Graphic Design	XII

The NCERT is the sole owner of copyright of the WORK and is desirous of having it published by the **Director General School Education Uttarakhand, Nanoorkhera, Dehradun** (Name of the Licence Holder Board/Agency) on the terms and conditions specified here below:

1. The permission of the Council shall be granted for adoption of each book in entirety each year separately for the latest curriculum/syllabi.
2. In case any new chapter/lesson is introduced/incorporated by the licence holder State agency, subject to approval by NCERT, the said portion should be marked and separated by fly leaf clearly demarcating the original NCERT text and the additional matter incorporated by the licence holder. The details of such incorporated portion should be mentioned on the prelim pages as well. Further no new chapter/lesson is to be introduced/incorporated without obtaining prior approval of the NCERT. The Licence Holder State Agency shall indemnify and keep the NCERT indemnified, for all times, against liability, suit, claims, or any kind of litigation ensuring and resulting from the additional matter incorporated or from translation from the original English version by the Licence Holder to any regional language(s).
3. The sale and distribution of the adopted edition of the NCERT books should be confined to the respective license holder State/UT only.

[Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a signature on the left and a circular stamp in the center.]

4. The license holder State/UT will be the licence holder of the adopted/adapted edition of NCERT books. In no circumstances the publishing rights be transferred to any other agency. The copyright of the title will exclusively vest with the NCERT, notwithstanding adaptation in the books by the licence holder. A mention of NCERT copyright availed by the licence holder on the imprint page along with NCERT logo be printed by the State/UTs.

5. The sale price of the edition produced by the licence holder State/UT agency should be at par with the corresponding English/Hindi/Urdu edition of the NCERT as far as possible. Variation in price, if any, should not be more than 10% of the sale price of the corresponding NCERT edition. If the license holder State/UT wants to translate the books into their regional language(s), they shall obtain prior permission from NCERT.

i) However, the NCERT will not be responsible for the accuracy, quality and contents of the translated version of the textbooks.

ii) Therefore, a Committee may be constituted by the State concerned to check the quality of the translated version and NCERT will provide academic experts to this Committee including a member from the NCERT. These experts will be nominated from subject areas as per requirement

6. The cover of the license holder State/UT edition will be distinctly different from the book cover of NCERT editions. The license holder State/UT agency shall not allow any other party to reproduce any portion from their edition of NCERT textbooks.

7. Due acknowledge should be given to the author(s) of the book(s) and the NCERT at a prominent place in the licence holder State Government editions/UT Agency edition, preferably on the inner title page/imprint page. The title page should also highlight the collaboration of NCERT with the State Government/agency prominently. Further, the Copyright of the NCERT shall clearly be printed on the imprint page of each copy of the book.

8. The production quality of printing, illustrations, layout, size, etc. should be reasonably good. Only good quality of printing paper including cover paper should be used, such as 80 GSM text paper and 220 GSM Cover Paper. Other technical guidelines should be at par with NCERT norms.

9. The NCERT shall be informed by the license holder State/UT the number of copies proposed to be printed by them for each edition in the following format. Two complementary copies of each edition of the books are to be sent to the Head, Publication Division, NCERT for evaluation of the quality with reference to Clause 8 of the agreement.

by, L
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा, कलकत्ता-७

S. No	Class	Name of the Title	Enrolment figures for the year	MRP	Quantity printed during the year 2017-18	Total Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	VI	Ganit	107050	114.18	107050	611148
2	VII	Ganit	107600	110.98	107600	597072
3	VIII	Ganit	116900	100.25	116900	585961
4	IX	Kshitij Bhag-I	35000	58.81	28210	82951.51
5	IX	Kritika Bhag-I	33000	26.73	28400	37956.6
6	IX	Beehive - English Text Book	27000	69.5	23890	83017.75
7	IX	Moments - English Supplementary Reader	26000	37.43	24250	45383.88
8	IX	Shemushi prathamo Bhag	21000	53.46	16030	42848.19
9	IX	Ganit	27000	144.35	4204	30342.37
10	IX	Vigyan	26000	117.62	24070	141555.67
11	IX	Bharat Aur Samkalin Vishwa I- Itihas	20000	122.97	19099	117430.2
12	IX	Samakalin Bharat I- Bhugol	21000	53.46	19002	50792.35
13	IX	Arthshastra	19000	48.12	20070	48288.42
14	IX	Loktantrik Rajniti	14000	85.54	18290	78226.33
15	IX	Nava-e-Urdu	1000	122.97	0	0
16	X	Kshitij Bhag-II	23000	64.19	21088	67681.94
17	X	Kritika Bhag-II	24000	32.09	18108	29054.29
18	X	First Flight - English Text Book	23000	74.89	16050	60099.23
19	X	Foot Prints without Feet- English Supplementary Reader	22000	37.44	19158	35863.78
20	X	Shemushi Dwitiya bhag - Sanskrit	16000	64.19	13030	41819.79
21	X	Ganit	22000	149.77	16161	121021.65
22	X	Vigyan	23000	144.42	18149	131053.93
23	X	Bharat Aur Samkalin Vishwa II- Itihas	14000	133.72	13904	92962.14
24	X	Samakalin Bharat II- Bhugol	15000	69.54	12153	42255.98
25	X	Arthik Vikas Ki Samajh	13000	69.54	15199	52846.92
26	X	Loktantrik Rajniti II	16000	85.58	12068	51638.97
27	X	Nava-e-Urdu	1000	85.58	0	0
28	XI	Aroh Bhag-I Hindi Core	24000	69.56	18060	62812.68
29	XI	Vitan Bhag-I Hindi Suppl. Core	21000	26.75	18480	24717
30	XI	Abhivyakti Aur Madhyam	2000	155.16	3030	23506.74
31	XI	Hornbill - English Core	24000	53.51	15040	40239.52
32	XI	Snap Shot - English Suppl. Core	21000	37.45	18090	33873.53
33	XI	Sanskrit - Bhaswati Prathamo Bhag	7000	64.21	9840	31591.32
34	XI	Ganit	7000	192.62	6150	59230.65
35	XI	Jeev Vigyan	4000	214.02	5088	54446.69
36	XI	Rasayan Bhag I	7000	165.87	7158	59364.87
37	XI	Rasayan Bhag II	6000	112.36	4284	24067.51
38	XI	Bhautiki Bhag I	7000	139.11	6140	42706.77
39	XI	Bhautiki Bhag II	7000	112.36	5040	28314.72

40	XI	Vishva Itihas Ke Kuch Vishay	3000	165.87	3964	32875.43
41	XI	Bhautik Bhugol Ke Mool Siddhant	6000	85.61	5056	21642.21
42	XI	Bharat : Bhautik Paryavaran	4000	58.86	5040	14832.72
43	XI	Bhugol Mein Prayogatmak Karya - Bhag I	4000	85.61	5190	22215.8
44	XI	Arthashastra Mein Sankhiyiki	6000	58.86	7065	20792.3
45	XI	Bhartiya Arthvyavastha Ka Vikas	6000	90.96	7200	32745.6
46	XI	Bharat Ka Samvidhan	6000	107.01	7850	42001.43
47	XI	Rajniti Siddhant	6000	74.91	8145	30507.1
48	XI	Samajshastra Parichaya	3000	48.15	4215	10147.61
49	XI	Samaj Ka Bodh	3000	48.15	4265	10267.99
50	XI	Vyavsaya Adhyayan	1000	74.91	0	0
51	XI	Lekhashastra - Vittiya Lekhankan Bhag I	1000	80.26	0	0
52	XI	Lekhashastra - Vittiya Lekhankan Bhag II	1000	74.91	0	0
53	XI	Manovigyan Ka Parichaya	1000	128.41	0	0
54	XII	Aaroh Bhag 2	21000	74.89	14841	55572.12
55	XII	Vitan Bhag 2	20000	42.8	12045	25776.3
56	XII	Flamingo - English Core	18000	48.15	16035	38604.26
57	XII	Vistas - English Suppl. Reader Core	18000	42.8	12020	25722.8
58	XII	Sanskrit - Bhaswati Dwitiyo Bhag	8000	37.45	7980	14942.55
59	XII	Ganit Bhag - I	8000	123.04	7322	45044.94
60	XII	Ganit Bhag - II	8000	139.09	1670	11614.02
61	XII	Jeev Vigyan	4000	181.88	6105	55518.87
62	XII	Rasayan Bhag I	5000	181.88	7006	63712.56
63	XII	Rasayan Bhag II	3000	123.04	7033	43267.02
64	XII	Bhautiki Bhag I	3000	181.88	5038	45815.57
65	XII	Bhautiki Bhag II	2000	149.79	5042	37762.06
66	XII	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas I	3000	85.59	1920	8216.64
67	XII	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas II	2000	101.64	2784	14148.29
68	XII	Bhartiya Itihas ke Kuch Vishay, Itihas III	2000	123.04	2856	17570.11
69	XII	Manav Bhoogol Ke Mool Siddhant	3000	69.54	2920	10152.84
70	XII	Bharat - Log Aur Arthavyavastha	5000	101.64	2968	15083.38
71	XII	Bhugol Mein Prayogatmak Karya - Bhag II	2000	53.5	5005	13388.38
72	XII	Vyashti Arthashastra - Ek parichay	5000	69.54	7060	24547.62
73	XII	Samashti Arthashastra - Ek parichay	5000	69.54	6020	20931.54
74	XII	Samkalin Vishwa Rajniti	6000	106.99	6080	32524.96
75	XII	Swatantra Bharat Mein Rajniti	6000	133.74	6000	40122
76	XII	Bharat Mein Samajik Parivartan	2000	112.34	6048	33971.62
77	XII	Bhartiya Samaj - Samajshastra	2000	112.34	4992	28040.06
78	XII	Vyavsaya Adhyayan I	1000	64.19	0	0
79	XII	Vyavsaya Adhyayan II	1000	53.5	0	0
80	XII	Lekhashastra - Alabhkari Sansthayen evam Sajhedari Khatey	1000	90.94	0	0

ब. ज. ल.
मानिदेशक

81	XII	Lekhashastra – Kampany Khatay Evam Vittiya Vivranon Ka Vishleshan	1000	106.99	0	0
82	XII	Manovigyan	1000	133.74	0	0
			1167550	7393	1063313	4724223.6

The request for granting copyright to the licence holder State/UTs shall be entertained only after clearing the royalty due pertaining to the previous year.

10. License Holder State/UTs agencies will have to pay license fee on the total values of their print order and the price of the text books finalize after E-tendering to NCERT as per details given below:

Class	Adoption/adaption in English/Hindi and Urdu	Translation in languages other than English, Hindi and Urdu
1 –XII	5%	5%

The details of price of the text books finalize after E-tendering will be sent to NCERT later on.

11. The Word 'Copyright' for the listed textbooks/books 1-12 Books including the right of the translation in regional languages will vest with the NCERT in perpetuity.
12. If any difference or dispute arises between Director General School Education Uttarakhand, Nanoorkhera, Dehradun (Second party) and the NCERT (first party) relating to this Agreement, either party may approach the Secretary, NCERT and the matter will be referred to a sole arbitrator appointed by the Secretary, NCERT (first party) and the award given by the sole arbitrator will be final and binding on both the parties. Both the parties further agree that all disputes/claims shall be subject to the jurisdiction of Courts in Delhi only.
13. In case of any dispute arising out of this Agreement such dispute will not be allowed to hamper the publication of the mentioned textbooks/books and the NCERT in such eventuality will proceed with the publication pending the arbitration of the dispute.

Now, it is hereby mutually agreed the above mentioned terms and conditions.

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature


निदेशक
उत्तराखण्ड
स्कूल शिक्षा

12/1
सहसंचालक
राज्य शिक्षा विभाग, दिल्ली


I, Director General School Education Uttarakhand, Nanoorkhera, Dehradun after reading the above mentioned Terms and Conditions and having understood the content of this Agreement do sign it on this day 30. of December 2017.

Witness


1.


(R.K. Kunwar)
Director
Secondary Education Uttarakhand
Dehradun

Signature;


(Captain Alok Shekhar Tiwari)
Director General
School Education Uttarakhand
Dehradun-248001, Uttarakhand
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

2.


(J.P. Yadav)
Depty Director
Secondary Education Uttarakhand
Dehradun

(Official Stamp)

I, R. K. Nayak, Secretary, NCERT, on behalf of NCERT do sign this Agreement on this day 10/11/2018 of 20

Witness


1.

Signature;

Name; R. K. Nayak

Address: _____

2.


(Official Stamp)

डा० भूपिन्दर कौर ओलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक 22 जनवरी, 2018

विषय- शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए कक्षा 1 से 12 तक की सशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ दरों का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: प्रका.वि./32943/नौ-II (01)/2018-19 दिनांक 19 जनवरी, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें शिक्षा सत्र 2018-19 के लिये कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों के मुद्रणार्थ सम्पादित ई-निविदा प्रक्रिया के आधार पर मैसर्स दीपक प्रिण्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, हल्द्वानी को एन०सी०ई०आर०टी० एवं एस०एसी०ई०आर०टी० द्वारा विकसित पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों पर अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पाठ्य-पुस्तक समिति की संस्तुति के आधार पर शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए कक्षा 1 से 12 तक की एन०सी०ई०आर०टी० एवं राज्य सरकार द्वारा विकसित पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में बिक्री हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों (L-1) के दृष्टिगत मैसर्स दीपक प्रिण्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, हल्द्वानी को पाठ्य-पुस्तकों मुद्रित कर, खुले बाजार में बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीया,



(डा० भूपिन्दर कौर औलख)

सचिव

संख्या:- /XXIV(1) /न०स०अनु० /114 /2017

प्रतिलिपि महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(कै० आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK50552286535008Q
 Certificate Issued Date : 24-Jan-2018 02:45 PM
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1217204/ HALDWANI/ UK-NT
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK121720401908095731372Q
 Purchased by : DEEPAK PRINTERS AND PUBLICERS PROP DEEPAK KUMAR
 Description of Document : Article Miscellaneous
 Property Description : NA
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : DEEPAK PRINTERS AND PUBLICERS PRDP DEEPAK KUMAR
 Second Party : NA
 Stamp Duty Paid By : DEEPAK PRINTERS AND PUBLICERS PROP DEEPAK KUMAR
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



अनुबन्ध पत्र

Please write or type below this line

विषय : शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्यनरत् छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा I से XII तक की एन.सी.ई.आर.टी. एवं एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में बिक्री के लिये (उत्तराखण्ड के सभी जनपदों) उपलब्धता सुनिश्चित कराना

प्रथम पक्ष :

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 ननूरखेड़ा, देहरादून।

द्वितीय पक्ष/मुद्रक

मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड
 पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी,
 नैनीताल।

Deepak Kumar
 Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road
 HALDWANI (Nainital) U.T.

Statutory Alert:

The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at: www.shoiesstamp.com. Any discrepancy in the details on the website renders it invalid.

The onus of checking the legitimacy is on the Users of the certificate.

In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

अनुबन्ध की तिथि/स्थान- 25 जनवरी 2018, देहरादून।

2. शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा I से XII तक की एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (उत्तराखण्ड के सभी जनपदों) में उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानानुसार सम्पादित निविदा प्रक्रिया के क्रम में उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित प्रथम पक्ष अर्थात् पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननुरखेड़ा, देहरादून एवं द्वितीय पक्ष अर्थात् मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप अनुबन्ध किया गया।
3. द्वितीय पक्ष/मुद्रक निम्न सारणी में उल्लिखित पाठ्य पुस्तकों का उनके सम्मुख अंकित दरों (विक्रय मूल्य) पर मुद्रित कर उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहमत है :-

क्रम सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ संख्या	निर्धारित विक्रय मूल्य
1	2	3	4	5
1	I	रिमझिम भाग 1	34541	59.61
2	I	मैरीगोल्ड बुक 1	34541	59.61
3	I	गणित का जादू 1	18666	59.61
4	I	इब्तेदई 1	3063	54.19
5	I	Math Magic I	15875	59.61
6	II	रिमझिम 2	34516	59.61
7	II	मैरीगोल्ड बुक 2	34516	59.61
8	II	गणित का जादू 2	18666	59.61
9	II	इब्तेदई 2	3063	54.19
10	II	Math Magic II	15850	59.61
11	III	Math Magic III	15778	59.61
12	III	Looking Around Book I	15778	59.61
13	III	रिमझिम 3	32760	59.61
14	III	मैरीगोल्ड बुक 3	32760	59.61
15	III	गणित का जादू 3	16982	59.61
16	III	इब्तेदई 3	3700	54.19
17	III	Looking Around Book I	32760	59.61
18	III	बालसंस्कृतम भाग 1	16669	21.11
19	IV	रिमझिम 4	32090	59.61
20	IV	मैरीगोल्ड बुक 4	32090	59.61
21	IV	गणित का जादू 4	16527	59.61
22	IV	इब्तेदई 4	3988	54.19
23	IV	आस-पास	16527	59.61
24	IV	बालसंस्कृतम भाग-2	16157	24.88


[Handwritten mark]




[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Deepak Prakash & Publishers
 Bareilly
 HALDWANI

25	IV	Math Magic IV	15563	59.61
26	IV	Looking Around Book II	15563	59.61
27	V	रिमझिम 5	31304	59.61
28	V	मैरीगोल्ड बुक 5	31304	59.61
29	V	गणित	16158	59.61
30	V	इक्वेटर् 5	6400	54.19
31	V	आस-पास	16158	59.61
32	V	बालसंस्कृतम भाग 3	15833	30.74
33	V	Math Magic V	15146	59.61
34	V	Looking Around Book III	15146	59.61
35	VI	बसंत भाग 1	29225	58.79
36	VI	Honey Suckle	29225	58.79
37	VI	A Pact with the Sun (Supplimentary)	29225	32.07
38	VI	आमोदनी	14391	24.48
39	VI	गणित	14391	58.79
40	VI	Science (In English medium)	14391	58.79
41	VI	हमारा अतीत --इतिहास	14391	58.79
42	VI	पृथ्वी हमारा आवास- भूगोल	14391	53.45
43	VI	सामाजिक और राजनीति जीवन	14391	58.79
44	VI	अपनी जुबान	3913	53.45
45	VI	बाल रामकथा	25747	42.76
46	VI	Ruchira Prathmo Bhag	14834	53.45
47	VI	Mathematics	14834	58.79
48	VI	Science	14834	58.79
49	VI	Our Past	14834	58.79
50	VI	The Earth Our Habitate	14834	53.45
51	VI	Social and Political Life	14834	58.79
52	VII	बसंत भाग 2	25747	58.79
53	VII	Honey Comb	25747	58.79
54	VII	An Alien Hand-(Suppl.Eng)	25747	37.41
55	VII	आमोदनी	11653	23.60
56	VII	गणित	11878	58.79
57	VII	विज्ञान	11878	58.79
58	VII	हमारा अतीत 2--इतिहास	11878	58.79
59	VII	हमारा पर्यावरण भूगोल	11878	53.45
60	VII	सामाजिक और राजनीति जीवन- 2	11878	58.79
61	VII	अपनी जुबान	1450	53.45
62	VII	बाल महाभारत	24380	48.10
63	VII	Ruchira - II	13869	53.45
64	VII	Mathematics	13869	58.79
65	VII	Science	13869	58.79
66	VII	Our Past II	13869	58.79
67	VII	Our Environment	13869	53.45
68	VII	Social and Political Life II	13869	58.79
69	VIII	बसंत भाग 3	24380	58.79



 Deputy Director
 H.A.D.W. ...
 HALDWA ...

70	VIII	Honey Dew	24380	58.79
71	VIII	It So Happened (Suppl. Eng)	24380	48.10
72	VIII	आमोदनी	10757	24.44
73	VIII	गणित	10757	58.79
74	VIII	विज्ञान	10757	58.79
75	VIII	हमारा अतीत 3- भाग एक-इतिहास	10757	53.45
76	VIII	हमारा अतीत 3- भाग दो-इतिहास	10757	58.79
77	VIII	भूगोल	10757	53.45
78	VIII	सामाजिक और राजनीति जीवन- 3	10757	58.79
79	VIII	अपनी जवान	1263	53.45
80	VIII	भारत की खोज	10757	58.79
81	VIII	Ruchira III	13793	58.79
82	VIII	Mathematics	13793	58.79
83	VIII	Science	13793	58.79
84	VIII	Our Past III -Part 1	13793	53.45
85	VIII	Our Past III -Part 2	13793	58.79
86	VIII	Resource & Development	13793	53.45
87	VIII	Social and Political Life III	13793	58.79
88	IX	क्षितिज भाग-1	36000	53.88
89	IX	कृतिका भाग-1	36000	24.49
90	IX	Beehive - English Text Book	29000	63.67
91	IX	Moments - English Suppl. Reader	28000	34.29
92	IX	शेमुषी प्रथमो भाग	22000	48.98
93	IX	गणित	25000	132.24
94	IX	विज्ञान	30000	132.24
95	IX	भारत और समकालीन विश्व I-इतिहास	23000	112.65
96	IX	समकालीन भारत I-भूगोल	25000	48.98
97	IX	अर्थशास्त्र	23000	44.08
98	IX	लोकतांत्रिक राजनीति-I	18000	78.37
99	IX	नवा-ए-उर्दू	1000	112.65
100	IX	Sparsh Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	7646	48.98
101	IX	Sanchayan Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	7646	24.49
102	IX	Mathematics	37240	132.24
103	IX	Science	37252	132.24
104	IX	India and the Contemporary World I- History	37252	112.65
105	IX	Contemporary India I- Geography	37252	48.98
106	IX	Economics	37252	44.08
107	IX	Democratic Politics	37252	78.37
108	X	क्षितिज भाग-2	24000	58.78
109	X	कृतिका भाग-2	23000	29.39
110	X	First Flight - English Text Book	22000	68.57
111	X	Foot Prints without Feet - English Suppl.	22000	39.18
112	X	शेमुषी द्वितीय भाग	17000	58.78
113	X	गणित	24000	137.14
114	X	विज्ञान	25000	161.63

Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road
 HALDWANI (Nainital) U.A.

115	X	भारत और समकालीन विश्व II-इतिहास	17000	122.45
116	X	समकालीन भारत II-भूगोल	18000	63.67
117	X	आर्थिक विकास की समझ	17000	63.67
118	X	लोकतांत्रिक राजनीति-II	18000	78.37
119	X	नवा-ए-उर्दू	1000	78.37
120	X	Sparsh Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	7646	58.78
121	X	Sanchayan Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Suppl. Course B	7646	24.49
122	X	Mathematics	37240	137.14
123	X	Science	37252	161.63
124	X	India and the Contemporary World II- History	37252	122.45
125	X	Contemporary India II Geography	37252	63.67
126	X	Understanding Economic Development- Economics	37252	63.67
127	X	Democratic Politics II	37252	78.37
128	XI	आरोह भाग-1	23000	65.00
129	XI	वितान भाग-1	21000	25.00
130	XI	अभिव्यक्ति और माध्यम	1000	145.00
131	XI	Hornbill - English Core	23000	50.00
132	XI	Snapshot - English Suppl. Core	21000	35.00
133	XI	भास्वती प्रथमो भाग	8000	60.00
134	XI	गणित	7000	180.00
135	XI	जीव विज्ञान	5000	200.00
136	XI	रसायन भाग-1	7000	155.00
137	XI	रसायन भाग-2	6000	105.00
138	XI	भौतिकी भाग-1	7000	130.00
139	XI	भौतिकी भाग-2	6000	105.00
140	XI	विश्व इतिहास के कुछ विषय	4000	160.00
141	XI	भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त	6000	80.00
142	XI	भारत : भौतिक पर्यावरण	5000	60.00
143	XI	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग-1	4000	95.00
144	XI	अर्थशास्त्र में सांख्यिकी	7000	55.00
145	XI	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास	7000	85.00
146	XI	भारत का संविधान	7000	100.00
147	XI	राजनीति सिद्धान्त	7000	70.00
148	XI	समाज शास्त्र परिचय	3000	45.00
149	XI	समाज का बोध	3000	45.00
150	XI	व्यवसाय अध्ययन	1000	70.00
151	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-1	1000	75.00
152	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग-2	1000	70.00
153	XI	मनोविज्ञान का परिचय	1000	120.00
154	XI	Antra Bhag - Hindi Elective	2058	65.00
155	XI	Antra Bhag - Hindi Suppl. Elective	2058	40.00
156	XI	Woven Words- English Elective	27	75.00
157	XI	Sanskrit- Shasawati Prathmo Bhag	10	65.00
158	XI	Mathematics	13616	180.00
159	XI	Biology	5549	200.00


Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road
 HALDWANI (Nainital) U.A.

160	XI	Chemistry Part I	16594	155.00
161	XI	Chemistry Part II	16594	105.00
162	XI	Physics Part I	16594	130.00
163	XI	Physics Part II	16594	105.00
164	XI	Themes in World History	1363	160.00
165	XI	Fundamental of Physical Geography	945	80.00
166	XI	India: Physical Environment	945	60.00
167	XI	Practical Work in Georgraphy - Part I	945	95.00
168	XI	Statistics for Economics	12085	55.00
169	XI	Indian Economic Development	12085	85.00
170	XI	Indian Constitution at Work	1187	100.00
171	XI	Pol. Theory II	1187	70.00
172	XI	Introducing Sociology	263	45.00
173	XI	Understanding Society	263	45.00
174	XI	Business Studies	11308	115.00
175	XI	Accountancy- Financial Accounting part I	11312	125.00
176	XI	Accountancy- Financial Accounting part II	11312	110.00
177	XI	Phychology	488	120.00
178	XI	Computer & Communicaion Technology- Part I	2583	140.00
179	XI	Living Craft Tradition of India (Textbook in Heritage Crafts)	43	120.00
180	XI	The Story of Graphic Design	43	170.00
181	XI	Human Ecology & Family Science- Part I	10	160.00
182	XI	Human Ecology & Family Science- Part II	10	105.00
183	XI	Computer & Communicaion Technology- Part II	2583	150.00
184	XI	Exploring the Craft Tradition of India	945	110.00
185	XI	Graphic Design Ek Kahani	945	170.00
186	XI	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag I	2583	140.00
187	XI	An Introduction to Indian Art	1187	125.00
188	XI	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag II	2583	150.00
189	XII	आरोह भाग-2	22000	70.00
190	XII	वित्तन भाग-2	19000	40.00
191	XII	Flamingo - English Core	19000	45.00
192	XII	Vistas - English Suppl. Reader Core	18000	40.00
193	XII	भासवती द्वितीयो भाग	9000	35.00
194	XII	गणित भाग-1	10000	115.00
195	XII	गणित भाग-2	8000	130.00
196	XII	जीवविज्ञान	6000	170.00
197	XII	रसायन भाग - 1	6000	170.00
198	XII	रसायन भाग - 2	5000	115.00
199	XII	भौतिकी भाग - 1	5000	170.00
200	XII	भौतिकी भाग - 2	3000	140.00
201	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-1	3000	80.00
202	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-2	3000	95.00
203	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-3	3000	115.00
204	XII	गान्ध भूगोल के मूल सिद्धान्त	4000	65.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Deepak Publications
 Bareilly Road
 ALDWARA (U.P.)

205	XII	भारत -- लोग और अर्थव्यवस्था	5000	95.00
206	XII	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य -- भाग 2	3000	70.00
207	XII	व्यष्टि अर्थशास्त्र -- एक परिचय	7000	65.00
208	XII	समष्टि अर्थशास्त्र -- एक परिचय	7000	65.00
209	XII	रामकालीन विश्व राजनीति	7000	100.00
210	XII	स्वतंत्र भारत में राजनीति	7000	125.00
211	XII	भारत में सामाजिक परिवर्तन	3000	90.00
212	XII	भारतीय समाज -- समाजशास्त्र	3000	105.00
213	XII	व्यावसाय अध्ययन-1	1000	60.00
214	XII	व्यावसाय अध्ययन-2	1000	50.00
215	XII	अलाभकारी संस्थायें एवं साझेदारी खाते	1000	85.00
216	XII	कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	1000	115.00
217	XII	मनोविज्ञान	1000	100.00
218	XII	Antara Bhag 2 Hindi Elective	2058	75.00
219	XII	Antara Bhag 2 Hindi Suppl. Elective	2058	30.00
220	XII	Kaleidoscope- English Elective	27	70.00
221	XII	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	10	55.00
222	XII	Mathematics Part I	13616	115.00
223	XII	Mathematics Part II	13616	130.00
224	XII	Biology	5549	170.00
225	XII	Chemistry Part I	16594	170.00
226	XII	Chemistry Part II	16594	115.00
227	XII	Physics Part I	16594	170.00
228	XII	Physics Part II	16594	140.00
229	XII	Themes in Indian History Part I	1363	80.00
230	XII	Themes in Indian History Part II	1363	95.00
231	XII	Themes in Indian History Part III	1363	115.00
232	XII	Fundamental of Humam Geography	945	65.00
233	XII	Practical Work in Georgraphy - Part II	945	70.00
234	XII	India: People and Economy	12085	95.00
235	XII	Introducing Microeconomics	12085	65.00
236	XII	Introducing Macroeconomics	12085	65.00
237	XII	Contemporary World Politics	1187	100.00
238	XII	Politics in India since Independence	1187	125.00
239	XII	Social Change and Development in India	263	90.00
240	XII	Indian Society- Sociology	263	105.00
241	XII	Business Studies I	11308	95.00
242	XII	Business Studies II	11308	80.00
243	XII	Accountancy- I- Not for profit organisation and partnership accounts	11312	100.00
244	XII	Accountancy II- Company Account and Analysis of Financial Statements	11312	115.00
245	XII	Accountancy Computerised Accounting System for Class- XII	11312	108.00
246	XII	Phychology	488	100.00
247	XII	Craft radition of India Textbook in Heritage Craft for Class XII	43	155.00
248	XII	Towards a New Age of Graphic Design	43	145.00

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road
 HALDWANI (Nainital) U.A.

4. पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशनाधिकार (कॉपीराइट) प्रथम पक्ष में निहित रहेगा, जो द्वितीय पक्ष के ऐसे दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वसूलेगा, जो प्रकाशनाधिकार के उल्लंघन से हो या पाठ्य पुस्तकों की किसी बात से सम्बन्धित उत्तरदायित्व के विषय में हो। द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लिखित आदेश के बिना उक्त पुस्तकों की आवंटित/आवंटित से अधिक प्रतियां मुद्रित नहीं करेगा और न ही वह प्रथम पक्ष के लिखित आदेश के बिना उनको पुनः मुद्रित करेगा, इस प्रकार बिना लिखित आदेश के ऐसी मुद्रित सब प्रतियां मुद्रक से प्रथम पक्ष की ओर से जब्त कर ली जायेगी और मुद्रक उसके लिए किसी प्रतिकर का दावा नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में मुद्रक के विरुद्ध अलग से कार्यवाही भी की जायेगी।
5. द्वितीय पक्ष प्रस्तर-03 में उल्लिखित समस्त पाठ्य पुस्तकों को कार्यादेश जारी होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर मुद्रित कर खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्ध करवाने के लिए सहमत है।
6. शासन द्वारा किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना प्राप्त होती है, तो इस अवधि में किया गया परिवर्तन दोनों पक्षों को मान्य होगा, द्वितीय पक्ष संशोधित नवीनीकृत पाण्डुलिपि को मुद्रित करने के लिये बाध्य होगा।
7. द्वितीय पक्ष उपर्युक्त प्रस्तर-03 में उल्लिखित दरों (विक्रय मूल्य) को सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकों में यथास्थान मुद्रित करेगा एवं इन्हीं दरों पर बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध करवायेगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त पुस्तकों को चार/दो आकर्षक रंगों में अथवा एक रंग में मुद्रित किया जायेगा।
9. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में प्रयुक्त होने वाले कागज की व्यवस्था स्वयं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी। जिसके लिए प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जायेगी।
10. कागज की विशिष्टियाँ : एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली की भांति ही पाठ्य पुस्तकों को निम्नलिखित मानकों के कागज पर मुद्रित किया जायेगा—
 - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में टेक्स्ट पेपर के लिए मिलवाटर मार्क Maplitho Paper 80 GSM नवीनतम संशोधित ISI मार्क 1848/2007 के नवीन संशोधित मानकों के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा। कागज एन.सी.ई.आर.टी. के मानकों के अनुरूप होगा। इससे निम्न गुणवत्ता का कागज मान्य नहीं होगा। कतरन्, रद्दी, रिसाइकल्ड पल्प से निर्मित कागज मान्य नहीं होगा।
 - आवरण पृष्ठ के लिए आर्ट कार्ड 220 GSM., नवीनतम संशोधित BIS specification 46S8/1988 के निर्धारित मानकों का कागज प्रयोग में लाया जायेगा। कागज एन.सी.ई.आर.टी. के मानकों के अनुरूप होगा। इससे निम्न गुणवत्ता का कागज मान्य नहीं होगा। कतरन्, रद्दी, रिसाइकल्ड पल्प से निर्मित कागज मान्य नहीं होगा।
11. द्वितीय पक्ष को पूरे शिक्षा सत्र के दौरान मांग के अनुरूप छात्र/छात्राओं की सुविधा के लिए निर्धारित मूल्य (विक्रय मूल्य) पर पाठ्य पुस्तकें खुले बाजार में उपलब्ध रखनी/करवानी होगी। बाजार की मांग के अनुरूप यदि जारी किये गये कार्यादेश से

4

J

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Deenak Printers & Publishers
 Bareilly Road
 HALDWANI (Nainital) U.A.




अधिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के पुनर्मुद्रण की अनुमति प्रथम पक्ष से प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के पाठ्य पुस्तकों का पुनर्मुद्रण नहीं किया जायेगा।


12. द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित पुस्तकों की बिक्री शैक्षिक सत्र : 2018-19 के उपरान्त नहीं की जायेगी।
13. मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की बिक्री/प्रयोग उत्तराखण्ड राज्य तक ही सीमित होगी। पाठ्य पुस्तकों का विक्रय राज्य की सीमाओं के बाहर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
14. सुरक्षा धनराशि (Security Money): द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष अर्थात् पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से सुरक्षा धनराशि (Security Money), का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चेक/एन0एस0सी0/बैंक गारण्टी के रूप में बन्धक रखी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	सुरक्षा धनराशि का प्रकार	दिनांक	संख्या	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बैंक गारंटी (द नैनीताल बैंक लिमिटेड, हल्द्वानी)	24-01-2018	BG/62/2017-18	37,00,000
शब्दों में (रूपये सैंतीस लाख)				

नोट : कॉलम 2 में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एनएससी/बैंक गारण्टी/आदि लिखें।

15. सुरक्षा धनराशि (Security Money)— पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती, संतोषजनक कार्य पूर्ण होने एवं समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण—पत्र जारी करने पर।
16. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी बिड में जिस पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने का अनुबन्ध पत्र संलग्न किया गया है, अनिवार्यतः उसी पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता से कागज क्रय किया गया, के लिए मुद्रणोपरान्त पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के बाद ही द्वितीय पक्ष की सुरक्षा धनराशि मुक्त की जायेगी।
17. निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए पाठ्य पुस्तकों की दी गयी दरों को संशोधित किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित मूल्य के अनुपात में निविदा प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित किया जायेगा।
18. पाठ्य पुस्तकों पर दी जाने वाली रॉयल्टी— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक : F.No.-26-40/2005 - Pub.(TCS) दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के लिए 5% रॉयल्टी का भुगतान NCERT नई दिल्ली के लिये किया जायेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड की पाठ्य पुस्तकों पर एक समान रॉयल्टी देय होगी। शिक्षा सत्र के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक




MAA DWA

अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा यदि रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार ही फर्मों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।

19. द्वितीय पक्ष (चयनित फर्म) द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के कुल मूल्य पर 5% (पांच प्रतिशत) रॉयल्टी दी जानी है। रॉयल्टी ड्राफ्ट के माध्यम से, जो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से बना हो, पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवायी जानी है। रॉयल्टी का ड्राफ्ट देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में देय होना चाहिए।
20. चयनित फर्म को पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करते समय यह लिख कर देना होगा कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
21. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित दरें, रॉयल्टी, समयावधि सहित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जायेगा। कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकें जो बिक्री होने से रह जाती हैं, उनके भुगतान के लिए पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड उत्तरदायी नहीं होंगे।
22. द्वितीय पक्ष द्वारा अपना नैटवर्क राज्य के सभी जनपदों में इस प्रकार स्थापित किया जायेगा कि पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक तहसील, विकास खण्ड, न्याय पंचायतों में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री हेतु समय से उपलब्ध हो जायें, ताकि सभी छात्र/छात्राएँ पुस्तकें क्रय कर सकें। इस कार्य के लिए प्रथम पक्ष की ओर से किसी भी तरह का कोई ढुलान व्यय देय नहीं होगा।
23. छात्र-छात्राओं को आसानी से पाठ्य पुस्तकें सुलभ हो सकें, के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा जनपदवार निम्नलिखित पुस्तक विक्रेताओं का चयन किया गया है। जिन्हें द्वितीय पक्ष द्वारा प्राथमिकता/अनिवार्य रूप से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवानी होगी। जनपद स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता ही कार्य सम्पन्न होने की प्रमाणिकता मानी जायेगी। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से कार्य सम्पन्न नहीं समझा जायेगा-

क्र० सं०	जनपद	पुस्तक विक्रेता का नाम एवं पता	दूरभाष संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उत्तरकाशी	रमेश दिनेश पुस्तक भण्डार, उत्तरकाशी	
2.	टिहरी गढ़वाल	बृहमानन्द बुक डिपो, टिहरी गढ़वाल	
3.	रूद्रप्रयाग	हिमालयन बुक डिपो, रूद्रप्रयाग	9761906355
4.	चमोली	पीयूश बुक डिपो, चमोली	9897867846
5.	पौड़ी गढ़वाल	राजेन्द्र बुक डिपो, पौड़ी गढ़वाल	9758970853
6.	देहरादून	राकेश बुक डिपो, देहरादून	0135-52432150
7.	हरिद्वार	डायमंड पुस्तक भण्डार, हरिद्वार	9358398035
8.	ऊधमसिंह नगर	विनोद पुस्तक भण्डार, ऊधमसिंहनगर	9927131000
9.	नैनीताल	पुरनमल एण्ड सन्स, नैनीताल	9927856789
10.	अल्मोड़ा	भगवान बुक डिपो, अल्मोड़ा	



Neepal
Date
H.O.D.








11.	बागेश्वर	शिवा बुक डिपो, बागेश्वर	9412105467
12.	पिथौरागढ़	मनीराम पुनेठा, पिथौरागढ़	9897578437
13.	चम्पावत	भगोली, स्टेशनरी, चम्पावत	9412097044

नोट: द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पुस्तक विक्रेताओं की विस्तृत सूची अनुबन्ध के अन्त में संलग्न है।

24. द्वितीय पक्ष की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए तथा छात्र हित में पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त कार्य एक ही फर्म को दिये जाने के स्थान पर अन्य फर्मों को भी निर्धारित दर पर कार्य आबंटित किया जा सकता है। जिसके लिए पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अन्तिम माना जायेगा।
25. द्वितीय पक्ष द्वारा खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करते समय सर्वप्रथम निदेशालय को निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी—

क्र० सं०	पुस्तक विक्रेता का विवरण		कक्षा	पाठ्य पुस्तक	आपूर्ति संख्या
	जनपद	नाम/पता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
योग					

26. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर मुद्रित एवं बिना मुद्रित कागज पाठ्य पुस्तकों के कागज की रासायनिक जांच करवायी जायेगी। मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की जांच पर आने वाले व्यय का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। जांच आख्यानसार मानकानुसार कागज की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा फर्म पर दण्ड निर्धारित किया जायेगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
27. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर फर्म एवं बाजार में कार्य का निरीक्षण किया जायेगा।
28. पाठ्य पुस्तकों की संख्या/पृष्ठों की संख्या घट-बढ़ सकती है तथा नामों में भी परिवर्तन हो सकता है, जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार परिवर्तित करना होगा। परिवर्तन की स्थिति में पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित दरों (विक्रय मूल्य) में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
29. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप (पेपर, पाठ्य पुस्तक का साइज, प्रिन्टिंग एवं बाइंडिंग) ही मुद्रित की जायेगी
30. आवरण पृष्ठों का मुद्रण इस प्रकार किया जायेगा कि इनका उपयोग किसी अन्य द्वारा न किया जा सके।
31. सभी आवरण पृष्ठ चार रंगों में मुद्रित होंगे।
32. पाठ्य पुस्तकों आवरण पृष्ठ सहित फोर कलर में कवर, बैक कवर तथा इन साइड कवर तथा इन साइड बैक कवर/टू कलर कवर, वन कलर इन साइड में मुद्रित होंगी। प्रत्येक कवर पर 12 डिजिट में ON LINE NUMBER मुद्रित किये जायेंगे, जो कार्यादेश के साथ ही द्वितीय पक्ष द्वारा निदेशालय से प्राप्त करने होंगे।
33. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लाल रंग से मोटे अक्षरों में चार खाने के अन्धर "Royalty Paid Book" अंकित किया जायेगा।


Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road
 HALDWANI (Nainital) U.A.

34. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के कवर पेज पर ON LINE NUMBER अंकित किया जायेगा ताकि पुस्तकों की विश्वसनीयता बनी रहे और नकली पाठ्य पुस्तकें बाजार में न आ सकें।
35. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कवर पेज की सी0डी0/डी0वी0डी0 प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
36. एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली तथा राज्य सरकार द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों में भिन्नता के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र : 2018-19" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2018-19" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा।
37. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों की मोटाई (बाइंडिंग साइड पर) पर जो बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे, "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।
38. प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रारम्भ में यथास्थान महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से प्राक्कथन द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित किया जायेगा, जिससे द्वितीय पक्ष को कार्यादेश के साथ ही निदेशालय से प्राप्त करना होगा।
39. पाठ्य पुस्तकें निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सी0डी0/हार्ड कापी के अनुसार ही मुद्रित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्ष द्वारा निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का यथास्थान समावेश करना होगा।
40. पुस्तक का प्रकाशन विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रकाशक का उल्लेख करते समय मुद्रक द्वारा उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा तथा उचित/निर्धारित स्थान पर उत्तराखण्ड शासन का लोगो भी मुद्रित किया जायेगा।
41. द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित समस्त पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों पर नीचे मध्य भाग में पृष्ठ संख्या तथा समस्त दाहिने एवं बांये पृष्ठों पर बाहर की ओर उत्तराखण्ड शिक्षा सत्र 2018-19 तथा अन्दर की ओर बांये पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ्य पुस्तक का नाम तथा दाहिनी ओर के पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ का नाम अंकित किया जायेगा। सभी अंकना 10 प्वाइंट बोल्ड में मुद्रित की जायेगी।
42. मुद्रण कार्य की प्रूफ रीडिंग द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्तर से करवायी जायेगी। अतः अक्षर, मात्रा, अंक, दशमलव, बिन्दु, कौमा, अर्द्धविराम, गणित के चिन्ह आदि टूटे-छूटे, मिटने या स्थान बदलने से होने वाली त्रुटि की स्थिति नहीं हों, के लिए प्रूफ रीडिंग अत्यधिक सावधानी से की जानी होगी।
43. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में फान्ट का साइज, पुस्तकों का आकार, ट्रिम साइज, प्रिन्ट एरिया, स्पेसिंग एवं विषय सामग्री विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार ही किया जायेगा।



Deepak Printers & Publishers
Bareilly Road
HALDWANI (Nainital) U.A.







44. द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त इलस्ट्रेशन एवं चित्रांकन उत्तम इंक एवं रंग से विषयवस्तु के अनुरूप एवं समीपस्थ मुद्रित किया जायेगा, जिनका हेयर लाइन रजिस्ट्रेशन एकदम ठीक हो।
45. महत्वपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा महापुरुषों से सम्बन्धित तथ्य अद्यतन शुद्ध हों, जिसे प्रत्येक स्तर पर द्वितीय पक्ष द्वारा ठीक करना होगा। किसी भी प्रकार का विवाद उठने की स्थिति में द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा।
46. पाठ्य पुस्तकों की बाईंडिंग— द्वितीय पक्ष द्वारा 112 या कम पृष्ठों की पाठ्य पुस्तकों में सेंटर स्टिचिंग तीन तार तथा 112 से अधिक पृष्ठों वाली पाठ्य पुस्तकों की परफैक्ट बाईंडिंग की जायेगी।
47. द्वितीय पक्ष द्वारा चयनित फर्म द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।
48. समस्त जनपदों के बाजार में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर निम्नवत् विलम्ब—अर्धदण्ड निर्धारित किया जायेगा:-
- 01 से 10 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 2%
 - 11 से 20 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 5%
 - 21 से 30 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 10%
 - 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में मुद्रक की सुरक्षा धनराशि जब्त कर, उसे काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।
49. द्वितीय पक्ष (सफल निविदादाता) द्वारा यदि अनुबंध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नेस्टमनी/सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।
50. मुद्रण के उपरान्त द्वितीय पक्ष को 10.00 (दस) रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित मुद्रित कक्षा/विषयवार पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये ON LINE NUMBER का प्रमाण पत्र देना होगा।
51. सुरक्षा धनराशि द्वितीय पक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्यों तथा शर्तों को पूरा करने के उपरान्त वापस की जायेगी—
- फर्म द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करने एवं यह लिख कर देने पर कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।





Deepak Printers & Publishers
 Bareilly Road
 HALDWANI (Nainital) U.S.

- पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जाँच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती करने के उपरान्त संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर।
 - समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण-पत्र जारी करने पर।
 - पाठ्य पुस्तकें अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पुष्टि के लिए मुद्रणोपरान्त फर्म द्वारा पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवाने पर।
 - नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये **On Line Number** (कहाँ से कहाँ तक) का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - निर्धारित प्रारूप (अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर 24) पर खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को आपूर्ति की गयी पाठ्य पुस्तकों का विवरण उपलब्ध कराने पर।
52. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी बिड के साथ उपलब्ध करवाये गये कागज के नमूनों को भविष्य में आवश्यकतानुसार रासायनिक जांच करवाने के लिए निदेशालय में सीलड करके सुरक्षित रखा गया है।
53. ऐसे अप्रत्याशित कारण जो द्वितीय पक्ष के नियंत्रण से बाहर हैं, जिनका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता जैसे- युद्ध, क्रांति, आग, बाढ़, बीमारी फैलने की स्थिति में द्वितीय पक्ष लिखित रूप से पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को इसकी सूचना तुरन्त देगा तथा इसके कारणों का उल्लेख करेगा। जब तक पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा अन्य निर्देश नहीं दिये जायेंगे द्वितीय पक्ष अनुबंध के आधार पर अपने कर्तव्यों/कार्यों का जहाँ तक सम्भव हो, निर्वहन करता रहेगा।
54. सम्बन्धित कार्य के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे उत्तराखण्ड शासन के निर्णयार्थ (आर्बीट्रेशन) प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
55. सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के लिए सिर्फ देहरादून स्थित सुसंगत न्यायालय में ही मामला उठाया जा सकता है, अन्य किसी भी न्यायालय में नहीं।
56. कार्य सम्पन्न करने के लिए द्वितीय पक्ष को जारी कार्यादेश एवं किये गये अनुबन्ध को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अर्थात् पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
57. उपर्युक्त बिन्दुओं में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों अर्थात् प्रथम पक्ष पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून






तथा द्वितीय पक्ष मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल
 मध्य 25 जनवरी 2018 को स्थान - निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा,
 देहरादून में निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव में आकर
 पूरी समझबूझ एवं स्वस्थ मस्तिष्क के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। दोनों ही
 पक्ष अनुबन्ध की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

<p style="text-align: center;">  (अनुराधा कुँवर) 25/1/18 प्रथम पक्ष : पाठ्य पुस्तक अधिकारी / निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून। </p> <p style="text-align: center;">  (कंचन देवराजी) 25/1/18 साक्षी-1 : संयुक्त निदेशक, एसओसीओईओआरओटीओ उत्तराखण्ड </p> <p style="text-align: center;">  (जय प्रकाश यादव) 25/1/18 साक्षी-2 : उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड </p>	<p style="text-align: center;">  (प्रवीण कुमार) द्वितीय पक्ष: मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी Bareilly Road HALDWANI (Nainital) U.A. हस्ताक्षर <u>Wadeem Khan</u> नाम एवं पदनाम <u>Wadeem Khan</u> पता <u>43/31, Laxmi Road</u> साक्षी-1 : <u>School</u> <u>8909582007</u> </p> <p> हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम पता साक्षी-2 : </p>
---	---

निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून।

आदेश संख्या : पा.पु. / 1371 / नौ-II(42) / 2017-18, दिनांक 25 जनवरी 2018

कार्यादेश

शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए कक्षा 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के अनुसार सम्पादित निविदा प्रक्रिया तथा इस निमित्त पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून तथा मैसर्स दीपक प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल के मध्य हुए अनुबन्ध दिनांक 25 जनवरी 2018 के अनुरूप कार्य सम्पन्न करने के लिए मैसर्स दीपक प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल को निम्न सारणी में अंकित विवरणानुसार कार्यादेश जारी होनी की तिथि से 45 दिन की सीमान्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यादेश जारी किया जाता है-

क्रम सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ संख्या	निर्धारित विक्रय मूल्य
1	2	3	4	5
1	I	रिमझिम भाग 1	34541	59.61
2	I	मैरीगोल्ड बुक 1	34541	59.61
3	I	गणित का जादू 1	18666	59.61
4	I	इबोदई 1	3063	54.19
5	I	Math Magic I	15875	59.61
6	II	रिमझिम 2	34516	59.61
7	II	मैरीगोल्ड बुक 2	34516	59.61
8	II	गणित का जादू 2	18666	59.61
9	II	इबोदई 2	3063	54.19
10	II	Math Magic II	15850	59.61
11	III	Math Magic III	15778	59.61
12	III	Looking Around Book I	15778	59.61
13	III	रिमझिम 3	32760	59.61
14	III	मैरीगोल्ड बुक 3	32760	59.61
15	III	गणित का जादू 3	16982	59.61
16	III	इबोदई 3	3700	54.19
17	III	Looking Around Book I	32760	59.61
18	III	बालसरकृतम भाग 1	16669	21.11
19	IV	रिमझिम 4	32090	59.61
20	IV	मैरीगोल्ड बुक 4	32090	59.61
21	IV	गणित का जादू 4	16527	59.61
22	IV	इबोदई 4	3988	54.19
23	IV	आस पास	16527	59.61
24	IV	बालसरकृतम भाग-2	16157	24.88

25	IV	Math Magic IV	15563	59.61
26	IV	Looking Around Book II	15563	59.61
27	V	रिगड्रिंग 5	31304	59.61
28	V	गैशिंगोल्ड बुक 5	31304	59.61
29	V	गणित	16158	59.61
30	V	इबोर्डई 5	6400	54.19
31	V	आस-पास	16158	59.61
32	V	बालसंस्कृतम भाग 3	15833	30.74
33	V	Math Magic V	15146	59.61
34	V	Looking Around Book III	15146	59.61
35	VI	बसंत भाग 1	29225	58.79
36	VI	Honey Suckle	29225	58.79
37	VI	A Pact with the Sun (Supplimentary)	29225	32.07
38	VI	आमोदनी	14391	24.48
39	VI	गणित	14391	58.79
40	VI	Science (In English medium)	14391	58.79
41	VI	हमारा अतीत - इतिहास	14391	58.79
42	VI	पृथ्वी हमारा आवास भूगोल	14391	53.45
43	VI	सामाजिक और राजनीति जीवन	14391	58.79
44	VI	अपनी जुबान	3913	53.45
45	VI	बाल रामकथा	25747	42.76
46	VI	Ruchira Prathmo Bhag	14834	53.45
47	VI	Mathematics	14834	58.79
48	VI	Science	14834	58.79
49	VI	Our Past	14834	58.79
50	VI	The Earth Our Habitate	14834	53.45
51	VI	Social and Political Life	14834	58.79
52	VII	बसंत भाग 2	25747	58.79
53	VII	Honey Comb	25747	58.79
54	VII	An Alien Hand-(Suppl.Eng)	25747	37.41
55	VII	आमोदनी	11653	23.60
56	VII	गणित	11878	58.79
57	VII	विज्ञान	11878	58.79
58	VII	हमारा अतीत 2- इतिहास	11878	58.79
59	VII	हमारा पर्यावरण भूगोल	11878	53.45
60	VII	सामाजिक और राजनीति जीवन- 2	11878	58.79
61	VII	अपनी जुबान	1450	53.45
62	VII	बाल महामारत	24380	48.10
63	VII	Ruchira - II	13869	53.45
64	VII	Mathematics	13869	58.79
65	VII	Science	13869	58.79
66	VII	Our Past II	13869	58.79
67	VII	Our Environment	13869	53.45
68	VII	Social and Political Life II	13869	58.79

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

69	VIII	बसंत भाग 3	24380	58.79
70	VIII	Honey Dew	24380	58.79
71	VIII	It So Happened (Suppl. Eng)	24380	48.10
72	VIII	आगोदनी	10757	24.44
73	VIII	गणित	10757	58.79
74	VIII	विज्ञान	10757	58.79
75	VIII	हमारा अतीत 3- भाग एक-इतिहास	10757	53.45
76	VIII	हमारा अतीत 3- भाग दो-इतिहास	10757	58.79
77	VIII	भूगोल	10757	53.45
78	VIII	सामाजिक और राजनीति जीवन- 3	10757	58.79
79	VIII	अपनी जबान	1263	53.45
80	VIII	भारत की खोज	10757	58.79
81	VIII	Ruchira III	13793	58.79
82	VIII	Mathematics	13793	58.79
83	VIII	Science	13793	58.79
84	VIII	Our Past III -Part 1	13793	53.45
85	VIII	Our Past III -Part 2	13793	58.79
86	VIII	Resource & Development	13793	53.45
87	VIII	Social and Political Life III	13793	58.79
88	IX	क्षितिज भाग-1	36000	53.88
89	IX	कृतिका भाग- 1	36000	24.49
90	IX	Beehive - English Text Book	29000	63.67
91	IX	Moments - English Suppl. Reader	28000	34.29
92	IX	शेमुषी प्रथमो भाग	22000	48.98
93	IX	गणित	25000	132.24
94	IX	विज्ञान	30000	132.24
95	IX	भारत और समकालीन विश्व I-इतिहास	23000	112.65
96	IX	समकालीन भारत I-भूगोल	25000	48.98
97	IX	अर्थशास्त्र	23000	44.08
98	IX	लोकतांत्रिक राजनीति-I	18000	78.37
99	IX	नवा-ए-उर्दू	1000	112.65
100	IX	Sparsh Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	7646	48.98
101	IX	Sanchayan Bhag I (Dwitiya Bhasha) Hindi Supp. Course B	7646	24.49
102	IX	Mathematics	37240	132.24
103	IX	Science	37252	132.24
104	IX	India and the Contemporary World I- History	37252	112.65
105	IX	Contemporary India I- Geography	37252	48.98
106	IX	Economics	37252	44.08
107	IX	Democratic Politics	37252	78.37
108	X	क्षितिज भाग-2	24000	58.78
109	X	कृतिका भाग-2	23000	29.39
110	X	First Flight - English Text Book	22000	68.57
111	X	Foot Prints without Feet - English Suppl.	22000	39.18
112	X	शेमुषी द्वितीया भाग	17000	58.78

113	X	गणित	24000	137.14
114	X	विज्ञान	25000	161.63
115	X	भारत और समकालीन विश्व II--इतिहास	17000	122.45
116	X	समकालीन भारत II--भूगोल	18000	63.67
117	X	आर्थिक विकास की समझ	17000	63.67
118	X	लोकतांत्रिक राजनीति--II	18000	78.37
119	X	नवा-ए-उर्दू	1000	78.37
120	X	Sparsh Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Course- B	7646	58.78
121	X	Sanchayan Bhag 2 (Dwitiya Bhasha) Hindi Suppl. Course B	7646	24.49
122	X	Mathematics	37240	137.14
123	X	Science	37252	161.63
124	X	India and the Contemporary World II- History	37252	122.45
125	X	Contemporary India II Geography	37252	63.67
126	X	Understanding Economic Development- Economics	37252	63.67
127	X	Democratic Politics II	37252	78.37
128	XI	आरोह भाग--1	23000	65.00
129	XI	वितान भाग--1	21000	25.00
130	XI	अभिव्यक्ति और माध्यम	1000	145.00
131	XI	Hornbill - English Core	23000	50.00
132	XI	Snapshot - English Suppl. Core	21000	35.00
133	XI	भास्वती प्रथमो भाग	8000	60.00
134	XI	गणित	7000	180.00
135	XI	जीव विज्ञान	5000	200.00
136	XI	रसायन भाग--1	7000	155.00
137	XI	रसायन भाग--2	6000	105.00
138	XI	भौतिकी भाग--1	7000	130.00
139	XI	भौतिकी भाग--2	6000	105.00
140	XI	विश्व इतिहास के कुछ विषय	4000	160.00
141	XI	भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त	6000	80.00
142	XI	भारत : भौतिक पर्यावरण	5000	60.00
143	XI	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग--1	4000	95.00
144	XI	अर्थशास्त्र में सांख्यिकी	7000	55.00
145	XI	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास	7000	85.00
146	XI	भारत का संविधान	7000	100.00
147	XI	राजनीति सिद्धान्त	7000	70.00
148	XI	समाज शास्त्र परिचय	3000	45.00
149	XI	समाज का बोध	3000	45.00
150	XI	व्यवसाय अध्ययन	1000	70.00
151	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग--1	1000	75.00
152	XI	लेखा शास्त्र (वित्तीय लेखांकन) भाग--2	1000	70.00
153	XI	मनोविज्ञान का परिचय	1000	120.00
154	XI	Antra Bhag - Hindi Elective	2058	65.00
155	XI	Antra Bhag - Hindi Suppl. Elective	2058	40.00
156	XI	Woven Words- English Elective	27	75.00

157	XI	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	10	65.00
158	XI	Mathematics	13616	180.00
159	XI	Biology	5549	200.00
160	XI	Chemistry Part I	16594	155.00
161	XI	Chemistry Part II	16594	105.00
162	XI	Physics Part I	16594	130.00
163	XI	Physics Part II	16594	105.00
164	XI	Themes in World History	1363	160.00
165	XI	Fundamental of Physical Geography	945	80.00
166	XI	India: Physical Environment	945	60.00
167	XI	Practical Work in Georgraphy - Part I	945	95.00
168	XI	Statistics for Economics	12085	55.00
169	XI	Indian Economic Development	12085	85.00
170	XI	Indian Constitution at Work	1187	100.00
171	XI	Pol. Theory II	1187	70.00
172	XI	Introducing Sociology	263	45.00
173	XI	Understanding Society	263	45.00
174	XI	Business Studies	11308	115.00
175	XI	Accountancy- Financial Accounting part I	11312	125.00
176	XI	Accountancy- Financial Accounting part II	11312	110.00
177	XI	Phychology	488	120.00
178	XI	Computer & Communicaion Technology- Part I	2583	140.00
179	XI	Living Craft Tradition of India (Textbook in Heritage Crafts)	43	120.00
180	XI	The Story of Graphic Design	43	170.00
181	XI	Human Ecology & Family Science- Part I	10	160.00
182	XI	Human Ecology & Family Science- Part II	10	105.00
183	XI	Computer & Communicaion Technology- Part II	2583	150.00
184	XI	Exploring the Craft Tradition of India	945	110.00
185	XI	Graphic Design Ek Kahani	945	170.00
186	XI	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag I	2583	140.00
187	XI	An Introduction to Indian Art	1187	125.00
188	XI	Computer Aur Sanchar Pradyogiki Bhag II	2583	150.00
189	XII	आरोह भाग 2	22000	70.00
190	XII	वितान भाग-2	19000	40.00
191	XII	Flamingo - English Core	19000	45.00
192	XII	Vistas - English Suppl. Reader: Core	18000	40.00
193	XII	भासवती द्वितीयो भाग	9000	35.00
194	XII	गणित भाग-1	10000	115.00
195	XII	गणित भाग-2	8000	130.00
196	XII	जीवविज्ञान	6000	170.00
197	XII	रसायन भाग-1	6000	170.00
198	XII	रसायन भाग-2	5000	115.00
199	XII	भौतिकी भाग-1	5000	170.00
200	XII	भौतिकी भाग-2	3000	140.00

201	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-1	3000	80.00
202	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-2	3000	95.00
203	XII	भारतीय इतिहास के कुछ विषय-3	3000	115.00
204	XII	मानव भूगोल के मूल सिद्धान्त	4000	65.00
205	XII	भारत - लोग और अर्थव्यवस्था	5000	95.00
206	XII	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य - भाग 2	3000	70.00
207	XII	व्यष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	7000	65.00
208	XII	समष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	7000	65.00
209	XII	समकालीन विश्व राजनीति	7000	100.00
210	XII	स्वतंत्र भारत में राजनीति	7000	125.00
211	XII	भारत में सामाजिक परिवर्तन	3000	90.00
212	XII	भारतीय समाज - समाजशास्त्र	3000	105.00
213	XII	व्यावसाय अध्ययन-1	1000	60.00
214	XII	व्यावसाय अध्ययन-2	1000	50.00
215	XII	अलाभकारी संस्थायें एवं साझेदारी खाते	1000	85.00
216	XII	कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	1000	115.00
217	XII	मनोविज्ञान	1000	100.00
218	XII	Antara Bhag 2 Hindi Elective	2058	75.00
219	XII	Antara Bhag 2 Hindi Suppl. Elective	2058	30.00
220	XII	Kaleidoscope- English Elective	27	70.00
221	XII	Sanskrit- Shaswawati Prathmo Bhag	10	55.00
222	XII	Mathematics Part I	13616	115.00
223	XII	Mathematics Part II	13616	130.00
224	XII	Biology	5549	170.00
225	XII	Chemistry Part I	16594	170.00
226	XII	Chemistry Part II	16594	115.00
227	XII	Physics Part I	16594	170.00
228	XII	Physics Part II	16594	140.00
229	XII	Themes in Indian History Part I	1363	80.00
230	XII	Themes in Indian History Part II	1363	95.00
231	XII	Themes in Indian History Part III	1363	115.00
232	XII	Fundamental of Humam Geography	945	65.00
233	XII	Practical Work in Georgraphy - Part II	945	70.00
234	XII	India: People and Economy	12085	95.00
235	XII	Introducing Microeconomics	12085	65.00
236	XII	Introducing Macroeconomics	12085	65.00
237	XII	Contemporary World Politics	1187	100.00
238	XII	Politics in India since Independence	1187	125.00
239	XII	Social Change and Development in India	263	90.00
240	XII	Indian Society- Sociology	263	105.00
241	XII	Business Studies I	11308	95.00
242	XII	Business Studies II	11308	80.00
243	XII	Accountancy- I- Not for profit organisation and partnership accounts	11312	100.00

A


[Signature]

244	XII	Accountancy II- Company Account and Analysis of Financial Statements	11312	115.00
245	XII	Accountancy Computerised Accounting System for Class- XII	11312	108.00
246	XII	Psychology	488	100.00
247	XII	Craft tradition of India Textbook in Heritage Craft for Class XII	43	155.00
248	XII	Towards a New Age of Graphic Design	43	145.00

- 02- उपर्युक्त सारणी के अनुरूप निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का विक्रय मूल्य, मुद्रक द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक पर यथास्थान बड़े फॉण्ट में अंकित/मुद्रित किया जायेगा।
- 03- प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के कवर पेज पर 12 digit On Line Number अंकित किया जायेगा। पाठ्य पुस्तकवार On Line Number संलग्न हैं। (संलग्नक-1)
- 04- 138 पाठ्य पुस्तकों की DVDs भी कार्यादेश के साथ ही संलग्न कर उपलब्ध करवायी जा रही हैं। मुद्रक सर्वप्रथम DVDs को खोलकर चेक कर लें ताकि बाद में DVDs खुलने से सम्बन्धित कोई समस्या न आये। (संलग्नक-2)
- 05- आवरण पृष्ठों के लिए पृथक से DVDs उपलब्ध करवायी जा रही है। मुद्रक DVDs के अनुसार आवरण पृष्ठ तैयार करेंगे। (संलग्नक-3)
- 06- पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से तैयार किये गये प्राक्कथन की प्रति पाठ्य पुस्तकों में यथास्थान मुद्रित करने के लिए अंग्रेजी (भाषा) के लिए अंग्रेजी, तथा अन्य पाठ्य पुस्तकों के लिए हिन्दी में संलग्न है। (संलग्नक-4, 5)
- 07- पाठ्य पुस्तकों की मोटाई पर जो बाहर की ओर से स्पष्ट रूप से दिखायी दे, "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित करना होगा। पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र : 2018-19" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर सम्बन्धित "पाठ्य पुस्तक का नाम" एवं "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2018-19" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा, इससे एन0सी0ई0आर0टी0 व राज्य सरकार की पुस्तकों में भिन्नता रहेगी।
- 08- प्रकाशक का उल्लेख करते समय उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।
- 09- यदि प्रथम पक्ष को कक्षा 1 से 12 तक की अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा मांग के अनुरूप पाठ्य-पुस्तकें तत्काल प्रथम पक्ष को उपलब्ध करानी होगी।
- 10- प्रथम पक्ष द्वारा एन0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड राज्य द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण से पूर्व इन पाठ्य-पुस्तकों की प्रुफ रीडिंग एन0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड से अवश्य करवानी होगी।
- 11- दिगत वर्षों के लिए मुद्रित की गयी पाठ्य पुस्तकों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध न करवाया जाय। ऐसा करने पर फर्म को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।

- 12- उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कार्यादेश इस निमित्त किये गये अनुबन्ध से आच्छादित रहेगा। दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षरयुक्त अनुबन्ध की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-6)
- 13- अनुबन्ध एवं कार्यादेश को निरस्त करने का अधिकार पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड में सुरक्षित रहेगा।


संलग्नक : यथोपरि।


(अ.क.कुर्वर) 20/8
पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पू0सं0 : पा.पु. / 36924-34 / नौ-II(42)/2017-18, दिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मैसर्स दीपक प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(अ.क.कुर्वर) 20/8
पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
कक्षा I से XII की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण
शिक्षा सत्र : 2018-19

अल्पकालिक ई-निविदा – कागज सहित मुद्रण


(निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्तों)

भाग – एक

खण्ड : (क) – “ई-निविदा”

शासनादेश संख्या 435/XXIV(1)/न0सू0अनु0/114/2017 T.C.V बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 20 अप्रैल 2018 के अनुक्रम में शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए राज्य के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा I से VIII तक अध्ययनरत् समस्त छात्र-छात्राओं के लिए तथा राजकीय विद्यालयों में कक्षा IX से XII तक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण। एवं उनकी खुले बाजार में, उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकृत अनुभवी मुद्रकों, जिन्हें विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2017-18) में से कम से कम 01 (एक) वर्ष का पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का अनुभव हो, से ई-निविदा के माध्यम से Online तकनीकी एवं वित्तीय बिड निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	विवरण/कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
(1)	(2)	(3)
01	वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर टेण्डर डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने की तिथि	23 अप्रैल 2018, 5:00 PM
02	प्री-बिड कार्यशाला	25 अप्रैल 2018, 11:00 AM
03	तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने की तिथि	26 अप्रैल 2018, 11:00 AM से 01 मई 2018, 11:00 AM तक
04	निम्नलिखित को तीन पृथक-पृथक लिफाफों में बन्द करके तथा तीनों को एक चौथे लिफाफे में सील्ड कर निदेशालय में उपलब्ध करवाने की अन्तिम तिथि लिफाफा संख्या-01 <ul style="list-style-type: none"> निविदा आवेदन पत्र शुल्क : रु. 5000.00 (रु. पांच हजार) का बैंक ड्राफ्ट (निविदा शुल्क वापस नहीं की जायेगी) अर्नेस्टमनी सेटवार (EMD) (बैंक ड्राफ्ट/एन.एस0सी0/एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी) लिफाफा संख्या-02 <ul style="list-style-type: none"> निविदादाता द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित “मॉडल बुक: 2018-19” की पांच प्रतियां) लिफाफा संख्या-03 <ul style="list-style-type: none"> 80 एवं 220 GSM कागज के नमूनों की A-4 साईज की 40-40 शीटें 	01 मई 2018, प्रातः 09 बजे से सायं 6.00 बजे तक
05	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	02 मई 2018, 10.00 AM
06	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड के पश्चात्



सेट संख्या-4					
क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पृष्ठों की संख्या	पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित संख्या (जो घट बढ़ सकती है)	NCERT / विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य
15	IV	रिमझिम 4	140	90000	55
16	IV	मैरीगोल्ड बुक 4	188	90000	55
17	IV	गणित का जादू 4	176	90000	55
18	IV	इब्नेदई 4	184	16000	50
19	IV	आस-पास	228	90000	55
20	IV	बालसंस्कृतम भाग 2	88	80000	23
योग				456000	293
सेट संख्या-5					
क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पृष्ठों की संख्या	पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित संख्या (जो घट बढ़ सकती है)	NCERT / विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य
21	V	रिमझिम 5	164	88000	55
22	V	मैरीगोल्ड बुक 5	192	88000	55
23	V	गणित	208	88000	55
24	V	इब्नेदई 5	196	16000	50
25	V	आस-पास	216	88000	55
26	V	बालसंस्कृतम	112	78000	29
योग				446000	299
सेट संख्या-6					
क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पृष्ठों की संख्या	पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित संख्या (जो घट बढ़ सकती है)	NCERT / विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य
27	VI	बसंत भाग 1	144	95000	55
28	VI	Honey Suckle	148	95000	55
29	VI	A Pact with the Sun (Supplimentary)	64	95000	30
30	VI	आमोदनी	88	87000	23
31	VI	गणित	356	95000	55
32	VI	Science (In Englishmedium)	176	95000	55
33	VI	हमारा अतीत - इतिहास	152	95000	55
34	VI	पृथ्वी हमारा आवास- भूगोल	80	95000	50
35	VI	सामाजिक और राजनीतिक जीवन	116	95000	55
36	VI	अपनी ज़बान	144	10000	50
37	VI	बाल रामकथा	96	95000	40
योग				952000	523

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller marks on the right.

63	IX	Beehive - English Text Book	156	21000	65
64	IX	Moments - English Suppl. Reader	80	21000	35
65	IX	शेमुशी प्रथमो भाग	108	17000	50
66	IX	गणित	420	19000	135
67	IX	विज्ञान	268	30000	135
68	IX	भारत और समकालीन विश्व I-इतिहास	192	30000	115
69	IX	समकालीन भारत I-भूगोल	96	30000	50
70	IX	अर्थशास्त्र	60	30000	45
71	IX	लोकतांत्रिक राजनीति-I	136	30000	80
72	IX	नवा-ए-उर्दू	196	2000	115
योग				290000	905

सेट संख्या-10

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पृष्ठों की संख्या	पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित संख्या (जो घट बढ़ सकती है)	NCERT / विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य
73	X	क्षितिज भाग-2	144	30000	60
74	X	कृतिका भाग-2	64	30000	30
75	X	First Flight - English Text Book	172	21000	70
76	X	Foot Prints without Feet	88	21000	40
77	X	शेमुषी द्वितीया भाग	124	17000	60
78	X	गणित	416	19000	140
79	X	विज्ञान	336	29000	165
80	X	भारत और समकालीन विश्व II-इतिहास	212	30000	125
81	X	समकालीन भारत II-भूगोल	116	30000	65
82	X	आर्थिक विकास की समझ	104	30000	65
83	X	लोकतांत्रिक राजनीति-II	124	30000	80
84	X	नवा-ए-उर्दू	180	3000	80
योग				290000	980

सेट संख्या-11

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पृष्ठों की संख्या	पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित संख्या (जो घट बढ़ सकती है)	NCERT / विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य
85	XI	आरोह भाग-1	196	21000	65
86	XI	वितान भाग-1	72	21000	25
87	XI	अभिव्यक्ति और माध्यम	220	17000	145
88	XI	Hornbill - English Core	128	15000	50
89	XI	Snapshot - English Suppl. Core	88	15000	35
90	XI	संस्कृत-भास्वती प्रथमो भाग	104	8000	60
91	XI	गणित	520	4000	180
92	XI	जीव विज्ञान	360	4000	200

128	XII	भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य - भाग 2	120	10000	70
129	XII	व्यष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	128	12000	65
130	XII	समष्टि अर्थशास्त्र - एक परिचय	124	12000	65
131	XII	समकालीन विश्व राजनीति	164	13000	100
132	XII	स्वतंत्र भारत में राजनीति	208	13000	125
133	XII	भारत में सामाजिक परिवर्तन	172	4000	90
134	XII	भारतीय समाज - समाजशास्त्र	180	4000	105
135	XII	व्यवसाय अध्ययन-1	260	2000	60
136	XII	व्यवसाय अध्ययन-2	200	2000	50
137	XII	लेखाशास्त्र-अलाभकारी संस्थायें एवं साझेदारी खाता	288	1000	85
138	XII	लेखाशास्त्र-कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	348	1000	115
139	XII	मनोविज्ञान	232	1000	100
योग				230000	2720

6. सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न करने के लिए कार्यादेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 30 दिन का समय दिया जायेगा।
7. कार्य पूर्ण करने का तात्पर्य राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा I से VIII तक अध्ययनरत् समस्त छात्र-छात्राओं के लिए तथा राजकीय विद्यालयों में कक्षा IX से XII तक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित कर निर्धारित समयान्तर्गत खुले बाजार में राज्य के समस्त 13 जनपदों के पुस्तक-विक्रेताओं के पास बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने से है। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से ही कार्य पूर्ण नहीं समझा जायेगा।
8. पत्राचार हेतु पता :

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा,
देहरादून (उत्तराखण्ड) 248008

E-Mail : textbook109@gmail.com
Fax No : 0135-2781903
Phone No : 0135- 2781440


खण्ड : (ग) - "निविदा की मुख्य शर्तें"

9. सशर्त निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. निविदादाताओं को 12 सेटों (सेट कक्षावार बनाये गये हैं) में से एक अथवा एक से अधिक सेटों के लिए सेटवार दरें कोट (Quote) करने की स्वतंत्रता होगी। एक अथवा एक से अधिक सेटों के लिए केवल एक ही निविदा प्रपत्र भरा जाना अनुमन्य होगा।
11. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड "प्रपत्र क" में एवं वित्तीय बिड BOQ (Bill of Quantity) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता (मुद्रक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) के द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

[Handwritten signatures and marks]

निर्धारित मानकों को दृष्टिगत रखते हुए दरें दी जानी है। प्राप्त निविदा को अंतिम रूप देते समय न्यूनतम दर के साथ-साथ पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों से कमतर गुणवत्ता मान्य नहीं होगी।

16. चयनित निविदादाता द्वारा निर्धारित दर के अतिरिक्त अनुबन्ध करते समय अथवा अनुबन्ध करने के बाद अथवा कार्यादेश जारी होने के बाद किसी प्रकार के कर को जोड़ने अथवा फार्म-C अथवा अन्य कोई भी फार्म, जिसके द्वारा सरकार से कर आदि के भुगतान में कोई छूट प्राप्त होती हो, की मांग नहीं की जायेगी। निदेशालय द्वारा इस प्रकार से की गयी मांग को मान्य नहीं किया जायेगा। केवल अपलोडेड प्रपत्र ही मान्य होंगे।
17. निविदा की समस्त अधिप्राप्तियां Procurement नियमावली 2017 के अनुसार ही की जायेंगी। उद्योग निदेशालय/विभाग में जिस सेवा या उत्पाद के लिए पंजीकरण हो, उसी सेवा/उत्पाद के लिए ही निविदा मान्य की जायेगी। प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों तथा प्रदत्त सेवाओं को शासकीय क्रय में मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 261/VII-2-14/143-उद्योग/2003, दिनांक 19 मार्च, 2014 के द्वारा पूर्व में जारी शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए शासकीय Procurement में निविदा के समय वरीयता उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अध्याय 2 के प्रावधान संख्या 32 के अनुरूप देय होगी। शासकीय क्रय में मूल्य/क्रय वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन/पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा, जो सभी निविदादाताओं को मान्य होगा। वरीयता प्रदान करने के लिए उद्योग आधार/ई.एम. पार्ट II व शासकीय सामग्री क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय में पंजीकरण प्राप्त कर लिया हो, का प्रमाण-पत्र देना होगा, जिसका पंजीकरण उद्योग निदेशालय में होना आवश्यक है।
18. निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनार्ये यथास्थान स्पष्ट पठनीय लेख में उल्लिखित हो, एवं आवेदन-पत्र में दी गयी संलग्नक संख्या के क्रम में संलग्नक Online Upload हो। आवेदन-पत्र में जो बिन्दु मुद्रक से सम्बन्धित न हो उसे काट दिया जाय/खाली न छोड़ा जाय। मात्र Online Uploaded निविदा प्रपत्र एवं संलग्नकों पर ही समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
19. निविदादाता द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा निर्धारित दरों से कम दर होना अनुमन्य होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदादाता को अनर्ह (असफल) समझा जायेगा।
20. वित्तीय बिड BOQ (Bill of Quantity) की दरों की अंकना करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को कक्षावार 12 सेटों (सेट कक्षावार बनाये गये हैं) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेट में सम्बन्धित कक्षा की पाठ्य पुस्तकों को समाहित किया गया है। एन0सी0ई0आर0टी0/विभाग द्वारा पाठ्य पुस्तकार जो दरें निर्धारित की गयी हैं उन्हें सेटवार (सेट की समस्त पाठ्य पुस्तकों) जोड़कर सेट के लिए दर निर्धारित की गयी है। निविदादाता द्वारा सेटवार निर्धारित दरों के सापेक्ष सेटवार दरें दी जानी है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ सेटवार जितनी प्रतिशत कम दर दी जायेगी उसी दर के अनुरूप (अनुपात में) सम्बन्धित कक्षा की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिए निविदादाता द्वारा दी गयी दर समझी जायेगी।
21. निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए पाठ्य पुस्तकों की दी गयी दरों को संशोधित किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित मूल्य के अनुपात में निविदा प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित किया जायेगा।




28. फर्म की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए तथा छात्र हित में पुस्तकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त कार्य एक ही फर्म को दिये जाने के स्थान पर अन्य फर्मों को भी न्यूनतम दर/निर्धारित दर पर कार्य आबंटित किया जा सकता है जिसके लिए पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अन्तिम माना जायेगा।
29. न्यूनतम दर/निर्धारित दर के अन्तर्गत एक से अधिक फर्म आने पर पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा कार्य आबंटित किया जायेगा। इस प्रकार कार्य आबंटित किये जाने पर सभी निविदादाताओं को समिति का निर्णय मान्य होगा।
30. पुस्तकों के मुद्रण में प्रयुक्त होने वाले कागज की व्यवस्था स्वयं फर्म (सफल निविदादाता) द्वारा की जायेगी, जिसके लिये पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा कोई धनराशि नहीं दी जायेगी।
31. तकनीकी आवेदन पत्र (प्रपत्र भाग-2) बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता/अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हस्ताक्षर करने होंगे।
32. समस्त पाठ्य पुस्तकों को आवरण पृष्ठ सहित चार आकर्षक रंगों में मुद्रित किया जायेगा।
33. निविदादाता द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने का अनुबंध पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा। पाठ्य पुस्तकों अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पुष्टि के लिए मुद्रणोपरान्त चयनित फर्म को पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के बाद ही सुरक्षा धनराशि मुक्त की जायेगी।
34. निविदादाता द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज क्रय करने के लिए पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता से किया गया अनुबंध पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया जाना है। अनुबंध पत्र के साथ निम्न लिखित प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाना है-

- पेपर मिल से अनुबंध करने पर- सम्बन्धित पेपर मिल का पिछले दो वर्षों (2016-17, 2017-18) में प्रतिवर्ष कम से कम 24000 मीट्रिक टन कागज (मैपलिथो/क्रीमवोव) उत्पादन की क्षमता सम्बन्धी एक्साइज विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

अथवा

- अधिकृत विक्रेता से अनुबंध करने पर- सम्बन्धित अधिकृत विक्रेता का पिछले दो वर्षों (2016-17, 2017-18) में प्रतिवर्ष कम से कम 3500 मीट्रिक टन कागज (मैपलिथो/क्रीमवोव) किसी भी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति करने का पेपर मिल (जिसके अधिकृत विक्रेता हैं) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
35. **शपथ पत्र-** निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना, जो देना आवश्यक था, छिपाई नहीं गयी है। यदि कोई सूचना छिपाई जाती है तो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा जो भी विधिक कार्यवाही की जायेगी वह निविदादाता को मान्य होगी।

- सम्बन्धित कार्य हेतु दी गयी समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य है।
- किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
- फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।









क्र० सं०	पुस्तक विक्रेता का विवरण		कक्षा	पाठ्य पुस्तक	आपूर्ति संख्या
	जनपद	नाम/पता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
योग					

40. चार फर्मा (32 पृष्ठ) की मॉडल बुक : 2018-19 (नमूना) की पांच प्रतियां चार रंगों में निर्धारित मानक के कागज पर दोनों ओर मुद्रित कर शील्ड लिफाफे में निर्धारित तिथि तक निदेशालय में उपलब्ध करवायी जानी है। यह मुद्रक के अनुभव एवं मुद्रण कार्य की गुणवत्ता को प्रमाणित करेगा। मॉडल बुक (नमूना) वेब ऑफसेट/शीटफैड मशीन द्वारा मुद्रित होनी चाहिए। कम्प्यूटर प्रिंट या फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। मॉडल बुक बनाने के लिए विषय सामग्री निविदा डॉक्यूमेंट के साथ वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर उपलब्ध है।
41. चयनित फर्म को अनुबन्ध के लिए रुपये 100/- (रुपये एक सौ) का नॉन-ज्यूडीसियल स्टाम्प पेपर (जो टिकट के रूप में नहीं होगा) उपलब्ध करना होगा।

खण्ड : (घ) – तकनीकी बिड

42. तकनीकी बिड के रूप में निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण-पत्रों को Online Upload किया जाना है। समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्रों को Upload नहीं करने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी—
43. तकनीकी बिड (प्रपत्र भाग-2) (Uploaded)
44. कार्यरत मशीनों का साइज, प्रकार, मॉडल का वर्ष, क्रय की तिथि का विवरण—निविदादाता की अपनी स्वयं की पंजीकृत मुद्रण इकाई होनी चाहिए, जिसमें फोर कलर शीटफैड ऑफसेट मशीन साइज 19" X 26" न्यूनतम एवं 508mm, 578mm वेब ऑफसेट तीनों प्रकार की कम से कम एक-एक मशीन होना अनिवार्य है। (Uploaded)
45. प्रेस डिवलैरेशन का प्रमाण-पत्र दिनांक सहित, जो जिलाधिकारी/राजकीय प्रेस द्वारा जारी किया गया हो, ही मान्य होगा। (Uploaded)
46. उद्योग विभाग/राजकीय मुद्रणालय/सूचना विभाग (जो प्रेस की घोषणा करता हो) द्वारा जारी किया गया कार्यरत मशीनों की क्षमता का प्रमाण पत्र— फर्म की मुद्रण क्षमता का आकलन करने के लिए कार्यरत मशीनों में से प्रत्येक मशीन की क्षमता का सक्षम संस्था/विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है। (Uploaded)
47. वित्तीय वर्ष : 2014-15, 2015-16 अर्थात आगणन वर्ष (Assesment year) : 2015-16, 2016-17 में किये गये आयकर भुगतान का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र। (Uploaded)
48. स्थायी आयकर खाता (Permanant Account Number) संख्या। (Uploaded)
49. व्यापार कर विभाग द्वारा जारी वैध व्यापार कर/बिक्रीकर के भुगतान का प्रमाण पत्र। (Uploaded)
50. टर्न ओवर— मुद्रण उद्योग में दिगत दो वर्षों (2015-16, 2016-17) का टर्न ओवर औसतन 03 (तीन) करोड़ प्रतिवर्ष होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। (Uploaded)
51. वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की ऑडिटेड बैलेंस शीट चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत होनी चाहिये। (Uploaded)

- निविदादाता द्वारा स्वयं की इकाई में मुद्रित "मॉडल बुक : 2018-19" की पांच प्रतियां, लिफाफा संख्या-03

- कागज के नमूनों के लिए निर्धारित मानकानुसार एवं बिना वाटरमार्क 80 GSM एवं 220 GSM कागज के पृथक-पृथक ए-4 साइज की 10-10 शीटों के चार सैट (अर्थात् ए-4 साइज की 40 शीटें) जो मोहरबंद टैग द्वारा बंधी हो तथा टैग पर निविदादाता के मोहर सहित हस्ताक्षर किये गये हों, उपलब्ध करनी होंगी। कागज के नमूनों पर कहीं पर भी निविदादाता द्वारा पेपर मिल का वाटरमार्क बनाने, अपना हस्ताक्षर करने अथवा कोई पहचान चिह्न बनाये जाने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।
58. सुरक्षा धनराशि एवं अर्नेस्टमनी के सत्यापन/जांच में गलत/फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कानूनी/विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

खण्ड : (ड) – "वित्तीय बिड"

59. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेटवार वर्गीकृत पाठ्य पुस्तकों के सभी सेटों के लिए वित्तीय बिड (Financial Documents-BOQ) में सेटवार दरें Upload की जानी है।

खण्ड : (च) – "निविदा के अन्य नियम एवं शर्तें"

60. पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा जिन निविदादाताओं की "तकनीकी बिड" अनर्ह पायी जायेगी उन्हें उक्तवत् सूचित नहीं किया जायेगा और न ही निविदादाता को अनर्हता का कारण बताया जायेगा। सम्बन्धित निविदादाता किसी भी स्तर पर उसकी मांग नहीं करेगा।
61. तकनीकी बिड खोलने के बाद पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा वित्तीय बिड खोलने की तिथि निर्धारित कर Online घोषित की जायेगी।
62. निविदादाताओं द्वारा तकनीकी बिड के साथ उपलब्ध करवाये गये कागज के नमूनों को निदेशालय में सील्ड करके भविष्य में आवश्यकतानुसार रासायनिक जांच करवाने के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।
63. निदेशालय द्वारा समय-समय पर मुद्रित एवं बिना मुद्रित कागज पाठ्य पुस्तकों के कागज की रासायनिक जांच करवायी जायेगी। मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की जांच पर आने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित फर्म (मुद्रक) द्वारा किया जायेगा। जांच आख्यानानुसार मानकानुसार कागज की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा फर्म पर दण्ड निर्धारित किया जायेगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं चयनित फर्म/फर्मों को मान्य होगा।
64. निर्धारित दरें, रॉयल्टी, समयावधि सहित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जाना है। कार्यदेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकें जो बिक्री होने से रह जाती हैं, उनके भुगतान के लिए पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
65. पाठ्य पुस्तकें एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप (पेपर, पुस्तक का साइज, प्रिन्टिंग एवं बाइंडिंग) ही मुद्रित की जायेगी। एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा जारी गाइड लाईन एवं कॉपी राइट एक्ट मुद्रकों को मान्य होगा।
66. आवरण पृष्ठों का मुद्रण इस प्रकार किया जायेगा कि उनका उपयोग किसी अन्य द्वारा नहीं किया जा सके।

9 d

d





78. पाठ्य पुस्तकों की बाइंडिंग— 112 या कम पृष्ठों की पाठ्य पुस्तकों में सेंटर स्टिचिंग तीन तार तथा 112 से अधिक पृष्ठों वाली पाठ्य पुस्तकों की परफैक्ट बाइंडिंग की जायेगी।
79. विगत शिक्षा सत्र के लिए एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के नमूने को पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर देखा जा सकता है।
80. चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की बिक्री/प्रयोग उत्तराखण्ड राज्य तक ही सीमित रखनी होगी। पाठ्य पुस्तकों का विक्रय राज्य की सीमाओं के बाहर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
81. चयनित निविदादाताओं को निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पाठ्य पुस्तकों की सी0डी0/डी0वी0डी0 मूल रूप में बिना किसी प्रकार की छेड़-छाड़ अथवा टूट-फूट के कार्य पूर्ण करने के 15 दिनों के भीतर निदेशालय को वापस करनी होगी।
82. समस्त खुले बाजार की पाठ्य-पुस्तकों पर मुद्रक द्वारा मूल्य मुद्रित किया जाना है। मूल्य सूची निदेशालय द्वारा मुद्रक को कार्यादेश के साथ उपलब्ध करवायी जायेगी। मुद्रण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुद्रकों का भी यह दायित्व होगा कि वह निदेशालय से पाठ्य-पुस्तकों की मूल्य सूची प्राप्त कर लें।
83. एक दूसरे से पूल किये जाने की स्थिति में दी गयी निविदा से सम्बन्धित निविदादाताओं को काली सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति की जायेगी।
84. प्रश्नगत निविदा के क्रम में मुद्रित पाठ्य-पुस्तकों की बिक्री शैक्षिक सत्र 2018-19 के उपरान्त नहीं की जायेगी।
85. **दण्डात्मक कार्यवाही :-** पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में कमी अथवा मुद्रण/आपूर्ति विलम्ब की स्थिति में फर्म के विरुद्ध निम्नवत् दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(क) विलम्ब दण्ड— सभी जनपदों के मुख्यालयों में, बाजारों में बिक्री के लिए पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में फर्म पर निम्नवत् विलम्ब अर्थदण्ड निर्धारित किया जायेगा—

- 01 से 10 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 2%
- 11 से 20 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 5%
- 21 से 30 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 10%
- 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में मुद्रक की सुरक्षा धनराशि जब्त कर, उसे काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।

(ख) खराब मुद्रण— पुस्तकों के सत्यापन में मानक के अनुरूप मुद्रण न पाये जाने अथवा खराब मुद्रण की दशा में सम्बन्धित प्रकार की पुस्तकों की कुल कीमत पर 05% से 15% तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। खराब मुद्रण के अन्तर्गत अस्पष्ट चित्र, अपठनीय छपाई आदि पर विचार किया जायेगा।

(ग) त्रुटिपूर्ण मुद्रण— विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार मुद्रण न पाये जाने अथवा त्रुटिपूर्ण मुद्रण होने पर, नमूने के इतर कोई सामग्री छापने, गलत पाठ एवं चित्र छापने पर समिति द्वारा सम्बन्धित पुस्तकों की कुल कीमत पर 5 से 15% तक अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।






(घ) कम माप— पाठ्य पुस्तकवार निर्धारित माप के अनुरूप समिति द्वारा कम आकार की पुस्तकों के मूल्य से कुल कम हुये कागजों के दुगने मूल्य के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। कागज की गुणवत्ता पर भी विचार किया जायेगा।

86. चयनित फर्म द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

[Handwritten signatures and marks]

92. सम्बन्धित कार्य के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे उत्तराखण्ड शासन के निर्णयार्थ (आर्बीट्रेशन) प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
93. सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के लिये सिर्फ देहरादून स्थित सुसंगत न्यायालय में ही मामला उठाया जा सकता है, अन्य किसी भी न्यायालय में नहीं।
94. कार्य सम्पन्न करने के लिए चयनित फर्म/फर्मों को जारी कार्यादेश एवं किये गये अनुबन्ध को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक समिति/महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून



myl

भाग - दो

प्रपत्र-क

शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए कक्षा I से XII की एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा विकसित

पाठ्य- पुस्तकों के मुद्रणार्थ तकनीकी बिड

(निविदा प्रपत्र तथा सभी संलग्नकों को अपलोड किया जाना अनिवार्य है)

1. निविदादाता/मुद्रक/फर्म का नाम
- पता
- फोन नम्बर (कार्यालय) मोबाईल
- ई-मेल पता.....
2. मशीनों का विवरण साइज, प्रकार, मॉडल, क्रय तिथि (508 mm, 578 mm वेब ऑफसेट, 4 कलर शीटफैड मशीन 19" X 26" न्यूनतम)
(मशीनों का क्रय बिल संलग्न करें। मशीनों का निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जा सकता है)
3. प्रेस डिवल्योरेशन का दिनांक.....
(मुद्रण की इकाई के पंजीकरण एवं जिलाधिकारी/राजकीय प्रेस द्वारा जारी प्रेस डिवल्योरेशन की सत्यापित प्रति संलग्न की जाय)
4. कार्यरत मशीनों की मुद्रण क्षमता का विवरण.....
(सक्षम संस्था/विभाग (राजकीय प्रेस अथवा उद्योग विभाग) द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. विगत वर्ष के आयकर भुगतान का प्रमाण-पत्र.....
(Financial Year 2014-15, 2015-16 Assessments year 2015-16, 2016-17 का आयकर रिटर्न संलग्न किया जाय)
6. स्थायी आयकर खाता संख्या (Permanant Account Number).....
7. जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या
- केन्द्रीय विक्रीकर/व्यापार कर/वैट पंजीकरण संख्या
8. विगत वर्षों के वैध व्यापार कर/वैट भुगतान का प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।
9. विगत दो वर्षों (वर्ष 2015-16 एवं 2016-17) का टर्न ओवर (औसतन 03.00 करोड़ प्रतिवर्ष)
(चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
10. वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की ऑडिट बैलेंस शीट (चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा निर्गत).....
11. विगत 05 (पांच) वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2017-18) में से कम से कम 01 (एक) वर्ष का मुद्रण कार्य का अनुभव। संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। कार्यदेश, अनुबन्ध की प्रति मान्य नहीं होगी।
12. कागज उत्पादन/आपूर्ति का प्रमाण-पत्र- कागज क्रय करने के लिए अनुबन्धित पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के लिए एक्साइज विभाग/सम्बन्धित पेपर मिल द्वारा जारी पिछले दो वर्षों (2016-17, 2017-18) में प्रतिवर्ष कम से कम 24000 मीट्रिक टन उत्पादन/3500 मीट्रिक टन कागज किसी भी शैक्षिक संस्थान/संस्था को आपूर्ति का प्रमाण पत्र.....
13. अनुबंध पत्र - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने के लिए किया गया अनुबंध पत्र की प्रति.....
14. पेपर मिल/अधिकृत वितरक का नाम व पता
जिसका नमूना कागज उपलब्ध करवाया जा रहा है.....
15. शपथ पत्र - निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र संलग्न करें-
 - असत्य एवं भ्रामक सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
 - किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
 - फर्म को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK64883551597907Q
Certificate Issued Date : 05-May-2018 04:16 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1208204/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK120820430831504952856Q
Purchased by : G TECH PRINT WORKS MATHURA
Description of Document : Article Miscellaneous
Property Description : NA
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : G TECH PRINT WORKS MATHURA
Second Party : NA
Stamp Duty Paid By : G TECH PRINT WORKS MATHURA
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)



Attch. No.
JURENDRA SINGH RAWA
STAMP VENDOR
Court Compound, Dehra Dun

-----Please write or type below this line-----

अनुबन्ध पत्र

विषय : शासनदेश संख्या 435/XXIV(I)/न0सृ0अनु0/114/2017 T.C.V बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 20 अप्रैल 2018 के अनुक्रम में डी0बी0टी0 के फलस्वरूप शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए राज्य के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा I तथा कक्षा II में अध्यापक समस्त छात्र-छात्राओं हेतु एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित कक्षा I तथा कक्षा II की पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में, उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में उपलब्धता सुनिश्चित करना

Statutory Alert:

1. The authenticity of this State's Certificate should be verified at www.statestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate makes it invalid.
2. The mode of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

प्रथम पक्ष :
पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

द्वितीय पक्ष/मुद्रक
मैसर्स जी टैक प्रिन्ट
वर्क्स, साईट-ए, मथुरा,
उत्तरप्रदेश

अनुबन्ध की तिथि/स्थान- 05 मई 2018, देहरादून।


2. शासनादेश संख्या 435/XXIV(1)/न0सू0अनु0/114/2017 T.C.V बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 20 अप्रैल 2018 के अनुक्रम में डी0बी0टी0 के फलस्वरूप शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए राज्य के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा I तथा कक्षा II के समस्त अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों का कागज सहित मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में, उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानानुसार सम्पादित निविदा प्रक्रिया के क्रम में उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित प्रथम पक्ष अर्थात् पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून एवं द्वितीय पक्ष अर्थात् मैसर्स जी टैक प्रिन्ट वर्क्स साईट ए, मथुरा उत्तर प्रदेश के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप अनुबन्ध किया गया।
3. द्वितीय पक्ष/मुद्रक निम्न सारणी में उल्लिखित पाठ्य पुस्तकों का उनके सम्मुख अंकित दरों (विक्रय मूल्य) पर मुद्रित कर उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहमत है :-

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित संख्या (जो घट बढ़ सकती है)	निर्धारित विक्रय मूल्य
1	2	3	4	5
1	I	रिमझिम भाग 1	83000	53.98
2	I	मैरीगोल्ड बुक 1	83000	53.98
3	I	गणित का जादू 1	83000	53.98
4	I	इब्लेदई 1	17000	49.07
योग			266000	211.001
5	II	रिमझिम 2	83000	53.98
6	II	मैरीगोल्ड बुक 2	83000	53.98
7	II	गणित का जादू 2	83000	53.98
8	II	इब्लेदई 2	17000	49.07
योग			266000	211.001

♀


2

Print Works


P

4. पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशनाधिकार (कॉपीराइट) प्रथम पक्ष में निहित रहेगा, जो द्वितीय पक्ष के ऐसे दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वसूलेगा, जो प्रकाशनाधिकार के उल्लंघन से हो या पाठ्य पुस्तकों की किसी बात से सम्बन्धित उत्तरदायित्व के विषय में हो। द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लिखित आदेश के बिना उक्त पुस्तकों की आवंटित/आवंटित से अधिक प्रतियां मुद्रित नहीं करेगा और न ही वह प्रथम पक्ष के लिखित आदेश के बिना उनको पुनः मुद्रित करेगा, इस प्रकार बिना लिखित आदेश के ऐसी मुद्रित सब प्रतियां मुद्रक से प्रथम पक्ष की ओर से जब्त कर ली जायेगी और मुद्रक उसके लिए किसी प्रतिकर का दावा नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में मुद्रक के विरुद्ध अलग से कार्यवाही भी की जायेगी।
5. द्वितीय पक्ष प्रस्तर-03 में उल्लिखित समस्त पाठ्य पुस्तकों को, चरणवार, कार्यादेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर मुद्रित कर खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्ध करवाने के लिए सहमत है।
6. **सुरक्षा धनराशि (Security Money):** द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष अर्थात् पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से सुरक्षा धनराशि (Security Money), का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चेक/एन0एस0सी0/बैंक गारण्टी के रूप में बन्धक रखी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	सुरक्षा धनराशि का प्रकार	दिनांक	संख्या	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	केनरा बैंक, मुख्य शाखा मुथुरा, उ0प्र0	Dated- 27-04-2018	101GPGE8117000	10,00,000/-
शब्दों में (रूपये दस लाख मात्र)				

नोट : कॉलम 2 में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एनएससी/बैंक गारण्टी/आदि लिखें।

7. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित दर के अतिरिक्त अनुबन्ध करते समय अथवा अनुबन्ध करने के बाद अथवा कार्यादेश जारी होने के बाद किसी प्रकार के कर को जोड़ने अथवा फार्म-C अथवा अन्य कोई भी फार्म, जिसके द्वारा सरकार से कर आदि के भुगतान में कोई छूट प्राप्त होती हो, की मांग नहीं की जायेगी। निदेशालय द्वारा इस प्रकार से की गयी मांग को मान्य नहीं किया जायेगा।
8. यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली/विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए पाठ्य पुस्तकों की दी गयी दरों को संशोधित किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित मूल्य के अनुपात में निविदा प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित किया जायेगा।
9. शासन द्वारा किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना प्राप्त होती है, तो इस अवधि में किया गया परिवर्तन दोनों पक्षों को मान्य होगा, द्वितीय पक्ष संशोधित नवीनीकृत पाण्डुलिपि को मुद्रित करने के लिये बाध्य होगा।
10. पुस्तकों के मुद्रण में प्रयुक्त होने वाले कागज की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं की जायेगी, जिसके लिये प्रथम पक्ष द्वारा कोई धनराशि नहीं दी जायेगी।
11. द्वितीय पक्ष को पूरे शिक्षा सत्र के दौरान मांग के अनुरूप छात्र/छात्राओं की सुविधा के लिए निर्धारित मूल्य (विक्रय मूल्य) पर पाठ्य पुस्तकें खुले बाजार में उपलब्ध रखनी/करवानी होगी। बाजार की मांग के अनुरूप यदि जारी किये गये कार्यादेश से अधिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों

9

1

ए.एस.जी.

2/3

के पुनर्मुद्रण की अनुमति प्रथम पक्ष से प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के पाठ्य पुस्तकों का पुनर्मुद्रण नहीं किया जायेगा।

12. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज के मानक एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे।
 - पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में टेक्स्ट पेपर के लिए मिलवाटर मार्क Maplitho Paper 80 GSM नवीनतम संशोधित ISI मार्क 1848/2007 के नवीन संशोधित मानकों के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा। कागज एन.सी.ई.आर.टी. के मानकों के अनुरूप होगा। इससे निम्न गुणवत्ता का कागज मान्य नहीं होगा। कतरन, रददी, रिसाइकल्ड पल्प से निर्मित कागज मान्य नहीं होगा।
 - आवरण पृष्ठ के लिए आर्ट कार्ड 220 GSM., नवीनतम संशोधित BIS specification 4658/1988 के निर्धारित मानकों का कागज प्रयोग में लाया जायेगा। कागज एन.सी.ई.आर.टी. के मानकों के अनुरूप होगा। इससे निम्न गुणवत्ता का कागज मान्य नहीं होगा। कतरन, रददी, रिसाइकल्ड पल्प से निर्मित कागज मान्य नहीं होगा।
13. द्वितीय पक्ष उपर्युक्त प्रस्तर-03 में उल्लिखित दरों (विक्रय मूल्य) को सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकों में यथास्थान मुद्रित करेगा एवं इन्हीं दरों पर बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध करवायेगा।
14. पाठ्य पुस्तकों पर दी जाने वाली रॉयल्टी- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक : F.No.-26-40/2005 - Pub.(TCS) दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार चयनित फर्मों द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के लिए 5% रॉयल्टी का भुगतान NCERT नई दिल्ली के लिये किया जाय। चूंकि पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण चरणवार किया जायेगा अतएव प्रथम चरण में मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी जमा करने के उपरान्त अगले चरण की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण की अनुमति दी जायेगी तदनुसार मुद्रक द्वारा रॉयल्टी जमा की जानी होगी। शिक्षा सत्र के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा यदि रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार ही फर्मों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के कुल मूल्य पर 5% (पांच प्रतिशत) रॉयल्टी दी जानी है। रॉयल्टी ड्राफ्ट के माध्यम से, जो पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पदनाम से बना हो, पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उपलब्ध करवायी जानी है। रॉयल्टी का ड्राफ्ट देहरादून स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में देय होना चाहिए।
16. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करते समय यह लिख कर देना होगा कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
17. द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त पाठ्य पुस्तकों का आवरण पृष्ठ सहित चार आकर्षक रंगों में मुद्रित किया जायेगा।
18. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी बिड में जिस पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करने का अनुबन्ध पत्र संलग्न किया गया है, अनिवार्यतः उसी पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा, पाठ्य पुस्तकों, अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पृष्ठ के लिए मुद्रणोपरान्त द्वितीय

+

4

परिषद्

P

पक्ष को पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के बाद ही सुरक्षा धनराशि मुक्त की जायेगी।

19. द्वितीय पक्ष द्वारा द्वारा पूरे शिक्षा सत्र के दौरान पुस्तकों की मांग के अनुसार दो या अधिक चरणों में आवश्यकतानुसार निर्धारित मूल्य (विक्रय मूल्य) पर पाठ्य पुस्तकें खुले बाजार में उपलब्ध करवायी जायेगी। प्रथम चरण की पाठ्य पुस्तकों की बिक्री के उपरान्त बाजार में पाठ्य पुस्तकों की मांग के अनुसार अगले चरण की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का कार्य किया जायेगा। प्रथम चरण की पुस्तकों की बिक्री होने के उपरान्त मुद्रक को अगले चरण की पाठ्यपुस्तकों को मुद्रित करने से पहले पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के पाठ्य पुस्तकों के अगले चरण का मुद्रण नहीं किया जायेगा।
20. द्वितीय पक्ष द्वारा अपना नैटवर्क राज्य के सभी जनपदों में इस प्रकार स्थापित करना होगा कि पुस्तकें प्रत्येक तहसील, विकास खण्ड, न्याय पंचायतों में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री हेतु समय से उपलब्ध हो जाय, ताकि सभी छात्र-छात्राएँ पुस्तकें क्रय कर सकें। पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा पाठ्य पुस्तकों के दुलान अथवा पाठ्य पुस्तकों पर आने वाले किसी भी व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
21. छात्र-छात्राओं को आसानी से पाठ्य पुस्तकें सुलभ हो सकें, के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा जनपदवार निम्नलिखित पुस्तक विक्रेताओं का चयन किया गया है। जिन्हें द्वितीय पक्ष द्वारा प्राथमिकता/अनिवार्य रूप से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवानी होगी। जनपद स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता की कार्य सम्पन्न होने की प्रमाणिकता मानी जायेगी। मुद्रण कार्य पूर्ण करने मात्र से कार्य सम्पन्न नहीं समझा जायेगा-

क्र०सं०	जनपद	पुस्तक विक्रेता का नाम एवं पता	दूरभाष नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उत्तरकाशी	रमेश-दिनेश पुस्तकालय, उत्तरकाशी	9412323061
2	टिहरी गढ़वाल	ब्रह्मानन्द भट्ट बन्धु, नई दिहरी	1376233890
3	रूद्रप्रयाग	हिमालय बुक डिपो, रूद्रप्रयाग	01364-233255
4	चमोली	चन्द्रेश्वर बुक डिपो, ऋषि पुस्तक केन्द्र गोपेश्वर, चमोली	9719261980
5	पौड़ी	राजेन्द्र बुक डिपो, पौड़ी	9760405497
6	देहरादून	इन्दर बुक डिपो पल्टन बाजार, देहरादून	9837044907, 0135-2658555
7	हरिद्वार	जायमण्ड बुक डिपो ज्वालापुर, हरिद्वार	9358398035
8	ऊधमसिंह नगर	विनोद पुस्तक भण्डार भगत सिंह चौक, रुद्रपुर	9927171118
9	नैनीताल	स्टूडेंट बुक डिपो नैनीताल	9758971038, 9837000804
10	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, बुक डिपो अल्मोड़ा	9837997959,
11	बागेश्वर	शिवा बुक डिपो बागेश्वर	05963-222411
12	पिथौरागढ़	मनीराम पुनेठा एण्ड सन्स पिथौरागढ़	9897578437, 05964-255218

13	चम्पावत	भगौली पुस्तक भण्डार लोहाघाट, चम्पावत	8006784469
----	---------	--------------------------------------	------------

22. द्वितीय पक्ष द्वारा बाजार में खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करते समय सर्वप्रथम निदेशालय को निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी:-

क्र० सं०	पुस्तक विक्रेता का विवरण		कक्षा	पाठ्य पुस्तक	आपूर्ति संख्या
	जनपद	नाम/पता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
योग					

23. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर मुद्रित एवं बिना मुद्रित कागज पाठ्य पुस्तकों के कागज की रासायनिक जांच करवायी जायेगी। मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की जांच पर आने वाले व्यय का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। जांच आख्यानुसार मानकानुसार कागज की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा द्वितीय पक्ष पर दण्ड निर्धारित किया जायेगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
24. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित दरें, रॉयल्टी, समयावधि सहित अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जाना है। कार्यदेशानुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकें जो बिक्री होने से रह जाती हैं, उनके भुगतान के लिए प्रथम पक्ष, पाठ्य-पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
25. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकें एन०सी०ई०आर०टी० नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप (पेपर, पुस्तक का साइज, प्रिंटिंग एवं बाइंडिंग) ही मुद्रित की जायेगी। एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा जारी गाइड लाईन एवं कॉपी राइट एक्ट मुद्रकों को मान्य होगा।
26. द्वितीय पक्ष द्वारा आवरण पृष्ठों का मुद्रण इस प्रकार किया जायेगा कि उनका उपयोग किसी अन्य द्वारा नहीं किया जा सके।
27. पाठ्य पुस्तकों की संख्या/पृष्ठों की संख्या घट-बढ़ सकती है तथा नामों में भी परिवर्तन हो सकता है, जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार परिवर्तित करना होगा। परिवर्तन की स्थिति में पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित दरों (विक्रय मूल्य) में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
28. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों आवरण पृष्ठ सहित, फोर कलर में कवर, बैक कवर तथा इन साइड कवर एवं इन साइड बैक कवर/टू कलर कवर, वन कलर इन साइड में मुद्रित की जायेगी।
29. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के कवर पेज पर ON LINE NUMBE अंकित किया जायेगा ताकि पुस्तकों की विश्वसनीयता बनी रहे और नकली पाठ्य पुस्तकें बाजार में न आ सकें।
30. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कवर पेज की सी०डी०/डी०वी०डी० प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
31. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लाल रंग से मोटे अक्षरों में चार खाने के अन्दर "Royalty Paid Book" अंकित किया जायेगा।

9

6

चम्पावत
6

32. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों की मोटाई (बाइंडिंग साइड पर) पर जो बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे, "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।
33. द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र 2018-19" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2018-19" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा।
34. द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित समस्त पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों पर नीचे मध्य भाग में पृष्ठ संख्या तथा समस्त दाहिने एवं बांये पृष्ठों पर बाहर की ओर उत्तराखण्ड शिक्षा सत्र 2018-19 तथा अन्दर की ओर बांये पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ्य पुस्तक का नाम तथा दाहिनी ओर के पृष्ठों पर सम्बन्धित पाठ का नाम अंकित किया जायेगा। सभी अंकना 10 प्वाइंट बोल्ड में मुद्रित किये जायेंगे।
35. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रारम्भ में यथास्थान पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से प्राक्कथन फर्म द्वारा मुद्रित किया जायेगा, जिसे कार्यादेश के साथ ही फर्म को निदेशालय से प्राप्त करना होगा।
36. द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रण कार्य की प्रूफ रीडिंग फर्म द्वारा अपने स्तर से करवायी जायेगी। अतः अक्षर, मात्रा, अंक, दशमलव, बिन्दु, कौमा, अर्द्धविराम, गणित के चिन्ह, आदि टूटे-छूटे, मिटने या स्थान बदलने से होने वाली त्रुटि की स्थिति में नहीं हों, के लिए प्रूफ रीडिंग अत्यधिक सावधानी से की जानी होगी। तथापि मुद्रण स्थल पर निदेशालय द्वारा गठित पैनल के द्वारा भी आवश्यकतानुसार प्रूफरीडिंग का निरीक्षण किया जा सकता है, जिससे पुस्तक का सही, सुस्पष्ट एवं आकर्षक स्वरूप बाजार में उपलब्ध हो सके।
37. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकें निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सी0डी0/हार्ड कापी के अनुसार ही मुद्रित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का भी फर्म को यथास्थान समावेश करना होगा।
38. पुस्तक का प्रकाशन विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रकाशक का उल्लेख करते समय द्वितीय पक्ष द्वारा उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा तथा उचित/निर्धारित स्थान पर उत्तराखण्ड शासन का लोगो भी मुद्रित किया जायेगा।
39. द्वितीय पक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में फॉन्ट का साइज, पुस्तकों का आकार, ट्रिम साइज, प्रिन्ट एरिया, स्पेसिंग एवं विषय सामग्री विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार ही किया जायेगा।
40. द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त इलस्ट्रेशन एवं चित्रांकन उत्तम इंक एवं रंग से विषयवस्तु के अनुरूप एवं समीपस्थ मुद्रित किया जायेगा, जिनका हेयर लाइन रजिस्ट्रेशन एकदम ठीक हो।
41. महत्वपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा महापुरुषों से संबंधित तथ्य अद्यतन शुद्ध हों, जिसे प्रत्येक स्तर पर द्वितीय पक्ष द्वारा ठीक करना होगा। किसी भी प्रकार का विवाद उठने पर चयनित फर्म उत्तरदायी होगी।
42. पाठ्य पुस्तकों की बाइंडिंग— द्वितीय पक्ष द्वारा 112 या कम पृष्ठों की पाठ्य पुस्तकों में सेंटर स्टिचिंग तीन तार तथा 112 से अधिक पृष्ठों वाली पाठ्य पुस्तकों की परफैक्ट बाइंडिंग की जायेगी।

9

For G-Tech Print

Authorised Sign

7

43. द्वितीय पक्ष द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की बिक्री/प्रयोग उत्तराखण्ड राज्य तक ही सीमित रखनी होगी। पाठ्य पुस्तकों का विक्रय राज्य की सीमाओं के बाहर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
44. द्वितीय पक्ष द्वारा निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पाठ्य पुस्तकों की सी0डी0/डी0वी0डी0 मूल रूप में बिना किसी प्रकार की छेड़-छाड़ अथवा टूट-फूट के कार्य पूर्ण करने के 15 दिनों के भीतर निदेशालय को वापस करनी होगी।
45. समस्त खुले बाजार की पाठ्य-पुस्तकों पर द्वितीय पक्ष द्वारा मूल्य मुद्रित किया जाना है। मूल्य सूची निदेशालय द्वारा मुद्रक को कार्यादेश के साथ उपलब्ध करवायी जायेगी। मुद्रण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुद्रकों का भी यह दायित्व होगा कि वह निदेशालय से पाठ्य-पुस्तकों की मूल्य सूची प्राप्त कर लें।
46. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत निविदा के क्रम में मुद्रित पाठ्य-पुस्तकों की बिक्री शैक्षिक सत्र 2018-19 के उपरान्त नहीं की जायेगी।
47. दण्डात्मक कार्यवाही :- पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में कमी अथवा मुद्रण/आपूर्ति विलम्ब की स्थिति में द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निम्नवत् दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(क) विलम्ब दण्ड- सभी जनपदों के मुख्यालयों में, बाजारों में बिक्री के लिए पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में फर्म पर निम्नवत् विलम्ब अर्थदण्ड निर्धारित किया जायेगा-



- 01 से 10 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 2%
- 11 से 20 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 5%
- 21 से 30 दिन विलम्ब से आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों के कुल मुद्रण मूल्य का 10%
- 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में मुद्रक की सुरक्षा धनराशि जब्त कर, उसे काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।


(ख) खराब मुद्रण:- पुस्तकों के सत्यापन में मानक के अनुरूप मुद्रण न पाये जाने अथवा खराब मुद्रण की दशा में सम्बन्धित प्रकार की पुस्तकों की कुल कीमत पर 05% से 15% तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। खराब मुद्रण के अन्तर्गत अस्पष्ट चित्र, अपठनीय छपाई आदि पर विचार किया जायेगा।

(ग) त्रुटिपूर्ण मुद्रण:- विभाग द्वारा दी गयी सी0डी0 के अनुसार मुद्रण न पाये जाने अथवा त्रुटिपूर्ण मुद्रण होने पर, नमूने के इतर कोई सामग्री छापने, गलत पाठ एवं चित्र छापने पर समिति द्वारा सम्बन्धित पुस्तकों की कुल कीमत पर 5 से 15% तक अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(घ) कम माप:- पाठ्य पुस्तकवार निर्धारित माप के अनुरूप समिति द्वारा कम आकार की पुस्तकों के मूल्य से कुल कम हुये कागजों के दुगने मूल्य के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। कागज की गुणवत्ता पर भी विचार किया जायेगा।

48. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।
49. महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर फर्म एवं बाजार में जाकर कार्य का निरीक्षण किया जा सकता है, जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

For G-Tech Publications

 Digitised by

50. द्वितीय पक्ष द्वारा यदि अनुबंध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नस्टमनी/सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं काली सूची में दर्ज करने की संस्तुति की जायेगी।
51. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी बिड के साथ उपलब्ध करवाये गये कागज के नमूनों को भविष्य में आवश्यकतानुसार रासायनिक जांच करवाने के लिए निदेशालय में सील्ड करके सुरक्षित रखा गया है।
52. कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त द्वितीय पक्ष द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये **On Line Number** का प्रमाण भी देना अनिवार्य होगा।
53. सुरक्षा धनराशि निम्नलिखित कार्यों तथा शर्तों को पूरा करने के उपरान्त द्वितीय पक्ष को वापस की जायेगी—
- फर्म द्वारा कार्यादेशानुसार मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान करने एवं यह लिख कर देने पर कि उनके द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकों की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है।
 - पाठ्य पुस्तकों के मानक/गुणवत्ता की जांच, मुद्रण में कमी, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती करने के उपरान्त संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर।
 - समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदों में खुले बाजार में बिक्री हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने का प्रमाण-पत्र जारी करने पर।
 - पाठ्य पुस्तकों अनुबंधित पेपर मिल/अधिकृत वितरक से कागज क्रय करके मुद्रित की गयी है, की पुष्टि के लिए मुद्रणोपरान्त फर्म द्वारा पेपर मिल/अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की 15-15 प्रतियां एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली हेतु एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के अवलोकनार्थ/अभिलेखार्थ पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध करवाने पर।
 - नोटरी द्वारा सत्यापित रूपये 10.00 (दस) के स्टाम्प पेपर पर कक्षा/विषयवार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा उनमें प्रयोग किये गये **On Line Number** (कहां से कहां तक) का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने पर।
 - निर्धारित प्रारूप (प्रस्तर-39) पर खुले बाजार में पुस्तक विक्रेताओं को आपूर्ति की गयी पाठ्य पुस्तकों का विवरण उपलब्ध कराने पर।
54. ऐसे अप्रत्याशित कारण जो फर्म के नियंत्रण से बाहर हैं, जिनका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता जैसे— युद्ध, क्रांति, आग, बाढ़, बीमारी फैलने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित रूप से प्रथम पक्ष, पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को इसकी सूचना तुरन्त दी जायेगी तथा इसके कारणों का उल्लेख किया जायेगा। जब तक पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून द्वारा अन्य निर्देश नहीं दिये जायेंगे फर्म अनुबंध के अनुरूप अपने कर्तव्यों/कार्यों का जहां तक सम्भव हो, निर्वहन किया जाता रहेगा।

9


9

For G-Tech Firm


प्रमाणित किया गया
9

55. सम्बन्धित कार्य के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे उत्तराखण्ड शासन के निर्णयार्थ (आर्बीट्रेशन) प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
56. सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के लिये सिर्फ देहरादून स्थित सुसंगत न्यायालय में ही मामला उठाया जा सकता है, अन्य किसी भी न्यायालय में नहीं।
57. कार्य सम्पन्न करने के लिए द्वितीय पक्ष को जारी कार्यादेश एवं किये गये अनुबन्ध को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक समिति/महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
58. उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अनुबन्ध पत्र निविदा से आच्छादित रहेगा।
59. उपर्युक्त बिन्दुओं में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों अर्थात् प्रथम पक्ष पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून तथा द्वितीय पक्ष मैसर्स जी टैक प्रिन्ट वर्क्स, साईट ए, मथुरा, उत्तर प्रदेश के मध्य 05 मई 2018 को स्थान - निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून में निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव में आकर पूरी समझबूझ एवं स्वस्थ मस्तिष्क के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। दोनों ही पक्ष अनुबन्ध की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।


For G-Tech Panel


(आर०के० कुंवर)
पाठ्य पुस्तक
अधिकारी/निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।


प्रथम पक्ष :


(कंचन देवराड़ी)
संयुक्त निदेशक,
एस०सी०ई०आर०टी०
उत्तराखण्ड

साक्षी-1 :



(जय प्रकाश यादव)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

साक्षी-2 :


(श्री धर्मेन्द्र कुमार शमी)

द्वितीय
पक्ष:

मैसर्स जी टैक प्रिन्ट वर्क्स,
साईट ए, मथुरा, उत्तर प्रदेश

हस्ताक्षर 

नाम एवं पदनाम- नितिन कुमार
पता- सौधोवाली, अमन विहार,
सहत्रधारा रोड, देहरादून

साक्षी-1 :

हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

पता

साक्षी-2 :



निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून।

आदेश संख्या : पा.पु./ 218 / नौ-11(45)/2018-19, दिनांक 05 मई 2018
कार्यादेश

डी0बी0टी0 के फलस्वरूप शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए कक्षा 1 एवं 2 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में (बिक्री के लिए) उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के अनुसार सम्पादित निविदा प्रक्रिया तथा इस विहित पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून तथा मैसर्स जी-टैक प्रिंट वर्क्स, साइट-ए, मथुरा, उत्तर प्रदेश के मध्य हुए अनुबन्ध दिनांक 5 मई 2018 के अनुरूप कार्य सम्पन्न करने के लिए मैसर्स जी-टैक प्रिंट वर्क्स, साइट-ए, मथुरा, उत्तर प्रदेश को निम्न सारणी में अंकित विवरणानुसार कार्यादेश जारी होनी की तिथि से 30 दिन की सीमान्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं उनकी खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यादेश जारी किया जाता है-

क्र. सं.	कक्षा	पाठ्य पुस्तक	पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ संख्या	निर्धारित विक्रय मूल्य
1	2	3	4	5
1	I	रिमझिम भाग 1	35000	53.98
2	I	मैरीगोल्ड बुक 1	35000	53.98
3	I	गणित का जादू 1	35000	53.98
4	I	इब्तेदई 1	10000	49.07
योग			115000	211.001
5	II	रिमझिम 2	35000	53.98
6	II	मैरीगोल्ड बुक 2	35000	53.98
7	II	गणित का जादू 2	35000	53.98
8	II	इब्तेदई 2	10000	49.07
योग			115000	211.001


- 02- उपर्युक्त सारणी के अनुरूप निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का विक्रय मूल्य, मुद्रक द्वारा प्रत्येक पाठ्य पुस्तक पर यथास्थान बड़े फॉण्ट में अंकित/मुद्रित किया जायेगा।
- 03- प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के कवर पेज पर 12 digit On Line Number अंकित किया जायेगा। पाठ्य पुस्तकवार On Line Number संलग्न हैं। (संलग्नक-1)
- 04- 08 पाठ्य पुस्तकों की DVDs भी कार्यादेश के साथ ही संलग्न कर उपलब्ध करवायी जा रही हैं। मुद्रक सर्वप्रथम DVDs को खोलकर चेक कर लें ताकि बाद में DVDs खुलने से सम्बन्धित कोई समस्या न आये। (संलग्नक-2)
- 05- आवरण पृष्ठों के लिए पृथक से DVDs उपलब्ध करवायी जा रही है। मुद्रक DVDs के अनुसार आवरण पृष्ठ तैयार करेंगे। (संलग्नक-3)
- 06- पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की ओर से तैयार किये गये प्राक्कथन की प्रति पाठ्य पुस्तकों में यथास्थान मुद्रित करने के लिए अंग्रेजी (भाषा) के लिए अंग्रेजी, तथा अन्य पाठ्य पुस्तकों के लिए हिन्दी में संलग्न है। (संलग्नक-4, 5)

- 07- पाठ्य पुस्तकों की मोटाई पर जो बाहर की ओर से स्पष्ट रूप से दिखायी दे, "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित करना होगा। पाठ्य-पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर "उत्तराखण्ड राज्य हेतु" तथा "शिक्षा सत्र : 2018-19" मुद्रित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के निचले मध्य भाग पर सम्बन्धित "पाठ्य पुस्तक का नाम" एवं "उत्तराखण्ड मुद्रण वर्ष : 2018-19" तथा पृष्ठ संख्या का मुद्रण किया जायेगा, इससे एन0सी0ई0आर0टी0 व राज्य सरकार की पुस्तकों में भिन्नता रहेगी।
- 08- प्रकाशक का उल्लेख करते समय उचित स्थान पर "विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड" मुद्रित किया जायेगा।
- 09- यदि प्रथम पक्ष को कक्षा 1 से 12 तक की अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा मांग के अनुरूप पाठ्य-पुस्तकों तत्काल प्रथम पक्ष को उपलब्ध करानी होगी।
- 10 पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ कागज के मानक एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे।
- 11- प्रथम पक्ष द्वारा एन0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड राज्य द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण से पूर्व इन पाठ्य-पुस्तकों की प्रुफ रीडिंग एन0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड से अवश्य करवानी होगी।
- 12- विगत वर्षों के लिए मुद्रित की गयी पाठ्य पुस्तकों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध न करवाया जाय। ऐसा करने पर फर्म को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
- 13- उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त, कार्यादेश इस निमित्त किये गये अनुबन्ध तथा निवेदा की शर्तों से आच्छादित रहेगा। दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षरयुक्त अनुबन्ध की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-6)
- 14- अनुबन्ध एवं कार्यादेश को निरस्त करने का अधिकार पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड में सुरक्षित रहेगा।

संलग्नक : यथोपरि।




(आर.के.कुर्वर) 2018


पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

सू0सं0 : पा.पु./ 3667-71 / नौ-II(45/2018-19, दिनांकित।

प्रतिलिपि -- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मैसर्स जी-टैक प्रिंट वर्क्स, साइट-ए, मथुरा, उत्तर प्रदेश
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

Received
एन0सी0ई0आर0टी0
8439246820
05/5/2018


(आर.के.कुर्वर) 2018

पाठ्य पुस्तक अधिकारी/निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

2559
26/12/16

प्रेषक,
महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 2 दिसम्बर, 2016

विषय:-जनता इण्टर कालेज जखेटी में प्रवक्ता गणित एवं समाजशास्त्र की सवित्त मान्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(03)/79/20149/2016-17 दिनांक 24 सितम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनता इण्टर कालेज जखेटी में प्रवक्ता गणित एवं समाजशास्त्र की सवित्त मान्यता प्रदान करते हुए 02 प्रवक्ता पदों का सृजन करते हुए निम्नलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पदों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	सृजित होने वाले पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रवक्ता	रू० 9300-34600 ग्रेड पे-4800	02 पद (समाजशास्त्र एवं गणित विषय हेतु)।

उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009, (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

4. उपर्युक्त तालिका में अंकित 02 प्रवक्ता पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में पूर्व से हाईस्कूल स्तर पर सहायक अध्यापक एल०टी० के 08 सृजित पदों में से 01 स०अ०एल०टी० पद को उच्चीकृत करते हुए इण्टर स्तर पर प्रवक्ता पद पर समायोजित किया जायेगा इस प्रकार हाईस्कूल स्तर पर स०अ०एल०टी० की कुल जनशक्ति 07 ही रह जायेगी।

5. उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।

7. उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
9. यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।
10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों की सहायता-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।
11. यह आदेश रिट याचिका संख्या-99(P.I.L)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।
12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-215(P)/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 21,दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

21/12/16

(महिमा)

उप सचिव।

संख्या- (1) /XXIV-4-9(7)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जनपद पौड़ी।
8. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद पौड़ी।
9. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाध्यक्षक।
10. वित्त अनुभाग-3 एवं 7/नियोजन प्रकोष्ठ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।

2562
26/12/16

संख्या 1893 /XXIV-4/2016-6(33) 2014 टी0सी0

प्रेषक,

महिमा,

उप सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये अशासकीय जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर के विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रोत्साहन धनराशि के रूप में टोकन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-मा0/23724/2016-17 दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोंपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का

निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में दिये गये मानकों/शर्तों के अधीन निम्नांकित तालिका में अंकित विद्यालयों को वर्ष 2016-17 में प्रोत्साहन धनराशि के रूप में टोकन अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम/जनपद	शासनादेश संख्या/दिनांक	प्रोत्साहन धनराशि के रूप में टोकन अनुदान
1.	जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय चित्रकूट, तिवारीनगर बिन्दुखत्ता, नैनीताल। (जूनियर स्तर)	शासनादेश संख्या-204/XXIV-4/2015, दिनांक 04.03.2014	रु0 1.00 लाख
2.	मानवता उ0प्र0वि0 गांधीनगर, बिन्दुखत्ता लालकुआ, नैनीताल। (जूनियर स्तर)	शासनादेश संख्या-67/XXIV-4/2014, दिनांक 04.02.2014	रु0 1.00 लाख

(५५५)

3.	हाटकालिका इण्टर कालेज, बिन्दुखत्ता, नैनीताल। (हाईस्कूल स्तर)	शासनादेश संख्या-204 / XXiv-4 / 2014, दिनांक 28.03.2014	रु० 2.00 लाख
4.	बलिका उ०मा०वि०तिवारीनगर बिन्दुखत्ता, नैनीताल। (हाईस्कूल स्तर)	शासनादेश संख्या-122 / XXiv-4 / 2014, दिनांक 10.02.2014	रु० 2.00 लाख
5.	दानू उ०मा०वि० इन्दिरानगर बिन्दुखत्ता, नैनीताल। (हाईस्कूल स्तर)	शासनादेश संख्या-204 / XXiv-4 / 2014, दिनांक 04.03.2014	रु० 2.00 लाख
6.	आदर्श इण्टर कालेज सजयनगर बिन्दुखत्ता, नैनीताल। (इण्टर स्तर)	शासनादेश संख्या-130 / XXiv-4 / 2014, दिनांक 20.02.2014	रु० 3.00 लाख

2- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त विद्यालयों द्वारा अनुदान सूची/वेतन अनुदान से सम्बन्धित समस्त मानकों/शर्तों की पूर्ति की गयी है।

3- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99/(पी०आई०एल०)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-230(P) XXVII (3)/2016-17 दिनांक 23, दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
मि० म०
(महिमा)
उप सचिव।

संख्या (1)/XXiv-4/2016-6(33) 2014 टी०सी०तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद-नैनीताल।
- 4- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।

- 5- मण्डलीय अपर निदेशक, कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड ।
- 6- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 7- वित्त अनुभाग-3 / नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
- 8- सम्बन्धित विद्यालयों के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।
- 9- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
- 10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव ।

2558
26/12/16

संख्या-1669 /xxiv-4 / 2016-9(48) / 2015

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 23 दिसम्बर, 2016

विषय:- गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, जनपद उत्तरकाशी को हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(03)/26/18279/2016-17 दिनांक 06.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, जनपद उत्तरकाशी को हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निम्नलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पदों/पदस्थानों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी बाद में हो, से दिनांक 29 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रधानाध्यापक	रु० 15600-39100 ग्रेड पे- 5400	01 पद
2.	सहायक अध्यापक (एल०टी०)	रु० 9300-34800 ग्रेड पे-4600	07 पद
3.	कनिष्ठ सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे-2000	01 पद
4.	परिचारक	(आउटसोर्सिंग)	02 पद
	कुल योग		11 (ग्यारह पद)

3- उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

hit ml

अ.प.
आध्यक्ष,
25-12-16

अ.प.
2016

4- उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन पढाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।

6- उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों (परिचारक को छोड़कर) को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

8- यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02- माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99 (पी०आई०एल०)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 229 (P)/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 23.दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
H. J.
(महिमा)
उप सचिव।

संख्या- (1) /XXIV-4/2016- 9(48) /2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा०मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।

- 6- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, षौड़ी ।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जनपद उत्तरकाशी ।
- 8- जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी ।
- 9- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ।
- 10- वित्त अनुभाग-3 एवं 7 / नियोजन प्रकोष्ठ ।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
- 12- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव ।

2607
30/12/16

संख्या 3039 / xxiv-4 / 2016-6(8) 2011

प्रेषक,

धीरेन्द्र सिंह दताल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2016

विषय:- श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, रूड़की, जनपद-हरिद्वार को वर्ष 2016-17 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन स्तर पर सम्यक विचारोंपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में

यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2016-6(33) दिनांक 01 फरवरी, 2016 में दिये गये मानकों/शर्तों के अधीन श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, रूड़की, जनपद-हरिद्वार को वर्ष 2016-17 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त विद्यालय द्वारा अनुदान सूची/वेतन अनुदान से सम्बन्धित समस्त मानकों/शर्तों की पूर्ति की गयी है।

3- शासनादेश संख्या-1657/xxiv-4/2016-6(33)/2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 में इण्टरमीडिएट स्तर के क्रमांक-3 पर अंकित उक्त विद्यालय को दिया गया प्रोत्साहन के रूप में टोकन अनुदान निरस्त समझा जाय।

4- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99/(पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-238 (P)/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

संख्या (1)/xxiv-4/2016-6(8) 2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
- 4- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 5- मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद हरिद्वार।
- 7- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- सम्बन्धित विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 9- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

2619
30/12/16

संख्या- 1813/xxiv-4/2016-6(23)/2016

प्रेरक,

धरेन्द्र सिंह दत्तल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

विषय:-विश्वास रैंड रोज इण्टर कालेज, आनन्द खेड़ा (तं-1 दिनेशपुर, गदरपुर, जनपद उधमसिंहनगर को हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

सहायक,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(03)/C4/20261/2016-17 दिनांक 24.09.2016 का सन्दर्भ प्रदान करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वास रैंड रोज इण्टर कालेज, आनन्द खेड़ा (तं-1 दिनेशपुर, गदरपुर, जनपद-उधमसिंहनगर को हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु विम्बलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पदों/पदस्थानों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहित सशुक्ति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं०	पदनाम	विवरण	पदों की संख्या
1.	2	3	4
1.	प्रधानाध्यापक	रू० 12500-14000 (एड वे-2000)	01 पद
2.	सहायक अध्यापक (एल0टी0)	रू० 9300-11000 (एड वे-2000)	07 पद
3.	कनिष्ठ सहायक	रू० 5200-7000 (एड वे-2000)	01 पद
4.	परिचारक	(एड वे-1000)	02 पद
	कुल योग		11 (ग्यारह पद)

3- उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009, (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

4- उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।

6- उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों (परिचारक को छोड़कर) को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

8- यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02- माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99 (पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-239(P)/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भक्तदीय

(धीरेन्द्र सिंह दताल)

अपर सचिव।

संख्या- (1) /xxiv-4 /2016- 6(23) /2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।

- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल।
- 6- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कूमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जनपद उधमसिंहनगर।
- 8- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद उधमसिंहनगर।
- 9- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 10- वित्त अनुभाग-3 एवं 7/नियोजन प्रकोष्ठ।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दत्ताल)
अपर सचिव।

प्रेषक,

धीरेन्द्र सिंह दताल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक ०३ जनवरी, 2017

विषय:- अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप पद सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-06(03)/57/20892/2016-17 दिनांक 30.09.2016 एवं पत्र संख्या-06(03)/33/20901/2016-17 दिनांक 30.09.2016 के क्रम में शासन स्तर पर विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्टर स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप पदों के सृजन हेतु निम्नलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पदों/पदस्थानों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	सृजित होने वाले पदों का विवरण	वेतनकम (रु० में)	पदों की सं०
1	2	3	4	5
1.	सत्येश्वरी देवी मैमोरियल इण्टर कालेज, होशियारी मन्दिर, रायवाला, जनपद देहरादून।	1- प्रधानाचार्य (हाईस्कूल से समायोजित) 2- प्रवक्ता 3- वरिष्ठ लिपिक 4- परिचारक कुल योग	रु०15,600-39,100ग्रेडपे-7600 रु० 9300-34,800ग्रेड पे-4800 रु० 5200-20,200ग्रेड पे-2800 आउटसोर्सिंग	01 05 01 01 08 (आठ पद)
2.	श्री पूरन सिंह, मोहन सिंह, इण्टर कालेज, कुँवरपुर,गोलापार	1- प्रवक्ता, कुल योग	रु० 9300-34,800ग्रेड पे-4800	04 (चार पद) 12 पद

2794
6-1-17

उज्ज्वल माध्यामिक
07.01.2017

Handwritten signature and notes at the bottom left corner.

2- उपर्युक्त तालिका में अंकित सभी पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित विद्यालयों में वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार पूर्व में सृजित पदों के समायोजित/उच्चीकरण करने के बाद पदों की गणना तथा वर्तमान में छात्र संख्या एवं सम्बन्धित पदधारक प्रतिवादन पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों एवं अन्य समस्त मानकों को पूर्ण करते हों। सृजित पदों के लिये इन विद्यालयों द्वारा मानकों की पूर्ति का परीक्षण सम्बन्धित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।

4- उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009, (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

5- उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों (परिचारक को छोड़कर) को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

7- यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनुदान संख्या-11के लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 04-अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 0403-सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषयों हेतु वेतन अनुदान-43 वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान से वहन किया जायेगा।

9- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99 (पी०आई०एल०)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-260(P)/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

संख्या- (1) /XXIV-4 /2017-2(01) /2014 टी0सी0 I तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 6- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल / कुमायूँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
- 7- सम्बन्धित जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 8- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
- 9- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
- 10- वित्त अनुभाग-3 एवं 7 नियोजन प्रकोष्ठ।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

2017
09/01/17

संख्या 3020 /xxiv-4 /2017-6(33) 2014

प्रेषक,

धीरेन्द्र सिंह दताल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उपनि. म. वि. वि. वि.

Jee

09/01/17

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 04 जनवरी, 2017

विषय:- वर्ष 2015-16 में टोकन अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 2016-17 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोंपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि: शासनादेश संख्या-1657/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-1893/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रोत्साहन के रूप में टोकन अनुदान में सम्मिलित निम्नांकित तालिका में अंकित 08 विद्यालयों को शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2016-06(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में दिये गये मानकों/शर्तों के अधीन वर्ष 2016-17 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	विद्यालय का नाम/जनपद	शासनादेश संख्या/दिनांक
1.	आर्य कन्या इण्टर कालेज, रुद्रपुर, जनपद उधमसिंहनगर।	शासनादेश संख्या-147/xxiv-4/2014, दिनांक 27.02.2014
2.	सरस्वती उ०मा०वि० रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा।	शासनादेश संख्या-204/xxiv-4/2014, दिनांक 04.02.2014
3.	जनता उ०मा०वि० रणधार, जखवाड़ी, जनपद रुद्रप्रयाग।	शासनादेश संख्या-130/xxiv-4/2014, दिनांक 20.02.2014
4.	बालिका उ०मा०वि० तिवारीनगर, बिन्दुखत्ता, जनपद नैनीताल।	शासनादेश संख्या-122/xxiv-4/2014, दिनांक 10.02.2014
5.	भगवान शंकर इण्टर कालेज, तुगलपुर, खानपुर, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-391/xxiv-4/2014, दिनांक 20.05.2014
6.	लक्ष्मण भारती इण्टर कालेज, 04 विष्णु रोड़, जनपद देहरादून।	शासनादेश संख्या-156/xxiv-4/2014, दिनांक 28.02.2014

श्री/म. वि. वि. वि.

2017
09/01/17

7.	सरस्वती इण्टर कालेज, आनन्दपुरी, खटोली, जनपद चम्पावत।	शासनादेश संख्या-152/XXIV-4/2014 दिनांक 28.02.2014
8.	राणा प्रताप इण्टर कालेज, खटीमा, जनपद उधमसिंहनगर।	शासनादेश संख्या-1172/XXIV-4/ 2015, दिनांक 30.05.2015

2- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त विद्यालयों द्वारा अनुदान सूची/वेतन अनुदान से सम्बन्धित समस्त मानकों/शर्तों की पूर्ति की गयी है।

3- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99/(पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-280 (P) xxvii (3)/2016-17 दिनांक 04 जनवरी, 2017 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

संख्या (1)/XXIV-4/2017-6(33) 2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभागद्व उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 6- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 7- मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।।
- 8- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- सम्बन्धित विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य।
- 11- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

प्रेषक,

धीरेन्द्र सिंह दताल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड माध्यमिक

2867
18-1-17

19-01-2017

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 04 जनवरी, 2017

विषय:-देशबन्धु इण्टर कालेज पिपलिया नं०-1 गदरपुर, जनपद उधमसिंहनगर को 6 से 12 स्तर तक पूर्ण अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(03)/39/14054/2016-17 दिनांक 27.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देशबन्धु इण्टर कालेज पिपलिया नं०-1 गदरपुर, जनपद उधमसिंहनगर को कक्षा 6 से 12 स्तर तक पूर्ण अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निम्नलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पदों/पदस्थानों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बशर्त कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रधानाचार्य	रू० 5600-39100 ग्रेड पे- 7600	01 पद
2.	प्रवक्ता	रू० 9300-34800 ग्रेड पे-4800	09 पद
3.	सहायक अध्यापक (एल०टी०)	रू० 9300-34800 ग्रेड पे-4600	07 पद
4.	वरिष्ठ सहायक	रू० 5200-20200 ग्रेड पे-2800	01 पद
5.	कनिष्ठ सहायक	रू० 5200-20200 ग्रेड पे-2000	01 पद
6.	लेक्चरर	(आउटसोर्सिंग)	03 पद
7.	परिचारक	(आउटसोर्सिंग)	02 पद
कुल योग			24 (चौबीस पद)

3- उपर्युक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009, (साथ-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

- 4- उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन पढाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हैं तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।
- 6- उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 7- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों (परिचारक को छोड़कर) को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- 8- यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।
- 9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चातुर्वितीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02- माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 10- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99/(पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- 11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-275 (P)/XXVII(3) 2016-17 दिनांक 04 जनवरी, 2017 में उनकी सहायता से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(धीरेन्द्र सिंह दताल)

अपर सचिव।

संख्या- (1) /XXiv-4/2017-6(15) /2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल।
- 6- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कूमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जनपद उधमसिंहनगर।
- 8- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद उधमसिंहनगर।
- 9- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 10- वित्त अनुभाग-3 एवं 7/नियोजन प्रकोष्ठ।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 04 जनवरी, 2017

विषय-अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु मानक निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अशासकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बनाये गये विनियम, 2009 में मानक एवं प्रक्रिया निर्धारित है। अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने हेतु राज्य में अभी मानक निर्धारित नहीं है। पूर्व में पूर्ववर्ती राज्य उ०प्र० के सम्बन्धित शासनादेशों एवं विनियम, 2009 में मान्यता हेतु निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में ही अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने की कार्यवाही की गयी है।

उक्त क्रम में राज्य के ग्रामीण, दुरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित ऐसे विद्यालयों को संचालित किये जाने हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु राज्य में मानक/नीति बनाया जाना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे विद्यालयों, जो कि अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु निम्नानुसार निर्धारित पात्रता पूर्ण करते हैं, को अब वेतन अनुदान के स्थान पर प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- आवर्तक सहायता अनुदान-

1. जूनियर हाईस्कूल स्तर पर- प्रति छात्र रू० 1000/- प्रति वर्ष अथवा अधिकतम रू० 1,00,000/- प्रतिवर्ष, जो भी कम हो।
2. हाईस्कूल स्तर पर प्रति छात्र रू० 1500/- प्रति वर्ष अथवा अधिकतम रू० 2,00,000/- प्रतिवर्ष, जो भी कम हो।
3. इण्टरमीडिएट स्तर पर- प्रति छात्र रू० 2000/- प्रति वर्ष अथवा अधिकतम रू० 3,00,000/- प्रतिवर्ष, जो भी कम हो।

2- अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु पात्रता का निर्धारण-

1. कम से कम 05 वर्ष पूर्व विद्यालय को वित्तविहीन स्थायी मान्यता प्राप्त हो।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- XXIV-4/2017-1(1)2016,
देहरादून: दिनांक 04जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञान

प्रदेश में अक्षांशहीन माध्यम प्राथम विद्यालयों में संलग्न प्रधान एवं अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संख्या 24040/2016-17 (अधिसूचना-2006) के अधीन प्रख्यापित परिशिष्ट-2006 के अध्यापकों में आर्थिक संशोधन द्वारा ज्ञान विषयक आगके पत्र संख्या-0664/2016-17 (अ. 24040/2016-17) संलग्न 3 अक्टूबर, 2015 के क्रम में ही सारपाल उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा अधिसूचना 2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम-2009 के संशोधन के प्रस्ताव 6, 10, 17 एवं परिशिष्ट-09 में विद्यमानुसार आर्थिक संशोधन किये जाने की कार्य प्रतिकृति प्रस्तुत की है:-

1. प्रस्ताव 6 (2) (अ) में शब्दावली एल0टी0 श्रेणी को चिंता में रखा जाय।
2. प्रस्ताव 6(2) (ग)(2) के नीचे प्रस्ताव 6(3), निम्नलिखित सम्मिलित पढ़ा जाय-
3.3. संस्था में कार्यियों के पदों को भरे जाने हेतु राज्य-स्तर पर राज्य सरकार द्वारा आरक्षण हेतु निर्दिष्ट शासनादेशों के अनुसार ही पदों को अंशकृत किया जाएगा।
3. विनियम के प्रस्ताव 10(क), के अन्त में 'योग्यता' को हटाने निम्न पर-तुक पढ़ा जाय।
'योग्यता' में ही पूर्व छात्र/शिक्षक अनुभव के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता को अनुसंधान सूचिका पदों का पुनर्निर्धारण कर किया जाएगा, तदनुसार यदि पदों की आवश्यकता को प्रथमतः पत्र सूचना का आदेश प्राप्त कर लिया जाएगा।
4. प्रस्ताव-10(ग) में अक्ष-वर्ग पर 'जिला शिक्षा अधिकारी' पदों पर जिला शिक्षा अधिकारी को समान पर 'मुख्य शिक्षा अधिकारी' पदा जाय, परन्तु प्राथमिक विद्यालय एवं बुनियादी हाईस्कूल के संस्था में प्रथम शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) पदा जाय।
5. माध्यमिक प्राथम विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी प्रस्ताव 6(2) (अ) के अनुसार प्रस्ताव 6(3) के नीचे निम्न लिखित शर्तों पर होगा, परन्तु अन्तिम सातवें अंशों को पूर्ण नियुक्त अंक के समान अंक होने पर रिक्त अनुभवियों को सम्मिलित किया जा सकेगा। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों/विशेषाचार्य कर्मचारियों को नियम के लिए साक्षात्कार की सूचना इन सभी

परन्तु प्रत्येक स्कूल/सेन्टर परन्तु प्रत्येक स्कूल/सेन्टर पर सुचित किया जाये। (अनुसार प्रस्तर 10(घ) एवं 18 (क)को सम्बोधित समझा जाय।)

6. प्रत्येक स्कूल/सेन्टर पर सुचित किया जाये। (अनुसार प्रस्तर 10(घ) एवं 18 (क)को सम्बोधित समझा जाय।)
7. प्रत्येक स्कूल/सेन्टर पर सुचित किया जाये। (अनुसार प्रस्तर 10(घ) एवं 18 (क)को सम्बोधित समझा जाय।)
8. विनियम के अध्याय-2 के अन्त में परिशिष्ट-ध गुण विषयक अंकों का आंगणन निम्नवत् किया जाये:-

(A) हाईस्कूल/इण्टर संस्था के प्रधान के लिए गुण विषयक अंक

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक	80
समय समिति द्वारा शाशास्त्रक में दिए जाने वाले अधिकतम अंक	10
कुल अंक	90

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र-

स्नातक	-	प्रदर्शकों का प्रतिशत X 2	
			10
स्नातकोत्तर	-	प्रदर्शकों का प्रतिशत X 2	
			10
डाक्टरेट	-	प्रदर्शकों का प्रतिशत X 5	
			10
कैम्पस/ऑन/ऑनलिन्स			05
समस्त	-		05
अधिकतम	-		80

(B) इण्टरमीडिएट शिक्षकों के लिए गुण विषयक अंक-

समय देव -

(C) हाईस्कूल के अध्यापकों के लिए गुण विषयक अंक-

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक	80
---	----

गणन के लिए प्रत्येक श्रेणी में 100 तक के अधिकतम अंक 10
कुल अंक 90

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आगणन हेतु सूत्र

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक 10
प्राप्तियों का प्रतिशत X 2

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक 10
प्राप्तियों का प्रतिशत X 6

(D) मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के प्रधानाध्यापक व प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए गुण विषयक अंक—

—तदैव—

(E) मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के सहायक अध्यापक व प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राइमरी के सहपाठ अध्यापकों के लिए गुण विषयक अंक—

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक 60
गणन के लिए प्रत्येक श्रेणी में 100 तक के अधिकतम अंक 10

कुल अंक 90

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आगणन हेतु सूत्र—

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक 10
प्राप्तियों का प्रतिशत X 2

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक 10

प्राप्तियों का प्रतिशत X 6

10

परिशिष्ट-घ गुण विषयक अंकों का आगणन करते समय परिशिष्ट घ में उल्लिखित विन्दु 1 से 6 तथा अनुभव प्रमाण पत्र का प्रकृत विलोपित किया जाएगा।


परिशिष्ट-घ के अध्यापकों के परिशिष्ट घ को तदनुसार संशोधित करना होगा।

(डॉ०रणधीर सिंह)
अध्यक्ष, मुख्य सचिव

संख्या-1124/(1)(1) 2017/XXIV-4/2016, तपविनाकित]

प्रति,लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मानिसंरक्षण उत्तराखण्ड देहसंघ।
2. मिर्जा सचिव, माओ मुद्राभांती को माओ मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. मिर्जा सचिव, लक्ष्मी मंत्र को माओ शिक्षा मंत्री जी को अवलोकनार्थ।
4. मिर्जा सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को अवलोकनार्थ।
5. भारत प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, शिक्षण विभाग, उत्तराखण्ड देहसंघ।
7. निदेशक, समापन विभाग, उत्तराखण्ड देहसंघ।
8. जय शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, नैनीताल, पण्डल, नैनीताल।
9. उपर्युक्त संस्थाओं को प्रेषित प्रतिलिपि के माध्यम से।
10. प्रतिलिपि को "सूचना" के माध्यम से प्रेषित।
11. उपर्युक्त संस्थाओं को सूचना एवं कृपया जानकारी देना कि इस आशय से प्रेषित प्रतिलिपि को 30 दिनों के अंदर ही कार्यवाही करने का आदेश है।
12. प्रतिलिपि को उत्तराखण्ड देहसंघ को प्रेषित।
13. मार्ग फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दत्तल)
अपर सचिव।

प्रेषक,

डॉ०रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

30/01/17

2857
16-1-17

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 04 जनवरी, 2017

विषय:- वर्ष 2015-16 में टोकन अनुदान में सम्मिलित किये गये अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 2016-17 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोंपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1657/XXIV-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-1893 XXIV-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रोत्साहन के रूप में टोकन अनुदान में सम्मिलित निम्नांकित तालिका में अंकित 05 विद्यालयों को शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2016-06(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में दिये गये मानकों/शर्तों के अधीन वर्ष 2016-17 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	विद्यालय का नाम/जनपद	शासनादेश संख्या/दिनांक
1.	जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिह्नकुट तिवारीनगर, बिन्दुखत्ता, जनपद नैनीताल।	शासनादेश संख्या-204/XXIV-4/2014, दिनांक 04.03.2014
2.	हिमालय पब्लिक उ०मा०वि० सनगांव काणताल, जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-178/XXIV-4/2015, दिनांक 25.02.2016
3.	श्रीदेव पब्लिक हाईस्कूल अम्बूवाला पथरी, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-658/XXIV-4/2014, दिनांक 22.12.2014
4.	आदर्श इण्टर कालेज संजयनगर, बिन्दुखत्ता, जनपद नैनीताल।	शासनादेश संख्या-130/XXIV-4/2014, दिनांक 20.02.2014
5.	जनता इण्टरमीडिएट कालेज मठियाली क्यारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-391/XXIV-4/2014, दिनांक 20.05.2014

2- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त विद्यालयों द्वारा अनुदान सूची/वेतन अनुदान से सम्बन्धित समस्त मानकों/शर्तों की पूर्ति की गयी है।

3- यह आदेश रिट याचिका संख्या-09/(पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 288 (P) xxvii (3)/2016-17 दिनांक 4, जनवरी, 2017 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

11/1/2017

(डॉ0रणवीर सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या (1)/XXIV-4/2017-6(33) 2014 टी0सी0 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 6- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 7- मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 8- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रदोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- सम्बन्धित विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य।
- 11- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)

अपर सचिव।

संख्या- 47 /xxiv-4/2017-6(17)/2014

प्रेषक,

धीरेन्द्र सिंह दताल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 04 जनवरी, 2017

विषय:- कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, गणेशपुर, रूडकी, जनपद- हरिद्वार को इण्टर स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(03)/30/24210/2016-17 दिनांक 05.11.2016 एवं पत्र संख्या-06(03)/30/11085/2014-15 दिनांक 19.07.2014 का सन्दर्भ ग्रहण कर।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, गणेशपुर, रूडकी, जनपद-हरिद्वार को इण्टर स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप पदों के सृजन हेतु निम्नलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पदों/पदस्थानों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं	पदनाम	वेतनमान	जू0हा0स्कूल से समायोजित पदों की संख्या	सृजित होने वाले पदों की संख्या
0				
1	2	3	4	5
1.	प्रधानाचार्या	रू0 15600-39500 ग्रेड पे- 7600	-	01 पद
2.	प्रवक्ता	रू0 9300-34600 ग्रेड पे-4800	-	10 पद
3.	सहायक अध्यापक (एल0टी0)	रू0 9300-34800 ग्रेड पे-4600	04 पद	03 पद (नवसृजित)
4.	वरिष्ठ लिपिक	रू0 5200-20200 ग्रेड पे-2800	-	01 पद

5.	लैबवियरर			01 पद (आउटसोर्सिंग)
	कुल पद			16 (सोलह पद)

3- उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009, (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

4- उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन पढाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।

6- उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों (परिचारक को छोड़कर) को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

8- यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चाजू फिक्सीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02- माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99 (पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 267 (P)/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 03 जनवरी, 2017 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

संख्या- (1) /XXIV-4/2017-6(1) /2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा०मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 6- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जनपद हरिद्वार।
- 8- जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
- 9- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक।
- 10- वित्त अनुभाग-3 एवं 7 / नियोजन प्रकौष्ठ।
- 11- एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

2797

6-1-17

उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4,

संख्या- /XXIV-4/2017-06(17)/2014,
देहरादून: दिनांक 5 जनवरी, 2017

उज्ज्वल
भाष्यामेव

07.01.2017

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-1657/XXIV-4/2016-06(33)/2015, दिनांक 21.12.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये अशासकीय जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल/इण्टर स्तर के विद्यालयों को प्रोत्साहन के रूप में टोकन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के संलग्नक-3 में इण्टर स्तर के क्रमांक-25 पर अंकित विद्यालय कन्या पाठशाला गणेशपुर, रुड़की, जनपद हरिद्वार को उक्त शासनादेश से विलोपित समझा जाय।

2- उपरोक्त शासनादेश संख्या-1657/XXIV-4/2016-06(33)/2015, दिनांक 21.12.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश को शेष शर्तें/प्रतिबन्ध अन्य विद्यालयों पर यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 48 (1)/XXIV-4/2017-06(17) 2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3-निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4-महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6-सभापति, विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- 7-जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
- 8-अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, चौड़ी।
- 9-मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद हरिद्वार।
- 10-सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 11-वित्त अनुभाग-3 एवं 7/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।

3218
23/03/17

संख्या-282/xxiv-4/2017-6(17)/2014

श्री श्री श्री
प्रेषक,
सेवा में,

महिमा
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय

उप निदेशक
शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 23 मार्च, 2017

विषय-कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, गणेशपुर, रुड़की जनपद हरिद्वार को वित्तीय वर्ष 2016-17 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-134/XXIV-4-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016, शासनादेश संख्या-47/XXIV-4/2017-6(17)/2014 दिनांक 04 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-48/XXIV-4/2017-6(17)/2014 दिनांक 05 जनवरी, 2017 के संदर्भ में अपने पत्रांक 06(03)/30/36662/2016-17, दिनांक 14 मार्च, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालय के संदर्भ में शासनादेश संख्या-134/XXIV-4-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में उल्लिखित शर्तों के अधीन आवश्यक/अग्रोत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अदगत कराने का कष्ट करें।

महोदय,
(महिमा)
उप सचिव।

संख्या- /xxiv-4/2017-06(17)/2014 तददिनांकित-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित।

1. मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद हरिद्वार।

आज्ञा से,
(महिमा)
उप सचिव।

3262
3/3/17

पत्र संख्या 3/अ.म.स./नि.स./वि.शि./2017

डॉ. रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सया म.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

विद्यालयी शिक्षा विभाग

देहरादून: दिनांक 29 मार्च, 2017

महोदय,

आप अवगत हैं कि अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति संबंधी चयन प्रक्रिया शासन के आदेश संख्या-1921/XXIV-4/2017 दिनांक 04.01.2017 द्वारा संशोधन किया गया है। किंतु संज्ञान में लाया गया है कि मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा संशोधित विनियम के आधार पर नियुक्तियों न करते हुए पुराने प्रक्रिया को ही अपनाया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है।

अतः एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों से सम्बंधित चल रही प्रक्रिया का तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाय व इसकी सूचना शासन को प्राप्त की जाय। इसके साथ ही दिनांक 1 जनवरी से अद्यतन अवधि में की गई नियुक्तियों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाय। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(डॉ. रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

निर्देशात्मक पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(डॉ. रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड माध्यमिक

उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4,

संख्या- /XXIV-4/2017-06(45)/2014,
देहरादून: दिनांक 05 अप्रैल, 2017

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-1657/XXIV-4/2016-06(33)/2015, दिनांक 21.12.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से वर्तमान तक अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये अशासकीय जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल/इण्टर स्तर के विद्यालयों को प्रोत्साहन के रूप में टोकन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के संलग्नक-3 में इण्टर स्तर के क्रमांक-17 पर अंकित विद्यालय सर्व गेडया इण्टर कालेज, रोशनपुर, जनपद, उधमसिंहनगर को उक्त शासनादेश से विलोपित समझा जाय।

2- उपरोक्त शासनादेश संख्या-1657/XXIV-4/2016-06(33)/2015, दिनांक 21.12.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध अन्य विद्यालयों पर यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 277 (1)/XXIV-4/2017-06(45) 2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद उधमसिंहनगर।
- 5- मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद उधमसिंहनगर।
- 6- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 7- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश तिवारी)
अनुसचिव।

संख्या: 586/XXIV-3/17/01(11)2007

प्रेषक,

डॉ०रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 27 अप्रैल, 2017

विषय: उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थित सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० नई दिल्ली अथवा राज्य बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रवेश शुल्क एवं काशन मनी (शुल्क) न लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विभिन्न स्तरों से शासन के संज्ञान में आया है कि उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थित कतिपय सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई०, नई दिल्ली अथवा राज्य बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों/संस्थाओं द्वारा छात्र/छात्राओं से प्रत्येक वर्ष अगली कक्षा में अथवा विद्यालय में प्रवेश लेने के उपरान्त एक से अधिक बार प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, साथ ही काशन मनी के नाम से भी अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क के रूप में धनराशि प्राप्त की जा रही है।

2. अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद के अन्तर्गत समस्त सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई०, नई दिल्ली अथवा राज्य बोर्ड से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त विद्यालयों/संस्थाओं को इस आशय से सूचित किया जाय कि किसी भी छात्र/छात्रा के विद्यालय में प्रवेश हो जाने के उपरान्त प्रवेश शुल्क दुबारा न लिया जाय तथा काशन मनी के नाम से कोई धनराशि न ली जाय। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि अभिभावकों/छात्र-छात्राओं से ऐसा कोई शुल्क लिया गया है तो वांछित धनराशि अभिभावकों को तत्काल वापस कराई जाय।

भवदीय,

26/4/2017
(डॉ० रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 586/XXIV-3/17/01(11)2007 तददिनांक.

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1—समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 2—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3—निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4—अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5—अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 6—

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।

संख्या-378/XXIV-4/2017-6(33)2014 टी0सी0

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उपनिवेशिका

Shel
15/7/17
माध्यमिक शिक्षा
विभाग, उत्तराखण्ड

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 13 जुलाई, 2017

विषय:- वर्ष 2015-16 में टोकन अनुदान में सम्मिलित किये गये अशा0 माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 2016-17 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-14/XXIV-4/2017-6(33)2014 टी0सी0 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के संदर्भ में आपके पत्रांक संख्या-06(03)/73/36801/2016-17 दिनांक 14 मार्च 2017 एवं पत्रांक संख्या-06(03)/57/34281/2016-17 दिनांक 13 फरवरी 2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका में अंकित विद्यालयों के सम्मुख क्रमांक-03 पर अंकित शासनादेश के स्थान पर क्रमांक 4 पर अंकित शासनादेशों को संशोधित पढ़ा जाय।

क्र.स.	विद्यालय का नाम/जनपद	शासनादेश सं0/दि0	संशोधित शासनादेश सं0/दि0
1	2	3	4
1	हिमालयन पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सनगांव, काणाताल, जनपद टिहरी गढ़वाल	शासनादेश संख्या 178/XXIV-4/2015 दिनांक 25.02.2016	शासनादेश संख्या 122/XXIV-4/2014-6(3)2014 दिनांक 10.02.2014 एवं शासनादेश संख्या 1271/XXIV-4/2016/6(3)2014 दिनांक 21.12.2016
2	श्री देव पब्लिक हाईस्कूल, अम्बूवाला, पथरी, जनपद हरिद्वार	शासनादेश संख्या 658/XXIV-4/201 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014	शासनादेश संख्या 698/XXIV-4/2014-6(19)2013 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014

2. उक्त शासनादेश संख्या-14/XXIV-4/2017-6(33)2014 टी0सी0 दिनांक 04 जनवरी, 2017 की शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी।

भवदीया,
hish
(महिमा)
उपसचिव।

2. विद्यालय की सोसायटी का यथा प्रक्रिया सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत, अद्यतन नवीनीकृत पंजीकरण होना चाहिए।
3. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के सिद्धान्तों के अनुरूप विद्यालय की प्रशासन योजना अनुमोदित होनी चाहिए।
4. छात्र संख्या—
 - (अ) जूनियर हाईस्कूल स्तर पर— कम से कम 100 छात्र (पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम 75 छात्र)।
 - (ब) हाईस्कूल स्तर पर— कक्षा 9-10 में कम से कम 150 छात्र (पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम 100 छात्र)।
 - (स) इण्टरमीडिएट स्तर पर— कक्षा 11-12 में कम से कम 200 छात्र (पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम 150 छात्र)।
5. भूमि सम्बन्धी— विद्यालय के नाम निर्धारित मानकानुसार भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज अथवा विनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप उपलब्ध होनी चाहिए।
6. भवन सम्बन्धी— विनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित माप एवं संख्या में कक्षा-कक्ष/भवन उपलब्ध होने चाहिए।
7. निकटवर्ती क्षेत्रों में अन्य विद्यालयों की उपलब्धता—
 - (अ) जूनियर हाईस्कूल के लिए— मैदानी क्षेत्रों में 05 किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 03 कि०मी० की परिधि में कोई अन्य जूनियर हाईस्कूल स्थित नहीं होना चाहिए।
 - (ब) हाईस्कूल के लिए— मैदानी क्षेत्रों में 7 कि०मी० तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 5कि०मी० की परिधि में कोई अन्य हाईस्कूल स्थित नहीं होना चाहिए।
 - (स) इण्टरमीडिएट के लिए— मैदानी क्षेत्रों में 10 कि०मी० तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 7 कि०मी० की परिधि में कोई अन्य इण्टरमीडिएट स्तर का विद्यालय स्थित नहीं होना चाहिए।
8. परीक्षाफल— विगत 03 प्रत्येक वर्ष का परीक्षाफल 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक होने चाहिए।
9. विद्यालय के सभी शिक्षक/कर्मचारी समकक्ष राज्य सरकार के विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों के अनुरूप एन०सी०टी०ई०/आर०टी०ई० के अन्तर्गत विहित योग्यताधारी हों तथा विधिवत् व पारदर्शी/व्यापक प्रचारित खुली विज्ञप्ति के चयनोपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदित हों एवं नियमित हों। विद्यालय में नियुक्तियों के संदर्भ में न्यायालय में कोई वाद लम्बित न हों एवं नियमित हों। विद्यालय में नियुक्तियों के संदर्भ में न्यायालय में कोई वाद लम्बित न हो।
10. विद्यालय का अनुशासन उत्तम हो। विद्यालय में पेयजल, शौचालय, क्रीड़ा स्थल व अन्य आवश्यक सुविधाओं की उचित व्यवस्था हो।
11. विद्यालय के लेखे अद्यावधि पूर्ण हों तथा संपरीक्षित हों एवं संपरीक्षा आपत्तियों का निदान किया जा चुका हो।

12. अनुदान स्वीकृति के उपरान्त यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में अनियमितता पायी जाय और अनुदान स्वीकृति के अधिकतम दो वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर न किया जाय तो विद्यालय को अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा तथा अनुदानित कुल राशि विद्यालय/विद्यालय सोसाइटी/सोसाइटी के सदस्यों से सामूहिक अथवा पृथक-पृथक से वसूल की जायेगी जिस हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से भू राजस्व के बकाया/सरकारी धनराशि की वसूली/अनुरक्षण रिकवरी प्रमाण पत्र प्रेषित कर वसूली की जायेगी। अनुदान स्वीकृत करने से पूर्व विद्यालय एवं प्रबन्ध समिति/सोसाइटी द्वारा शर्तों का पालन करने व उनसे वसूली हेतु अनुबन्ध किया जायेगा।
13. प्रबन्ध समिति विवादित न हो तथा न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन न हो।
14. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, संगत विनियमों एवं तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार विद्यालय संचालन किया जाता हो।
15. विद्यालय का संचालन निर्धारित न्यूनतम कार्यदिवसों से कम न हो।
16. विद्यालय का निर्धारित रिजर्व फण्ड (सुरक्षित कोष) एवं इण्डोमेन्ट (प्रभूत कोष) बन्धक हो।
17. प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय सम्पत्ति बन्धक न होने तथा विवादित न होने का प्रमाण पत्र दिया जाना होगा।
18. अभिभावक शिक्षक संघ का विधिवत् गठन हो, कोष का समुचित रख-रखाव हो। विद्यालय में कोई पी0टी0ए0 शिक्षक कार्यरत न हो।
19. विद्यालय का किसी भी स्तर पर पूर्व में अनुदान निलम्बित न रहा हो।
20. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव कि "विद्यालय को प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल इण्टर स्तर पर अनुदान प्रदान किया जाय तथा वे वर्तमान एवं भविष्य में विभाग/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य रहेंगे" देना होगा।
21. अनुदान स्वीकृत करने एवं उसे जारी रखने अथवा समाप्त करने का निर्णय राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं अन्य बिन्दुओं के कम में ले सकेगी, जिस पर, कोई चुनौती/विवाद किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय राज्य सरकार का ही मान्य होगा।
22. अनुदान का निलम्बन—
राज्य सरकार यदि उचित समझे तो निम्न परिस्थितियों में विद्यालय को स्वीकृत अनुदान निलम्बित रखा जा सकता है।
 - (1) विद्यालय में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही हो।
 - (2) प्रबन्ध समिति द्वारा अनुदान हेतु निर्धारित शर्तों का पालन न किया जा रहा हो।
 - (3) राज्य की वित्तीय स्थिति विद्यालय को अनुदान जारी रखने हेतु उपयुक्त न हो।

- (4) विद्यालय का शैक्षिक स्तर निम्न स्तर का हो। हाईस्कूल/इण्टर का परीक्षाफल निरन्तर दो वर्षों में 75 प्रतिशत से न्यून हो।
- (5) शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता की गयी हो।
- (6) प्रबन्ध समिति/सोसाइटी में निरन्तर आपसी विवाद चल रहा हो।

23. अनुदान का निरस्तीकरण-

यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विद्यालय संचालन में अनियमितता की जा रही है अथवा अनुदान हेतु निर्धारित शर्तों का सम्यक अनुपालन नहीं किया जा रहा हो तो राज्य सरकार सम्बन्धित आदेश द्वारा विद्यालय को स्वीकृत अनुदान निरस्त कर सकेगी।

उपरोक्त क्रम में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उपरोक्त निर्धारित मानकों के अन्तर्गत सम्यक परीक्षण करते हुए सुस्पष्ट अभिमत/सन्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

24. यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-179 (P)XXVII(3)/2016-17 दिनांक. 07 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 52 /XXIV-4/2017-10(66)2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० मंत्री, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 7- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
- 9- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक/माध्यमिक) उत्तराखण्ड।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

प्रेषक,

चन्द्र शेखर भट्ट,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

उपरोक्त सेवा 2

934
21/01/17

2017
मध्यमिक शिक्षा
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित

देहरादून: दिनांक 03 जुलाई, 2017

विषय:- प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक सत्रांत लाभ के दौरान अनुमन्य सुविधाओं के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक सेवा-2/प्र0/37780/सत्रांत लाभ/2016-17, दिनांक 21.03.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, एतद्वारा प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक सत्रांत लाभ के दौरान अनुमन्य वार्षिक वेतनवृद्धि/चयन प्रोन्नत वेतनमान/ पदोन्नति व अन्य सेवालाभों के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त सत्रांत लाभ के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-07/xxvii (7)54 /2012, दिनांक 06.06.2012 में स्थापित व्यवस्था स्वतः स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त सत्रांत की अवधि के सेवानैवृत्तिक लाभ एवं वार्षिक वृद्धि हेतु गणना में नहीं लिया जायेगा और न ही उपार्जित अवकाश हेतु इसकी गणना की जायेगी। अतः विषयगत प्रकरण में कृपया तदनुसार आवश्यक अग्रोत्त कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(चन्द्र शेखर भट्ट)
प्रभारी सचिव

473

24/0/2017

संख्या:- /18/XXVII(10)2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

देहरादून: दिनांक 17 अगस्त
जुलाई, 2017

वित्त अनुभाग-10

विषय:- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के कम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0, आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान एवं पेंशन अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या: 25/XXVII(7)द्वि0प्रति0/2009 दिनांक 13.02.2009 द्वारा राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन अनुमन्य किया गया था।

2. उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन विषयक एवं दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राजकीय पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण विषयक

शासनादेश संख्या क्रमशः 266/45/XXVII(10)2016 व 267/45/XXVII(10)2016 दिनांक

30.12.2016 के समस्त मूल सिद्धान्त राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों एवं पेंशनरों (यू0जी0सी0

ए0आई0सी0टी0, आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) पर लागू किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण/शिक्षणोत्तर पेंशनरों को महंगाई भत्ता राज्य सरकार के कार्मिकों/पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते के अनुसार अनुमन्य होगा।

3. इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सम्बन्धित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु सम्बन्धित पेंशनर से आवेदन किये जाने की अपेक्षा न की जाये। पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा राजकीय पेंशनरों हेतु जारी आदेश यथावत लागू किये जायेंगे।

संलग्नक:—यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या:— 173/18/xxvii(10)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 04 सितम्बर, 2017

विषय:-प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अर्ह पी0टी0ए0 शिक्षकों को मानदेय स्वीकृत किया जाना।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1116/xxiv-4/2011-10(04)/2010, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराया जाना है कि उक्त शासनादेश द्वारा 590 पी0टी0ए0 शिक्षकों में से केवल ऐसे अर्ह पी0टी0ए0 शिक्षक जो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत हों और उक्त माध्यमिक विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन द्वारा नियमानुसार रखे गये हों, को रू0 7000/- (रुपये सात हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से मानदेय अनुमन्य किए जाने के निर्देश जारी दिये गये हैं।


2. इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-06(05)58(9)/4142/2017-18 दिनांक 15 मई, 2017 एवं संख्या-06(5)59(01)79520/2013-14 दिनांक 13 फरवरी, 2014 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संख्या-1116/xxiv-4/2011-10(04)/2010, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 द्वारा जारी 590 पी0टी0ए0 शिक्षकों में से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत एवं तत्समय मानदेय से वंचित रह गये अर्ह सूचित 09 पी0टी0ए0 शिक्षकों (सूची संलग्न), जो पूर्वोक्त शासनादेश दिनांक 20-12-2011 की सभी शर्तें पूर्ण करते हों, को रू0 15000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से मानदेय अनुमन्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-68(म0)/xxvii(3)/2017 दिनांक 04 सितम्बर, 2017 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(चन्द्रशेखर भट्ट)
प्रभारी सचिव।

AI)(Sec-1)/AMW
प्रस्ताव संलग्न है।
04.09.2017


04/09/17

संख्या— (1) / XXIV-4 / 2017-10(4) / 2010, तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जनपद हरिद्वार / देहरादून।
9. जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार / देहरादून।
10. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक।
11. वित्त अनुभाग-3 एवं 7 / नियोजन प्रकोष्ठ।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)

अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 679/xxiv-4/2017-10(04)/2010 दिनांक अगस्त, 2017 का संलग्नक 09 (नौ मात्र) पी0टी0ए0 शिक्षकों की सूची:-

1. श्रीमती राधा शर्मा, प्रवक्ता हिन्दी, चौ0 भरत सिंह डी0ए0वी0 इ0का0, झबरेडा, हरिद्वार।
2. श्रीमती बीना नेगी, प्रवक्ता कला, एस0डी0पी0सी0 गर्ल्स इण्टर कालेज, रुड़की, हरिद्वार।
3. श्री विकास गौतम, बी0एस0एम0 इण्टर कालेज, रुड़की, हरिद्वार।
4. श्री शैलेश पन्त, सहायक अध्यापक संस्कृत, बी0एस0एम0 इण्टर कालेज, रुड़की, हरिद्वार।
5. श्री अजीत सिंह, सहायक अध्यापक गणित, सत्यनारायण इण्टर कालेज, मखदूमपुर, हरिद्वार।
6. श्रीमती निधि शर्मा, प्रवक्ता जीव विज्ञान, डा0 हरिराम आर्य, इ0कालेज, मायापुर, हरिद्वार।
7. श्रीमती जागृति पंडित, स0अध्यापक संस्कृत, डा0 हरिराम आर्य, इ0कालेज, मायापुर, हरिद्वार।
8. श्रीमती हेमा अग्रवाल, स0 अध्यापक हिन्दी, आर्य कन्या इण्टर कालेज, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
9. श्रीमती पुष्पा नौटियाल, गोरखा मिलिट्री इण्टर कालेज, देहरादून।


(दिनेश यादव)
अनुसचिव

प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक-

6(5)35 / 17225 - 27 / पी0टी0ए0 / 2017-18 दिनांक 08 सितम्बर, 2017

विषय-

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धतंत्र द्वारा निजी स्रोतों से शिक्षण कार्य हेतु रखे गये पी0टी0ए0 शिक्षकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों द्वारा पी0टी0ए0 द्वारा नियुक्त शिक्षकों को

- | | |
|--|--|
| 1- पत्रांक-6(5) / 35 / 16479-81 / 2016-17 दि० 20.08.2016 | मानदेय की परिधि में लाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी आधी-अधूरी सूचनायें एवं त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव जनपद स्तर से प्रेषित किये जा रहे हैं। जो कि अत्यन्त खेद का विषय है इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1054 / XXIV-4 / 2017-10(70) / 2016 दिनांक 31 अगस्त 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रबन्धतंत्र |
| 2-पत्रांक-6(5) / 35 / 18700-703 / 2016-17 दि० 09.09.2016 | द्वारा निजी स्रोतों से शिक्षण कार्य हेतु रखे गये पी0टी0ए0 शिक्षकों को राजकीय मानदेय की परिधि में लाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1974 / XXIV-4 / 2016-4 (70) / 2016 दिनांक 21 दिसम्बर 2016 एवं शासनादेश संख्या-2074 / XXIV-4 2017-4(70) / 2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं। |
| 3-पत्रांक-6(5) / 35 / 20555-57 / 2018-17 दि० 27.09.2016 | |
| 4-पत्रांक-6(5) / 35 / 22621-23 / 2016-17 दि० 17.10.2016 | |
| 5- पत्रांक-6(5) / 35 / 25194-96 / 2016-17 दि० 15.11.2016 | |
| 6- पत्रांक-6(5) / 35 / 26959-60 / 2016-17 दि० 05.12.2016 | |
| 7- पत्रांक-6(5) / 35 / 31820-22 / 2016-17 दि० 16.01.2017 | |
| 8- पत्रांक-6(5) / 35 / 35228-30 / 2016-17 दि० 25.02.2017 | |
| 9- पत्रांक-6(5) / 35 / 37605-07 / 2016-17 दि० 21.03.2017 | |

द्वारा निजी स्रोतों से शिक्षण कार्य हेतु रखे गये पी0टी0ए0 शिक्षकों को राजकीय मानदेय की परिधि में लाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1974 / XXIV-4 / 2016-4 (70) / 2016 दिनांक 21 दिसम्बर 2016 एवं शासनादेश संख्या-2074 / XXIV-4 2017-4(70) / 2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं।

शासनादेश संख्या-1974 / XXIV-4 / 2016-4 (70) / 2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 द्वारा पी0टी0ए0 शिक्षकों को निम्न प्रतिबन्ध के साथ रू० 10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) मानदेय की परिधि में लाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।


- 1- सम्बन्धित विद्यालय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय हो एवं सम्बन्धित पद नियमानुसार वेतन अनुदान हेतु सृजित किया गया हो।
- 2- नियमानुसार सृजित एवं रिक्त पद के सापेक्ष पी0टी0ए0 शिक्षकों की नियुक्ति नियमानुसार सम्यक प्रक्रिया द्वारा की गयी हो। पी0टी0ए0 शिक्षकों की नियुक्ति में सभी को समान अवसर देते हुए पारदर्शी तरीके से विधि सम्मत प्रक्रिया अपनायी गयी हो।
- 3- सम्बन्धित पी0टी0ए0 शिक्षकों द्वारा पदों के सापेक्ष आवश्यक अर्हता/योग्यता धारित की जा रही हो।
- 4- सम्बन्धित पी0टी0ए0 शिक्षकों को प्रबन्धतंत्र द्वारा पूर्व में बैंक एकाउन्ट के माध्यम से निजी स्रोतों से मानदेय अनुमन्य किया गया हो।
- 5- पी0टी0ए0 शिक्षकों का अध्यापन कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक हो।
- 6- उक्त पी0टी0ए0 शिक्षकों द्वारा भविष्य में स्थायी सेवायोजन की मांग नहीं की जायेगी।
- 7- इस सम्बन्ध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा सम्यक परीक्षण करते हुए ही नियमानुसार मानदेय अनुमन्य किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- 8- प्रश्नगत आदेश रिट याचिका सं०-1604 / एस0एस0 / 2014 माया नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

इसी प्रकार उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-2074 (1)/ XXIV-4/2017-10(70)/2016 दिनांक 03 जनवरी 2017 द्वारा पी०टी०ए० शिक्षकों को राजकीय मानदेय की श्रेणी ग लिये जाने के सम्बन्ध में (cut of Date) अन्तिम तिथि 30.6.2016 निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त शासनादेशों के अनुसार जनपद स्तर पर निम्नवत समिति गठित कर भली-भाँति पी०टी०ए० शिक्षकों के प्रस्तावों का परीक्षण किया जाय।

- | | |
|---|---------|
| (1) मुख्य शिक्षा अधिकारी, | अध्यक्ष |
| (2) जिला शिक्षा अधिकारी(मा०),सदस्य सचिव | |
| (3) वरिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| (4) वित्त अधिकारी | सदस्य |
| (5) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
(कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी) | सदस्य |

समिति द्वारा उक्त शासनादेशों के प्राविधानों के अनुरूप परीक्षणोपरान्त मात्र अर्ह पी०टी०ए० शिक्षकों को मानदेय भुगतान की संस्तुति के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जाय तथा मानदेय हेतु चयनित अर्ह पी०टी०ए० शिक्षकों की सूची निदेशालय को भी प्रेषित की जाय। किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का उत्तदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
संलग्नक—यथापरि।


(आर०के०कुर्वैर)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
देहरादून।

पृ०सं०/06(05)/35/17225-27/2017-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि - 1- उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।

2- मण्डलीय अपर निदेशक मा०शि० गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(आर०के०कुर्वैर)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
देहरादून।

अ+14

6-1-17

उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4,
संख्या- /xxiv-4/2017-10(70)/2016,
देहरादून: दिनांक 03 जनवरी, 2017

होजि माध्यामिक

11/1/2017
19/1/2017

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-1974/xxiv-4/2016-10(70)/2016, दिनांक 21.12.2016 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रथमचतुर्त द्वारा निजी स्त्रियों से शिक्षण कार्य हेतु नियमानुसार नियुक्त अर्ह पी0टी0ए0 शिक्षकों को राजकीय मानदेय की परिधि में लाये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-06(05)/92/29763/2016-17 दिनांक 28.12.2016 द्वारा उक्त पी0टी0ए0 शिक्षकों को राजकीय मानदेय की श्रेणी में लिये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 30.06.2016 की अंतिम तिथि (Cut of Date) निर्धारित की जाती है।

2- उपरोक्त शासनादेश संख्या-1974/xxiv-4/2016-10(70)/2016, दिनांक 21.12.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 2074 (1)/xxiv-4/2017-10(70) 2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
- 6- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ/माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन।
- 8- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र सिंह चतवाल)

अपर सचिव।

संख्या - 1974 / XXIV-4/2016 12(79)/2016

प्रेषक,
डॉ० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

विषय-अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रबन्धतंत्र द्वारा निजी स्रोतों से शिक्षण कार्य हेतु नियमानुसार नियुक्त अर्ह पी0टी0ए0 शिक्षकों को राजकीय मानदेय की परिधि में लाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6(s)/35/15731/PTA/2016-17 दिनांक 11 अगस्त, 2016 के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रबन्धतंत्र द्वारा निजी स्रोतों से शिक्षण कार्य हेतु नियमानुसार नियुक्त अर्ह पी0टी0ए0 शिक्षकों को राजकीय मानदेय की परिधि में सम्मिलित करते हुए रू0 10,000/- प्रतिमाह मानदेय अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- 1- सम्बन्धित विद्यालय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय हो एवं सम्बन्धित पद नियमानुसार वेतन अनुदान हेतु सृजित किया गया हो।
- 2- नियमानुसार सृजित एवं रिक्त पद के सापेक्ष पी0टी0ए0 शिक्षकों की नियुक्ति नियमानुसार सम्यक प्रक्रिया द्वारा की गयी हो। पी0टी0ए0 शिक्षकों की नियुक्ति में सभी को समान अवसर देते हुए पारदर्शी तरीके से विधि सम्मत प्रक्रिया अपनायी गयी हो।
- 3- सम्बन्धित पी0टी0ए0 शिक्षकों द्वारा पदों के सापेक्ष आवश्यक अर्हता/योग्यता धारित की जा रही हो।
- 4- सम्बन्धित पी0टी0ए0 शिक्षकों को प्रबन्ध तंत्र द्वारा पूर्व में बैंक एकाउन्ट के माध्यम से निजी स्रोतों से मानदेय अनुमन्य किया गया हो।
- 5- पी0टी0ए0 शिक्षकों का अध्यापन कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो।
- 6- उक्त पी0टी0ए0 शिक्षकों द्वारा भविष्य में स्थायी सेवायोजन की मांग नहीं की जायेगी।

(2)

- 7- इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा सम्यक परीक्षण करते हुये ही नियमानुसार मानदेय अनुमन्य किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- 8- प्रश्नगत आदेश रिट याचिका संख्या-1604/एस0एस0/2014 माया नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- 9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-...197(P)/XXVII(3)/2016-17 दिनांक...15...दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: /xxiv-4/2016-10(70)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड सहरनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 6- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, देहरादून।
- 9- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश तिवारी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा,
देहरादून।

डा. निदेशिका

2167

2019/12

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 19 सितम्बर, 2017

विषय: जनता इण्टर कालेज, जखेटी, पौड़ी को इण्टर स्तर पर 01 प्रवक्ता गणित एवं 01 प्रवक्ता समाजशास्त्र हेतु वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(3)/792720/2017-2018 दिनांक 05 मई, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1676/XXIV-4/2016-9(7)/2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के क्रम में उक्त विद्यालय को वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2016-6(33)2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में उल्लिखित मानकों/शर्तों के अधीन अनुसूचित अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

डा. निदेशिका
21/9/17

भवदीया,
h341
(महिमा)
उप सचिव

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 18 जुलाई 2017

विषय-फरस्वाण फाट जनता इण्टर कालेज हरमनी दशौली, जनपद चमोली को इण्टर स्तर पर 01 अतिरिक्त प्रवक्ता (भूगोल) पद हेतु वेतन अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक/06(03)/92(1)/33857/2016-17, दिनांक 04 फरवरी, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1577/XXIV-4/2016-6(27)/2013 टी0सी0-III दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के क्रम में उक्त विद्यालय को वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन अनुदान दिये जाने के संबंध में शासनादेश 134/XXIV-4/2016-6(33) 2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में उल्लिखित मानकों/शर्तों के अधीन नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

18/7/17

महिमा)

उप सचिव।

18/7/17

~~दिनांक 14/11/17~~ अपशासकीय

संख्या- 437/xxiv-4/2017-6(45)2014

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2887
28/12/17

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

विषय:- अनुदान सूची में सम्मिलित सर्व इण्डिया इण्टर कॉलेज, रोशनपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को वर्ष 2017-18 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06 (03)/93/1088/2017-18 दिनांक 15.04.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सर्व इण्डिया इण्टर कॉलेज, रोशनपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को वर्ष 2017-18 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत विद्यालय सर्व इण्डिया इण्टर कॉलेज, रोशनपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर जिसे शासनादेश संख्या-1166/xxiv-4/2016-6(45)2014 दिनांक 28.10.2016 द्वारा अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया था, को वर्ष 2017-18 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीया,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या (1)/xxiv-4/2017-6(45) 2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री, मा० शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 4- सभापति, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी जनपद-उधमसिंहनगर।
- 6- अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद-उधमसिंहनगर।
- 8- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
- 9- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2987
4/01/18
2 से
6/1/18

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 03 दिसम्बर, 2018

विषय-आदर्श इण्टर कालेज, संजयनगर, बिन्दुखत्ता, जनपद- नैनीताल को वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने के संबंध में।

होदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 130/xxiv-4/2014-6(9)/2014 दिनांक 20 फरवरी, 2014, शासनादेश संख्या-134/xxiv-4-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016, शासनादेश संख्या-1893/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-14/xxiv-4/2017-6(33)/2014 दिनांक 04 जनवरी, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत विद्यालय द्वारा समस्त मानकों की पूर्ति किये जाने के कम में उक्त शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2014 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में हाईस्कूल स्तर पर वेतन अनुदान दिये जाने की स्थिति में इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान वित्तीय वर्ष 2017-18 के संगत मानक मद में उपलब्ध बजट प्राविधानों के सापेक्ष अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. शासनादेश संख्या-134/xxiv-4-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या- /xxiv-4/2017-06(33)/2014 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

7. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
8. मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक) कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
9. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद-नैनीताल।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2988
6/01/18
2/11/18

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 04 दिसम्बर, 2018

विषय-लक्ष्मण भारती इण्टर कालेज, 4-विष्णु रोड़, जनपद- देहरादून को वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने के संबंध में।

उद्देश्य,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 156/xxiv-4/2014-6(15)/2014 दिनांक 28 फरवरी, 2014, शासनादेश संख्या-134/xxiv-4-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016, शासनादेश संख्या-1657/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-3020/xxiv-4/2017-6(33)/2014 दिनांक 04 जनवरी, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत विद्यालय द्वारा समस्त मानकों की पूर्ति किये जाने के क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 28 फरवरी, 2014 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में हाईस्कूल स्तर पर वेतन अनुदान दिये जाने की स्थिति में इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान वित्तीय वर्ष 2017-18 के संगत मानक मद में उपलब्ध बजट प्राविधानों के सापेक्ष अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. शासनादेश संख्या-134/xxiv-4-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में उल्लिखित शेष शर्तें स्थावत रहेंगी।

भवदीय,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या- /xxiv-4/2017-06(33)/2014 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

4. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2989
06/01/18

(Handwritten signature)
25/1/18

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(Handwritten signature)

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 04 दिसम्बर, 2018

विषय-कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, गणेशपुर, रुड़की, जनपद-हरिद्वार को वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 168/xxiv-4/2014-6(15)/2014 दिनांक 4 मार्च, 2014, शासनादेश संख्या-134/xxiv-4-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016, शासनादेश संख्या-1657/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-48/xxiv-4/2017-6(17)/2014 दिनांक 05 जनवरी, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत विद्यालय द्वारा समस्त मानकों की पूर्ति किये जाने के कम में उक्त शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2014 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में हाईस्कूल स्तर पर वेतन अनुदान दिये जाने की स्थिति में इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान वित्तीय वर्ष 2017-18 के संगत मानक मद में उपलब्ध बजट प्राविधानों के सापेक्ष अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. शासनादेश संख्या-134/xxiv-4-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(Handwritten signature)
29/1/18

भवदीय,

(Handwritten signature)

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या- /xxiv-4 /2017-06(33) /2014 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद हरिद्वार।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।

माध्यमिक

संख्या 187/xxiv-4/2017-06(23)2016

प्रेषक,

डा० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3263
07/2/18

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 06 फरवरी, 2018

विषय: विश्वास रैंड रोज इण्टर कालेज, आनन्द खेड़ा न०-1, दिनेशपुर, गदरपुर, ऊधमसिंहनगर को वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(3)/4/39861/2016-2017 दिनांक 27 मार्च, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1843/XXIV-4/2016-6(23)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 के क्रम में उक्त विद्यालय को वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2016-6(33)2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में उल्लिखित मानकों/शर्तों के अधीन वेतन अनुदान निर्गत करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

श्री आशिष त्वरित कार्यवाही
7/2/18
(उप निदेशक)

भवदीय,

(डा० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

31/2/2018

संख्या 215 /XXIV-4/2017-10(2)

डा० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
निदेशक,
उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा,
देहरादून।

3305
15-2-10

AD (2009)
15-2-12

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 14 जनवरी, 2018

विषय: अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षणोत्तर पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या-6(4)/172/16487/2017-18 दिनांक 04 सितम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय विद्यालयों की भौति प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सृजित चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को यथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग से भरे जाने हेतु आउट सोर्सिंग एजेन्सी नामित कर नियुक्ति सम्बन्धी दिशा-निर्देश दिये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अधीन गठित विनियम, 2009 के अध्याय-दो प्रस्तर-18(क)(1) यथा संशोधित अधिसूचना 274/XXIV-4/2011-1(3)/2010 दिनांक 18 सितम्बर, 2013 में उल्लेख है कि जिन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षणोत्तर पदों को आउटसोर्सिंग द्वारा भरे जाने का प्राविधान है, उन संस्थाओं में इन पदों को आउटसोर्सिंग से भरे जाने हेतु वही नियम/शर्तें होंगी जो राजकीय शिक्षण संस्थाओं में लागू होंगे तथा समय-समय पर प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3- उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 के अध्याय-तीन प्रस्तर-2(1) (क) के अनुसार किसी संस्था में आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं आयु सीमा वही होंगी जो राजकीय विद्यालयों के समकक्षीय कर्मचारियों हेतु समय-समय पर निर्धारित की गयी हों, का प्राविधान विद्यमान है।

अतः शासकीय विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-345/XXIV-2/2017-7(08)/2011 टी0सी0 दिनांक 04 मई, 2017 के अनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

16/1/18

भवदीय,
(डा० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

7981
18/2/19

प्रेषक,

गिरधर सिंह भाकुनी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

अभिषेक

2/12

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 15 फरवरी, 2019

विषय:-आर्य कन्या इण्टर कालेज, बहादुराबाद, हरिद्वार को हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने पर पद सृजन में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(03)/87/26778/2017-18 दिनांक 23 नवम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, बहादुराबाद, हरिद्वार जो शासनादेश संख्या-373/xxiv-4/2015-6(42)2014 दिनांक 11 फरवरी, 2015 के माध्यम से इण्टर स्तर पर अनुदानित है, को हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित कर निम्नलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पदों/पदस्थानों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	प्रधानाध्यापक	वेतन स्तर-8 (47600-151100)	01	पूर्व से जूनियर स्तर के विद्यालय हेतु सृजित प्रधानाध्यापक के पद को समर्पित/समाप्त किया जाता है।
1.	सहायक अध्यापक (एल०टी०)	वेतन स्तर-7 (44900-142400)	07 पद	पूर्व से जूनियर स्तर हेतु सृजित 04 पद का समायोजित एवं 03 नये पदों का सृजन।
कुल योग			07 (सात पद)	

श्री अमित
2/12/19

- 3- उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009, (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
- 4- उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।
- 6- उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 7- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- 8- यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।
- 9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02- माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 10- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99/(पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- 11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-141(म0)/XXVII(3) 2018-19 दिनांक 04 फरवरी, 2019 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरधर सिंह भाकुनी)

उप सचिव।

संख्या- (1) /XXIV-4 /2017- 6(42) /2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल।
- 5- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जनपद हरिद्वार।
- 7- जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
- 8- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
- 9- वित्त अनुभाग-3 एवं 7 / नियोजन प्रकोष्ठ / माध्यमिक शिक्षा अनु-3।
- 10- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)

उप सचिव।

7994
18/2/19

संख्या-243 / xxiv-4 / 2017-6(31) / 2014

प्रेषक,

गिरधर सिंह भाकुनी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कानिमाध्यमिक
2/19

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

31/2/19

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 15 फरवरी, 2019

विषय:-जनता इण्टर कालेज, सुल्तानपुर, हरिद्वार हेतु अतिरिक्त पद सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(03)/75/16728/2016-17 दिनांक 22 अगस्त, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनता इण्टर कालेज, सुल्तानपुर, हरिद्वार जो हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित है, हेतु पूर्व सृजित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पदों/पदस्थानों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, अभिवृद्धि के रूप में सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	सहायक अध्यापक (एल०टी०)	वेतन स्तर-7 (44900-142400)	05 पद
कुल योग			05 (पाँच पद)

3- उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009, (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

4- उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

....2..

22/2/19

- 5- उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।
- 6- उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 7- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- 8- यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।
- 9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02- माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 10- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99/(पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- 11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-142(म0)/XXVII(3)2017-18 दिनांक 05 फरवरी, 2019 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव।

संख्या- (1) /xxiv-4/2017- 6(31) /2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल।
- 5- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जनपद हरिद्वार।

- 7- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
- 8- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 9- वित्त अनुभाग-3 एवं 7/नियोजन प्रकोष्ठ/माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3।
- 10- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)

उप सचिव।

3485
19/03/18

संख्या 344/xxiv-4/2017-3(37)/2016

प्रेषक,

डा० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

उपनिर्वाहक

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 16 जनवरी, 2018

विषय: भगवान शंकर इण्टर कॉलेज, तुगलपुर, खानपुर, हरिद्वार को वित्तीय वर्ष 2017-18 से इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-130/xxiv-4/2017-6(9)/2014 दिनांक 20 फरवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-391/xxiv-4/2017-2(01)/2014 दिनांक 20 मई, 2014 के संदर्भ में अपने पत्रांक संख्या-6(3)/81/29324/2017-18 दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत विद्यालय को इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान दिये जाने हेतु विद्यालय द्वारा समस्त मानकों की पूर्ति किये जाने के दृष्टिगत उल्लिखित वर्णित शासनादेशों के प्रस्तर-10 एवं प्रस्तर 9 को विलोपित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 से संगत मानक मद में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान की सूची में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त शासनादेश संख्या-130/xxiv-4/2017-6(9)/2014 दिनांक 20 फरवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-391/xxiv-4/2017-2(01)/2014 दिनांक 20 मई, 2014 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(डा० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या /xxiv-4/2017-3(37)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद-हरिद्वार।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।

प्रेषक,

डा० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

1126
23/7/18

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा,
देहरादून।

उपनिर्देश माध्यमिक
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 20 जुलाई, 2018

विषय: आर्य कन्या इण्टर काजेल, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को वित्तीय वर्ष 2018-19 से हाईस्कूल स्तर पर वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3020/xxiv-4/2017-6(33)/2014 दिनांक 04 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-147/xxiv-4/2014-6(12)/2014 दिनांक 27 फरवरी, 2014 के संदर्भ में अपने पत्रांक संख्या-6(3)/95/30715/2017-18 दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या-6(3)/95/36799/2016-17 दिनांक 14 मार्च, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत विद्यालय को हाईस्कूल स्तर (कक्षा-9 एवं 10) पर वेतन अनुदान दिये जाने हेतु विद्यालय द्वारा समस्त मानकों की पूर्ति किये जाने के दृष्टिगत उल्लिखित वर्णित शासनादेश दिनांक 27 फरवरी, 2014 के प्रस्तर-10 को विलोपित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 से संगत मानक मद में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष हाईस्कूल स्तर (कक्षा-9 एवं 10) पर वेतन अनुदान की सूची में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त वर्णित शासनादेश संख्या- संख्या-3020/xxiv-4/2017-6(33)/2014 दिनांक 04 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-147/xxiv-4/2014-6(12)/2014 दिनांक 27 फरवरी, 2014 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(डा० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या /xxiv-4/2017-3(37)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद-ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद-ऊधमसिंहनगर।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।

23/7/18

1307
03/8/18

संख्या-452/xxiv-4/2018-6(02)/2016

प्रेषक,

डा० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उपनिष्ठाध्यक्ष

2/8
03/08/18

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 30 जुलाई, 2018

विषय: आदर्श इण्टर कालेज, खेड़ली, बहादुराबाद, हरिद्वार को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(03)/83/100/2017-18 दिनांक 11 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का धृष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त विद्यालय को अनुमन्य किये गये वेतन अनुदान को शासनादेश संख्या-52 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के क्रम में टोकन अनुदान/पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने हेतु प्रकरण को शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

2-- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श इण्टर खेड़ली, बहादुराबाद, हरिद्वार को शासनादेश संख्या-1148/xxiv-4/2016-6(02)/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के द्वारा हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए कतिपय पदों का सृजन किया गया है, को वर्ष 2018-19 से बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(डा० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या-452(1)/xxiv-4/2016-6(02)/2016 तददिनांक

नेलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री को मा० शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सभापति, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रानगर, नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
6. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
8. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।

5/8/18

प्रेषक,

डा० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 01 जुलाई, 2018

विषय: मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित कतिपय रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-वि०प्र०(माध्यमिक)/10058/2018-19 दिनांक 19 जुलाई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त वर्णित रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के प्रकरण पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त लिये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जिन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण/शिक्षणोत्तर कार्मिकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 04 जनवरी, 2017 से पूर्व साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण कर चयन समिति द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक को प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है, उन प्रस्तावों पर मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं उक्त के अतिरिक्त समस्त नियुक्ति प्रक्रिया से सम्बन्धित विज्ञापन निरस्त किये जायें।

भवदीय,

(डा० भूपिन्दर कौर औलख)

सचिव।

संख्या-02/XXIV-4/2018-3(47)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

महिमा

(महिमा)

उप सचिव।

प्रेषक,

डा० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

7776
10/9/18

उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा,
देहरादून।

[Signature]
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 07 अगस्त, 2018

विषय: पब्लिक इण्टर काजेल, तिलखोली, पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय वर्ष 2018-19 से इण्टर विज्ञान वर्ग स्तर पर वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महादय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1790/xxiv-4/2017-9(26)/2015 दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-2072/xxiv-4/2017-9(11)/2014 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में अपने पत्रांक संख्या-8(3)-81/29324/2017-18 दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत विद्यालय को इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार वर्णित विद्यालय द्वारा समस्त मानकों की पूर्ति किये जाने के क्रम में उल्लिखित शासनादेश 21 दिसम्बर, 2016 के संलग्न सूची में इण्टर स्तर के विद्यालयों के क्रमांक-2 पर से वर्णित विद्यालय के नाम को विलोपित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 से समस्त मानक मद में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष इण्टर विज्ञान वर्ग स्तर पर वेतन अनुदान की सूची में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 उक्त शासनादेश संख्या-1790/xxiv-4/2017-9(26)/2015 दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

[Signature]
(डा० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या /xxiv-4/2017-3(37)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 2 मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3 मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद-पौड़ी।

आज्ञा से,

[Signature]
(महिमा)
उप सचिव।

[Signature]
11/9/18

1813
13/9/18

संख्या: XXIV-4/2018-4(03)/2016
देहरादून: दिनांक 12 सितम्बर, 2018

24
14/9/18

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या- 06(03)/65/31877-80/2017-2018 दिनांक 11 जनवरी, 2018 जिसके माध्यम से इण्टर कालेज, काण्डाखाल लंगूर, पौड़ी गढ़वाल हेतु सृजित हाईस्कूल के प्रधानाचार्य के सृजित 01 पद वेतनमान वेतन स्तर-10 को इण्टर स्तर के प्रधानाचार्य वेतनमान (वेतन रु0 78800-209200) वेतन स्तर-12 में तत्काल प्रभाव से सृजित/उच्चीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त विद्यालय हेतु पूर्व में पद सृजन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-168/2014-xxiv-4-6(17)/2014 दिनांक 04 मार्च, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं इस शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-26(म0)/XXVII(3)/2018-19 दिनांक 10 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या: 974(1)/XXIV-4/2018-4(03)/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सभापति/सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. अपर निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
8. मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
10. वित्त अनुभाग-3/7 एवं माध्यमिक शिक्षा अनु-3, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

हिमा

(महिमा)

उप सचिव।

18/9/18

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 26 फरवरी, 2019

विषय: सी0एम0डी0 इण्टर काजेल, चुडियाला, हरिद्वार को इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-130/XXIV-4/2017-6(9)/2014 दिनांक 20 फरवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-391/XXIV-4/2014-2(01)/2014 दिनांक 20 मई, 2014 के संदर्भ में अपने पत्रांक संख्या-6(3)/89/596/2018-19 दिनांक 05 अप्रैल, 2018 एवं पत्र संख्या-6(3)/89/20911/2018-19 दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत विद्यालय को इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु विद्यालय द्वारा समस्त मानकों की पूर्ति किये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-1657/XXIV-4/2016-6(33)/2015 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से अनुमन्य टोकन अनुदान को विलोपित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 से संगत मानक मद में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान की सूची में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त वर्णित शासनादेश संख्या-130/XXIV-4/2017-6(9)/2014 दिनांक 20 फरवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-391/XXIV-4/2014-2(01)/2014 दिनांक 20 मई, 2014 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या /XXIV-4/2017-6(9)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल, पीडी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद-हरिद्वार।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद- हरिद्वार।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव।

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

8104
01/03/19

आर मीनाक्षी सुन्दरम्
1/3/19

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 20 फरवरी, 2019

विषय: श्री सत्य नारायण मंदिर इण्टर कालेज, मखदूमपुर, जिला हरिद्वार को इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-156/14-xxiv-4-6(15)/2014 दिनांक 28 फरवरी, 2014 के संदर्भ में अपने पत्रांक संख्या-माध्यमिक/4259/2018-19 दिनांक 11 मई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत विद्यालय को इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु विद्यालय द्वारा समस्त मानकों की पूर्ति किये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 एवं शासनादेश संख्या-1657/xxiv-4/2016-6(33)/2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से अनुमन्य टोकन अनुदान को विलोपित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 से संगत मानक मद में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान की सूची में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त वर्णित शासनादेश संख्या-156/14-xxiv-4-6(15)/2014 दिनांक 28 फरवरी, 2014 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या /xxiv-4/2017-6(15)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद-हरिद्वार।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद-हरिद्वार।
6. संदर्भित विद्यालय के प्रभु/प्रधानाचार्य।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव।

श्री सुन्दरम्
1/3/19

8105
1/3/19

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड शासन

1/3/19
AM

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 28 फरवरी, 2019

विषय: श्री रवि दत्त बहुगुणा उ0मा0वि0 सेवलाकलां, माजरा, देहरादून को हाईस्कूल स्तर पर वेतन अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-156/14-xxiv-4-6(15)/2014 दिनांक 28 फरवरी, 2014 के संदर्भ में अपने पत्रांक संख्या-माध्यमिक/4259/2018-19 दिनांक 11 मई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत विद्यालय को हाईस्कूल स्तर पर वेतन अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु विद्यालय द्वारा समस्त मानकों की पूर्ति किये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-1657/XXIV-4/2016-6(33)/2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से अनुमन्य टोकन अनुदान को विलोपित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 से संगत मानक मद में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष हाईस्कूल स्तर पर वेतन अनुदान की सूची में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त वर्णित शासनादेश संख्या-156/14-xxiv-4-6(15)/2014 दिनांक 28 फरवरी, 2014 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या /xxiv-4/2017-6(15)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद-देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद-देहरादून।
6. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक प्रधानाचार्य।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव।

मीनाक्षी सुन्दरम्
1/3/19

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3136
07/03/19

उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

विषय: सन्दल सिंह बालिका इण्टर कालेज, हरिद्वार को हाईस्कूल स्तर पर वेतन अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून: दिनांक 06 फरवरी, 2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1456/xxiv-4/2016-6(35)/2015 दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में अपने पत्रांक संख्या-06(03) 92(1)/33857/2016-17 दिनांक 04 फरवरी, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत विद्यालय को हाईस्कूल स्तर पर वेतन अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु विद्यालय द्वारा समस्त मानकों की पूर्ति किये जाने के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 से संगत मानक मद में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष हाईस्कूल स्तर पर वेतन अनुदान की सूची में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त वर्णित शासनादेश संख्या-1456/xxiv-4/2016-6(35)/2015 दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या / xxiv-4 / 2017-6(35) / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद-हरिद्वार।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद- हरिद्वार।

आज्ञा से

(गिरधर सिंह माकुनी)
उप सचिव।

प्रेषक,

गिरधर सिंह भाकुनी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

विषय: आर्य कन्या इण्टर कालेज बहादुराबाद, हरिद्वार को हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

देहरादून: दिनांक 29 मार्च, 2019

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-373/xxiv-4/2015-6(42)/2014 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के संदर्भ में अपने पत्रांक संख्या-6(3)/44/1896/2018-19 दिनांक 18 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एवं शासनादेश संख्या-241/xxiv-4/2019-6(42)/2014 दिनांक 15 फरवरी, 2019 के माध्यम से हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर पर पूर्ण वेतन अनुदान अनुमन्य किया गया है, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत विद्यालय को हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर पर पूर्ण वेतन अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु विद्यालय द्वारा समस्त मानकों की पूर्ति किये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 एवं शासनादेश संख्या-1657/xxiv-4/2016-6(33)/2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से अनुमन्य टोकन अनुदान को विलोपित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 से संगत मानक मद में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर पर पूर्ण वेतन अनुदान की सूची में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त वर्णित शासनादेश संख्या-373/xxiv-4/2015-6(42)/2014 दिनांक 11 फरवरी, 2016 एवं शासनादेश संख्या-241/xxiv-4/2019-6(42)/2014 दिनांक 15 फरवरी, 2019 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव।

1/xxiv-4/2019-6(42)/2014 तददिनांक।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद-हरिद्वार।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद- हरिद्वार।
6. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव।

31/5/19

H/S = 30, GATE-29-59

5200
11/02/16

संख्या-134/XXIV-4/2016-6(33)/2014

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजू
11/2/16

राजू
11-2-16

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 01/2/16 फरवरी, 2016

विषय-अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,



विगत समय-समय पर अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये ऐसे अशासकीय विद्यालयों जिनको अनुदान की स्वीकृति अभी तक नहीं दी जा पाई है, के सम्बन्ध में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-आर0टी0ई0/26995/अनुदान/2014-15 दिनांक 24-2-2015 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-06(03)/92/36254/2014-15 दिनांक 24 फरवरी 2015 तथा तदोपरान्त प्राप्त उनके अन्य पत्रों के आलोक में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में तात्कालिक प्रभाव से इस शासनादेश के संलग्नक 1 से 4 में इंगित कुल 174 अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से संलग्नक-1 की सूची के विद्यालयों को इस शासनादेश के क्रम में तथा संलग्नक-2 की सूची के विद्यालयों को पद सृजन होने व तदोपरान्त नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में वेतन अनुदान देने व संलग्नक-3 की सूची के उन विद्यालयों को जो सभी मानकों की पूर्ति करते हैं, वित्तीय वर्ष 2015-16 में एक-एक लाख टोकन अनुदान एवं जिन विद्यालयों में मानकानुसार कमियाँ इंगित हैं उन्हें कमियाँ पूर्ण कर दिये जाने के उपरान्त वर्ष 2015-16 में एक-एक लाख टोकन अनुदान और संलग्नक-4 में इंगित विद्यालयों के पद सृजन के प्रस्ताव शासन में प्राप्त होने के उपरान्त पद सृजन की कार्यवाही पूर्ण होने तक लम्बित रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित परिस्थितियों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

राजू
11/2/16

.....(2)

- (1) वित्तीय वर्ष 2015-16 में विद्यालयों को वेतन अनुदान इस सम्बन्ध में नियमानुसार सभी कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त तथा टोकन अनुदान की धनराशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मात्र एक बार दी जायेगी।
- (2) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वेतन अनुदान दिये जाने वाले सम्बन्धित सभी विद्यालयों में स्वीकृत पदों पर चयन की कार्यवाही उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप सभी को अयसर देते हुए पारदर्शिता के साथ नियमानुसार सुनिश्चित की गयी हो।
- (3) अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये विद्यालयों में पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी पद्धति से वयनोपरान्त नियुक्त व अनुदान सूची में सम्मिलित विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने की तिथि के पूर्व से कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जो सम्बन्धित पद हेतु विहित शैक्षिक योग्यता एवं चयन के मानक/प्रक्रिया को पूर्ण करते हों, उनका सृजित पदों के सापेक्ष नियमानुसार समायोजन करते हुए अवशेष पदों पर कार्मिकों के चयन के लिये नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी। उक्तानुसार पूर्व से कार्यरत स्टाफ को अनावश्यक हटा कर नई नियुक्तियों नहीं की जायेगी।
- (4) कार्मिकों की नियुक्ति हेतु आरक्षण की पूर्ति समय-समय पर प्रख्यापित शासकीय नियमों के अनुसार सुनिश्चित की गयी हो।
- (5) अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पद सृजित किये जाने विषयक विभिन्न शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध भी सम्बन्धित प्रकरणों में यथा स्थिति लागू होंगे।
- (6) विद्यालयों को वेतन अनुदान दिये की सुविधा राज्य सरकार द्वारा कमी भी बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
- (7) शासन स्तर से स्वीकृत/कुल सृजित पदों की गणना के आधार पर जनशक्ति का निर्धारण यथाशीघ्र कर लिया जायेगा, जिसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (8) विद्यालयों द्वारा विद्यालय के लेखे व खाते (Account and ledger) अनुमन्य मानकों व निर्धारित प्रपत्रों पर नियमानुसार रखे जायेंगे तथा वार्षिक लेखे व तुलन पत्र नियमानुसार तैयार कर वार्षिक लेखे का आडिट कराकर सक्षम स्तर से अनुमोदित कराये जायेंगे तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (9) विद्यालयों के लेखे, वित्तीय लेन देन एवं प्रबन्धन में अनियमितार्य होने, विद्यालय की मान्यता/पदों के सृजन आदि के संबंध में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने, पूर्ति में कमी रहने अथवा अन्य समुचित कारणों से अनुदान किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त किया जा सकेगा।
- (10) स्वीकृत अनुदान की राशि नियमानुसार नियत विद्यालय के बैंक खाते में जमा किया जायेगा एवं निर्धारित प्रक्रिया/नियमों के अनुसार वेतन वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) वेतन अनुदान का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा।
- (12) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से यह प्रमाण पत्र उपलब्ध

.....(3)

✓  

कराय जायेगा कि अनुदानित विद्यालय विगत वित्तीय वर्ष में संचालित रहे ताकि तदनुसार वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-5 खण्ड-1 के अनुच्छेद 369 एच की अपेक्षानुसार महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सके।

(13) यह आदेश रिट याचिका संख्या 99(पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहेगा।

संलग्नक-यथोपरि:-

भवदीय

(एस0 राजू)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-134/XXIV-4/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- सगरस्त जिलाधिकारी / समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर।
- 7- मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 8- रामस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- वित्त अनुभाग-3 / नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।

विद्यालय जिन्हें वित्तीय वर्ष 2015-16 में वेतन अनुदान दिया जाएगा:-

(1) जूनियर हाईस्कूल:-

क्र० सं०	विद्यालय / जनपद का नाम	शासनादेश संख्या / दिनांक	छात्र संख्या-वर्ष 2013-14	परीक्षाफल (प्रतिशत में) वर्ष 2013-14	भूमि का विवरण	अन्युक्ति
1.	सेन्ट एग्नेस इण्टर कालेज, सम्बद्ध प्राईमरी अनुभाग, जनपद देहरादून।	शासनादेश सं०-156/XXIV -4, दिनांक 28.02.2014	318	-	संस्था के पास भूमि है।	सम्बद्ध प्राईमरी विद्यालय होने के कारण परीक्षाफल योजनीय नहीं है।
2.	सनातन धर्म गुरुकुल इण्टर कालेज, सम्बद्ध प्राईमरी, गसुरी देहरादून।	शासनादेश सं०-163/XXIV -4, दिनांक 28.02.2014	303		तदैव	तदैव
3.	आदर्श जूनियर हाईस्कूल डाडापट्टी, भगवानपुर, हरिद्वार।	शासनादेश सं०-130/XXIV-4, दिनांक 20.02.2014	202	100	तदैव	
4.	त्रिचैटैरिक पब्लिक जूनियर हाईस्कूल, मंगलौर। हरिद्वार।	शासनादेश सं०-152/XXIV -4, दिनांक 24.02.2014	192	100	99 वर्ष की लीज डीड पर भूमि है।	
5.	धर्मा जैन इण्टर कालेज, सम्बद्ध प्राईमरी, देहरादून देहरादून।	शासनादेश सं०-152/XXIV -4, दिनांक 28.02.2014	170		संस्था के पास भूमि है।	सम्बद्ध प्राईमरी विद्यालय होने के कारण परीक्षाफल योजनीय नहीं है।
6.	जनता ज्युहाईस्कूल धौलाधार, जनपद टिहरी टिहरीगढ़वाल।	शासनादेश सं०-115/XXIV-4, दिनांक 20.02.2014	150	100	तदैव	
7.	आदर्श ज्यु हाईस्कूल धौलादेवी, अल्मोड़ा।	शासनादेश सं०-691/XXIV -4 दिनांक 31.12.2013	160	100	तदैव	
8.	चौराबा जूनियर हाईस्कूल मनसूना, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-115/XXIV -4, दिनांक 20.03.2014	156	100	तदैव	
9.	महाराणा प्रताप जूनियर हाईस्कूल ग्राम मुण्डेट, हरिद्वार।	शासनादेश सं०-147/XXIV-4, दिनांक 27.02.2014	153	100	तदैव	
10.	सुभाष मैमोरियल जूनियर हाई स्कूल, धौधडी, कवाथपुर, हरिद्वार।	शासनादेश सं०-147/XXIV-4, दिनांक 27.02.2014	151	100	तदैव	
11.	जनता विद्या मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय उपरधार, प्रतापनगर, टिहरी।	शासनादेश सं०-91/XXIV -4, दिनांक 31.01.2014	137	100	तदैव	
12.	जनता ज्युहाईस्कूल ज्युन्दाणा, तिलगना टिहरीगढ़वाल।	शासनादेश सं०-110/XXIV -4, दिनांक 10.02.2014	128	100	तदैव	
13.	शैशली वेलफेयर शिक्षा निकेतन ज्युहाईस्कूल, पत्तझाली, धनौली।	शासनादेश सं०-67/XXIV -4, दिनांक 04.02.2014	126	100	तदैव	
14.	गुरु मन्दिर ज्युहाईस्कूल भगवतीपुरन गुरुकुल हरिद्वार।	शासनादेश सं०-147/XXIV -4, दिनांक 27.02.2014	124	100	तदैव	
15.	भारती शिक्षा निकेतन भयाखोली लोस्तु कीर्तनगर, टिहरी।	शासनादेश सं०-67/XXIV -4, दिनांक	123	88	तदैव	

		04.02.2014					
16	महर्षि दयानन्द जूनियर हाईस्कूल हरिद्वार। खेडाजेट।	शासनादेश सं०-150/XXIV-4, दिनांक 28.02.2014	123	100	तदेव		
17	बलाजी जूहा0स्कूल हरिद्वार। एकेडमी खानपुर,	शासनादेश सं०-110/XXIV -4, दिनांक 10.02.2014	114	100	तदेव		
18	स्वामी रामतीर्थ कन्या विद्यालय, राजपुर रोड सम्बद्ध प्राईमरी, देहरादून देहरादून।	शासनादेश सं०-115/XXIV -4, दिनांक 24.03.2014	114	-	तदेव	सम्बद्ध प्राईमरी विद्यालय होने के कारण परीक्षाफल वीचनीय नहीं है।	
19	आर्यन विद्यामन्दिर जूहा0 स्कूल डाण्डी, शमीपोखरी देहरादून।	शासनादेश सं०-130/XXIV -4, दिनांक 20.02.2014	113	100	तदेव		
20	श्री जूहा0स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन सौंड अन्धबालगाव, टिहरी।	शासनादेश सं०-115/XXIV -4, दिनांक 20.02.2014	113	100	तदेव		
21	कुंवर प्रभा जूनियर हाईस्कूल, लालबाग हरिद्वार।	शासनादेश सं०-91/XXIV-4, दिनांक 31.01.2014	109	100	तदेव		
22	हर्ष विद्या मन्दिर जनता, हाईस्कूल शयसी हरिद्वार।	शासनादेश सं०-204/XXIV-4, दिनांक 04.03.2014	108	100	तदेव		
23	जनता पूर्व मा0वि0 भिटासकाट, बनतीली बागेश्वर	शासनादेश सं०-1182/XXIV -4, दिनांक 10.02.2014	106	100	तदेव		
24	मधुवीप पब्लिक जूनियर हाईस्कूल रोलेखोला देवाल, बनतीली।	शासनादेश सं०-112/XXIV -4, दिनांक 10.02.2014	105	100	तदेव		
25	जगति जूहा0स्कूल धनोल्डी जीगपुर टिहरी।	शासनादेश सं०-110/XXIV -4, दिनांक 10.02.2014	101	100	तदेव		
26	जनता जूहा0स्कूल थाती नैवद्यामी जनपद टिहरी।	शासनादेश सं०-130/XXIV -4, दिनांक 20.02.2014	99	100	तदेव		
27	भारत विद्या मन्दिर उ0प्रा0वि0 नौगाव उत्तरकाशी।	शासनादेश सं० 168/XXIV -4, दिनांक 04.03.2014	98	100	तदेव		
26	भुवनेश्वर जूहा0स्कूल सिरण, कर्णप्रयाग, धर्मोली।	शासनादेश सं०-110/XXIV -4, दिनांक 10.02.2014	98	100	तदेव		
29	नवज्योति पब्लिक जूहा0 स्कूल, नगरासू, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-110/XXIV -4, दिनांक 10.02.2010	96	100	तदेव		
30	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्मारक जूहा0स्कूल मैखण्डा, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-91/XXIV -4, दिनांक 31.01.2014	89	100	तदेव		
31	पब्लिक जूनियर हाईस्कूल घेघडखाल, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-91/XXIV -4, दिनांक 31.01.2014	88	100	तदेव		
32	जनता विन्डून जूहा0 स्कूल, रुमती अगस्वामुनी, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-91/XXIV -4, दिनांक 131.01.2014	88	100	तदेव		
33	साणेश्वर कन्या जूहा0स्कूल, रिलवाडा, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-91/XXIV -4, दिनांक 31.01.2014	97	100	तदेव		
34	राहीद मुसारी सिंहजी जूहा0स्कूल	शासनादेश सं०-91/XXIV -4, दिनांक	87	100	तदेव		

क्र.सं.	विशेष/संस्था का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक	अंकांक	कुल अंकांक	तदर्थ
35.	चिरबटिया, रुद्रप्रयाग। नवदेवी जूहाहा स्कूल कांटा पायो पौड़ी।	31.01.2014 शासनादेश सं-122/ XXIV -4 दिनांक 10.02.2014	86	100	तदर्थ
36.	नवदीप चिल्ड्रेन एकेडमी जनता हाईस्कूल राजावागड धराली, धनोली।	शासनादेश सं-147/ XXIV -4 दिनांक 27.02.2014	86	100	तदर्थ
37.	कारगिल शहीद राम सिंह बुटोला जूहाहा स्कूल, जखियाल, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं-110/ XXIV -4 दिनांक 13.02.2014	85	100	तदर्थ
38.	राधेश्याम जूहाहा स्कूल, गहड, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं-110/ XXIV -4 दिनांक 10.02.2014	85	100	तदर्थ
39.	शहीद दलवीर सिंह राणा जूहाहा स्कूल, धराली (टिहरी)।	शासनादेश सं-67/ XXIV -4 दिनांक 04.02.2014	83	100	तदर्थ
40.	जनता जूनियर हाईस्कूल, उन्नतवुगी, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं-81/ XXIV -4 दिनांक 31.01.2014	82	100	तदर्थ
41.	जनता जूहाहा स्कूल विनगद विरथ कोरवरी धनोली।	शासनादेश सं-115/ XXIV -4 दिनांक 20.02.2014	81	100	तदर्थ
42.	इंदिरा राष्ट्रीय बाल विकास जूनियर हाईस्कूल, गडी श्यामपुर। देहरादून।	शासनादेश सं-147/ XXIV -4 दिनांक 27.02.2014	81	100	तदर्थ
43.	नवदीप चिल्ड्रेन अकादमी जूहाहा स्कूल कमेडो सेडिहाखाल पौड़ी।	शासनादेश सं-168/ XXIV -4 दिनांक 28.02.2014	77	100	तदर्थ
44.	भवज्योति जूहाहा स्कूल पया गौरसैध, धनोली।	शासनादेश सं-110/ / XXIV -4 दिनांक 10.02.2014	76	100	तदर्थ
45.	आदर्श दिक्षा मन्दिर जूहाहा स्कूल चपलोड़ी पायो पौड़ी।	शासनादेश सं-122/ XXIV -4 दिनांक 10.02.2014	76	100	तदर्थ
46.	राजराजेश्वरी पूर्ण माध्यमिक विद्यालय खाल रहण सिलगड, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं-67/ XXIV -4 दिनांक 04.02.2014	75	100	तदर्थ
47.	सिद्धाश्रम जूहाहा स्कूल, बड़भा, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं-67/ XXIV -4 दिनांक 04.02.2014	75	100	तदर्थ
48.	तलाशिला जूहाहा स्कूल काका, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं-110/ XXIV -4 दिनांक 10.02.2014	70	100	तदर्थ

(2) हाईस्कूल -

क्र.सं.	विद्यालय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक	छात्र संख्या-वर्ष 2013-14	परीक्षाफल प्रतिशत में वर्ष 2013-14	भूमि का विवरण	अन्यविवरण
1.	इण्टर कालेज चित्रकूट स्याल्दे अल्मोड़ा।	शासनादेश सं-122/ / XXIV -4 दिनांक 10.02.2014	401	50	संरक्षित के पास भूमि है।	
2.	जूहाहा विद्यालय (खुडेर) नारायणगड।	शासनादेश सं-110/ / XXIV -4 दिनांक 10.02.2014	241	87	तदर्थ	
3.	जनता उमाविद्यालय बुगासीधार टिहरी।	शासनादेश सं-67/ XXIV -4 दिनांक	237	70	तदर्थ	

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.

		04.02.2014				
4	जि० उ०मा० विद्यालय धानगोलू अल्मोडा :	शासनदेश सं०-115 / XXIV-4, दिनांक 20.02.2014	230	77.20	तदेव	-
5	श्री चण्डिका उ०मा०वि० अरुणप्रसाद रुद्रप्रयाग :	शासनदेश सं०-147 / XXIV-4, दिनांक 27	217	52	तदेव	-
6	जन्ता जय भारत उ०मा० वि० आमणीखाल :	शासनदेश सं०-67 / XXIV-4, दिनांक 04.02.2014	205	50	तदेव	-
7	गौरी मैमोरियल पादेलक हाईस्कूल, विजयनगर रुद्रप्रयाग	शासनदेश सं०-156 / XXIV-4, दिनांक 28.02.2014	202	91.30	तदेव	-
8	जीकरानन्द हिमालयन भाण्डेसारी हाईस्कूल जखोली :	शासनदेश सं०-152 / XXIV-4, दिनांक 28.02.2014	197	97	तदेव	-
9	जनता हा०स्कूल द्वासीघर काण्डई दशज्युला :	शासनदेश सं०-115 / XXIV -4, दिनांक 20	165	88.40	तदेव	-
10	स्वामी विवेकानन्द उ०मा०वि० सिमलखेत अल्मोडा :	शासनदेश सं०-91 / XXIV-4, दिनांक 21.01.2014	163	96.15	तदेव	-
11	शिशु विद्यापीठ उ०मा० वि० पिथौरागढ़ :	शासनदेश सं०-163 / XXIV-4, दिनांक 04.03.2014	155	67.74	तदेव	-
12	जनता उ०मा०वि०मणपुर झाका जखोली :	शासनदेश सं०-91/ XXIV-4 दिनांक 31.01.2014	144	42.18	तदेव	-
13	उ०मा०वि० कसारदेवी अल्मोडा :	शासनदेश सं०-163 / XXIV-4, दिनांक 04.03.2014	141	85.29	तदेव	-
14	जनता उ०मा० वि० सुभा भरदार, रुद्रप्रयाग :	शासनदेश सं०-110 / XXIV-4, दिनांक 10.02.2014	134	93.54	तदेव	-
15	जनता उ०मा०वि० लाटाबाबा सिर्सि विकास खण्ड जखोली :	शासनदेश सं०-91 / XXIV-4, दिनांक 31.01.2014	131	91.30	तदेव	-
16	जनता उ०मा०वि० खोली, गैरसैण, चमोली :	शासनदेश सं०-91 / XXIV-4, दिनांक 31.01.2014	125	90.78	तदेव	-
17	कारगिल शहीद गमरीराम मैमोरियल हाईस्कूल किमोली, देवीघर :	शासनदेश सं०-119 / XXIV-4, दिनांक 19.02.2014	123	82.75	तदेव	-
18	श्री लाल बहादुर शास्त्री उ०मा०वि० सागड़ अल्मोडा :	शासनदेश सं०-204 / XXIV-4, दिनांक 04.03.2014	123	64	तदेव	-
19	अम्बेश्वरी ज०उ०मा०वि० हुल्मानखाल हिम्नाद, टिहरी :	शासनदेश सं०-58 / XXIV-4, दिनांक 28.02.2014	114	97	तदेव	-
20	ज०उ०मा०वि० प्युरा गैरसैण, चमोली :	शासनदेश सं०-130 / XXIV-4, दिनांक 20.02.2014	108	51	तदेव	-
21	ऋषिकुल उ०मा०वि० कई पौटी नारायणखण्ड :	शासनदेश सं०-152 / XXIV-4, दिनांक 28.02.2014	101	73.33	तदेव	-
22	जनता उ०मा०वि०	शासनदेश सं०-122	98	65	तदेव	-

✓	सरकोट, नन्दकेशरी, देवाल।	/ XXIV-4, दिनांक 10.02.1014			
23	ज०उ०मा०वि० गोरगा धार डंगवान भात रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-147 / XXIV-4, दिनांक 27.02.2014	94	100	तदेव
24	ज०उ०मा०वि० गैरधारम, गारायणबगड।	शासनादेश सं०-122 / XXIV-4, दिनांक 10.02.1014	81	87.74	तदेव
25	विद्या आसन हा०स्कूल देवीपुर उमेवपुर देहरादून।	शासनादेश सं०-115 / XXIV-4, दिनांक 20.02.2014	81	55.81	तदेव
26	जनता उ०मा०वि० बमोथ, पोखरी।	शासनादेश सं०-100 / XXIV-4, दिनांक 08.02.1014	78	82.85	तदेव
27	ज०उ०मा०वि० शिलगड भगना, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-112 / XXIV-4, दिनांक 10.02.1014	65	86	तदेव
28	ज०उ०मा० वि०कालू मौण।	शासनादेश सं०-204 / XXIV-4, दिनांक 04.03.1014	46	69.30	तदेव
29	उ०मा०वि० त्रिपुरादेवी विधौरगड।	शासनादेश सं०-110 / XXIV-4, दिनांक 10.02.1014	41	80	तदेव

(3) इण्टरमीडिएट:-

क्र. सं०	विद्यालय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक	छात्र संख्या-वर्ष 2013-14	परीक्षाफल प्रतिशत में वर्ष 2013-14	बुमि क विवरण	उत्पुक्ति
1.	राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज भलसदागाँव, हरिद्वार।	शासनादेश सं०-91 / XXIV-4, दिनांक 31.01.2014	1492	58	सरथा के पास बुमि है।	
2.	श्री जी०पी०पी० आर्य कन्या इ०का० रागनगर, नैनीताल।	शासनादेश सं०-112 / XXIV-4, दिनांक 10.02.2014	1164	85.50	तदेव	
3.	सी०डी०इ०का० भगवानपुर हरिद्वार।	शासनादेश सं०-166 / XXIV-4, दिनांक 04.03.2014	896	81	तदेव	
4.	संजय पब्लिक इ०का० कारभारी ग्रान्ट बुड्डी जनपद देहरादून।	शासनादेश सं०-91 / XXIV-4, दिनांक 31.01.2014	686	90	तदेव	
5.	गुरु राम राय इ०का० भाऊवाला देहरादून।	शासनादेश सं०-91 / XXIV-4, दिनांक 31.01.2014	639	82.80	तदेव	
6.	किसान इ०का० बहलपुर हरिद्वार।	शासनादेश सं०-147 / XXIV-4, दिनांक 27.02.2014	650	58.20	तदेव	
7.	दयानन्द इ०का० नुमाँ नगर देहरादून।	शासनादेश सं०-204 / XXIV-4, दिनांक 04.03.2014	530	96	तदेव	
8.	लाला ओमप्रकाश कन्या इ०का० लालकाग, हरिद्वार।	शासनादेश सं०-91 / XXIV-4, दिनांक 31.01.2014	440	55.56	तदेव	
9.	इ०का० काण्डखाल लंगूर पौडी।	शासनादेश सं०-166 / XXIV-4, दिनांक 04.03.2014	440	53	तदेव	

10.	ज०इ०का० धरिङ्गवाल, गिरसिंग	शासनादेश सं०-110 / XXIV-4, दिनांक 10/ 02.2014	439	80.62	तदेव	-
11.	धरिङ्गका देवी ज०इ०का० कान्छा मैयुस, घनोली।	शासनादेश सं०-122 / XXIV-4, दिनांक 20/ 02.2014	385	65	तदेव	-
12.	चिन्जन एकडेमी इ०का० अमरस्थामुनी।	शासनादेश सं०-31 / XXIV-4, दिनांक 31/ 02.2014	382	98	तदेव	-
13.	श्रीकसा अमजाते कृषि इ०का० शीशगवाडा, देहरादून।	शासनादेश सं०-204 / XXIV-4, दिनांक 04/ 03.2014	371	95	तदेव	-
14.	इण्टर कालेज क्योली, अनपद बागेशर।	शासनादेश सं०-204 / XXIV-4, दिनांक 04/ 03.2014	353	100	तदेव	-
16.	ज०इ०का० ल्याली, (गमवाडस्यै) पौडी।	शासनादेश सं०-156 / XXIV-4, दिनांक 26/ 02.2014	345	80.70	तदेव	-
18.	इण्टर कालेज खिरखेत, अल्मोडा।	शासनादेश सं०-204 / XXIV-4, दिनांक 04/ 03.2014	313	54.54	तदेव	-
17.	कन्वेषन फाट ज०इ०का० हरमनी दशोली।	शासनादेश सं०-91 / XXIV-4, दिनांक 31/ 01.2014	301	76.18	तदेव	-
18.	आय कन्या इ०का० अल्मोडा।	शासनादेश सं०-102 / XXIV-4, दिनांक 08/ 02.2014	265	74.80	तदेव	-
18.	कृषि इण्टर कालेज विजयपुर पाटिया, अल्मोडा।	शासनादेश सं०-119 / XXIV-4, दिनांक 10/ 02.2014	241	68.20	तदेव	-
20.	ज०इ०का० दुर्गादेवी भारायणभगड।	शासनादेश सं०-122 / XXIV-4, दिनांक 10/ 02.2014	210	77.7	तदेव	-
21.	नागेन्द्र इ०का० बजौरा नस्या रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-381 / XXIV-4, दिनांक 20/ 05.2014	208	84.61	तदेव	-
22.	अनता इ०का० देवीघाट पोल्खा(धौरी) रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-168 / XXIV-4, दिनांक 04/ 03.2014	186	52.05	तदेव	-
23.	ज०इ०का० लियारखाल पौडी।	शासनादेश सं०-156 / XXIV-4, दिनांक 26/ 02.2014	175	85.60	तदेव	-
24.	सुशीला देवी ज०इ०का० सिवाई पोखरी।	शासनादेश सं०-91 / XXIV-4, दिनांक 31/ 01.2014	161	100	तदेव	-
25.	प० दीनदयाल लपाध्यय इ०का० इन्द्रपुरी बाराकोट।	शासनादेश सं०-204 / XXIV-4, दिनांक 04/ 03.2014	154	34.40	तदेव	-
26.	पेन्खण्डा इ०का० सलूडबूंगा, जोशीमठ	शासनादेश सं०-99 / XXIV-4, दिनांक 08/ 02.2014	147	88.69	तदेव	-
27.	शहीद भवानी दत्त उ०भा०वि० चैपडो थराली, चमोली।	शासनादेश सं०-391 / XXIV-4, दिनांक 20/ 05.2014	140	76.26	तदेव	-
28.	अमर शहीद हिमल सिंह नेगी इ०का०, बरसवाडा।	शासनादेश सं०-91 / XXIV-4, दिनांक 31/ 01.2014	135	94.29	तदेव	-

विद्यालय जिनमें पदों के सृजन के उपरान्त वर्ष 2015-16 में वेतन अनुदान दिया जायेगा:-

(1) जूनियर हाईस्कूल:-

क्र० सं०	विद्यालय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक	छात्र संख्या- वर्ष 2013-14	परीक्षाफल प्रतिशत में वर्ष 2013-14	भूमि का विवरण	अभ्युक्ति
1	हिमालयन कन्या जूनियर हाईस्कूल बुलानाखाल जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या- 118/XXIV-4/2014 दिनांक 19.02.2014 द्वारा उक्त विद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है।	103	100	संस्था के पास भूमि है।	प्रस्ताव प्राप्त है। पद सृजन की कार्यवाही विचाराधीन है।
2	जनतः जखवाली जनपद गढ़वाल।	शासनादेश संख्या- 163/XXIV-4/2014 दिनांक 04.03.2014 द्वारा उक्त विद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है।	99	100	तदैव	तदैव
3	किसान प्राथमिक विद्यालय उच्च तिलियापुर, बसगर, उधमसिंह नगर।	शासनादेश संख्या- 204/XXIV-4/2014 दिनांक 04.03.2014 द्वारा उक्त विद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है।	91	100	तदैव	तदैव
4	आकाशानन्द निकेतन देवदर्शनी, कांथाताल टिहरीगढ़वाल।	शासनादेश सं०- 152/XXIV-4, दिनांक 28.02.2014	81	100	तदैव	तदैव
5	जय गुरुदेव विद्यालय हिण्डोलखाल, जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या- 204/XXIV-4/2014 दिनांक 04.03.2014 द्वारा उक्त विद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है।	80	100	तदैव	तदैव
6	वोक्ता बालिका हाईस्कूल, जनपद पैड़ी।	शासनादेश संख्या- 168/XXIV-4/2014 दिनांक 04.03.2014 द्वारा उक्त विद्यालय को अनुदान सूची में	81	100	तदैव	तदैव

संश्लेषित किया गया है।

(2) हाईस्कूल:-

क्र० सं०	विद्यालय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक	छात्र संख्या-वर्ष 2013-14	परीक्षाफल प्रतिशत में वर्ष 2013-14	भूमि का विवरण	अभ्युक्ति
1.	हिमालयन ज० उ० मा०वि० चमियाला जनपद टिहरीगढ़वाल।	शासनादेश सं०-147/XXIV-4, दिनांक 27.02.2014	328	99.87	संस्था के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध है।	प्रस्ताव प्राप्त है। पद सृजन की कार्यवाही विचाराधीन है।
2.	जय मा०वि० कानिया रामनगर नैनीताल।	शासनादेश सं०-112/XXIV-4, दिनांक 10.02.2014	285	100	तदेव	तदेव
3.	दून माडल हाईस्कूल चुन्तोवाल, जनपद देहरादून।	शासनादेश संख्या-204/XXIV-4/2014 दिनांक 04.03.2814	173	82.61	तदेव	तदेव
4.	आचार्य नरेन्द्र देव उ० मा०वि० मेसियाछाना जनपद अल्मोड़ा।	शासनादेश संख्या-122/XXIV-4/2014 दिनांक 10.02.2814	158	92.03	तदेव	तदेव
5.	सरदार वटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खीरा दुर्ग जनपद बागेश्वर।	शासनादेश संख्या-163/XXIV-4/दिनांक 04.03.2814।	125	83.37	तदेव	तदेव
6.	नारैन्द्र जन्ता उ० मा० वि० धौलधार नैनीताल जनपद टिहरीगढ़वाल।	शासनादेश संख्या-204/XXIV-4/2014 दिनांक 04.03.2014	102	86.36	तदेव	तदेव

(3) इण्टरमीडिएट:-

क्र० सं०	विद्यालय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक	छात्र संख्या-वर्ष 2813-14	परीक्षाफल प्रतिशत में वर्ष 2013-14	भूमि का विवरण	अभ्युक्ति
1.	पूरन सिंह मोहन सिंह मेहरा इ०का० कुंभरपुर गेलापार,	शासनादेश सं०-204/XXIV-4, दिनांक 04.03.2014	610	50	संस्था के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध है।	प्रस्ताव प्राप्त है। पद सृजन की कार्यवाही विचाराधीन है।
2.	नात्येश्वरी देवी मैमोरियल इ०का० होशियारी मण्डिर रायवाला देहरादून।	शासनादेश सं०-152/XXIV-4, दिनांक 28.02.2014	318	82.61	तदेव	तदेव
3.	कन्या पाठशाला लड़की मणेशपुर जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-168/XXIV-4/2014 दिनांक 04.03.2814	309	-	तदेव	तदेव

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

विद्यालय जिनमें भूमि अथवा अन्य कारणों से मानक की कठिनाई के कारण मानक/कमियां पूर्ण किये जाने के उपरान्त छी वर्ष 2015-16 में टोकन अनुदान दिया जाना होगा:-

(1) जूनियर हाईस्कूल:-

क्र. सं०	विद्यालय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक	छात्र संख्या-	परीक्षाफल प्रतिशत में वर्ष 2015-14	भूमि का विवरण	अभियुक्ति
1.	हुसैनिया जूनियर हाईस्कूल, मरगुबपुर, हरिद्वार।	शासनादेश सं०-812 / XXIV -4 दिनांक 19.03.2015	237	100	संस्था के पास भूमि है।	-
2.	ग्रामीण विद्या निकेतन जूनियर हाईस्कूल, मन्नारखेड़ी हरिद्वार।	शासनादेश सं०-168 / XXIV -4 दिनांक 04.03.2014	140	100	-	कतिपय शिकायती के दृष्टिगत जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा जांच कराते हुए अग्रिम आदेशों तक विद्यालय को अनुदान सूची के लिए निलम्बित रखा गया है।
3.	गुरुनानक जूनियर हाईस्कूल, कुदरपुर, सिसैया, सितारागंज, उधमसिंहनगर।	शासनादेश सं०-285 / XXIV -4 दिनांक 18.06.2015।	135	100	तदैव	-
4.	इंदिरा राष्ट्रीय बाल विकास जूनियर हाईस्कूल, रायवाल गांव, येहरादूल।	शासनादेश सं०-147 / XXIV -4 दिनांक 27.02.2014	115	100	संस्था के पास भूमि उपलब्ध नहीं है।	संस्था किराये के भवन पर संचालित है।
5.	ग्रीनलेण्ड चिल्ड्रन एकेडमी, जूहाठ स्कूल, डेईवाला, येहरादूल।	शासनादेश सं०-130 / XXIV -4 दिनांक 20.02.2014	91	100	संस्था के पास भूमि उपलब्ध नहीं है।	संस्था किराये के भवन पर संचालित है।
6.	शहीद हरीश आदर्श बाल विद्यालय पौड़ी।	शासनादेश सं०-91 / XXIV -4 दिनांक 31.01.2014	89	-	तदैव	परीक्षाफल प्राप्त नहीं है।
7.	रघु खीम सिंह पूग्गा बाल विद्यालय मगला तराई, कालापुल खटीमा, उधमसिंहनगर।	शासनादेश सं०-87 / XXIV-4 दिनांक 04.02.2014	78	100	संस्था के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध है।	-
8.	जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय विवारीनगर, मेनीताल।	शासनादेश सं०-204 / XXIV -4 दिनांक 04.03.1014	78	100	भूमि का स्वामित्व नहीं है।	विद्यालय वन भूमि में अवस्थित है।
9.	मानवता उ०प्र०वि० गाधीनगर, विन्डुखत्ता लालकुआ।	शासनादेश सं०-67 / XXIV -4 दिनांक 04.02.1014	78	100	तदैव	विद्यालय वन भूमि में अवस्थित है।
10.	आदर्श जू० हा० स्कूल श्यामपुर, हरिद्वार।	शासनादेश सं०-156 / XXIV -4 दिनांक 28.02.2014	78	100	तदैव	संस्था किराये के भवन पर संचालित है।
11.	श्रीमती पद्मा पूर्व मा०वि०	शासनादेश सं०-152 /	53	100	तदैव	-

	बैला, चम्पावदी।	शासनादेश सं-147 / XXIV -4, दिनांक 27 02.2014	21	100	तदैव	छात्र संख्या निर्धारित भागक (25) से न्यून है।
--	-----------------	--	----	-----	------	--

(2) हाईस्कूल:-

क्र सं०	विद्यालय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक	छात्र संख्या- वर्ष 2013-14	परीक्षाफल प्रतिशत में वर्ष 2013-14	भूमि का विवरण	अभ्युक्ति
1.	श्री देव पब्लिक हाईस्कूल अम्बवाला पथरी, हरिद्वार।	शासनादेश सं-698 / XXIV -4, दिनांक 22 12.2014	568	74.08	संस्था के पास भूमि उपलब्ध है।	-
2.	हाट कालिका इ०का० बिन्दुखत्ता, नैनीताल।	शासनादेश सं-204 / XXIV -4, दिनांक 04 03.2014	440	50	भूमि का स्वामित्व नहीं है।	वन भूमि में अवस्थित है।
3.	आर्य कन्या उ० मा० वि० रुद्रपुर, उधमसिंगर।	शासनादेश सं-147 / XXIV -4, दिनांक 27 02.2014	304	73	संस्था के पास भूमि उपलब्ध है।	-
4.	श्री संवदत्त बहुगुणा उ० मा० वि० सेदलाकला, भाजस, देहरादून।	शासनादेश सं-156 / XXIV -4, दिनांक 20 02.2014	267	52	तदैव	-
5.	शुरकण्डा इण्टरमीडिएट कालेज जडीपानी, धरूरी, देहरादून।	शासनादेश सं-147 / XXIV-4, दिनांक 27.02.2014	171	-	तदैव	परीक्षाफल की सूचना उपलब्ध नहीं है।
6.	उ०मा०वि० पथरखोला, अःमोड़ा।	शासनादेश सं-122 / XXIV -4, दिनांक 10.02.2014	148	08	संस्था के पास भूमि उपलब्ध है।	-
7.	ज०उ०मा०वि० रंगघाट जखवाड़ी रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं-130 / XXIV -4, दिनांक 20 02.2014	134	-	तदैव	परीक्षाफल की सूचना उपलब्ध नहीं है।
8.	बालिका उ०मा०वि० तिवारीनगर बिन्दुखत्ता नैनीताल।	शासनादेश सं-122 / XXIV -4, दिनांक 10, 02.2014	130	-	भूमि का स्वामित्व नहीं है।	वन भूमि में अवस्थित है।
9.	सरस्वती उ० मा०वि० रानीखेत जनपद अल्मोड़ा।	शासनादेश सं-204 / XXIV -4, दिनांक 04.03.2014	129	62	विद्यालय के पास 14.30 का मी० भूमि है।	भूमि छावनी परिषद रानीखेत के क्षेत्राधिकार में है।
10.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० धनश्याम खतावाल प० इ०का० असनखेत पौड़ी।	शासनादेश सं-147 / XXIV -4, दिनांक 27.02.2014	97	85	संस्था के पास भूमि है।	-
11.	उ०मा०वि० लहड़सैण पौड़ी।	शासनादेश सं-156 / XXIV -4, दिनांक 28, 02.2014	03	-	तदैव	परीक्षाफल प्राप्त नहीं है।
12.	बानू उ०मा०वि० इन्द्रानगर बिन्दुखत्ता नैनीताल।	शासनादेश सं-204 / XXIV -4, दिनांक 04 03.2014	-	-	संस्था वन भूमि में अधिलेखित है।	परीक्षाफल/छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है।

(3) इण्टरमीडिएट:-

क्र. सं.	विद्यालय / जनपद का नाम	शासनादेश संख्या / दिनांक	छात्र संख्या- वर्ष 2013-14	परीक्षाफल प्रतिशत में वर्ष 2013-14	भूमि का विवरण	अन्यविवरण
1.	सत्यनारायण मन्दिर इका0 मखदूमपुर, हरिद्वार	शासनादेश सं0-56 / XXIV -4, दिनांक 28.02.2014	1166	82.50	सरथा के पास भूमि है।	-
2.	डा0 वी0आर0 अम्बेडकर इका0 गढमीरपुर, हरिद्वार।	शासनादेश सं0-324 / XXIV -4, दिनांक 02.02.2014	1032	55.57	तदैव	-
3.	सी0एम0डी0 इका0 चुड़ियाला, हरिद्वार।	शासनादेश सं0-130 / XXIV -4, दिनांक 20.02.2014	983	56	तदैव	-
4.	श्री मारवाण कन्या प्रोडेंसरी इका0 रुडकी, हरिद्वार।	शासनादेश सं0-751 / XXIV -4, दिनांक 07.05.2015	965	90	तदैव	-
5.	आर्य कन्या इण्टर कालेज महाधरगढ, हरिद्वार।	शासनादेश सं0-373 / XXIV -4, दिनांक 11.02.2015	883	89	तदैव	-
6.	कन्या इका0 भाटकोट पिथौरागढ।	शासनादेश सं0-115 / XXIV -4, दिनांक 20.02.2014	885	-	तदैव	परीक्षाफल प्राप्त नहीं है।
7.	आर0एस0 दिल्ली जनता इण्टर कालेज महादेव नगर कशीपुर जनपद उधमसिंहनगर।	शासनादेश सं0-110 / XXIV -4, दिनांक 10.02.2014	738	52.80	तदैव	-
8.	भगवान शंकर इण्टर कालेज तुपलपुर, खानपुर।	शासनादेश सं0-391 / XXIV -4, दिनांक 20.05.2014	541	82	तदैव	भूमि के संबंध में प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही विधायकीन है।
9.	आदर्श इण्टर कालेज संजयनगर बिन्दूखता मैनीताल।	शासनादेश सं0-130 / XXIV -4, दिनांक 20.02.1314	523	71.30	तदैव	यन क्षेत्र की भूमि में अयस्थित है।
10.	राणा प्रताप इका0 खटीमा, उधमसिंहनगर।	शासनादेश सं0-1172 / XXIV -4, दिनांक 30.05.2015	454	61	तदैव	-
11.	महात्मा गांधी स्मारक इका0 चनौदा, जनपद अल्मोडा।	शासनादेश सं0-222 / XXIV -4, दिनांक 16.05.2015	442	50	तदैव	-
12.	लक्ष्मण भारतीय इका0, 04 विष्णु रोड देहरादून।	शासनादेश सं0-156 / XXIV -4, दिनांक 28.02.2014	385	57.30	तदैव	-
13.	इण्टर कालेज टिटरी पुरना अल्मोडा।	शासनादेश सं0-118 / XXIV-4, दिनांक 19.02.2014	216	90	तदैव	-
14.	इण्टर कालेज फरसाली बानेश्वर	शासनादेश सं0-152 / XXIV V-4, दिनांक 28.02.2014	189	-	तदैव	परीक्षाफल प्राप्त नहीं है।
15.	ज0इ0का0 मठियाली क्यारी टिहरी गढवाल।	शासनादेश सं0-391 / XXIV -4, दिनांक 20.05.2014	100	-	तदैव	विद्यालय वर्ष 2013-14 में इण्टर स्तर पर वित्तविवीन

2/ [Signatures] 14/11/14

						मान्यता प्रदान किये जाने के कारण परीक्षाफल याचनीय है।
15.	सरस्वती झ0 का0 अनन्तपुरी खटौली, धरमावत।	शासनादेश सं0-152 / XXIV -4, दिनांक 28.02.2014	96	50	तदेव	
17.	जनता झ0का0 बाजना अल्मोडा।	शासनादेश सं0-815 / XXIV -4, दिनांक 25.12.2014	84	71.73	तदेव	
16.	किसान इण्टर कालेज पीरूमदास रामनगर।	शासनादेश सं0-112 / XXIV -4, दिनांक 10.02.2014	-	91.70	तदेव	उत्तर सत्रमा की सूचना प्राप्त नहीं है।
18.	इण्टर कालेज दफौट बागौर।	शासनादेश सं0-156 / XXIV -4, दिनांक 28.02.2014	-	-	-	विद्यालय को इण्टर नोटिफेट स्तर पर वित्त विहीन मान्यता प्राप्त नहीं है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

विद्यालय जिनके प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण अनुदान नहीं दिये जाने का निर्णय/लम्बित रखा गया है:-

(1) जूनियर हाईस्कूल:-


क्र. सं०	विद्यालय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक	छात्र संख्या-वर्ष 2013-14	परीक्षाफल प्रतिशत में वर्ष 2013-14	भूमि का विवरण	अभ्युक्ति
1	नवदीप अग्रज चिस्लून एकेडमी जूहोहा स्कूल रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-163 / XXIV -4. दिनांक 04.03.2014	-	-	-	प्रस्ताव अप्राप्त है।
2	विवेकानन्द शिक्षा निपेतान जूहोहा स्कूल रुड़की।	शासनादेश सं०-156 / XXIV -4. दिनांक 28.02.2014	-	-	-	प्रस्ताव अप्राप्त है।
3	दोण जूहोहा स्कूल डोईवाला देहरादून।	शासनादेश सं०-168 / XXIV-4. दिनांक 04.03.2014	-	-	-	प्रस्ताव अप्राप्त है।
4	इन्दिरा राष्ट्रीय सोझा जनजाति जूहोहा स्कूल मेदनीपुर एव यदीपुर, एव पिपरपुर, देहरादून।	शासनादेश सं०-156/ XXIV -4. दिनांक 28.02.2014	-	-	-	प्रस्ताव अप्राप्त है।
5	आर. अग्नेडकर जूहोहा डारसिल, पनरियांग टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश सं०-147 / XXIV-4. दिनांक 27.02.2014	-	-	-	प्रस्ताव अप्राप्त है।
6	इन्दिरा गांधी पूर्व नगरी लैंगो मिला टिहरी।	शासनादेश सं०-168 / XXIV -4. दिनांक 04.03.2014	-	-	-	प्रस्ताव अप्राप्त है।
7	अचुल माईल तिलयाड़ा, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-147 / XXIV-4. दिनांक 27.02.2014	-	-	-	प्रस्ताव अप्राप्त है।

(2) हाईस्कूल :-

क्र. सं०	विद्यालय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक	छात्र संख्या-वर्ष 2013-14	परीक्षाफल प्रतिशत में वर्ष 2013-14	भूमि का विवरण	अभ्युक्ति
1	नरेश विद्या नन्दिर, रुद्रप्रयाग।	शासनादेश सं०-147/ XXIV-4. दिनांक 27.02.2014	-	-	-	प्रस्ताव अप्राप्त
2	उमाश्री कर्म, उद्यनसिंहनगर।	शासनादेश सं०-204/ XXIV-4. दिनांक 04.03.2014	-	-	-	प्रस्ताव अप्राप्त।
3	उच्चतर राइम सल्ट।	शासनादेश सं०-166/	-	-	-	प्रस्ताव अप्राप्त।

14

अल्मोड़ा।	XXIV-4 दिनांक 28.02.2014					
4. श्रीरस्वती विद्या निकेतनहा10 स्कूल,सौंड अन्धवाल गांव हिन्दवा जनपद टिहरीगढ़वाल।	संसन्नादेश संख्या- 188/XXIV-4 /2014 दिनांक 04.03.2014 द्वारा उक्त विद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है।					प्रस्तुत अप्राप्त है।


H. H. H.

3042-
26.2.16

संख्या- 178/xxiv-4/2016-6(33)/2014

उत्तराखण्ड शासन।
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 25 फरवरी, 2016

विषय-अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरस्वती विद्या मन्दिर कनकपाल ज0उ0मा0वि0क्वीडांग (कोडी) नैलचामी, जनपद टिहरी गढ़वाल को वित्तीय वर्ष 2015-16 में वेतन अनुदान एवं हिमालयन पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सनगांव, काणाताल, जनपद टिहरी गढ़वाल को वित्तीय वर्ष 2015-16 में एक लाख टोकन अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में उक्त शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 की शेष सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय

(एस0 राम)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /xxiv-4/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 6- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर।
- 7- मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल।
- 8- मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 9- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश तिवारी)
अनुसचिव।

3043
26.2.16

संख्या-389/xxiv-4/2016-6(33)/2014टी0सी0

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 25 फरवरी, 2016


विषय-अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 2016 के संलग्न तालिका-3 (इण्टरमीडिएट) के क्रमांक-2 पर अंकित डॉ0बी0आर0अम्बेडकर इण्टर कालेज, गढमीरपुर, जनपद हरिद्वार को वित्तीय वर्ष 2015-16 में टोकन अनुदान की सूची में सम्मिलित किया गया था। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विद्यालय को टोकन अनुदान की सूची से पृथक करते हुये उक्त शासनादेश के संलग्न तालिका-1 के वित्तीय वर्ष 2015-16 में वेतन अनुदान की सूची में सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं शासनादेश की शेष सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय


(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /xxiv-4/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
- 7- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर।
- 8- मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 9- मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0), हरिद्वार।
- 10- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश वि)
अनुस

450
23-5-16

संख्या- 90/xxiv-4/2016-6(33)/2014

प्रेषक,

रंजना

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 19 मई 2016

विषय-अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक संख्या-6(3)/36281 दिनांक 21 मार्च 2016 एव पत्रांक/6(3)/36310, दिनांक 21 मार्च 2016 तथा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक अशा0/31193/वेतन अनु0/2015-16 दिनांक 8 मार्च, 2016 तथा प्रबन्धक, संजय पब्लिक इण्टर कालेज कारबारी ग्रान्ट, भुड्डी जनपद देहरादून के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.03.2016 के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका में अंकित विवरणानुसार शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क सं	विद्यालय का नाम	संबंधित शासनादेश संख्या/ दिनांक	शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 2016 में संशोधन
1	जनता इण्टर कालेज लियाखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-156/xxiv-4/14-6(15)/2014 दिनांक 28.2.2014 द्वारा अनुदान सूची में सम्मिलित एवं शुद्धि पत्र संख्या-660/xxiv-4/2014-6(10)/2014 दिनांक 10 दिसम्बर 2014 द्वारा 06 स0अ0 के पदों के स्थान पर 06 प्रवक्ता पदों का सृजन किया गया है।	शुद्धि पत्र संख्या-660/xxiv-4/2014-6(10)/2014 दिनांक 10 दिसम्बर 2014 को भी शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2014-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 के संलग्नक-1 में अंकित इस विद्यालय के सम्मुख यथा स्थान अंकित पढ़ा जाय।
2	गौरी मैमोरियल पब्लिक हाई स्कूल विजय नगर, जनपद रुद्रप्रयाग।	शासनादेश संख्या-156/xxiv-4/14-6(15)/2014 दिनांक 28.2.2014 द्वारा अनुदान सूची में सम्मिलित एवं शासनादेश संख्या-391/xxiv-4/2014-	शासनादेश संख्या-391/xxiv-4/2014-2(1)/2014 दिनांक 20 मई 2014 को भी शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2014-6 (33)/2014 दिनांक

		2 (1)/ 2014 दिनांक 20 मई 2014 द्वारा पदों का सृजन किया गया है।	01 फरवरी, 2016 के संलग्नक-1 में अंकित इस विद्यालय के सम्मुख यथा स्थान अंकित पढ़ा जाय।
3	संजय पब्लिक इण्टर कालेज कारबारी ग्रान्ट, भुङ्डी जनपद देहरादून।	शासनादेश संख्या-91/XXIV-4/14-6(27)टी0सी/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए पदों का सृजन एवं शासनादेश संख्या-1183/XXIV-4-6(27)/2013टी0सी0दिनांक 01 जून, 2015 द्वारा 06 अतिरिक्त प्रवक्ता पदों का सृजन किया गया है।	शासनादेश संख्या-1183/XXIV-4-6(27)/2013,टी0सी0 दिनांक 01 जून, 2015 को भी शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2014-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 के संलग्नक-1 में अंकित इस विद्यालय के सम्मुख यथा स्थान अंकित पढ़ा जाय।

2. जूनियर हाईस्कूल पर अनुदानित विद्यालयों के नाम संशोधन।

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	यथा संशोधित नाम
1.	शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2014-6(33) /2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 के संलग्नक -1 में जू0हा0स्कूल की सूची के क्रमांक-22 पर अंकित हर्ष विद्या मन्दिर जनता हाईस्कूल रायसी हरिद्वार।	हर्ष विद्या मन्दिर जूनियर हाईस्कूल रायसी हरिद्वार संशोधित नाम पढ़ा जाय।
2.	शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2014-6(33) /2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 के संलग्नक -1 में जू0हा0स्कूल की सूची के क्रमांक-36 पर अंकित नवदीप चिल्ड्रन एकेडमी जनता हाईस्कूल राड़ी बगड़, थराली, चमोली।	नवदीप चिल्ड्रन एकेडमी जूनियर हाईस्कूल राड़ी बगड़, थराली, चमोली संशोधित नाम पढ़ा जाय।

3. शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

4. इन विद्यालयों द्वारा अनुदान सूची/वेतन अनुदान से संबंधित समस्त मानकों/शर्तों की पूर्ति की गयी है, यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

5. उक्त शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

 (रंजना)
 अपर सचिव।

संख्या- ✓ /xxiv-4 / 2016-6(33) / 2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- समस्त जिलाधिकारी/समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर।
- 5- मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रंजना)

अपर सचिव।

प्रेषक,
महिमा
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

उपरोक्त माध्यमिक
2312
1-12-16

सेवा में,
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 25 नवम्बर, 2016

विषय- चिल्ड्रन एकेडमी इण्टरमीडिएट कॉलेज अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग को इण्टर स्तर पर मानविकी वर्ग में अतिरिक्त प्रवक्ता पदों का सृजन एवं विज्ञान वर्ग स्तर पर सवित्त अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक/06(03)/01/20171/2016-17 दिनांक 24 सितम्बर, 2016 के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका में अंकित विवरणानुसार शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	संबंधित शासनादेश संख्या/ दिनांक	शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 2016 में संशोधन
1	चिल्ड्रन एकेडमी इण्टरमीडिएट कॉलेज अगस्त्य मुनि, जनपद रुद्रप्रयाग।	शासनादेश संख्या-91/14-XXIV-4-6(27)/2013-टी0सी0 दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है, एवं शासनादेश संख्या-171/XXIV-4/2014-6(27)/2013 टी0सी0-II दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा इण्टर मानविकी वर्ग में अतिरिक्त प्रवक्ता 02 पद एवं विज्ञान वर्ग की सवित्त मान्यता प्रदान की गयी है।	शासनादेशसंख्या-171/XXIV-4/2014-6(27)/2013 टी0सी0-II दिनांक 04 मार्च, 2014 को भी शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2014-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में यथा स्थान सम्मिलित समझा जाय।

3. शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

4. इस विद्यालय द्वारा अनुदान सूची/वेतन अनुदान से संबंधित समस्त मानकों/शर्तों की पूर्ति की गयी है, यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

5. उक्त शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,
11/12/16
(महिमा)
उप सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई०

अङ्कसंख्या 09, 1938 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 357 / XXXVI(3) / 2016 / 85(1) / 2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विक्रि

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2016" पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 32 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 32, वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2006) में संशोधन प्रस्तावित करने के

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित

है-

- | | | |
|---------------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम
और
प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
(2) यह सुरक्षा प्रदान होगा। |
| घाटा 41
का संशोधन | 2. | उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2006) की धारा 41 निम्नलिखित प्रतिक्रियापित कर दी जायेगी, अर्थात्- |

"41. प्रबन्ध सशक्ति द्वारा दिनांक 18-10-2011 तक निजी चालों से सेवायोजित ऐसे अध्यापक/अध्यापिका/पाठक/पाठिका/शिक्षकों को प्रबन्ध सशक्ति द्वारा नियमित किया जा सकेगा किन्तु ऐसे नियमित नियमानुसार पद सृजित थे, तबतक यहाँ के लिए वह विहित अवधि पूरी करते थे, प्रस्तावित कार्य एवं व्यवहार उत्तम रहा है और राजकोष से मानदेय का संशोधन अनुमित किया गया है।"

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र खुन्वे,
प्रमुख सचिव।

No. 357/XXXVI(3)/2016/85(1)/2016
Dated Behradun, November 30, 2016

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Uttarakhand School Education (Amendment) Bill, 2016' (Adhiniyam Sankhya 32 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 November, 2016.

THE UTTARAKHAND SCHOOL EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2016

(Uttarakhand Act no. 32 Year 2016)

An
Act

further to amend the Uttarakhand School Education Act, 2006 (Act no 8 of 2006)

Be enacted by Uttarakhand Legislative Assembly in sixty seventh year of Indian Republic as under:-

Short title and commencement	and 1.	(1) This Act shall be called Uttarakhand School Education (Amendment) Act, 2016.
		(2) It shall come into force at once.
Amendment Section 41	of 2.	Section 41 of the Uttarakhand School Education Act, 2006 (Act no 8 of 2006) shall be substituted as follows, namely-

"41. Such part time teachers/ P.T.A. teachers employed from private sources upto dated 18-10-2011 by the Managing Committee may be appointed as adhoc by the Managing Committee which for the post were created as per rule at corresponding time, were completed prescribed qualifications for the relevant posts, the result, conduct and behaviour are best and the payment of honorarium is admissible from the Treasury."

By Order,

RAMESH CHANDRA KHULBE,
Principal Secretary.

उद्देश्यों और कार्यों का कथन

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 41 अंशकालिक अध्यापक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था पर कार्यरत पी0टी0ए0 शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति से सम्बन्धित है। चूंकि दिनांक 5-9-2003 के पश्चात् ऐसे शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति विधि के अभाव में नहीं हो पा रहा है। अतः जनहित में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 41 को संशोधन किये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

2- अतएव विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

भवदीय,

मंत्री प्रसाद नैथानी,
मंत्री।

प्रेषक
5

निम्ना
प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून

सेवा में

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा अकादमी-4
विषय - असासकीय वेतनमान प्रदान करने के लिए प्रस्तावित वेतनमानों में संशोधन के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 06(04)/XXIV-18/2016-17 दिनांक 05 अगस्त 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में शासन स्तर पर समस्त विद्यालयों में विद्यमान शिक्षकों के कर्तव्य मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजकीय मिनिस्ट्रियल स्कूलों में विद्यमान विद्यालयों के शासनादेश संख्या 373/XXIV-18/2016-17 दिनांक 16 अगस्त 2016 की शर्त असासकीय सहायता प्राप्त अनियत/माध्यमिक विद्यालयों के लिए संबंधित कर्मचारियों के पदनाम/ग्रेड वेतन का निम्नानुसार अंकित वेतनमानों में अंकित ग्रेड वेतन संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

क्र०सं.	वर्तमान पद नाम	वेतनमान/ग्रेड में	संशोधित पद नाम	ग्रेड वेतन
1	कनिष्ठ शिक्षक	3200-20200 ग्रेड वेतन 3900	कनिष्ठ सहायक	15200-20200 ग्रेड वेतन 2600
2	प्रधान प्राध्यापक	5200-70200 ग्रेड वेतन 2490	प्रधान सहायक	5200-70200 ग्रेड वेतन 2800

3. असासकीय अनियत/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में शासन स्तर पर समस्त विद्यालयों में विद्यमान शिक्षकों के कर्तव्य मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजकीय मिनिस्ट्रियल स्कूलों में विद्यमान विद्यालयों के शासनादेश संख्या 373/XXIV-18/2016-17 दिनांक 16 अगस्त 2016 की शर्त असासकीय सहायता प्राप्त अनियत/माध्यमिक विद्यालयों के लिए संबंधित कर्मचारियों के पदनाम/ग्रेड वेतन का निम्नानुसार अंकित वेतनमानों में अंकित ग्रेड वेतन संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

4. इस संबंध में शासन स्तर पर समस्त विद्यालयों में विद्यमान शिक्षकों के कर्तव्य मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजकीय मिनिस्ट्रियल स्कूलों में विद्यमान विद्यालयों के शासनादेश संख्या 373/XXIV-18/2016-17 दिनांक 16 अगस्त 2016 की शर्त असासकीय सहायता प्राप्त अनियत/माध्यमिक विद्यालयों के लिए संबंधित कर्मचारियों के पदनाम/ग्रेड वेतन का निम्नानुसार अंकित वेतनमानों में अंकित ग्रेड वेतन संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

5. असासकीय अनियत/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में शासन स्तर पर समस्त विद्यालयों में विद्यमान शिक्षकों के कर्तव्य मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजकीय मिनिस्ट्रियल स्कूलों में विद्यमान विद्यालयों के शासनादेश संख्या 373/XXIV-18/2016-17 दिनांक 16 अगस्त 2016 की शर्त असासकीय सहायता प्राप्त अनियत/माध्यमिक विद्यालयों के लिए संबंधित कर्मचारियों के पदनाम/ग्रेड वेतन का निम्नानुसार अंकित वेतनमानों में अंकित ग्रेड वेतन संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

- 1- ...
- 2- ...
- 3- ...
- 4- महाविद्यालय/विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
- 5- ...
- 6- ...
- 7- मण्डलीय अपर-निदेशक, गढ़वाल/रूढ़ीय मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 8- ...
- 9- वित्त अनुभाग-7/निर्माण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सरकार।
- 10- ...
- 11- एन०आर०सी० सचिवालय, परिसर, ...
- 12- गाड़, ...

सहायक
 (सहायक)
 सचिव

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

विषय:- अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-06(03)/119/17184/2016-17 दिनांक 16.08.2016, पत्र संख्या-06(03)/93/17826/2016-17 दिनांक 01.09.2016, पत्र संख्या-06(03)/32/17825/2016-17 दिनांक 01.09.2016 एवं पत्र संख्या-06(03)/92/17827/2016-17 दिनांक 01.09.2016 के क्रम में शासन स्तर पर विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए नीचे दी गई तालिका के कालम-2 पर अंकित इन विद्यालयों के लिए कालम-5 में इंगित अस्थायी पदों/पदस्थानों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	सृजित होने वाले पदों का विवरण	वेतनक्रम (रु० में)	पदों की सं०
1	2	3	4	5
1.	कैप्टन गंगा सिंह रावत, इण्टर कालेज, लालढाग, हरिद्वार।	1- प्रधानाध्यापक	रु०15,600-39,100ग्रेडपे-5400	01
		2- स०अ०एल०टी०	रु० 9300-34,800ग्रेड पे-4600	05
		3- कनिष्ठ लिपिक	रु० 5200-20,200ग्रेड पे-1900	01
		4- परिचारक	आउटसोर्सिंग	01
		कुल योग		08 पद

महिमा

2016
2-11-16
उपनिवेशाधिकारी
28-11-2016
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

2.	सर्व इण्डिया इण्टर कालेज, रोशनपुर, उधमसिंहनगर।	1- प्रधानाचार्य,	रू0 15,600-39,100 ग्रेड पे- 7600	01
		2- प्रवक्ता,	रू0 9300-34,800 ग्रेड पे-4800	06
		3- स0अ0एल0टी0	रू09300-34,800 ग्रेड पे-4600 (जूनि0 हाई0 के प्रधानाध्यापक सहित 05 पद जूनियर से समायोजित, 02 पद नवसृजित)।	02
		4- वरिष्ठ लिपिक	रू0 5200-20,200 ग्रेड पे-2400	01
		5-परिचारक	आउटसोर्सिंग	02
		कुल योग		12 पद
3.	फैज-ए-आम इण्टर कालेज, जसपुर उधमसिंहनगर।	1- प्रधानाचार्य	रू015,600-39,100 ग्रेड पे-7600	01
		2- प्रवक्ता	रू09300-34800 ग्रेड पे 4800	06
		3- वरिष्ठ लिपिक	रू0 5200-20,200 ग्रेड पे-2400	01
		कुल योग		08
4.	प0गोविन्द बल्लभ पन्त, इण्टर कालेज, काशीपुर, उधमसिंहनगर।	प्रवक्ता (विज्ञान वर्ग)	रू09300-34800 ग्रेड पे 4800	04
		कुल योग		04

2- उपर्युक्त तालिका में अंकित सभी पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित विद्यालयों में वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार पूर्व में सृजित पदों के समायोजित/उच्चीकरण करने के बाद पदों की गणना तथा वर्तमान में छात्र संख्या एवं सम्बन्धित पदधारक प्रतिवादन पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों एवं अन्य समस्त मानकों को पूर्ण करते हों। सृजित पदों के लिये इन विद्यालयों द्वारा मानको की पूर्ति का परीक्षण सम्बन्धित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।

॥१४॥

- 4- उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009, (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
- 5- उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 6- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों (परिचारक को छोड़कर) को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- 7- यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।
- 8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनुदान संख्या-11के लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 04-अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 0403-सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषयों हेतु वेतन अनुदान-43 वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान से वहन किया जायेगा।
- 9- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99 (पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- 10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-123(P)/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


भवदीया,
/_____
(महिमा)
उप सचिव।

संख्या- 1166 (1) /XXIV-4/2016- 6(45)/2014 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।

11/11/16

- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 6- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 7- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 8- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
- 9- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य।
- 10- वित्त अनुभाग-3 एवं 7/नियोजन प्रकोष्ठ।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 07 सितम्बर, 2016

विषय-पं० दीनदयाल उपाध्याय इण्टर कालेज इन्द्रपुरी, बाराकोट, जनपद चम्पावत को वित्तीय वर्ष 2016-17 से इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान दिये जाने के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-204/14-XXIV-4-6(10)/10 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01.02.2016 के सन्दर्भ में अपने पत्रांक-06(2)/17/15451/2016-17 दिनांक 10 अगस्त, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत विद्यालय को इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में विद्यालय द्वारा समस्त मानकों की पूर्ति किये जाने के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 से संगत मानक मद में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष इण्टर स्तर पर वेतन अनुदान की सूची में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक/अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

3. शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01.02.2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,



(महिमा)


उप सचिव।

संख्या- (1)/XXIV-4/2016-6(10)/2014 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक), कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद चम्पावत।

आज्ञा से,




(महिमा)

उप सचिव।

उपनिर्देशक / माध्यमिक

1395
08/09/16





उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा

मिडिल 12-16-16
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

संख्या-1000/11(3)2019 टी0सी0

देहरादून: दिनांक 05 दिसम्बर, 2016,

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- संक्षिप्त नाम 1 (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं प्रारम्भ परिषद् (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

✓ अध्याय दो 1 मूल विनियम 2009 के अध्याय-दो प्रस्तर-1 के मूल विनियम प्रस्तर-1 का नियुक्ति परिशिष्ट-(अ)-(ब) के पश्चात अथवा निम्नवत् रख दिया परिशिष्ट-क जायेगा:-

स्तम्भ-1
वर्तमान विनियम

स्तम्भ-2
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

अध्याय-दो (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति
(परिशिष्ट-क)

अध्याय-दो (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की
नियुक्ति (परिशिष्ट-क)

प्रधानाचार्य शैक्षिक योग्यता (इण्टर कालेज) निम्न
(अ), (ब) में से एक (अ)-

प्रधानाचार्य शैक्षिक योग्यता (इण्टर कालेज)
निम्न (अ), (ब) में से एक (अ)-

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि।
2. विश्वविद्यालय की शिक्षण सन्बन्धी उपाधि बी0एड0 या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से एल0टी0 डिप्लोमा।
3. प्रशासनिक एवं शिक्षण अनुभव निम्नांकित में से एक:-
क-इण्टर तथा उच्च कक्षाओं वाले मान्यता प्राप्त कालेज का तीन वर्ष का प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अनुभव।
ख-किसी मान्यता प्राप्त हाईस्कूल में प्रशासनिक पद पर कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव।
ग-मान्यता प्राप्त संस्था की इण्टरमीडिएट कक्षाओं अथवा उच्च कक्षाओं अथवा किसी मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव।
घ-किसी मान्यता प्राप्त संस्था में हाईस्कूल कक्षाओं में आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव।
ङ-किसी मान्यता प्राप्त हाईस्कूल में तीन वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ दो वर्ष का शिक्षण

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि।
2. विश्वविद्यालय की शिक्षण सन्बन्धी उपाधि बी0एड0 या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से एल0टी0 डिप्लोमा।
3. प्रशासनिक एवं शिक्षण अनुभव निम्नांकित में से एक:-
क-इण्टर तथा उच्च कक्षाओं वाले मान्यता प्राप्त कालेज का तीन वर्ष का प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अनुभव।
ख-किसी मान्यता प्राप्त हाईस्कूल में प्रशासनिक पद पर कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव।
ग-मान्यता प्राप्त संस्था की इण्टर मीडिएट कक्षाओं अथवा उच्च कक्षाओं अथवा किसी मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव।
घ-किसी मान्यता प्राप्त संस्था में हाईस्कूल कक्षाओं में आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव।
ङ-किसी मान्यता प्राप्त हाईस्कूल में तीन वर्ष का

1/1/16

अनुभव।
(ब)–स्नातकोत्तर उपाधिधारी जिन्हें मान्यता प्राप्त संस्था की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कक्षाओं में 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त हो।

प्रशासनिक अनुभव के साथ दो वर्ष का शिक्षण अनुभव।

(ब)–स्नातकोत्तर उपाधिधारी जिन्हें मान्यता प्राप्त संस्था की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कक्षाओं में 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त हो।

अथवा

स्नातकोत्तर उपाधिधारी जिन्हें मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कक्षाओं में 02 वर्ष का शिक्षण अनुभव तथा सवित्त जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल कक्षाओं में न्यूनतम 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

अध्याय दो 2 नूल विनियम, 2009 के अध्याय-दो के विनियम 1(2) के स्थान पर विनियम नियम-1(2) का 1(2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा:-

संशोधन

स्तम्भ-1

वर्तमान विनियम

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

नियम 1(2) "मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किये जाने वाले समस्त विषयों के अध्यापकों की न्यूनतम आयु तथा न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होगी जो समय-समय पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित की गयी हों या की जायेंगी"।

नियम 1(2) "मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किये जाने वाले समस्त विषयों के अध्यापकों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा तथा न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होगी जो समय-समय पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित की गयी हों या की जायेंगी"।

अध्याय दो 3 मूल विनियम, 2009 के अध्याय-दो प्रस्तर-2(2) (क) के स्थान पर विनियम प्रस्तर-2(2) 2(2) (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा:-

(क) का संशोधन

स्तम्भ-1


वर्तमान विनियम

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

2(2) (क) जहां कोई संस्था हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट कालेज में क्रमोन्नत की जाय वहां ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य का पद ऐसे हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, यदि वह तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार मौलिक रूप से प्रधान अध्यापक के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो और उसका सेवा-अभिलेख अच्छा हो, तथा वह इस निमित्त विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो।

2(2) (क) जहां कोई संस्था जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल तथा हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट कालेज में क्रमोन्नत की जाय वहां ऐसे हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का पद ऐसे जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, यदि वह तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार मौलिक रूप से प्रधान अध्यापक के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो और उसका सेवा-अभिलेख अच्छा हो, और वह इस निमित्त विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो।



परन्तु जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक का पद किन्हीं कारणों से रिक्त होने की दशा में संस्था में उच्चतम श्रेणी में ज्येष्ठतम् अर्ह अध्यापक जिस न्यूनतम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त हों, में से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

✓ अध्याय-तीन 4 मूल विनियम 2009 के अध्याय-तीन के प्रस्तर 20 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रस्तर 20 का वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा। संशोधन

स्तम्भ-1
वर्तमान विनियम

20-(1)स्थायी कर्मचारी की सेवा उसे तीन मास की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन मास का वेतन देकर, जिस पद पर कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसका अन्त करने के आधार पर समाप्त की जा सकती है। पद का अन्त निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है:-

(क)वित्तीय कठिनाई के कारण निश्चित छटनी।

(ख)एक विषय का हटाया जाना।

(ग)श्रेणी अथवा कक्षा की समाप्ति।

(2)खण्ड (1) में उल्लिखित नोटिस की अवधि संगणित करने के लिए अथवा उसके बदले में दी जाने वाली धनराशि निर्धारित करने में ग्रीष्मावकाश का समय छोड़ दिया जायेगा।

स्तम्भ-2
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

20-(1) स्थायी कर्मचारी की सेवा उसे तीन मास की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन मास का वेतन देकर, जिस पद पर कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसका अन्त करने के आधार पर समाप्त की जा सकती है। पद का अन्त निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है:-

(क)वित्तीय कठिनाई के कारण निश्चित छटनी।

(ख)एक विषय का हटाया जाना।

(ग)श्रेणी अथवा कक्षा की समाप्ति।

(2) खण्ड (1) में उल्लिखित नोटिस की अवधि संगणित करने के लिए अथवा उसके बदले में दी जाने वाली धनराशि निर्धारित करने में ग्रीष्मावकाश का समय छोड़ दिया जायेगा।

परन्तु किसी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में सृजित पद के सापेक्ष कार्यरत नियमित शिक्षक/कर्मचारी के सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा छंटनी हेतु चिन्हित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी का प्रस्ताव प्राप्त होने पर निदेशक द्वारा उसी जनपद के अन्दर रिक्त पद के प्रति समायोजित करने की अनुमति दी जा सकेगी।

✓ अध्याय-तीन 5 मूल विनियम 2009 के अध्याय-तीन के प्रस्तर 40 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रस्तर 40 का वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा। संशोधन

स्तम्भ-1
वर्तमान विनियम

स्तम्भ-2
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

h's 21

h's 21

40-कर्मचारियों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान प्रदान किये

40-कर्मचारियों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन स्वीकृत वेतनमान प्रदान किये जायेंगे। परन्तु राज्य सरकार प्रत्येक पांच वर्ष में एकबार पी0टी0आर0 के अनुरूप संस्था में कार्यरत शिक्षक शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की संख्या आदि का वित्तीय सर्वेक्षण करेगी, तथा संस्था को उसके अनुरूप पालन हेतु पदों को कम कर सकेगी। छात्र संख्या के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता हों, तो विगत 02 वर्षों के औसत के आधार पर अतिरिक्त पद सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

अध्याय-तीन 6 मूल विनियम, 2009 के अध्याय तीन- की धारा 53 (1) में नीचे स्तम्भ-1 में विनियम 53-(1) का संशोधन दिया जायेगा।

स्तम्भ-1

वर्तमान विनियम

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

53-(1) विनियम 52 के अधीन मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र की प्राप्ति पर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक) इस प्रयोजन के लिये रखे रजिस्टर में इसे दर्ज करायेगा और-

53-(1) विनियम 52 के अधीन मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र की प्राप्ति पर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक) इस प्रयोजन के लिये रखे रजिस्टर में इसे दर्ज करायेगा और-

(क) प्रशिक्षित (एल0टी0) श्रेणी के अध्यापक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारी के मामले में यदि स्थानान्तरण मण्डल के भीतर चाहा गया है निम्नलिखित कार्यवाही करेगा-

(क) प्रशिक्षित (एल0टी0) श्रेणी के अध्यापक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारी के मामले में यदि स्थानान्तरण मण्डल के भीतर चाहा गया है। निम्नलिखित कार्यवाही करेगा-

(एक) यदि संस्था के प्रबन्धतन्त्र की सहमति जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है उपलब्ध है उपखण्ड (तीन) के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(एक) यदि संस्था के प्रबन्धतन्त्र की सहमति जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है उपलब्ध है उपखण्ड (तीन) के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(दो) यदि वह संस्था, जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है, उसकी अधिकारिता के भीतर किसी अन्य जिले में स्थित है, तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ऐसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र से परामर्श करेगा और ऐसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र की लिखित सहमति प्राप्त होने पर स्थानान्तरण उपखण्ड तीन के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(दो) यदि वह संस्था, जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है, उसकी अधिकारिता के भीतर किसी अन्य जिले में स्थित है, तो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की स्थिति में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) अथवा प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों की स्थिति में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के माध्यम से ऐसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र से परामर्श करेगा और ऐसी संस्था की लिखित सहमति प्राप्त होने पर

(तान) मण्डलीय अथवा मण्डलीय समिति के संस्तुतियों पर स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा।

स्थानान्तरण उपखण्ड (तीन) के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(तीन) जिला शिक्षा द्वारा उचित समिति की संस्तुतियों पर स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा।

माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों हेतु-

(i) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक

-अध्यक्ष

(i) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) -अध्यक्ष

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक

(ii) (प्रशासनिक)

-सदस्य

(ii) मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) -सदस्य

(iii) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (अकादमिक)

-सदस्य

(iii) मुख्य शिक्षा अधिकारी (मण्डल में वरिष्ठतम) -सदस्य

प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों हेतु-

(i) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) -अध्यक्ष

(ii) मुख्य शिक्षा अधिकारी (मण्डल में वरिष्ठतम) -सदस्य

(iii) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) (मण्डल में वरिष्ठतम) -सदस्य

अध्याय-सात 7 मूल विनियम अध्याय-सात के प्रस्तर-5 (परिषद द्वारा संस्थाओं को मान्यता) प्रस्तर-5 विनियम 2009 के मूल विनियम-(24) के पश्चात 25 से 29 निम्नवत् रख दिया जायेगा। अर्थात्-

स्तम्भ-1
वर्तमान विनियम

स्तम्भ-2
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

(24) उन विद्यालयों की मान्यता के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहाँ शासकीय अनुदान का दुरुपयोग किया जा रहा हो, अनुशासनहीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।

(24) उन विद्यालयों की मान्यता के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहाँ शासकीय अनुदान का दुरुपयोग किया जा रहा हो, अनुशासनहीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।

(25) संस्था को मान्यता प्रदान करने हेतु सेवित क्षेत्र की जनसंख्या स्तरवार होगी।

हाईस्कूल-3000 के लगभग एवं इण्टर-5000 के लगभग।

(26) संस्था की परिधि में निर्धारित दूरी पर कोई राजकीय/सहायता प्राप्त/स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं है। 05 कि०मी० (प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र), 10 कि०मी० (प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचल)।

h. 21

(27) संस्था निजी स्रोतों से विद्यालय का संचालन करेगी तथा किसी शासकीय/ग्रान्ट अनुदान हेतु विशिष्ट परिस्थितियों के सिवाय आवेदन नहीं करेगी।

(28) अस्थाई मान्यता प्राप्त होने के तीन वर्ष के भीतर मान्यता की शर्तों को पूर्ण न करने पर संस्था की मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2006/(1)1(3) 2010 टी०सी०/XXIV-4/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री को मा० शिक्षा मंत्री जी को अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक/सभापति, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. अपर शिक्षा निदेशक/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की 300 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह/स/म।

(महिमा)

उप सचिव।

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2396
13-12-16

उपनिवेश माध्यमिक
13.12.2016

14/12/16

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

विषय:- सन्दल सिंह बालिका इण्टर कालेज, हबीबपुर, निवादा, जनपद-हरिद्वार को हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(03)/65/16728/2016-17 दिनांक 22.08.2016 एवं पत्र संख्या-06(03)/65/24731/2015-16 दिनांक 04.12.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।


2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दल सिंह बालिका इण्टर कालेज हबीबपुर निवादा, जनपद-हरिद्वार को हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पदों/पदस्थानों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	सृजित होने वाले पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रधानाध्यापक	रू० 15600-39100 ग्रेड पे- 5400	01 पद
2.	सहायक अध्यापक (एल०टी०)	रू० 9300-34800 ग्रेड पे-4600	07पद
3.	कनिष्ठ सहायक	रू० 5200-20200 ग्रेड पे-2000	01 पद
4.	परिचारक		02 पद (आउटसोर्सिंग)
	कुल पद		11 (ग्यारह पद)

3- उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009, (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

महिमा

- 4- उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।
- 6- उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 7- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों (परिचारक को छोड़कर) को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- 8- यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।
- 9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02- माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 10- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99 (पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- 11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 180(P)/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

 (महिमा)
 उप सचिव।

संख्या- (1) /XXIV-4 /2016- 6(35) /2015तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 6- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जनपद हरिद्वार।
- 8- जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
- 9- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक।
- 10- वित्त अनुभाग-3 एवं 7 / नियोजन प्रकोष्ठ।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
/ (महिमा)
उप सचिव।

प्रेषक,
महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2395
13-12-16

माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

विषय:- फरस्वाण फाट जनता इण्टर कालेज हरमनी, दशोली, जनपद चमोली को 01 अतिरिक्त प्रवक्ता पद सृजन के संबंध में।

देहरादून दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(03)/02/15520/2016-17 दिनांक 10 अगस्त, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फरस्वाण फाट जनता इण्टर कालेज हरमनी, दशोली, जनपद चमोली को 01 अतिरिक्त प्रवक्ता पद सृजन करते हुए निम्नलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पद को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी बाद में हो, से दिनांक 29 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	सृजित होने वाले पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रवक्ता	रू0 9300-34800 ग्रेड पे-4800	01 पद (भूगोल विषय हेतु)।

3. उक्त पद पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009, (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

4. उपर्युक्त तालिका में अंकित पद का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन पढाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।

6. उपर्युक्त पद के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

महिमा

7. उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारक को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
8. यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।
10. यह आदेश रिट याचिका संख्या-99(P.L.)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-183 (P)/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 08. दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

h h h

(महिमा)

उप सचिव।

संख्या- (1) / XXIV-4 / 2016-6(27) / 2013 टी0सी0 III, तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक), जनपद चमोली।
8. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद चमोली।
9. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक।
10. वित्त अनुभाग-3 एवं 7/नियोजन प्रकोष्ठ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2016 माध्यमिक 2452
16/12/16

16/12/16

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

विषय:-पब्लिक इण्टर कालेज तिलखोली, जनपद पौड़ी गढ़वाल को इण्टर विज्ञान वर्ग स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38(03)/78/22027/2016-17 दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पब्लिक इण्टर कालेज तिलखोली, जनपद पौड़ी गढ़वाल को इण्टर विज्ञान वर्ग स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए 04 प्रवक्ता पदों का सृजन करते हुए निम्नलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पदों को शासनादेश निर्मित होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी वाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक इशार्ते कि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं:-


क्र०सं०	पदनाम	वेतनमं	सृजित होने वाले पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रवक्ता	रु० 9300-34600 ग्रेड पे-4800	04 पद (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित विषय हेतु)।

3. उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009, (साम्य-संख्या पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

4. उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुनय होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करने हों तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।

16/12/16



6. उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
8. यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।
10. यह आदेश रिट याचिका संख्या-99(P.I.L)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 182 (P)/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 08. दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

h' > h |

(महिमा)

उप सचिव।

संख्या- (1) /xxiv-4 /2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जनपद चम्पल।
8. जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद चम्पल।
9. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक।
10. वित्त अनुभाग-3 एवं 7 / नियोजन प्रकोष्ठ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक /6 दिसम्बर, 2016

विषय:- आदर्श इण्टर कालेज खेड़ली, बहादुराबाद, जनपद-हरिद्वार को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06(03)/83/16425/2016-17 दिनांक 20.08.2016 एवं पत्र संख्या-06(03)/83/36049/2015-16 दिनांक 19.03.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श इण्टर कालेज खेड़ली, बहादुराबाद, जनपद-हरिद्वार को अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित तालिका में इंगित अस्थायी पदों/पदस्थानों को शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी वाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	जू0हा0स्कूल से समायोजित पदों की संख्या	सृजित होने वाले पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	प्रधानाध्यापक	रू0 15600-39100 ग्रेड पे- 5400	-	01 पद
2.	सहायक अध्यापक (एल0टी0)	रू0 9300-34800 ग्रेड पे-4600	04 पद	03 पद (नवसृजित)।
	कुल पद			04 (चार पद)

3- उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम-2009, (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

4- उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान में छात्र संख्या एवं संबंधित पद धारक प्रति वादन

11/11/16

पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों तथा इसका परीक्षण जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दे दिये जाय।

6- उपर्युक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया उमादेवी वाद में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित पद धारकों (परिचारक को छोड़कर) को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

8- यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हों तो अनुदान सूची में लेने के 02 वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालय द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02- माध्यमिक शिक्षा-110-गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99 (पी०आई०एल०)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 202/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया

(महिमा)

उप सचिव।

संख्या- (1) /xxiv-4/2016- 6(02) /2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 6- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जनपद हरिद्वार।

- 8- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
- 9- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 10- वित्त अनुभाग-3 एवं 7/नियोजन प्रकोष्ठ।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-4/2016-6(3)/2014,
देहरादून 2 दिसम्बर, 2016

उदाहरण
माध्यमिक

2504
21-12-16

21-12-2016

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-122/XXIV-4/2014-6(03)/2014, दिनांक 10.02.2014 द्वारा कुल 12 अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया गया था। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में त्रुटिवश, संलग्न तालिका के क्र०स० 5 एवं 6 पर अंकित विद्यालयों का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने का उल्लेख हुआ था एवं इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या- 540/XXIV-4/2015-6(03)/2014 दिनांक 16 मार्च, 2016 द्वारा कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र निर्गत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-06(3)/44 /38815/2014-15 दिनांक 17.03.2015 द्वारा इण्टर कालेज, चित्रकूट, रुडोली, स्याल्दे, जनपद-अल्मोड़ा के पद सृजन के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-122/XXIV-4/2014-6(03)/2014 दिनांक 10.02.2014 के प्रस्तर-1 के तालिका में इंगित पदों का निम्नवत् तालिकानुसार पुनरीक्षण करते हुये संशोधित किया जाता है-

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	वेतनमान	पूर्व में सृजित पदों की संख्या	संशोधित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	प्रधानाचार्य	15,600-39,100 ग्रेड पे-7600	03 पद	02 पद	ज०इ०का० बुगानैणी, वि०ख० नारायणबगड़, जनपद चमोली एवं ज०इ०का० मैखुरा, जनपद चमोली हेतु 1-1 पद।
2	प्रधानाध्यापक हाईस्कूल	15,600-39,100 ग्रेड पे-5400	06 पद	06 पद	1.इ०का० चित्रकूट वि०ख० स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा। 2.उ०मा०वि० पत्थरखोला, जनपद अल्मोड़ा। 3.हिमालयन प०उ०मा०वि० सनगांव (कणाताल) चम्बा, जनपद टिहरी गढ़वाल। 4.बा०उ०मा०वि० तिवारीनगर बिन्दुखत्ता, जनपद नैनीताल। 5.ज०उ०मा०वि० गैरबारम, नारायणबगड़, जनपद चमोली। 6.ज०उ०मा०वि० सरकोट नन्दकेशरी, जनपद चमोली।
3	प्रधानाध्यापक जू० हाईस्कूल	15,600-39,100 ग्रेड पे-4800	02 पद	02 पद	1.अगवत मान्देशरी, जू०हाई० कोटापारों, जनपद पौड़ी गढ़वाल। 2.आदर्श विद्या मन्दिर जू०हा०स्कूल चपलोड़ी, पौड़ी गढ़वाल।

हिमा

4	प्रवक्ता	9300-34,800 ग्रेड पे-4800	23 पद	20 पद	1.ज०इ०का० बुगानैगी, वि०ख० नारायणबगड, जनपद चमोली हेतु 08 पद। 2.ज०इ०का० मैखुरा, जनपद चमोली हेतु 12 पद।
5	सहायक अध्यापक (इण्टर स्तर)	9300-34,800 ग्रेड पे-4600	04 पद	शून्य पद	इण्टर स्तर पर सहायक अध्यापक के कोई पद सृजित नहीं किया जाना था।
6	सहायक अध्यापक हाई० स्तर	9300-34,800 ग्रेड पे-4600	20 पद	19 पद	1.इ०का० चित्रकुट वि०ख० स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा-03 पद। 2.उ०मा०वि० पत्थरखोला, जनपद अल्मोड़ा-03 पद। 3.हिमालयन प०उ०मा०वि० सनगांव (कणाताल) चम्बा, जनपद टिहरी गढ़वाल-03 पद। 4.बा०उ०मा०वि० तिवारीनगर बिन्दुखत्ता, जनपद नैनीताल-03 पद। 5.ज०उ०मा०वि० गैरबारम, नारायणबगड, जनपद चमोली हेतु 04 पद। 6.ज०उ०मा०वि० सरकोट नन्दकेशरी, जनपद चमोली-03 पद।
7	सहायक अध्यापक जू०हाई० स्तर	9300-34,800 ग्रेड पे-4600	08 पद	08 पद	1.भगवत मान्देशरी, जू०हाई० कोटापारो, जनपद पौड़ी गढ़वाल। 2.आदर्श विद्या मन्दिर जू०हा०स्कूल चपलोडी, पौड़ी गढ़वाल हेतु 4-4 पद।
8	लिपिक	5200-20,200 ग्रेड पे-2000	09 पद	08 पद	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 17.03.2015 के अनुसार इ०का० चित्रकुट वि०ख० स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा हेतु लिपिक के 01 पद का औचित्य नहीं है।
9	परिचारक	आउट सोर्सिंग के माध्यम से	17 पद	16 पद	इ०का० चित्रकुट वि०ख० स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा हेतु परिचारक के 01 पद का औचित्य नहीं है।

4- उक्त शासनादेश संख्या-122/XXIV-4/2014-6(03)/2014, दिनांक 10.02.2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-192(P)XXVII(3)/2016-17 दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(महिमा)

उप सचिव।

संख्या 1271 (1)/XXIV-4/2016-6(3) 2014 तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री को मा० शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 4- जिलाधिकारी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल।
- 5- कोषाधिकारी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल।
- 6- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 8- परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड।
- 9- सभापति, विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
- 10- अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 11- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी।
- 12- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक।
- 13-वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ/माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन।
- 14-एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 15-मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 16-गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

हि०मि०
(महिमा)

उपसचिव।

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

25/200
23/12/16

उप निदेशक

23/12/16

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2016

विषय:- वर्ष 2015-16 में टोकन अनुदान सूची में सम्मिलित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पत्थरखोला, जनपद अल्मोड़ा को वर्ष 2016-17 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-05(03)/114/19677/2016-17 दिनांक 22 सितम्बर, 2016 के सन्दर्भ में शासन स्तर पर सम्यक विचारोंपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-134/xxiv-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में दिये गये मानकों/शर्तों के अधीन उ0मा0वि0, पत्थरखोला जनपद अल्मोड़ा को वर्ष 2016-17 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त विद्यालय द्वारा अनुदान सूची/वेतन अनुदान से सम्बन्धित समस्त मानकों/शर्तों की पूर्ति की गयी है।

3- यह आदेश रिट याचिका संख्या-99/(पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा फारित निर्णय के अधीन रहेगा-

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 217(p)/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
ह०५५१
(महिमा)
उप सचिव।

संख्या (1)/xxiv-4/2016-9(10) 2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।
- 4- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 5- मण्डलीय अपर निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।
- 7- वित्त अनुभाग-3 / नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- सम्बन्धित विद्यालयों के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य।
- 9- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उपनिर्देश

25/12/16
माध्यमिक शिक्षा
विभाग, उत्तराखण्ड

25/12/16 श्री जोशी जी
24-12-16
FO

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक २१ दिसम्बर, 2016

विषय- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं के अन्तर्गत अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को टोकन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को टोकन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में संलग्न सूची में अंकित, 02-हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों को रू०-2.00 लाख प्रति विद्यालय कुल 4.00 लाख एवं 32-इण्टर स्तर के विद्यालयों को रू०-3.00 लाख प्रति विद्यालय कुल रू० 96.00 लाख इस प्रकार कुल रू० 100.00 लाख (रू० एक करोड़ मात्र) टोकन अनुदान के रूप में दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 04-आशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 0403-सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषयों हेतु वेतन अनुदान-43 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान एवं अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत वहन किया जायेगा। उक्त टोकन अनुदान इसी वित्तीय वर्ष हेतु दिया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-81/(NP)XXVII(3)/2016-17 दिनांक: 21 दिसम्बर, 2016 द्वारा दी गयी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीया,

h17 h1

(महिमा)

उप सचिव।

संख्या- / XXIV-4 / 2016-9(11)2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 7- मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(महिमा)
उप सचिव।

1-000 के विभागों के प्र...

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	प्रस्तावित टोकन अनुदान की धनराशि
1.	809/2015 30-04-2015	विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए अनुदान	रु० - 2.00 लाख
		एक अनुदान के रूप में	रु० - 2.00 लाख

2-000 के विभागों के प्र...


क्र.सं.	दिनांक	विवरण	प्रस्तावित टोकन अनुदान की धनराशि
1.	809/2015 30-04-2015	विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए अनुदान	रु० 3.00 लाख
2.	809/2015 30-04-2015	विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए अनुदान	रु० 3.00 लाख
3.	809/2015 30-04-2015	विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए अनुदान	रु० 3.00 लाख
4.	809/2015 30-04-2015	विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए अनुदान	रु० 3.00 लाख
5.	809/2015 30-04-2015	विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए अनुदान	रु० 3.00 लाख
6.	809/2015 30-04-2015	विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए अनुदान	रु० 3.00 लाख



7	314/2015	जनता इण्टर कालेज कमलपुर संगलाकोटी को जनपद पौड़ी में गणित के पद की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	रु० 3.00 लाख
8	346/2015 29-01-2015	सी०एन०आई० गुल्मी इण्टर कालेज, राजपुर रोड जनपद देहरादून को इण्टर स्तर पर विज्ञान वर्ग की वित्त सहित मान्यता प्रदान की जायेगी।	रु० 3.00 लाख
9	437/2015 21-02-2015	पोखरखाल इण्टर कालेज जनपद पौड़ी में जीव विज्ञान विषय की सवित्त स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	रु० 3.00 लाख
10	486/2014 19-09-2014	उ०मा०वि० पथरखोला में इण्टरमीडिएट की सवित्त मान्यता प्रदान की जायेगी।	रु० 3.00 लाख
11	344/2015 30-01-2015	श्री भरत मन्दिर इण्टर कालेज ऋषिकेश में हाईस्कूल स्तर पर संगीत विषय की मान्यता व पद सृजित किया जायेगा, हाईस्कूल स्तर पर गृह विज्ञान विषय हेतु शिक्षक का पद सृजित किया जायेगा, इण्टर स्तर पर हिन्दी विषय में छात्र संख्या लगभग 800 होने के कारण एक अन्य हिन्दी प्रवक्ता का पद सृजित किया जायेगा व इण्टर स्तर पर कमप्यूटर प्रवक्ता का पद सृजित किया जायेगा।	रु० 3.00 लाख
12	426/2015 21.02.2015	जनता इ०का० चनकोटखाल	रु० 3.00 लाख
		जनता इ०का० बुढोली जनता	रु० 3.00 लाख
		इ०का० किमसार एवं	रु० 3.00 लाख
		जनता इ०का० पोखरी जनपद पौड़ी को सवित्त विज्ञान विषय की मान्यता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	रु० 3.00 लाख
13	1743/2015	इण्टर कालेज धिंधारुतोला को इण्टर स्तर पर मानविकी वर्ग की सवित्त मान्यता प्रदान की जायेगी।	रु० 3.00 लाख
14	973/2015. 16-05-2015	रैमजे इण्टर कालेज, अल्मोड़ा में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में व्यवसायिक शिक्षा की स्वीकृति	रु० 3.00 लाख

		प्रदान की जायेगी।	
15	1489/2015	"लवाणी इण्टर कालेज को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी" के संबंध में। प्रस्ताव अप्राप्त।	रु0 3.00 लाख
16	436/2015 21-02-2015	गुरु राम राय इण्टर कालेज दिउला जनपद पौड़ी में समाजशास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय की सवित्त स्वीकृति प्रदान की जायेगी। प्रस्ताव अप्राप्त।	रु0 3.00 लाख
17	609/2015	जनता इण्टर कालेज चैड चैनपुर जनपद पौड़ी गढ़वाल को अनुदान सूची में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	रु0 3.00 लाख
18	944/2015	ओंकारानन्द विद्यालय जखोली को इण्टर स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किया जायेगा।	रु0 - 3.00 लाख
19	149/2016	जनता इण्टर कालेज जखेटी को प्रवक्ता समाजशास्त्र एवं प्रवक्ता गणित सवित्त मान्यता प्रदान की जायेगी।	रु0 - 3.00 लाख
20	150/2016	जनता इण्टर कालेज डांगीधार में प्रवक्ता संस्कृत की सवित्त मान्यता प्रदान की जायेगी।	रु0 - 3.00 लाख
21	273/2014	इण्टर कालेज कण्डी देवी तहसील काण्डा में विज्ञान वर्ग की सवित्त मान्यता प्रदान की जायेगी।	रु0 - 3.00 लाख
22	2276/2015	इण्टर कालेज नेवल गांव को विज्ञान वर्ग की सवित्त मान्यता दी जायेगी।	विद्यालय का प्रान्तीयकरण किया जा चुका है।
23	1928/2015 21-08-2015	"विधान सभा समेश्वर के इण्टर कालेज दौलाघाट अल्मोड़ा में कामर्स एवं गणित विषय की मान्यता एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी"। प्रस्ताव अप्राप्त।	रु0 3.00 लाख
24	2378/2015	इण्टर कालेज गागरीगोल में विज्ञान वर्ग की सवित्त मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जायेगी"।	रु0 3.00 लाख
25	2320/2015	इण्टर मिडिएट बूतू में इण्टर स्तर पर समाज शास्त्र व गृह विज्ञान की सवित्त मान्यता प्रदान की जायेगी।	रु0 - 3.00 लाख

26	2336/2015	गोस्वामी गणेशदत्त सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज को वर्ष 2016-17 में वित्तीय मान्यता प्रदान की जायेगी।	रु० - 3.00 लाख
27	2436/2015	"शहीद राय सिंह बंगारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चमालकोट (तुनेटा) को वित्तीय वर्ष 2016-17 में इण्टर स्तर पर सवित्त पोषित किया जायेगा"। प्रस्ताव अप्राप्त।	रु० - 3.00 लाख
28	2572/2015	गांधी इण्टर कालेज पुनवानीला में जीवविज्ञान की सवित्त मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	रु० - 3.00 लाख
29	113/2016	इण्टर कालेज द्वारीथापल सरस्वती सैण, (कोठीफेगूल) विकास खण्ड भिलंगना, टिहरी गढ़वाल को इण्टर विज्ञान वर्ग की सवित्त मान्यता प्रदान की जायेगी।	रु० - 3.00 लाख
30	158/2016	श्री गुरुराम राय, सहसपुर देहरादून में विज्ञान संकाय खोले जाने के सम्बन्ध	रु० - 3.00 लाख


 (महिमा)
 उप सचिव

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये अशासकीय जू0हाईस्कूल/हाईस्कूल/इण्टर स्तर के विद्यालयों को प्रोत्साहन के रूप में टोकन अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या-134/XXIV-4/2016-6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में संलग्न सूची 1 से 4 पर अंकित विद्यालयों एवं समय-समय पर यथा निर्गत शासनादेशों द्वारा अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये अशासकीय विद्यालयों को वेतन अनुदान/टोकन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को टोकन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में संलग्न सूची में अंकित जूनियर हाईस्कूल-13, हाईस्कूल-17 एवं इण्टर स्तर के 26 कुल 56 विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रोत्साहन धनराशि के रूप में टोकन अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 04-अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 0403-सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषयों हेतु वेतन अनुदान-43 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के आयोजनागत पक्ष एवं अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा 102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-07 विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता-0702-सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों का सहायता-43 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान तथा-14-सहायता प्राप्त उ0मा0वि0 से सम्बद्ध प्राईमरी प्रभाग को सहायक अनुदान-43 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान आदि के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-216 (P)/XXVII (3) 2016-17 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(महिमा)

उप सचिव।

उप सचिव

2518

23-12-16

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड

अज्ञात

अज्ञात

अज्ञात

संख्या- (1) / XXIV-4 / 2016-6 (33) / 2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक।
10. वित्त अनुभाग-3 एवं 7/नियोजन प्रकोष्ठ।
11. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।

संख्या-1657(1)/xxiv-4/2016-6(33)/2015 का संलग्नक।

1-जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों का विवरण-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम/ जनपद	शासनादेश संख्या/दिनांक जिसके द्वारा अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है।	वित्तीय वर्ष 2016-17 में टोकन अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
1	हुसैनिया जूनियर हाईस्कूल मरगूबपुर, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-617 /XXIV-4/ 2015-6(40) /2014 दिनांक 19.03.2015।	रु0 1.00 लाख
2	जयगुरुदेव पूर्वमा0वि0 गोसिल, हिण्डोलाखाल, जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-204/ 14-XXIV- 4/2014 दिनांक 04.03.2014।	रु0 1.00 लाख
3	किसान उच्च प्राथमिक विद्यालय तिलियापुर, बसगर, सितारग.ज, जनपद रुधमसिंहनगर।	शासनादेश संख्या-204/ 14-XXIV -4/2014 दिनांक 04.03.2014।	रु0 1.00 लाख
4	बोक्सा जनजाति बा0जू0हा0स्कूल हल्दुखत्ता कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-168/ 14-XXIV -4/2014 दिनांक 04.03.2014।	रु0 1.00 लाख
5	जनता जू0हा0स्कूल जखन्याली (नैलचामी), जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-163/ 14- XXIV- 4/2014 दिनांक 04.03. 2014।	रु0 1.00 लाख
6	ओंकारानन्द विद्या निकेतन समिति देवदर्शनी कणाताल, जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-152/ 14-XXIV- 4/2014 दिनांक 28.02.2014।	रु0 1.00 लाख
7	हिमालयन कन्या जू0हा0स्कूल हुलानखाल, वि0ख0-भिलंग, जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-118/ 14- XXIV- 4/2014 दिनांक 19.02. 2014।	रु0 1.00 लाख
8	विवेकानन्द शिक्षा निकेतन जू0हा0स्कूल रुड़की, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-156 /14/XXIV- 4-6(15)/2014 दिनांक 28.03.2014।	रु0 1.00 लाख
9	नवदीप आदर्श चिल्ड्रन एकेडमी जू0हा0 स्कूल, जनपद रुद्रप्रयाग।	शासनादेश संख्या-163/XXIV -4/ दिनांक 04.03.2014।	रु0 1.00 लाख
10	द्रोण जू0हा0स्कूल डाईवाला, जनपद देहरादून।	शासनादेश संख्या-168 /XXIV-4/ दिनांक 04.03. 2014।	रु0 1.00 लाख
11	इन्दिरा राष्ट्रीय बोक्सा जनजाति जू0हा0स्कूल मेदनीपुर बद्दीपुर एं पिपरपुर, जनपद देहरादून।	शासनादेश संख्या-156/ XXIV-4/ दिनांक 28.02.2014।	रु0 1.00 लाख

11/11

12	डा० भीमराव अम्बेडकर ज०जू०हा० स्कूल डारसिल, पंगरियाणा, जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-147 /XXIV-4/ दिनांक 27.02. 2014।	रु० 1.00 लाख
13	शहीद हरीश आदर्श बाल विद्यालय सर्किट हाउस, जनपद पौड़ी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-91 /XXIV-4/ दिनांक 31.01. 2014।	रु० 1.00 लाख

2-हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों का विवरण-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम/ जनपद	शासनादेश संख्या/ दिनांक जिसके द्वारा अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है।	वित्तीय वर्ष 2016-17 में टोकन अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
1	श्री देव पब्लिक हाईस्कूल अम्बूवाला पथरी, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-698 /XXIV-4/ दिनांक 22.12. 2014।	रु० 2.00 लाख
2	आर्य कन्या उ०मा०वि० रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।	शासनादेश संख्या-147 /XXIV-4/ दिनांक 27.02. 2014।	रु० 2.00 लाख
3	श्री रविदत्त बहुगुणा उ०मा०वि० सेवलाकला, माजरा, जनपद देहरादून।	शासनादेश संख्या-156 /XXIV-4/ दिनांक 28.02. 2014।	रु० 2.00 लाख
4	स्वतन्त्रता संग्रह सेनानी स्व० धनश्याम खंतवाल प०इ०का० असनखेत, जनपद पौड़ी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-147 /XXIV-4/ दिनांक 27.02. 2014।	रु० 2.00 लाख
5	हिमालय पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सनगांव, काणाताल, जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-1292 /XXIV-4/ दिनांक 16.09. 2015।	रु० 2.00 लाख
6	उ०मा०वि० लयडसेण जहरीखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-156 /XXIV-4/ दिनांक 28.02. 2014।	रु० 2.00 लाख
7	श्री सुरकण्डा इ०का० जडीपानी, चम्बा, जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-147 /XXIV-4/ दिनांक 27.02. 2014।	रु० 2.00 लाख
8	जनता उ०मा०वि० रणधार जखवाड़ी, जनपद रुद्रप्रयाग।	शासनादेश संख्या-130 /XXIV-4/ दिनांक 20.02. 2014।	रु० 2.00 लाख
9	सरस्वती उ०मा०वि० रानाखेत, जनपद अल्मोड़ा।	शासनादेश संख्या-204 /XXIV-4/ दिनांक 04.03. 2014।	रु० 2.00 लाख
10	कैप्टन गंगा सिंह रावत,	शासनादेश संख्या-1166	रु० 2.00 लाख

५५५५

	इण्टर लालढांग, हरिद्वार।	कालेज, जनपद	/XXIV-4/ दिनांक 28.10. 2016।	
11	सरदार पटेल माध्यमिक चौरा दुर्ग, बागेश्वर।	उच्चतर विद्यालय जनपद	शासनादेश संख्या-163 /XXIV-4/ दिनांक 04.03. 2014।	रु० 2.00 लाख
12	श्री नागेन्द्र उच्चतर विद्यालय नैलचामी, टिहरी गढ़वाल।	जनता माध्यमिक थैलधार जनपद	शासनादेश संख्या-204 /XXIV-4/ दिनांक 04.03. 2014।	रु० 2.00 लाख
13	आचार्य नरेन्द्र देव उच्चतर विद्यालय भैसियाछाना, अल्मोड़ा।	माध्यमिक मंगलता जनपद	शासनादेश संख्या-122 /XXIV-4/ दिनांक 10.02. 2014।	रु० 2.00 लाख
14	जय मोहन माध्यमिक कानिया, जनपद नैनीताल।	उच्चतर विद्यालय रामनगर	शासनादेश संख्या-112 /XXIV-4/ दिनांक 10.02. 2014।	रु० 2.00 लाख
15	हिमालयन उच्चतर विद्यालय जनपद टिहरी गढ़वाल।	जनता माध्यमिक चमियाला, जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-147 /XXIV-4/ दिनांक 27.02. 2014।	रु० 2.00 लाख
16	दून मार्टन हाई स्कूल तुन्तोवाला देहरादून।	जनपद	शासनादेश संख्या-204 /XXIV-4/ दिनांक 04.03. 2014।	रु० 2.00 लाख
17	गोपेश्वर बाल निकेतन उ०मा०वि० दौलाघाट, जनपद अल्मोड़ा।		शासनादेश संख्या-345 /XXIV-4/ दिनांक 24.06. 2015।	रु० 2.00 लाख

3-इण्टरमीडिएट स्तर के विद्यालयों का विवरण-


क्र.स.	विद्यालय का नाम/ जनपद	शासनादेश संख्या/ दिनांक जिसके द्वारा अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है।	वित्तीय वर्ष 2016-17 में टोकन अनुदान दिया जाना है।
1	सत्यनारायण मन्दिर इ०का० मखदूमपुर, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-156 /XXIV-4/ दिनांक 28. 02.2014।	रु० 3.00 लाख
2	सी०एम०डी० इ०का० दुडियाला, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-130 /XXIV-4/ दिनांक 20. 02.2014।	रु० 3.00 लाख
3	श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इ०का० रुड़की, जनपद	शासनादेश संख्या-751 /XXIV-4/ दिनांक 07.	रु० 3.00 लाख

11/11

	हरिद्वार।	05.2015।	
4	आर्य कन्या इण्टर कालेज बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-373 /xxiv-4/ दिनांक 10. 02.2015।	रु0 3.00 लाख
5	राणा प्रताप इण्टर कालेज खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर।	शासनादेश संख्या-1172 /xxiv-4/ दिनांक 30. 05.2015।	रु0 3.00 लाख
6	महात्मा गांधी स्मारक इण्टर कालेज चनौदा, जनपद अल्मोड़ा।	शासनादेश संख्या-222 /xxiv-4/ दिनांक 16. 05.2015।	रु0 3.00 लाख
7	लक्ष्मण भारतीय इण्टर कालेज, 04 विष्णु रोड़, जनपद देहरादून।	शासनादेश संख्या-156 /xxiv-4/ दिनांक 28. 02.2014।	रु0 3.00 लाख
8	इण्टर कालेज टिटरी गुरना, जनपद अल्मोड़ा।	शासनादेश संख्या-118 /xxiv-4/ दिनांक 19. 02.2014।	रु0 3.00 लाख
9	सरस्वती इण्टर कालेज आनन्दपुरी खटौली, जनपद चम्पावत।	शासनादेश संख्या-152 /xxiv-4/ दिनांक 28. 02.2014।	रु0 3.00 लाख
10	जनता इण्टर कालेज बाजन, जनपद अल्मोड़ा।	शासनादेश संख्या-815 /xxiv-4/ दिनांक 26. 12.2014।	रु0 3.00 लाख
11	एल0डब्लू0एस0 कन्या इण्टर कालेज भाटकोट, जनपद पिथौरागढ़।	शासनादेश संख्या-156 /xxiv-4/ दिनांक 28. 02.2014।	रु0 3.00 लाख
12	जनता इण्टर कालेज मठियाली, क्यारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।	शासनादेश संख्या-391 /xxiv-4/ दिनांक 20. 05.2014।	रु0 3.00 लाख
13	किसान इण्टर कालेज पिरुमदारा, रामनगर, जनपद नैनीताल।	शासनादेश संख्या-112 /xxiv-4/ दिनांक 10. 02.2014।	रु0 3.00 लाख
14	इ0का0 फरसाली, जनपद बागेश्वर।	शासनादेश संख्या-152 /xxiv-4/ दिनांक 28. 02.2014।	रु0 3.00 लाख
15	भगवान शंकर इण्टर कालेज तुगलपुर, खानपुर, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-391 /xxiv-4/ दिनांक 20. 05.2014।	रु0 3.00 लाख
16	इण्टर कालेज दफौट, जनपद बागेश्वर।	शासनादेश संख्या-391 /xxiv-4/ दिनांक 20. 05.2014।	रु0 3.00 लाख
17	सर्व इण्डिया इण्टर कालेज, रोशनपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।	शासनादेश संख्या-1166 /xxiv-4/ दिनांक 28. 10.2016।	रु0 3.00 लाख
18	फैज-ए-आम इण्टर कालेज, जसपुर, जनपद	शासनादेश संख्या-1166 /xxiv-4/ दिनांक 28.	रु0 3.00 लाख

10/2/21

	उधमसिंहनगर।	10.2016।	
19	पं० गोविन्द बल्लभ पंत इण्टर कालेज, काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर।	शासनादेश संख्या-1166 /xxiv-4/ दिनांक 28. 10.2016।	रु० 3.00 लाख
20	जगतगुरु श्रीचन्द्र भगवान इण्टर कालेज, शाहपुर, शीतलाखेड़ा, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-784 /xxiv-4/ दिनांक 25. 04.2016।	रु० 3.00 लाख
21	नेशनल कन्या इण्टर कालेज, खानपुर, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-131 /xxiv-4/ दिनांक 02. 06.2015।	रु० 3.00 लाख
22	मोहन लाल साह बालिका विद्या मन्दिर, इण्टर कालेज, जनपद नैनीताल।	शासनादेश संख्या-1197 /xxiv-4/ दिनांक 04. 06.2015।	रु० 3.00 लाख
23	श्री पूरन सिंह मोहन सिंह इण्टर कालेज कुवरपुर, जनपद नैनीताल	शासनादेश संख्या-204 /xxiv-4/ दिनांक 04. 03.2014।	रु० 3.00 लाख
24	सत्येश्वरी देवी मेमोरियल इ०का० होशियारी मन्दिर रायवाला, जनपद देहरादून।	शासनादेश संख्या-152 /xxiv-4/ दिनांक 28. 02.2014।	रु० 3.00 लाख
25	कन्या पाठशाला गणेशपुर रुड़की, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-168 /xxiv-4/ दिनांक 04. 03.2014।	रु० 3.00 लाख
26	बी०डी०इ०का० भगवानपुर, जनपद हरिद्वार।	शासनादेश संख्या-168 /xxiv-4/ दिनांक 04. 03.2014।	रु० 3.00 लाख


 (महिमा)
 उप सचिव।